53वीं वार्षिक प्रतिवेदन

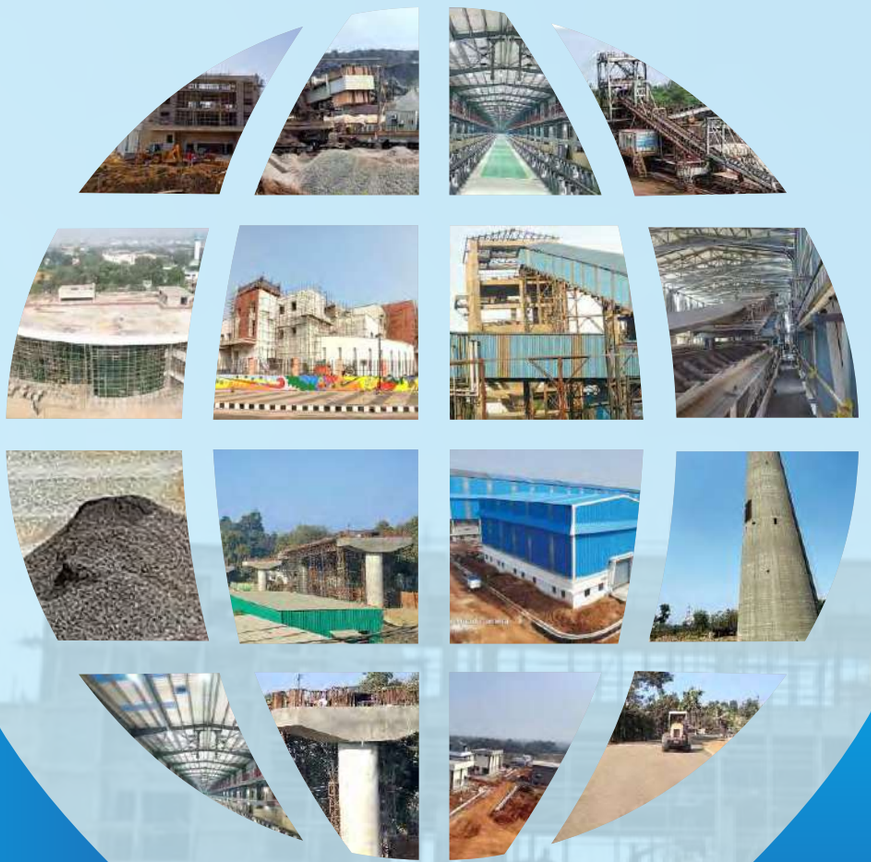

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

मिशन/ध्येय

गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक अग्रणी अद्योपांत परियोजना निष्पादन कमपनी बनाना, जो सतत् रूप से स्टेकहोल्डडरों के मूल्य का वर्धन कर रही है।

परिचाल के मुख्य क्षेत्र

उद्देश्य

i) नए कारबार क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अपने सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारबार का अनुरक्षण करना।

ii) मूल्य सृजन पर अनवरत ध्यान केंद्रित करते हुए अपवादित ग्राहक सेवा का परिदान करना।

iii) गुणवत्ता और मार्जिन पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रचालन उत्कृष्टता का अनुसरण करना।

विषय–सूची

	पृष्ठ संख्या
संदर्भ सूचना	02
निदेशक मंडल	03
वरिष्ठ अधिकारी	04
विगत पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति	06
अध्यक्ष का संदेश	07
वार्षिक साधारण बैठक के लिए सूचना	11
निदेशकों की रिपोर्ट और उसके उपाबंध	15
❖ प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (उपाबंध–क)	30
❖ निगम शासन पर रिपोर्ट (उपाबंध–ख)	37
❖ निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट (उपाबंध–ग)	56
❖ कंपनी द्वारा नातेदार पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं/ठहराव की विशिष्टियों का प्रकटन प्ररूप एओसी–2 (उपाबंध–घ)	60
❖ सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्ररूप संख्या एमआर 3) और लेखापरीक्षकों के पर्यवेक्षण पर कंपनी का प्रत्युत्तर	61
एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर कंपनी का प्रत्युत्तर	76
एकल वित्तीय विवरण	104
समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर कंपनी का प्रत्युत्तर	152
समेकित वित्तीय विवरण	174
प्ररूप सं. एओसी 1	223
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की एकल वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां और कंपनी का प्रत्युत्तर	225
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां और कंपनी का प्रत्युत्तर	227

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोन नंबरः 91–11–24361666
ई–मेलः epico@engineeringprojects.com
वेबसाइटः www.engineeringprojects.com

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय–कोलकाता
यूनिट नंबर 1204, 12वीं मंजिल,
अंबुजा नियोटिया इकोसेंटर,
ब्लॉक–ईएम, प्लॉट संऋ 04
सेक्टर–V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700091
फोनः (33) 40690059, (33) 40064469
ई–मेलः ero@engineeringprojects-com

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय–मुंबई
'बख्तावर', 6ए, 6वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट, मुंबई– 400021
फोनः 91–22– 22027585, 91–22– 22028008
ई–मेलः wromumbai@engineeringprojects.com

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली
कोर–3, 5वीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोनः 91–11–24361666
ई–मेलः nro@engineeringprojects.com

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय–चेन्नई
3डी, ईस्ट कोस्ट चौम्बर्स,
92, जी.एन. चेट्टी रोड,
टी. नगर, चेन्नई –600017
फोनः 91–44–28156293, 28156421
ई–मेलः sro@engineeringprojects-com

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
चौथी मंजिल हिंदुस्तान टावर, जवाहर नगर,
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37, बेलटोला
गुवाहाटी –781022 (असम)
फोनः 0361–2962648
ई–मेलः nero@engineeringprojects.com

परियोजना कार्यालय

पीसीओ– हैदराबाद
फ्लैट सं. 308, सत्य साई अपार्टमेंट,
श्रीनिवास नगर (पूर्व), मेट्रो पिलर सं. ।1040,
अमीरपेट, हैदराबाद– 500038, तेलंगाना
ईमेलः epil-pcohyd@engineeredprojects-com

पीसीओ– विशाखापत्तनम कार्यालय
मकान नंबर 31.12ध्2, रोड नंबर 03
सातवाहन नगर, कुरमना पालेम,
विशाखापत्तनम– 530046, आंध्र प्रदेश
ईमेलः pco&vizag@engineeredprojects-com

पीसीओ–भुवनेश्वर कार्यालय
द्वितीय तल, खाता सं.– 081, प्लॉट सं–471,
जीए प्लॉट नंबर–108, सूर्य नगर,
यूनिट–07, भुवनेश्वर–751003,
खोरधा, ओडिशा

कैम्प कार्यालय मस्कट
इंजीनियर–3 प्रोजेक्ट ओमान
सी/ओ. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया)
लिमिटेड–ओमान, पोस्ट बॉक्स नंबर 3251
पोस्टल कोड 112 आरयूडब्ल्यूआई
ओमान की सल्तनत
ई–मेलः ratnesh.jain@engineeringprojects.com

लेखा परीक्षकः

सांविधिक लेखा परीक्षक
एमएस। जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी,
नई दिल्ली
8, पहली मंजिल, रानी झाँसी रोड,
मोतिया खान औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली 110055

शाखा लेखा परीक्षक

उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक
एमएस। भुडलाडिया एंड कंपनी 18,
12/10, वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली 110008

पूर्वी क्षेत्र –उत्तर पूर्वी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक
एमएस। जैन सरावगी एंड कंपनी, कोलकाता
1, कुटिल लेन, कोलकाता,
पश्चिम बंगाल 700069

पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक
एमएस। बथिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
910, हबटाउन सोलारिस
एन.एस. फड़के रोड, ईस्ट–वेस्ट फ्लाईओवर के
पास, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400069

दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखा परीक्षक
एमएस। जी.सी. डागा एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स,
14, वीरप्पन स्ट्रीट, दूसरी मंजिल,
चेन्नई–600001

विदेशी शाखा लेखा परीक्षक

श्रीलंका शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स एसीसीफर्स्ट पार्टनर्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
नंबर 787एफ, एम डी एच जयवर्धना
मेगावाट, मदीनागोडा, राजगिरिया

ओमान शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स एमएचएमवाई ऑडिटर्स
पी.ओ. बॉक्सरू 385, जिबरू, पी.सी.:114,
मस्कट, ओमान सल्तनत

म्यांमार शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स डाव कल्यार विन, म्यांमार
कमरा नंबर 3ए, नंबर 20, बावगाथिकडी
स्ट्रीट, वार्ड 2, मायागोन टाउनशिप, यांगून,
म्यांमार

लागत लेखा परीक्षक
मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी,
सी–II/183ए, न्यू अशोक नगर,
एमसीडी प्राइमरी स्कूल के पास,
दिल्ली–110096

सचिवीय लेखा परीक्षक
एमएस। एमएनके एंड एसोसिएट्स
एलएलपी
कंपनी सचिव
एमएनके हाउस, 9ए/9–10, बेसमेंट,
ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली–110008

मुख्य बैंकर

ऐक्सिस बैंक

बैंक ऑफ बड़ौदा

केनरा बैंक

एचडीएफसी बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी)

इंडसइंड बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

निदेशक मंडल
(एजीएम की तिथि के अनुसार)

श्री डी एस राना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री दिबेंदु दास
निदेशक (वित्त)

सुश्री मुक्ता शेखर
अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्री राजेश कुमार
अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्रीमती आकांक्षा पारे
अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्री विनोद कुमार यादव
अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्री अशोक शंकरराव मेंढे
अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

वरिष्ठ कार्यपालक
(15.10.2023 की स्थिति के अनुसार)

श्री निजामुद्दीन
मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)

श्री नितेश कुमार गोयल
कंपनी सचिव

श्री विश्वजीत विश्वास
कार्यकारी निदेशक
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता एवं
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

श्रीमती गीता आर कृष्णन
कार्यकारी निदेशक (पी एंड एम)

श्री शमशेर सिंह
कार्यकारी निदेशक (संविदा एवं अभियांत्रिकी)

श्री रत्नेश जैन
कार्यकारी निदेशक (ओमान)

श्रीमती ए भौमिक
समूह महाप्रबंधक
(संविदा एवं अभियांत्रिकी)

श्री संजय गोयल
समूह महाप्रबंधक
(व्यापार विकास एवं राजभाषा)

श्री समिक मिस्त्री
समूह महाप्रबंधक
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

श्री जे.एल. रिचर्ड
समूह महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

श्री मुकेश ठाकुर
समूह महाप्रबंधक
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली

श्री ए गौतमन
समूह महाप्रबंधक
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

श्री शम्सुल हसन
समूह महाप्रबंधक
(व्यापार विकास)

श्री ए.के. पात्रा
समूह महाप्रबंधक (वित्त) एवं
(मानव संसाधन एवं प्र.)

श्री एस के सेठी
महाप्रबंधक एवं
जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)

श्रीमती सीमा पांडे
महाप्रबंधक (विधि)

श्री प्रसून राय
अपर महाप्रबंधक एवं
मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक

विगत पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

विशिष्टियां / वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क. प्रचालन सांख्यिकी					
घरेलू (क)	674.90	622.49	530.41	723.42	1,086.63
विदेशी (ख)	1,116.15	714.10	275.21	12.75	45.33
टर्नओवर (प्रचालन आय) (ग) = (क+ख)	**1,791.05**	**1,336.59**	**805.62**	**736.17**	**1,131.96**
अन्य आय (घ)	5.18	7.32	5.12	13.68	13.16
कुल आय (ङ) = (ग+घ)	**1,796.22**	**1,343.91**	**810.74**	**749.86**	**1,145.12**
कुल व्यय (च)	1,818.94	1,326.35	843.11	806.51	1,137.56
सकल मार्जिन (ज) = (ङ – च)	**(22.71)**	**17.56**	**(32.37)**	**(56.65)**	**7.56**
ब्याज	5.01	8.52	10.32	4.78	3.83
मूल्यह्रास	1.90	1.09	0.99	0.88	1.13
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	**(29.63)**	**7.94**	**(43.69)**	**(62.32)**	**2.60**
आयकर	3.40	7.02	6.06	2.75	2.16
करोपरांत लाभ (पीएटी)	**(33.03)**	**0.92**	**(49.74)**	**(65.06)**	**0.44**
प्रदत्त लाभांश*	-	-	0.28	-	-
आरक्षिति एवं अधिशेष में अग्रेनीत किया गया शेष	(33.03)	0.92	(50.02)	(65.06)	0.44
कर्मचारियों की संख्या	327	303	289	270	249
प्रत्येक 10/– रुपये के इक्विटी शेयरों की संख्या	35422688	35422688	35422688	35422688	35422688
ख. वित्तीय स्थिति					
शेयर पूंजी	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42
आरक्षिति एवं अधिशेष (मुक्त आरक्षिति)	162.22	163.14	113.12	48.06	48.50
सीएसआर आरक्षिति	-	-	-	-	-
निवल संपत्ति (शेयरधारकों की निधि)	**197.64**	**198.56**	**148.54**	**83.48**	**83.92**
नियोजित पूंजी	**197.64**	**198.56**	**148.54**	**83.48**	**83.92**
ग. वित्तीय अनुपात					
प्रति कर्मचारी टर्नओवर	5.48	4.41	2.79	2.73	4.55
सकल मार्जिन/टर्नओवर (%)	(1.27)	1.31	(4.02)	(7.70)	0.67
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/टर्नओवर (%)	(1.65)	0.59	(5.42)	(8.46)	0.23
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/निवल मूल्य (%)	(14.99)	4.00	(29.41)	(74.65)	3.10
करोपरांत लाभ (पीएटी)/निवल मूल्य (%)	(16.71)	0.46	(33.49)	(77.94)	0.53
प्रदत्त लाभांश/कर पूर्व लाभ (%)	-	-	3.48	-	-
प्रदत्त लाभांश/करोपरांत लाभ (%)	-	-	30.00	-	-
मूल और घटाया गया ईपीएस (रुपये में)	(9.32)	0.26	(14.04)	(18.37)	0.12
10/– रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति शेयर एनएवी	55.79	56.06	41.94	23.57	23.69

* वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदत्त लाभांश वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित है।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से, हमारी कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 53वीं वार्षिक रिपोर्ट यथाविधि प्रस्तुत करना मेरे लिए वास्तव में सम्मान एवं सौभाग्य का पल है।

जैसा कि मैंने ईपीआई के सीएमडी के रूप में अपने आखिरी वित्तीय वर्ष समाप्त किया है, मैं इस वर्ष के दौरान हमने जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां और अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, उस पर मनन कर रहा हूं।

विगत कुछ वर्षों में, वैश्विक उथल–पुथल के कारण, निर्माण सामग्री की कीमतों में काफी वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में आये व्यवधानों का भारतीय समाज और व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास परिदृश्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

अनेक प्रतिकूलताओं और बाधाओं के बावजूद, हमने विगत वर्ष में महत्वाकांक्षी परिवर्तन यात्रा आरंभ की। मुझे यह जानकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि हमने नए क्षेत्रों में प्रवेश करने, ग्राहक संबंधों में सुधार करने, संगठन की संरचना का पुनर्विन्यास करने और भरोसेमंद परियोजना वितरण के लिए स्वयं को स्थापित करने के क्षेत्रों में अच्छी खासी प्रगति की है।

मुझे वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते हुए आपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है:

- प्रचालन से राजस्व विगत वर्ष के दौरान 749.86 करोड़ रुपये के सापेक्ष 1145.12 करोड़ रहा जिसमें 52.71 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान करोपरांत लाभ (पीएटी) (65.06) करोड़ रुपये से बढ़कर 0.44 करोड़ रुपये हो गया।
- कारोबार विकास और विविधीकरण पहल के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 2,369 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुकिंग में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है जो परियोजनाओं की विस्तृत श्रृंखला हासिल करने की हमारी चल रही प्रवृत्ति को रेखांकित करती है।

हमारी परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता में, ईपीआई ने हाल ही में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल) के लिए विशाखापत्तनम में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट (आरईपीएम) को सफलतापूर्वक चालू करके एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने, इन आवश्यक कारकों के स्वदेशी उत्पादन को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम का संकेत देती है।

इसके अतिरिक्त, हमने राजमार्गों, हवाई अड्डों, रेलवे, कोयला प्रबंधन संयंत्रों, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पहल, ग्रिप गैस डीसल्फराइजेशन और गोदामों और साइलो के विकास सहित बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्शायी है। हमारे आदेश बही (ऑर्डर बुक) ने 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 5289.86 करोड़ रुपये मूल्य के साथ हाल के वर्षों में निरंतर क्रमिक प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। यह प्रवृत्ति हमें आगामी वर्षों के लिए सकारात्मक राजस्व दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

जैसा कि हम ''आजादी का अमृत कालः विजन 2047'' की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में काम कर रही है, जो न केवल राष्ट्रीय बाजार में अपनी अग्रणी उपस्थिति बनाए रखने में अपितु आने वाले दिनों में वैश्विक मंच पर अपने प्रभाव का विस्तार करने में भी अच्छी स्थिति में है।

कार्यनीतिक दृष्टिकोणः

जैसा कि हम भारत में निर्माण उद्योग में आगामी अवसरों का विश्लेषण करते हैं, यह सुस्पष्ट है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र

भारत की आर्थिक प्रगति का प्रमुख चालक बना हुआ है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए निवेश आकर्षित करने की सरकार की पहल और बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ निवेश एक ईपीसी कंपनी के रूप में हमारी क्षमता के साथ सहजता से मेल खाता है।

सतत विकास को सुरक्षित करने के लिए, ईपीआई ने अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और एकल परियोजना या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने पर लक्षित कार्यानीति अपनाई है। इस कार्यनीति में लागत अनुकूलन, राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाना और उभरते अवसरों में विविधीकरण करना शामिल है। इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहलों में शामिल हैं:

- जनशक्ति संसाधन सुव्यवस्थित करना।
- बैंक खाता समेकन के माध्यम से उन्नत नकदी प्रबंधन।
- विवेकसम्मत ऋण प्रबंधन और बेहतर बैंक गारंटी शर्तों द्वारा संचालित वित्त लागत में पर्याप्त कमी।
- संपत्ति पट्टे के माध्यम से स्थिर राजस्व स्रोत को साकार करना।
- डिजिटल माध्यम से यात्रा व्यय में कमी।
- एसएपी उपयोग और एक ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि।
- बढ़ी हुई लागत और समय–सीमा जागरूकता के लिए परियोजना–विनिर्दिष्ट लेखांकन का कार्यान्वयन।
- अपने इन–हाउस डिजाइन और वास्तुशिल्प क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना।

जैसा कि हम आगामी वर्ष पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, हम अपने सम्मानित हितधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की संपुष्टि करते हैं और ऐसी कार्यनीतिक दिशा की रूपरेखा तैयार करते हैं जो निरंतर सफलता की दिशा में हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करेगी।

1. सतत विस्तार और विविधीकरण:

- हमारा प्राथमिक उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अपने परियोजना पोर्टफोलियो में विविधता लाकर सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- हम स्थापित बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए उभरते बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
- आशाजनक अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक सुदृढ़ परियोजना अधिग्रहण रणनीति लागू करेंगे।

2. तकनीकी प्रगति:

- प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे आगे रहना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। हम परियोजना दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों, स्वचालन और डिजिटलीकरण में निवेश करेंगे।
- नवाचार और चालू अनुसंधान एवं विकास पहलों के प्रति हमारा समर्पण परिचालन उत्कृष्टता की हमारी खोज को आगे बढ़ाएगा।

3. प्रतिभा संवर्धन और विकास:

- हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारी प्रतिभाशाली कार्यबल है। हम एक विविध और कुशल टीम को विकसित करने के प्रति कटिबद्ध हैं।
- हम अपने कर्मचारियों को उभरते परिदृश्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के साथ सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को तेज करेंगे।

4. भरणीयत्ता और पर्यावरणीय प्रबंधनः

- जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, हम स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हैं।
- हमारी परियोजनाएं उच्चतम पर्यावरण मानकों का पालन करेंगी, एक हरित और अधिक सतत विश्व बनाने में योगदान देंगी।

5. ग्राहक और भागीदार सहभागिताः

- ग्राहकों और भागीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाना और उनका पोषण करना हमारी उपलब्धियों का अभिन्न अंग है।
- हम ग्राहकों की संतुष्टि, पारदर्शी संचार और स्थायी साझेदारियों को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता देंगे।

6. वित्तीय लचीलापनः

- वित्तीय स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करना हमारी कार्यनीति के आधार के रूप में काम करेगा।
- विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, जोखिम शमन और लागत अनुकूलन हमारे वित्तीय दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे।

7. नवाचार और अनुकूलनः

- तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में, अनुकूलनशीलता और नवीनता आवश्यक है।
- हम उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए परिवर्तन के प्रति चुस्त और ग्रहणशील बने रहेंगे।

8. वैश्विक पहुंचः

- हमारी आकांक्षाएं सीमाओं से परे फैली हुई हैं, और हम अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाते हुए वैश्विक विस्तार के रास्ते तलाशेंगे।

9. सामुदायिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वः

- हम जिन समुदायों की सेवा करते हैं उनकी भलाई में योगदान देने में अपनी भूमिका को पहचानते हैं। हम सामाजिक पहल में सक्रिय रूप से कार्य करेंगे और अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को कायम रखेंगे।

कंपनी में हमारी भावी यात्रा के संबंध में बड़ी संभावना है और हमें अपने व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए नए क्षेत्रों में पदार्पण करने की और, हाथ में परियोजनाओं को निष्पादित और कार्यान्वित करने के लिए ध्यान केंद्रित रखने और सावधान रहने की आवश्यकता होगी।

भावी चुनौतियांः–

हालाँकि हम विकास के लिए तैयार हैं, हम चुनौतियों के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। इनमें आकस्मिक देनदारियां शामिल हैं, जो वर्तमान में 31 मार्च, 2023 तक 733 करोड़ रुपये रहा। इन देनदारियों को कम करने और नए संचय को कम करने के प्रयास चल रहे हैं।

अनुषंगी कंपनीः

हमारी अनुशंगी कंपनी, ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड को 20.07.2023 को आरओसी द्वारा रद्द कर दिया गया है।

एमओयू के अधीन कार्य निष्पादनः

आपकी कंपनी को डीपीई पत्र संख्या के माध्यम से एमओयू पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई है। एम–03/0021/2022–डीपीई(एमओयू) दिनांक 25.10.2022।

लाभांशः

लाभ और नकद की अपर्याप्तता के कारण आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए किसी लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सिफारिश नहीं की है।

मानव संसाधनः

हम सफल परियोजनाओं को पूरा करने में एक योग्य और सक्षम टीम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं। जनशक्ति भर्ती में चुनौतियों के बावजूद, हम अस्थायी भर्ती के माध्यम से इस बाधा को पार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

निगम शासनः

सुदृढ़ निगम प्रशासन प्रथाओं को कायम रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है। हम सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखते हैं।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयत्ताः

वर्ष के दौरान, शून्य बजट आवंटन के कारण कोई गतिविधियाँ नहीं की गईं।

आभारः

मैं अपने समर्पित कर्मचारियों, सम्मानित बोर्ड सदस्यों, शेयरधारकों, लेखा परीक्षकों, व्यापार सहयोगियों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों को उनके अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक सराहना करता हूं। आपका विश्वास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है क्योंकि हम भविष्य में अधिक सफलता के लिए प्रयास करते हैं।

अंत में, हम पूरी आशा के साथ भविष्य की ओर देखते हैं, अपने सभी प्रयासों में विकास, नवाचार और उत्कृष्टता की खोज के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ह/–
डी एस राना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा
निदेशक (परियोजनाएं)
डीआईएनः 07022825

दिनांकः 26 सितंबर 2023

स्थानः नई दिल्ली

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएनः यू27109डीएल1970 जीओआई117585
रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः कोर–3 स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड़, नई दिल्ली –110003
फोन न. 91–11–24361666, ईमेलः epico@engineeringprojects.com
वेबसाइटः www.engineeringprojects.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) के सदस्यों की **53वीं वार्षिक साधारण बैठक** उसके रजिस्ट्रीकृत और निगम कार्यालय में वीडियो संगोष्ठी/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा निम्नलिखित कारबार का संव्यवहार करने के लिए मंगलवार, **26 सितंबर 2023 को अपराह्न 03:00 बजे सांय** आयोजित की जाएगीः

साधारण कारबार

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों (जिसके अंतर्गत समेकित और एकल वित्तीय विवरण भी सम्मिलित हैं) को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना तथा उपांतरण(णों) सहित या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

   "**यह संकल्प लिया जाता है** कि 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियां (जिसके अंतर्गत समेकित और एकल वित्तीय विवरण भी सम्मिलित हैं) और 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ टिप्पणियां और उपाबंध तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अपने उपबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट एवं निगम सामाजिक दायित्व और भरणीय रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओंध्इन्तजामों की विशिष्टियों का प्रकटन के लिए एओसी–1 एवं एओसी–2 जैसाकि बैठक के समक्ष अधिकथित है एतद्द्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत किया जाता हैं।''

2. वित्त वर्ष 2022–23 के लिए साम्या शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।

   निदेशक मंडल ने 20 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में सूचित किया कि मंडल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लाभ/निधियों की कमी के कारण शून्य लाभांश का प्रस्ताव किया है।

विशेष कारबार

3. निदेशक मंडल की 283वीं बैठक 20 जुलाई, 2023 को अनुमोदित वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित) और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

   "**यह संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में लेक्षापरीक्षा समिति द्वार यथा संस्तुत एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 40,000/– रुपए (चालीस हजार रुपए मात्र) में लागू कर जोड़कर,(पिरिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा फुटकर व्यय सहित) मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी, लागत लेखाकार को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में संदत्त किया जाएगा और इसकी एतद्द्वारा अनुसमर्थन तथा पुष्टि की जाती है।''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह./–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव
ईमेल–csd@engineeringprojects.com

तिथिः 01 सितंबर, 2023
स्थानः नई दिल्ली

टिप्पणः

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 05.05.2022, 13.01.2021, 05.04.2020 एवं 08.04.2020 (जिन्हें सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र कहा जाए) के साथ पठित दिनांक 28 दिसंबर 2022 के परिपत्र द्वारा कंपनियों को वार्षिक साधारण बैठक (''एजीएम''/''बैठक'') वीडियो संगोष्ठी या अन्य श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुज्ञा दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबधों और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। वार्षिक साधारण बैठक को कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में आयोजित किया गया समझा जाएगा।

2. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र कंपनी का कोई सदस्य उसके द्वारा लिखित में सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रॉक्सी को उसके स्थान पर भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि एजीएम वीसीध्ओएवीएस सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यों द्वारा सदस्यों द्वारा वार्षिक साधारण बैठक के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति लागू नहीं है और इसलिए प्रॉक्सी प्रारूप, उपस्थिति पर्ची और रूट मानचित्र को इस नोटिस के साथ उपाबद्ध नहीं किया गया है

3. निगमित सदस्यों को मंडल के संकल्प की वीसी/ओएवीएम भाग लेने के लिए प्रतिनिधि को और उनके निमित्त मतदान करने के लिए प्राधिकृत करने के मंडल के संकल्प की सम्यक्तः स्कैन की गई प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है। संकल्प/प्राधिकृत किए जाने को उसके रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से csd@engineeringprojects.com/nitesh.goyal@engineeringprojects.com को मार्क की गई प्रति के साथ भेजी जाए।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) और विशेष कारबार के संबंध में साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक 2 जैसा कि ऊपर दिया गया है, के अनुसरण में सुसंगत स्पष्टीकरण कथन इसके साथ उपाबद्ध है ।

5. अधिनियम की धारा 103 के उपबंधों के अनुसरण में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

6. कंपनी के कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे के नातेदार नहीं है।

7. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई– वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने की सुविधा ई– वार्षिक साधारण बैठक के अनुसूचित आरंभ होने के समय से 15 मिनट पहले तक और 15 मिनट पश्चात तक खुली रहेगी।

8. संलग्न सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज निरीक्षण के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार और रविवार को छोड़कर) वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक उपलब्ध हैं। तथापि कोविड–19 महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे दस्तावेजों की जांच करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि पूर्व ईमेल पते पर वह अपनी पूर्व सूचना भेजें तथा यह उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक सरकारी कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसरण में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति यह पुनः नियुक्ति करता है और उनका परिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा साधारण बैठक में या ऐसी रीति में नियत किया जाता है जो कंपनी साधारण बैठक में अवधारित करे। ईपीआई के शेयरधारकों ने 29 सितंबर 2014 को आयोजित 44वीं वार्षिक साधारण बैठक में, मंडल को, सांवधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को वित्त वर्ष 2013–14 के पश्चात नियत करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, निदेशक

मंडल ने दिनांक 22 मार्च, 2023 को आयोजित 282वीं मंडल बैठक (मद सं. 282–22–23–बी–1) में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए निगम कार्यालय तथा शाखा कार्यालय (विदेशी शाखा को छोड़कर) की सांवधिक लेखापरीक्षा के सापेक्ष 10.85 लाख रुपए (जमा लागू कर) की कुल फीस नियत की थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में मद संख्या 3 के संबंध में स्पष्टीकरण कथन यथा नोटिस के उपरोक्त बनने वाले भाग में विहित है:

मद संख्या 3: लागत लेखाकार के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनी, लागत लेखापाल को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने हेतु लागत लेखा परीक्षक के रूप में 40,000/– रुपए (चालीस हजार रुपए मात्र) जमा लागू कर पर नियुक्त किया था। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में, लागत लेखाकार को संदेय पारिश्रमिक कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए। तदनुसार नोटिस की मद संख्या 3 पर संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए रखा जाता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके नातेदार किसी भी प्रकार से मत संख्या 3 में रखे गए संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित या हितबद्ध नहीं है

सेवा में:

1. ईपीआईएल के सभी शेयर धारक
2. ईपीआईएल के सांविधिक लेखा परीक्षक
3. ईपीआईएल के सचिवालयी लेखा परीक्षक
4. ईपीआईएल के सभी निदेशक

प्रति:

1. सचिव, भारत सरकार,

   भारी उद्योग मंत्रालय,

   उद्योग भवन, नई दिल्ली–110001

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह./–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव
ईमेल–csd@engineeringprojects.com

तिथि: 01 सितंबर, 2023
स्थान: नई दिल्ली

नामनिर्देशन प्ररूप

सेवा में

कंपनी सचिव,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल)

सीआईएन : यू 27109डीएल1970जीओआई117585,

कोर–3 स्कोप काम्पलैक्स

7, लोदी रोड़, नई दिल्ली –110003

प्रिय महोदय/महोदया,

मै श्री/श्रीमती_____

नाम

_____

(पदनाम)

को मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए 26 सितम्बर, 2023 (मंगलवार) को आयोजित होने वाली ईपीआई के शेयरधारकों की 53वीं वार्षिक साधारण बैठक और (उसकी कोई अन्य स्थगित बैठक) में मेरे नामनिर्देशिती के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं।

धन्यवाद,

धन्यवाद,

ह0/–
पदनाम
मुहर और मुद्रा

स्थानः

तिथिः

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन पर 53वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्श की अनुभूति हो रही है।

1. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी का प्रचालन टर्नओवर पूर्व वर्ष में प्राप्त 73,617 लाख रूपए के टर्नओवर के सापेक्ष 113196 लाख रुपए रहा। इस अवधि के दौरान कर पूर्व (पीबीटी) अर्जित लाभ वर्ष 2021–22 में अर्जित (6,231) लाख रूपए की तुलना में 260 लाख रुपए रहा।

वर्ष 2022–23 के दौरान पूर्व वर्ष में तत्स्थानी आंकडों के साथ आपकी कंपनी (एकल) की वित्तीय विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1.	प्रचालन टर्नओवर	1,13,196	73,617
2.	अन्य आय	1,316	1,368
3.	कुल आय	1,14,512	74,986
4.	समग्र मार्जिन	756	(5,665)
5.	संदत्त ब्याज	383	478
6.	मूल्यह्रास	113	88
7.	कर पूर्व लाभ	260	(6,231)
8.	कर	216	275
9.	करोपरांत लाभ	44	(6,506)
10.	निवल मूल्य	8,392	8,348

कंपनी का निवल मूल्य 8,348 लाख रुपए से बढ़कर 8.392 लाख रुपए हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 0.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वर्ष 2022–23 में नियोजित पूंजी पर रिटर्न वर्ष 2021–22 में (78 प्रतिशतः) के सापेक्ष 1 प्रतिशत है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (''सीसीईए'') का 17 फरवरी 2016 का समान केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के उपकर्मों के साथ विलयन के संबंध में विलयन द्वारा सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया के विनिश्चय को सीसीईए की 13 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सभी पात्र सीपीएसई और प्राइवेट सेक्टर के अस्तित्व को विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुज्ञात करने के लिए और आगे उपांतरित किया गया।

इसके अतिरिक्त आस्ति मुद्रीकरण (दीपम विनिवेश योजना के अधीन) के कार्यकलाप की प्रक्रिया चल रही है और आपकी कंपनी इस संबंध में समय–समय पर जारी सभी नीतियों/मार्गदर्शक सिद्धतों/ढांचे इत्यादि का कड़ाई से पालन कर रही है।

भारी उद्योग मंत्रालय के अनुदेशों की अनुपालना में भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमोंध् एबी के कब्जे मै भूमि के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए पुनरीक्षण और मॉनिटरी तंत्र को परिभाषित करने के लिए एक कार्य योजना मैट्रिक्सरू यह सूचित किया गया है कि आपकी कंपनी के पास मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) मै एक कार्यशाला / वेयरहाउस के प्रयोजन के लिए 10000 वर्ग मीटर की पट्टा धृत भूमि है। यह पट्टा 7 सितंबर 1998 से 99 वर्ष की अवधि के लिए धृत है।

2. पूंजीगत ढ़ांचा

कंपनी की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 909,404,600 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) और 35.42 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के क्रमशः 35,422,688 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) है ।

3. लाभांश एवं आरक्षितियां

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लाभ और नकद की अपर्याप्तता के कारण किसी लाभांश (अंतिम / अंतरिम) की सिफारिश नहीं की है।

तदनुसार, आरक्षतियों और अधिशेष लेखे में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष धनराशि 4850 लाख रुपए है।

4. विपणन उपलबधियां

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने 2369.49 करोड रुपए के मूल्य की परियोजनाएं हासिल कीं। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (जीएसटी सहित) (करोड़ रु.)
1	काटपाडी रेलवे स्टेशन, काटपाडी, तमिलनाडु का बड़े हिस्से का उन्नयन / पुनर्विकास।	सीएओ कार्यालय, दक्षिणी रेलवे, 183, ईवीआर हाई रोड, चेन्नई– 600008	329.32
2	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) सम्बलपुर, ओडिशा मे ट्रांसफर हाउस टीएच–2 में पाइप कन्वेयर के मुख्य छोर से साइलो (निर्माणाधीन) तक कोयले (10 एमटीवाई) की ढुलाई के लिए ईपीसी मोड पर सीएचपी का निर्माण इसके अंतर्गत एमसीएल के लिए हिंगुला क्षेत्र, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), सम्बलपुर, ओड़ीशा में प्रचालन एवं रखरखाव भी सम्मिलित है।	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा	218.30
3	डीडब्ल्य एंड एस डिवीजन, गुमला के अधीन टर्नकी आधार पर सिसई ब्लॉक ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के लिए आरसीसी इंटेक वेल सह पंप हाउस, आरसीसी गैंगवे, जल प्रशोधन संयंत्र, आरसीसी टंकी, स्टाफ क्वार्टर इत्यादि का विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइनिंग, ड्राइंग और निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।	162.86
4	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अधीन वेस्ट गारो हिल्स जिले, मेघालय में टर्नकी आधार पर मेडिकल स्किल हब का निर्माण।	आयुक्त एवं सचिव, मेघालय सरकार, समाज कल्याण विभाग	142.91

5	टाउनशिप वर्क्स पैकेज – एनईआर पावर सिस्टम उन्नयन परियोजना से संबद्ध असम राज्य के विभिन्न सबस्टेशनों में बाहरी अवसंरचना विकास सहित आवासीय और गैर–आवासीय भवनों का निर्माण	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	116.99
6	गुरखाबस्ती, अगरतला, त्रिपुरा में टर्नकी आधार पर ऊँची बहुमंजिला कार्यालय भवन का निर्माण।	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (आर एंड बी), अगरतला, त्रिपुरा	106.48
7	गोवा राज्य में बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत निर्माण श्रमिकों के लाभार्थ विभिन्न योजनाओं को लागू करने में परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी (पीआईए) के रूप में ईपीआई की नियुक्ति।	गोवा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, पणजी, गोवा	100.00

भारत तथा विदेश में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाएं

- ❖ 503.605 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की ओमान में इंजीनियर्स–3 परियोजना (चरण–2)।
- ❖ सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा में 417.77 करोड़ रुपये के मूल्य पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन और निष्पादन सलाहकार।
- ❖ 375.00 करोड़ रुपए मूल्य पर मिजोरम और त्रिपुरा में भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के लिए सीमा चौकियों का निर्माण।
- ❖ 317.84 करोड़ रुपए मूल्य पर भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई की ईंधन और फ्लक्स क्रशिंग सुविधाओं (पीकेजी. संख्या 064) का आवर्धन।
- ❖ 279.09 करोड़ रुपये मूल्य पर कटपाड़ी पावर स्टेशन, कटपाड़ी, तमिलनाडु का व्यापक उन्नयन/पुनर्विकास।
- ❖ 277.38 करोड़ रुपये मूल्य पर रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज III (1 x 500मेगावाट), रामागुंडम के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम पैकेज ।
- ❖ ओडिशा राज्य में सुंदरगढ़ जिले के लिए निर्माण, उन्नयन और अन्य संबंधित कार्य संकल्पना से पूर्णता तक। – 250.00 करोड़ रुपये के मूल्य पर सड़क और पुल कार्य (पीएमसी आधार पर)।
- ❖ गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के 207.07 करोड़ रुपये की लागत से पूरे परिसर का निर्माण।
- ❖ 185 करोड़ रुपये के मूल्य पर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) सम्बलपुर, ओडिशा मे ट्रांसफर हाउस टीएच–2 में पाइप कन्वेयर के मुख्य छोर से साइलो (निर्माणाधीन) तक कोयले (10 एमटीवाई) की ढुलाई के लिए ईपीसी मोड पर सीएचपी का निर्माण इसके अंतर्गत एमसीएल के लिए हिंगुला क्षेत्र, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), सम्बलपुर, ओड़ीशा में प्रचालन एवं रखरखाव भी सम्मिलित है।
- ❖ 166.94 करोड़ रुपये के मूल्य पर त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44ए पर मनु–लालचरा खंड की सड़क का पुनर्वास और उन्नयन (कुल लंबाई 16.290 कि.मी.)।
- ❖ 164 करोड़ रुपये के मूल्य पर बीएआरसी, विशाखापत्तनम में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (आरईपीएम) संयंत्र के लिए ईपीसी एकमुश्त (एलएसटीके) आधार पर खरीद, आपूर्ति, निर्माण, निर्माण और कमीशनिंग।
- ❖ एलिम्को, कानपुर में कार्यालयों और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र के लिए आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत कार्य केंद्रों और अन्य भवनों का निर्माण और उज्जैन में 129.28 करोड़ रुपये की लागत से सहायक उत्पादन इकाई का निर्माण।

- ❖ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अधीन वेस्ट गारो हिल्स जिले, मेघालय में टर्नकी आधार पर 121.11 करोड़ रुपये की लागत से से मेडिकल स्किल हब का निर्माण।
- ❖ केंद्रपाड़ा में 115.52 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले मातृ शिशु अस्पताल के साथ जिला मुख्यालय अस्पताल का निर्माण।
- ❖ 109.68 करोड़ रुपये के मूल्य पर वल्लम वडागल, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में एमएसएमई (भारत सरकार) के लिए नए प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण।
- ❖ राउरकेला में एबीडी क्षेत्र में 104.25 करोड़ रुपये के मूल्य पर टर्नकी (डिजाइन और निष्पादन के साथ वास्तुकला योजना) के माध्यम से कमांड कंट्रोल सेंटर, ऑडिटोरियम कन्वेंशन हॉल और जनजातीय संग्रहालय का विकास।
- ❖ 100.43 करोड़ रुपये के मूल्य पर कन्नूर जिले में 18.46 किलोमीटर की लंबाई के लिए उरुवाचल–मनक्कई–वलयाल–केझल्लूर–थेरूर–चोलोककारी–नेरममल–मरुथायी सड़क का उन्नयन।

भारत और विदेश में पूरी की गई परियोजनाएं:

कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं पूरी कर ली हैं:

- ❖ एलिम्को, कानपुर में आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत संर्कम केंद्रों (लगभग सात संर्कम केंद्र) और कार्यालयों और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र के लिए अन्य भवनों का निर्माण और उज्जैन में सहायक उत्पादन इकाई का निर्माण।
- ❖ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सिडकुल, सितारगंज में चोरगालियां से सिडकुल सितारगंज तक सड़क मरम्मत संर्कर्म।
- ❖ सुंदरगढ़ जिले, ओडिशा में स्ट्रीट लाइट के संपूर्ण विद्युतीकरण संर्कम, उपयोगिता स्थानांतरण, सबस्टेशन और अन्य सहायक संर्कम।
- ❖ झारखंड राज्य में नए पॉलिटेक्निक संस्थान/इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण एवं विकास, विभाग के अधीन मौजूदा तकनीकी संस्थान का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य ढांचागत विकास परियोजना।
- ❖ लाईटकोर में 01 ब्लॉक में 01 का क्यूजी/कोट/शस्त्रागार का निर्माण।
- ❖ श्रीकोना (असम) में नए केएलपी अवस्थिति के लिए जल आपूर्ति योजना का प्रावधान।
- ❖ श्रीकोना, असम में आईजी असम राइफल्स (ई) के लिए 4 ब्लॉकों में 32 टाईप–ii क्वाटरों (g+iii) का निर्माण के साथ संबद्ध सेवा और विकास संकर्म।
- ❖ लेटकोर गैरीसन (मेघालय) के लिए 01 ब्लॉक (जी+ii) में 03 एकल पुरुष बैरक का निर्माण
- ❖ त्रिपुरा राज्य में भारत–बांग्लादेश सीमा पर सड़क/बाड़ का निर्माण। (छोटे हिस्सों में बचे हुए संकर्म, 45 गैप्स)।
- ❖ आईआईटी, गुवाहाटी परिसर में शैक्षणिक परिसर चरण– v का विस्तार
- ❖ लाम्फेलफाट, इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर का निर्माण कार्य, (10वीं योजना के अधीन) भूकंप प्रभावित भवन का सुधार नवीकरण कार्य।
- ❖ गुवाहाटी में राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के पूरे परिसर का निर्माण।
- ❖ ट्रांस–शिपमेंट यार्ड में सड़कों का निर्माण और अन्य संबद्ध संकर्म इसमें अगरतला–अखौरा नई रेल लिंक

परियोजना के संबंध में यात्री क्षेत्र और कार्गो साइड की पहुंच सड़क और किमी 2 + 400 (अगरतला) से किमी 5 + 360 (भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना) के बीच कार्गो और यात्री क्षेत्र में विकास कार्य भी सम्मिलित है।

- ❖ श्रीकोना, असम में असम राइफल्स के कर्मचारियों के आवास के लिए 4 ब्लॉकों में 32 टाईप– ii क्वाटरों (g+iii) का निर्माण के साथ संबद्ध सेवा और विकास संकर्म।
- ❖ 4 ब्लॉकों (g+iii) में 32 टाईप–ii आवास का निर्माण इसमें लैटकोर, मेघालय में आर्क और एमसी के लिए ढांचागत विकास कार्य भी सम्मिलित है।
- ❖ केंद्रपाड़ा में 100 बिस्तरों वाले मातृ शिशु अस्पताल के साथ जिला मुख्यालय अस्पताल का निर्माण।
- ❖ पंथनिवास, राउरकेला, जिला, सुंदरगढ़, ओडिशा के परिधीय विकास कार्य और बाहरी विद्युतीकरण और सजावट का कार्य।

5. आदेश पुस्तिका स्थिति

वित्त वर्ष 2022–23 की समाप्ति पर कार्य निष्पादन के अधीन 5289.86 करोड रुपए मूल्य के परियोजनाओं (113) का शेष कार्य हाथ में है।

6. एमओयू के अधीन कार्यनिष्पादन की रेटिंग

आपकी कंपनी को डीपीई पत्र संख्या एम–03/0021/2022–डीपीई (एमओयू) दिनांक 25.10.2022 अनुसरण में एमओयू पर हस्ताक्षर करने से छूट प्राप्त है।

7. निगम शासन

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यह विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियां सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती हैं। आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त हाल ही में डीपीई ने डीपीई वेबसाइट के पीई सर्वेक्षण के अधीन एक मॉड्यूल के माध्यम से निगम भासन पर अपनी ग्रेडिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी ऑपरेटिंग सीपीएसई के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया है और उसी के अनुपालन में आपकी कंपनी ने इस वर्श पहले ही इसके लिए निगम भासन पर अपनी ग्रेडिंग रिपोर्ट उक्त पोर्टल जमा कर दी है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा निगम शासन पर रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ क्रमशः **उपाबंध–क** और **उपाबंध–ख** पर उपाबद्ध हैं।

8. क्रेडिट रेटिंग

क्रिसिल ने दीर्घावधिक रेटिंग के लिए वही रेटिंग यानी ''क्रिसिल बीबीबी'' दी है। दीर्घावधिक रेटिंग पर आउटलुक स्थिर है। क्रिसिल की रेटिंग ने अल्पावधिक रेटिंग को संशोधित करके ''क्रिसिल ए3'' कर दिया है।

9. सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता प्रभाग स्वयं की ओर से सुनिश्चित करता है कि संगठन के सारे कृत्य संपूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा से किए जाएं। भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए, सतर्कता प्रभाग निवारक, दंडात्मक और निगरानी और जांच सतर्कता उपायों को भी सुनिश्चित करता है, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: –

- ➢ संवेदी पदों की पहचान, सतर्कता के प्रति संवेदी क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक दौरा, क्षेत्रीय कार्यालयों/अधिकारियों के साथ सतर्कता संबंधी सत्र, कर्मचारियों का समय–समय का आवर्तन, ओडीआई और सहमत सूची की तैयारी, सूचनाओं के सुचारू संग्रहण के लिए सीबीआई को उचित सहायता, यह सुनिश्चित करना

कि मैनुअल, प्रक्रियाओं और खरीद नीतियों को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, यह सुनिश्चित करना कि परियोजनाओं का समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है और उनकी रिपोर्ट प्रबंधन को भेजी जा रही है, जिसमें ''संकर्म प्रदान करने में'' में अपनाई गई प्रक्रियाओं में खामियों (यदि कोई हो) को इंगित की जा रही है, प्रणालीगत सुधारों के लिए सुझावों और सिफारिशों के साथ–साथ साइट कार्य और आपूर्ति आदि।

- सतर्कता प्रभाग, प्रबंधन, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि को प्राप्त सभी शिकायतों/आरोपों/तथ्यों की सतर्कता के दृष्टिकोण से सत्यापन और जांच को अल्प/बड़ी भाास्ति के अधीन सतर्कता जांच रिपोर्ट (वीआईआर) नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीए) के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) को प्रस्तुत करना। मामलों में जांच अधिकारी (आईओ) और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (पीओ) की नियुक्ति की निगरानी करना और समय–सारणी का पालन सुनिश्चित करना, आईओ की रिपोर्ट की जांच/प्रक्रम, डीए द्वारा भाास्ति आदेश समय पर जारी करना।
- इस अवधि के दौरान प्रचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नई पहलें की गई हैं और सीवीसी के निर्देशों का पालन करने के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों को निदेश जारी किए गए हैं।

कंपनी ने अपने विभिन्न कार्यालयों/साइटों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार 31.10.2022 से 06.22.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 31.10.2022 को ईपीआईएल के सभी अधिकारियों को ''सत्यनिष्ठा शपथ'' दिलवाकर ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022'' का शुभारंभ किया।

इसके अतिरिक्त, इस अवसर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी ने ''केंद्रीय सतर्कता आयोग'' का संदेश पढ़ा। ईपीआईएल के अधिकारियों ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधान मंत्री से प्राप्त संदेश पढ़े।

''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' के अवसर पर सतर्कता प्रभाग ने 04.11.2022 को कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में ''भष्ट्राचार मुक्त भारत – विकसित भारत'' पर व्याख्यान का आयोजन किया। यह व्याख्यान डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह, अवर सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिया गया और इस कार्यक्रम का समापन परिचर्चा सत्र के साथ हुआ।

''सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022'' के दौरान कर्मचारियों/सलाहकारों/संविदा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क) ''भष्ट्राचार मुक्त भारत – विकसित भारत'' पर निबंध प्रतियोगिता

ख) ''भ्रष्टाचार उन्मूलन में नागरिकों की भूमिका'' पर पोस्टर प्रतियोगिता

ग) ''भष्ट्राचार मुक्त भारत'' पर स्लोगन प्रतियोगिता

वर्ष के दौरान, 12 मामले प्राप्त हुए जिनमें से 11 सतर्कता मामलों का निपटारा कर दिया गया है और एक मामला वर्ष के अंत में लंबित था।

10. मानव संसाधन

कंपनी अपने मानव संसाधन के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। परियोजना कार्य निष्पादन के क्षेत्र में नए उभरते हुए परिक्षेत्रों के साथ गति बनाए रखने के लिए कंपनी अपनी जनशक्ति को उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करती है। कर्मचारियों को आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए के लिए प्रायोजित किया जा रहा है ताकि उनके तकनीकी, संचार और वैयक्तिक कौशल को समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया जा सके। कंपनी अपने कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और महिला कर्मचारी भी है और कंपनी ने अपनी वर्तमान जनशक्ति को प्रतिधारित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ, भविष्य निधि, उपदान, समूह दुर्घटना बीमा और हितलाभ निधि स्कीम जैसी सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें कंपनी में विद्यमान हैं।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 249 कर्मचारी थे जिसके अंतर्गत कंपनी में 31 महिला कर्मचारी हैं। 249 कर्मचारियों में से 225 कर्मचारी तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त हैं।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिक

कंपनी में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 11 है, जिसमें से 10 पुरुष और 1 महिला कर्मचारी है तथा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या 46 है, जिसमें से 43 पुरुष और 03 महिला कर्मचारी हैं।

12. दिव्यांग जन

कंपनी में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 02 कर्मचारी दिव्यांग थे जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 0.80 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजनों के संबंध में समय–समय पर जारी सभी राष्ट्रपतीय अनदेशों का कंपनी अनुसरण करती है।

13. राजभाषा/हिन्दी का प्रसार

राजभाषा/हिंदी के प्रसार के लिए निम्नलिखित पहलें की गई/कदम उठाए गए।

"स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह" नामक एक समृद्धि पुरस्कार योजना सितंबर 2013 से लागू और कार्यान्वित की जा रही है ताकि कर्मचारियों को आगे आकर प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में "हिंदी दिवस"/"हिंदी पखवाड़ा समारोह" मै आयोजित वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अधिकतम संख्या में पुरस्कार प्राप्त करने वाला विजेता, स्कीम के अधीन पुरस्कार/शील्ड प्राप्त करने का हकदार होगा।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) को अप्रैल, 2013 में ईपीआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जोकि कंपनी के विभिन्न कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के आज्ञापक उपयोग पर बल देती है।

हिंदी के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अब गृह कार्य मंत्रालय (राजभाषा विभाग) को अप्रैल 2013 से मंत्रालय द्वारा दनांक 16 अप्रैल 2013 पत्र के माध्यम से जारी अनुदेशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत की जा रही है।

राजभाषा के महत्व के संबंध में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए त्रैमासिक आधार पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

ईपीआई नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की सदस्य है और प्रत्येक वर्ष अक्तूबर/नवंबर माह में नराकास द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं (हिंदी में) में नियमित आधार पर नामनिर्देशन भेजे जाते हैं।

1 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है जिसमें कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं जैसे लेखन प्रतियोगिता, कविता वाचन, चित्र अभिव्यक्ति, श्रुतलेखन, टिप्पण–प्रारूपण, हस्ताक्षर. वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है।

किसी भी रूप में हिंदी लेखन में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ईपीआई के निमित्त योगदान अर्थात लेख/निबंध नियमित आधार पर किया जाता है।

राजभाषा नीति के अनुसार कंपनी की वेबसाइट द्विभाषिक प्ररूप में तैयार है। यह राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में मुख्य उपलब्धि है।

वर्ष के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में आपकी कंपनी में निगम कार्यालय में, "पारंगत कक्षाएं" आयोजित की गई जिनमें आपकी कंपनी के 17 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षणार्थियों को पास होने पर नकद धनराशि दी गई थी।

नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–I) में दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को दिल्ली "संस्मरण लेखन" प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें सदस्य उपक्रमों से 16 सहभागियों ने भाग लिया।

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिनांक 12.08.2022 को शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

दिनांक 29.09.2022 को हिंदी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य प्रोफेसर पूरन चंद टंडन को मार्गदर्शन हेतु विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।

दिनांक 07.03.2023 को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय का निरीक्षण किया गया।

आपकी कंपनी ने राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए रिसेप्सन एरिया में आगंतुकों और अतिथियों के लिए एक नई लाइब्रेरी स्थापित की है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी ने 15 मई 2022 को गंगटोक (सिक्किम) में भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भी सहभागिता की।

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन शिकायतों का प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध और लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करने के लिए और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों तथा उससे उपाबद्ध या संबंधित विषयों के निपटान के लिए संरक्षण का प्रावधान करना है। अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

कंपनी ने लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए और ऐसी शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है। तथापि वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

15. लोकक्रय नीति सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई)

लोकक्रय नीति, 2012 प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो सुदृढ़ क्रय नीतियों और मालों या सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के निष्पादन के लिए एक प्रणाली के अनुसार जो न्यायोचित, समतुल्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी है।

आपकी कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की समग्र वृद्धि और साम्या विकास को प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है उनकी भागीदारी को निःशुल्क निविदा दस्तावेजों, ईएमडी जमा से छूट देकर, निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई–उपापन को अंगीकार करके बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान एमएसई से कुल 8.92 करोड रुपए की खरीद (माल और सेवा) की गई जो 12.75 करोड रुपए (माल और सेवा) की कुल खरीद का 69.96 प्रतिशत था। वित वर्ष 2022–23 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से की गई खरीद की कुल प्रतिशतता क्रमशः 0.14 एवं 0.99 प्रतिशत है।

मार्च 2023 के अंत तक एमएसएमई संबंध पोर्टल पर 280 एमएसएमई विक्रेता रजिस्टर किए गए। ईपीआई प्रादेशिक कार्यालयों/पीसीओ ने एमएसएमई समाधान पोर्टल पर एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा रजिस्टर की गई शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल पर एक्सेस प्रदान किया है।

आपकी कंपनी आरएक्सआईएल के माध्यम से ट्रेड रिसिवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) पर है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी अपने संबंधित एम एस एम ई विक्रेताओं को स्वयं को आरएक्सआईएल प्लेटफार्म (टीआरईडीएस) पर रजिस्ट्रीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

16. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,80,,000–3,20,000 रुपये (आईडीए) वेतनमान पर और निदेशकों की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,60,000–2,90,,000 रूपए, आईडीए पैटर्न पर की जाती

है। उनकी निबंधन और शर्तें भारी उद्योग मंत्रालय, द्वारा नियत की जाती हैं।

17. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

वर्ष के दौरान सरकार के मितव्ययिता उपायों पर अनुदेशों का पालन किया गया।

18. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के ब्यौरे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया था या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीईओ), निदेशक (वित्त) (सीएफओ), कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान नियुक्त निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

निदेशक/केएमपी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
श्री अशोक कुमार पात्रा	मुख्य वित्त अधिकारी	01.04.2022 से
डॉ. रेणुका मिश्रा	शासकीय नामनिर्देशिती निदेशक	30.06.2022 से
श्री अशोक भांकरराव मेंढे	स्वतंत्र निदेशक	07.03.2023 से

वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), जो पद पर नहीं रहे/जिन्होंने

निदेशक/केएमपी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
श्रीमती निधि छिब्बर	शासकीय नामनिर्देशिती निदेशक	30.06.2022 तक
श्री एच.एन ठाकुर	निदेशक (परियोजना)	30.06.2022 तक

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के और ब्योरे तथा उनमें वित्त वर्ष के समापन तक पश्चातवर्ती परिवर्तन निगम शासन रिपोर्ट में दिये गये हैं।

19. निदेशकों का दायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन यथापेक्षित आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं:

i) कि वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुसरण किया गया है;

ii) कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो न्यायोचित और बुद्धिमत्तापूर्ण हैं जिससे 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए लाभ का सही और न्यायोचित दृश्टिकोण प्रस्तुत किया जा सक;

iii) कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षापायों और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है;

iv) यह कि चालू समुत्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

v) कि निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

वित्त वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अधीन स्वतंत्र निदेशक का पद धारण करने के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त कर ली गई थी।

21. बैठकों की संख्या

वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं, मंडल और मंडल स्तरीय उप समिति की बैठकों के ब्योरे इस रिपोर्ट से उपाबद्ध निगम शासन की रिपोर्ट में उपाबंध–ख पर दिए गए हैं।

22. अनुषंगी कंपनी / सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम

अनुषंगी कंपनी

19 मई 2016 को 10 लाख रुपए की संदत पूंजी के साथ ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अरबन इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर, (बीयूआईडीपीएल) 39 प्रतीशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (डीसीपीएल) मुंबई द्वारा 10 प्रतिशत के साथ ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी ईपीआई अरबन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को भूखंडों आदि के विकास के लिए निगमित किया गया था।

ईपीआईयूआइडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन त्वरित परिसमापन की याचिका अनुमोदन के लिए लंबित थी एवं निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने के उपरांत इस विशय को अप्रैल, 2022 में प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। याचिका पर विचार करते समय, यह सूचित किया गया है कि दायर याचिका परिसमापन से संबंधित त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन उपलब्ध अन्य कार्रवाई कर सकता है। तदनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(क) के अनुसरण में दिनांक 23.05.2022 को महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है।

उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022 / 07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मत्रालय की वेबसाइट पर डाल गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5ए (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को टाइम्स सिटी समाचार पत्र (दिनांक 13.06.2023) में प्रकाशित किया गया।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) और लेखांकन मानक– 21 के अनुसरण में, कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जिसके अंतर्गत अनुषंगी कंपनी अर्थात ईपीआईयूआईडीएल है, जिन्हें आगामी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) के समक्ष कंपनी के वित्त वर्ष 2022–23 के एकल वित्तीय विवरणों के साथ रख दिया जाएगा।

अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण प्रारूप एओसी– 1 में वित्तीय विवरणों के साथ उपाबद्ध है।

24. लेखापरीक्षक

क) सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वर्ष 2022–22 के लिए कंपनी के लिए नियुक्त

सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	फर्म का नाम	क्षेत्र
1.	मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी नई दिल्ली	सांविधिक लेखापरीक्षक–निगम कार्यालय एवं समेकन शाखा लेखापरीक्षक
शाखा लेखापरीक्षक:		
1.	मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी, दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
2.	मैसर्स जैन सरावगी एंड कंपनी, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
3.	मैसर्स बठिया एंड एसोसिएट्स एलएलपी, मुंबई	पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
4.	मैसर्स जी सी डागा एंड कंपनी, चेन्नई	दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
5.	मैसर्स एमएचएमवाई, ओमान	ओमान, शाखा लेखापरीक्षक
6.	मैसर्स एसीसीफर्स्ट पार्टनर्स, श्रीलंका	श्रीलंका, शाखा लेखापरीक्षक
7.	मैसर्स डाव कलयार विन अकाउंटिंग औडिटिंग एंड कंसलटैंसी सर्विसेज, म्यांमार	म्यामार शाखा लेखा परीक्षक

ख) सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और चयन) नियम 2014 के नियम 9(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी ने मैसर्स एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी को शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवालय मानक:

वर्ष के दौरान कंपनी ने जहां तक संभव हो लागू सचिवालय मानकों का अनुपालन किया है।

ग) लागत लेखापरीक्षक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 31 जुलाई 2018 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेखों को तैयार किया गया है और अनुरक्षण किया गया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2022–23 के लिए मैसर्स अनुज कुमार एंड कंपनपी को लागत लेखाकार नियुक्त किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेख उचित प्रकार से रखे हैं और उनका उचित रूप से अनुपालन किया है।

25. सांविधिक लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रत्येक अर्हता, रिजर्वेशन या प्रतिकूल टिप्पणी या प्रकटन पर मंडल का स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखाओं पर टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2022–23 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

26. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन उधार, प्रतिभूति या निवेशों की विशिष्टियां

वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कोई उधार नहीं दिया गया है, कोई गारंटी नहीं दी गई है या कोई निवेश नहीं किया गया है।

27. विशिष्टियों का प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसरण में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्ययन के संरक्षण पर सूचना के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

27.01 ऊर्जा दक्षता और उसका संरक्षण

ईपीआई अपने कार्यालय परिसरों और निष्पादन के लिए उसे सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा दक्ष उपस्करों के उपयोग को अत्याधिक महत्व दिया है, ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। ईपीआई ने अपने निगम मुख्यालयों में ग्रिड से जुड़े हुए छत पर लगे हुए सौर संयंत्र प्रतिष्ठापित किए हैं।

ईपीआई एचवीएसी प्रणाली में बीएमएस, एलइडी लाइट, कैपेसिटर बैंक, संवेदक आधारित इंडोर लाइट, डीजी सेट सिंक्रनाइजेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, अधिक दक्षता और कम खपत के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में स्वचालन सहित विभिन्न ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है।

हम पीएमसी/ईपीसी संपर्क में नुकसान को कम करने के लिए वितरण लाइनों में निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से ऊर्जा की बचत कर रहे हैं:–

क) **फेस भार का संतुलनः** प्रत्येक फेस सीक्वेंस के असमान भार के परिणाम स्वरूप संघटक ट्रांसफार्मर, केवल, संचालकों, मोटरों को अधिक तप्त कर देते हैं। जिससे नुकसान बढ़ जाता है और असंतुलित वोल्टेज की स्थिति के कारण मोटर में खराबी आ जाती है।

ख) **पावर फैक्टर कंट्रोलर का उपयोग करके ऊर्जा की बचतः** निम्न पावर फैक्टर से करंट में वृद्धि होती है और इसके कारण नुकसान बढ़ जाता है तथा इससे वोल्टेज मे कमी के रूप में होता है। हम पावर फैक्टर कंट्रोलर या स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोलर युक्तियों का उपयोग करते हैं।

ग) **पीएलसी द्वारा स्वचालनः** कच्ची सामग्रियों की प्रोसेसिंग करने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में हम पीएलसी का उपयोग करके संपूर्ण स्वचालन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

घ) विभिन्न विमानपत्तन और डाटा केंद्र परियोजनाओं के लिए **प्रबंधन प्रणाली का निर्माण**

ङ) नुकसान से बचने के लिए उपस्कर के रिसीविंग स्थान पर **वोल्टेज में कमी को सीमित करना**।

27.02 प्रौद्योगिकी विलयन

(क) अनुसंधान और विकास

आपकी कंपनी के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अनुसंधान एवं विकास के लिए सीमित स्थान है क्योंकि आपकी कंपनी ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर कार्य का निष्पादन करती है। तथापि ईपीआई सक्रिय रुप से नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे प्रीफैब प्रौद्योगिकी, ग्लास फाइबर रिइंफोर्सड जिप्सम (जीएफआरजी) प्रणाली, लाइट गेज शीट फ्रेम्ड स्ट्रक्चर (एलजीएसऐफ प्रणाली), पारंपरिक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर अर्थात पूर्व विरचित मॉड्यूलर मोनोलिथिक कंकरीटिंग जिसमें आलूमा फ्रोमवर्क प्रणाली का उपयोग किया जाता है के अतिरिक्त अधिक तेजी से और लागत प्रभावी संनिर्माण के लिए न्यूट्रल प्रौद्योगिकी तथा वैसी ही प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।

आपकी कंपनी ने 40 रैक से मिलकर बनने वाले सीआरटी– इन डाटा केंद्र की स्थापना के लिए स्वयं का डिजाइन तैयार किया है। केबल संगणना के लिए, ईपीआई ने इन–हाउस एक्सेल सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो सटीक केबल मांग जानने में सहायक है।

(ख) प्रौद्योगिकी विलयन

कंपनी संनिर्माण प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के उन्नयन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्मार्ट शहर अभियान परियोजना (एससीएम) के भाग के रूप में वहनीय आवास, एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन, खुले स्थानों का सृजन और परिरक्षण तथा अपशिष्ट और परिवहन प्रबंधन, रेलवे स्टेशनों और विमानपत्तनों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सीमा निगरानी के उद्देश्य से ईपीआई ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सीमा निगरानी अवसंरचना एवं प्रणाली विकसित की है जिसमें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित रोक, वास्तविक समय स्क्रीन निगरानी, संवेदक, प्रकाशिक फाइबर केबल और एचआरसी कैमरा का उपयोग करके बुद्धिमान प्रणाली का उपयोग किया गया है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी और उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी)

आपकी कंपनी ईपीआई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का लाभ उठा रही है और कंपनी ने वेतन, लेखा, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न संकर्मों के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग कार्यान्वित किये हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (चेहरा पहचान), ऑनलाइन भर्ती प्रणाली, ई–उपापन प्रणाली और क्लाउड आधारित बिल ट्रैकिंग प्रणाली (बीटीएस) दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता में सुधार के लिए पेश किए गए हैं। कंपनी में ऑन–लाइन सीडी और सतर्कता अनापत्ति प्रणाली भी कार्यान्वित की गई है।

ईआरपी–एसएपी का मानव संसाधन एवं वेतन पर्ची, वित्तीय प्रबंधन और दस्तावेज प्रबंधन मॉडयूल के लिए कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अन्य माड्यूलो (परियोजना प्रणालियां, सामग्री प्रबंधन और विक्रय एवं वितरण) को भी पूरा कर लिया गया है।

ईआरओ, एनईआरओ, डब्लूआरओ और एसआरओ को एमपीएलएस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) समाधान भी प्रदान किया गया है। डेटा सेंटर, सीओ और आरओ में एमपीएलएस (डब्ल्यूएएन) और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। वीसी के उपयोग से टीए, डीए, होटल आदि जैसे प्रशासनिक खर्चों में कमी आई है। कागज रहित कार्यालय की ओर बढ़ने के लिए, ई–ऑफिस अनुप्रयोग सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये गये हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की गई है।

27.03 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 में 1,489 लाख रुपए के सापेक्ष 4,643 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। वर्ष 2022–23 उपगत विदेशी व्यय 2021–22 में 5,481 लाख रुपए के सापेक्ष 1,551 लाख रुपए रहा।

28. गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन

आपकी कंपनी को उसके प्रचालन के क्षेत्र के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, उपजीविका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली अर्थात आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। ईपीआई पहली कुछ कंपनियों में से एक है जिसे सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रदान किया गया है।

29. कर्मचारियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

30. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता

निदेशकों की इस रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता पर एक रिपोर्ट उपाबंध–ग के रूप में उपाबद्ध है।

31. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास उसके कारबार के व्यवस्थित और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों के सुरक्षोपाय, कपट का निवारण, लेखांकन अभिलेखों की निवलता और विश्वासनीयता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयार करना सम्मिलित है।

32. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

मुख्य कार्यापालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन निगम शासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

33. जमाएं

वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने कोई जमा आमंत्रित नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आता है या उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

34. नातेदार पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं की विशिष्टियां

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्ट संबंधित नातेदार के साथ किसी संविदा या व्यवस्था में प्रविष्ट नहीं हुई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अधीन यथापेक्षित प्ररूप एओसी–2 में विशिष्टियां उपाबंध–घ में संलग्न हैं।

35. चालू समुत्थान प्रस्थिति और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तात्विक आदेशों के ब्यौरे

लेखाओं की टिप्पणियों में आकस्मिक दायित्व में घोषित से भिन्न कोई महत्वपूर्ण या तात्विक आदेश विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया हो जो कंपनी की चालू अस्तित्व प्रस्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करता है।

36. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 92 (3), धारा 134 (3) की अपेक्षानुसार वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट उपलब्ध है जिसे www.engineeringprojects.com पर देखा जा सकता है।

37. आभार

आपके निदेशक भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, तथा अन्य मंत्रालयों और भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों से प्राप्त सहयोग और समर्थन की दिल से सराहना करते हैं। आपके निदेशक विभिन्न ग्राहकों और बैंकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में विश्वास रखा और हम, उप–ठेकेदारों, ग्राहकों, सलाहकारों के परियोजनाओं के कार्यान्वयन में दिए गए योगदान की भी सराहना करते हैं। आप के निदेशक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवालय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों का भी उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। मंडल अपने सभी कर्मचारियों कि उनकी मूल्यवान सेवाओं और उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है तथा उसे विश्वास है कि वह भविष्य में बेहतर कार्य निष्पादन हासिल करने के लिए अपना सर्वोत्तम देकर कंपनी में योगदान करना जारी रखेंगे।

कृते मंडल और उसकी ओर से

ह0/–
(डी. एस. राना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07022825

तिथिः 20 जुलाई, 2023

स्थानः नई दिल्ली

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा और विकास

आपकी कंपनी एक संनिर्माण कंपनी है जो राष्ट्र की अवसंरचना के विकास में योगदान करती है। अवसंरचना देश के समग्र विकास में एक मुख्य चालक है और भारत जैसे विकासशील देश में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

पर्याप्त अवसंरचना की कमी से न केवल आर्थिक विकास रुकता है अपितु स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा जैसी अनिवार्य सामाजिक सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए लोगों को समय, प्रयास और धन के रूप में अधिक लागत भी उठानी पड़ती है। अतः अच्छी क्वालिटी की ऐप्स रचना न केवल तीव्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाविष्ट वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। साधारण अवसंरचना सुविधाएं तैयार करने से से न केवल छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने वादे उद्योगों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलती है परंतु इसके श्रम उन्मुख ई होने से कर्म कारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। आप संरचना के विकास के लिए आपकी कंपनी ऐसी नीतियां आरंभ करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना के समयबद्ध रूप से सृजित करने को सुनिश्चित कर सकें । इस सेक्टर के अंतर्गत विद्युत, पुल, बांध, सड़क के, और शहरी अवसंरचना विकास आता है। संनिर्माण उद्योग विकास का महत्वपूर्ण द्योतक है क्योंकि यह भारत में विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का सृजन करता है और कई दशकों से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत से अधिक का अंशदान कर रहा है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है और बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराता है।

राष्ट्र के विकास के लिए, सरकार ने स्वास्थ्य, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स, तेल एवं गैस, एयरोस्पेस, रक्षा, औद्योगिक उत्पाद, प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार, विद्युत और खनन आदि जैसे मुख्य सेक्टरों में अब संरचना को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलों की शुरुआत की है।

अपनी वृद्धि को बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी ने विकास योजना के एक भाग के रूप में निम्नलिखित कार्यनीतियों को अंगीकार किया है:

- तकनीकी उन्नति को पूरा करने के लिए और प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों को पूरा करने के लिए स्वयं की डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ीकरण।
- परियोजना आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य दल का उन्नयन।
- कौशल और विशेषज्ञता के आधार पर कंट्रैक्टरों का चयन।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

सुदृढता और खामियां

क्षेत्र जिन पर आईपीआईएल को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है/को ईपीआईएल की खामियों के रूप में श्रेणीकृत किया गया है इसका सारांश में इस प्रकार दिया जा सकता है:

- सीमित डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमता
- स्वयं की कोई विनिर्माण क्षमता ना होना
- परिचालन को फलीभूत करने में नई प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग
- ढांचागत विनियामक और नीतिगत ढांचा का अभाव या भली भांति परिभाषित परिचालन और वित्त पोषण भी नियमों का अभाव
- बीओटी/डीबीएफओटी/पीपीपी/एचएएम/बीओओटी ढंग से परियोजनाओं के निष्पादन का कोई अनुभव नहीं
- निम्न निवेश क्षमता

- अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रचालन
- ंपूर्ण संगठन में आईटी कौशल में वृद्धि करने की आवश्यकता

तथापि आपकी कंपनी केवल एक संगठन ही नहीं है अपितु यह निर्माण वातावरण और अवसंरचना विकास में उत्कृष्ट इंजीनियरिंग की 50 वर्ष से अधिक की शानदार परंपरा की द्योतक है। इसके पास कतिपय अंतर्निहित सुदृढ़तांए हैं जैसेः

- समूचे भारतवर्ष उपस्थिति
- उच्च कर्मचारी उत्पादकता
- संनिर्माण और परियोजना प्रबंधन में साबित क्षमता के साथ प्रशिक्षित जनशक्ति विशेषज्ञता
- बहुविषयी पर योजनाएं हाथ में लेने की क्षमता
- संन्निर्माण से संबंधित योजना और इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रस्ताव
- ईपीआई के पास पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर में लगभग सभी विद्युत उपभोक्ताओं और इस्पात संयंत्रों के लिए कार्य करने की विलक्षण उत्कृष्टता है।
- ईपीआई परियोजना निर्यात में अग्रणी है और इसने अन्य भारतीय कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के लिए नए आयाम के अवसर खोले हैं।
- ईपीआई पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अद्यतन प्रयोग की का उपयोग करते हुए अनेक जटिल परियोजनाओं का निष्पादन किया है।
- ईपीआई उन कुछ प्रमुख कंपनियों में से एक है जिसे गुण्वत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन पर, और उपजीविका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाण पत्र अर्थात आईएसओ 9001:2015, आइसो 14001:2015, आएसओ 45001:2018 और आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रदान किए गए हैं।

आपकी कंपनी के व्यापक अनुभव और दी गई सेवाओं की गुणवत्ता के कारण केंद्रीय सरकार के अनेक मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारें ईपीआई की सेवाओं का अपने विस्तारित इंजीनियरिंग अंग के रूप में उपयोग कर रही हैं।

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण के लिए अनेक बल देने वाले क्षेत्रों की पहचान की है।

क) भूमि प्रबंधन अभिकरण

ख) रेलवे परियोजनाएं जिसके अंतर्गत स्थाई रास्ता है

ग) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (अपशिष्ट से ऊर्जा)

घ) प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं जिसके अंतर्गत डाटा सेंटर विकास, सुरक्षा एवं निगरानी परियोजनाएं हैं

ङ) स्मार्ट सिटी परियोजनाएं

च) फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन

छ) वेयरहाउस एवं एसआईएलओएस

ज) जल डिसेलिनेशन परियोजनाएं

झ) पतन विकास

ञ) टनलिंग

ट) रोपवे

ठ) मल्टीलेवल पार्किंग

इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी के इंजीनियर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करने की स्कीम के प्रति भली–भांति अवगत हैं, आपकी कंपनी ने दूसरे देशों अर्थात कुवैत, इराक, सऊदी अरब, मालदीव, थाईलैंड, युगोस्लाविया, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात में अनेक परियोजनाएं निष्पादित की हैं और उसने सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी गति बनाए रखी है।

अवसर और चुनौतियां

आपकी कंपनी निम्नलिखित चुनौतियों और जोखिमों का सामना करती है:

- अवसंरचना बाजार में अनेक कंपनियां हैं, जिनके पास अधिक वित्त है।
- ईपीआई की पारंपरिक रूप से कार्यशैली बीओटी परियोजनाओं की ओर अग्रसर होने के अनुरूप नहीं है।
- विद्युत, पत्तन, दूरसंचार आदि में स्थापित ईपीसी कंपनियों की उपस्थिति।
- सिंचाई और जल आपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्रों में ईपीसी कंपनियों के लिए निम्न प्रवेश रुकावटें विद्यमान हैं।
- पीपीपी परियोजनाओं के लिए निविदा दस्तावेजों की अर्हता के नए माडल केवल शीर्षस्थ पांच या छह अर्हताप्राप्त आवेदकों को भागीदारी के लिए आमंत्रित करना अनुज्ञात करते हैं।

तथापि ये चुनौतियां संगठन को नए अवसर प्रदान करती हैं। संनिर्माण उद्योग कृषि के पश्चात् भारत में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 11 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में भारी मांग है। चूंकि भारत वर्ष 2024–25 तक पांच ट्रिलियन अमेरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने की प्रत्याशा करता है, देश को अवसंरचना पर 1.4 ट्रिलियन अमेरीकी डालर खर्च करने की आवश्यकता है, जो अवसंरचना पर लोक व्यय में वृद्धि करने से और पीपीपी वित्तपोषण के नए ढ़ंगों में पदार्पण करने से परिलक्षित होता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' में स्वनिर्भरता पर बहुत बल दिया है, जिसमें उनके द्वारा बल दिए गए पांच स्तंभों में से दो स्तंभ आधुनिक अवसंरचना और नई प्रौद्योगिकी द्वारा चालित से संबंधित हैं। आपकी कंपनी भी 'आत्मनिर्भर भारत' ध्येय को कार्यान्वित करने में देश की अवसंरचना आवश्यकताओं में आवश्यक परिवर्तन और नूतनता को आत्मसात करके मुख्य भूमिका का निर्वाह करने के लिए अनुकूलतम प्रयास कर रही है। मुख्यतः एक परामर्शी और संविदाकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी ने प्रत्येक क्षेत्र में जहां उसकी आवश्यकता है अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साबित किया है। कंपनी उत्कृष्टता के लिए और ग्राहक के पूर्ण समाधान के लिए अपनी सभी परियोजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ हाथ में लेती है। वर्श 1970 में अपने निगमन से ही ईपीआई ने विभिन्न प्रकृति की परियोजनाओं को निष्पादित किया है, जैसे अस्पताल–सह–आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भवन, सांस्थानिक परिसर, विश्वविद्यालय, वाणिज्यिक भवन, आवास परिसर, पुल, जल आपूर्ति प्रणालियां, नहरें, अवसंरचना, विकास वर्क्स, विद्युत संयंत्र, प्रक्रिया संयंत्र, औद्योगिक संयंत्र, सामग्री हस्थालन प्रणालियां और खेल स्टेडियम आदि।

ईपीआई की आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों और अस्पतालों के संनिर्माण के माध्यम से आयुर्विज्ञान अवसंरचना में अच्छी साख है। आपकी कंपनी ने हाल ही में पीएमसी के रूप में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न स्थलों पर नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के भवनों के संनिर्माण का कार्य हासिल किया है।

इसके अतिरिक्त, ईपीआई ने आवासीय और सांस्थानिक आवश्यकताओं में योजना और डिजाइन में भावी भवनों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं की और बाह्य क्षमताओं में परिवर्तन किया है ताकि ग्राहक संगठनों की उनके लिए उपयोगी विकास करके सहायता की जा सके, के लिए नए विचारों की परिकल्पना की है।

प्रौद्योगिकी, डिजीटाइजेशन पर बल के साथ गृह आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं से कार्य पर बल को बढ़ावा मिलेगा। आपकी कंपनी ने पहले ही डाटा केंद्रों की स्थापना में पदार्पण किया है जहां बड़े पैमाने पर डाटा तक पहुंच अनुज्ञात करने या डाटा के संग्रहण, भंडारण, प्रोसेसिंग, वितरण के प्रयोजनों के लिए कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपस्कर रखे जाएंगे। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को आपकी कंपनी द्वारा एक और अवसर के रूप में देखा जा रहा है ।

ईपीआई ने पहले से ही निगरानी के क्षेत्र में स्वयं को एक सक्षम कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया है। इसने सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इलैक्ट्रानिक आधारित सुरक्षा और निगरानी से संबंधित परियोनजाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इसने एकीकृत पैरामीटर समाधान और सीसीटीवी प्रतिष्ठापित करने में अपनी साख स्थापित की है।

हरित अर्थव्यवस्था पर बढ़ते हुए ध्यान और भरणीय विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फ्लू गैस डिसल्फरराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली जैसी हरित प्रौद्योगिकियां की भारी मांग है। दो लाख मेगावाट से अधिक की प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता और एफजीडी प्रणाली की प्रकलित बाजार संभावना लगभग एक लाख करोड़ रुपए है। ईपीआईएल ने पहले से ही स्वयं को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में विभिन्न निविदा चक्रों में स्थापित कर लिया है।

खंडवार और उत्पादवार कार्य निष्पादन

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के टर्नओवर में आवास और भवन संकर्म जिसके अंतर्गत अस्पताल परियोजना घटक भी है 49.22 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहे, जिसके पश्चात औद्योगिक, प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हस्तालन, वैद्युत और सीमा प्रबंधन परियोजना घटक हैं इसकी प्रतिशत भागीदारी 20.85 प्रतिशत है। परिवहन ढांचा परियोजना खंड में भी गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत शेयर 15.43 से थोड़ा सा बढ़कर 16.74 प्रतिशत हो गया है।

नीचे दी गई सारणी कंपनी के प्रचालनों का खंड वार विश्लेषण प्रस्तुत करती है:

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	खंड वार परियोजनाएं	2020-21		2021-22		2022-23	
		टर्नओवर	%	टर्नओवर	%	टर्नओवर	%
1	आवासन एवं भवन संकर्म जिसके अंतर्गत हस्पताल परियोजना भी सम्मिलित हैं	328.93	40.83	389.82	52.95	557.17	49.22
2	बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं	5.78	0.72	20.15	2.74	28.45	2.51
3	औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हस्तालन और वैद्युत एवं सीमा प्रबंधन परियोजनाएं	363.64	45.14	199.21	27.06	236.07	20.85
4	जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्कीम	12.34	1.53	1.89	0.26	42.84	3.78
5	परिवहन संरचनाएं	85.81	10.65	113.62	15.43	189.51	16.74
6	अन्य परियोजनाएं	9.12	1.13	11.48	1.56	77.92	6.88
	योग	**805.62**	**100.00**	**736.17**	**100.00**	**1131.96**	**100.00**

संभावना

कंपनी का उद्देश्य 'उत्कृष्ट' एमओयू रेटिंग के साथ लाभांश का संदाय करने वाली लाभ देने वाली कंपनी बनना है। कंपनी का महत्वपूर्ण ध्येय नवरत्न अर्हता के साथ 'लघु रत्न अनुसूची–क कंपनी' बनना है।

पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आपकी कंपनी आवर्त और लाभ में वृद्धि करने पर और प्रचालन व्यय में कमी करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यद्यपि, आपकी कंपनी के लिए सिविल संनिर्माण परियोजनाओं में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण निम्न लाभ मार्जिन काफी चुनौती पूर्ण है। अतः आपकी कंपनी उच्चतर लाभ मार्जिन वाले उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर देख रही है। जहां भी साख/पीक्यू मानदंड की कमी के कारण नए क्षेत्रों में उच्चतर मूल्य की परियोजनाएं हासिल करने में आपकी कंपनी कठिनाई अनुभव कर रही है वह विख्यात फर्मों के साथ टाईअप/सहबद्धता कर रही है। इसलिए, आपकी कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में पर्दापण को दीर्घावधि में बाजार में स्थान हासिल करने के रूप में देख रही है। अपने मूल कारबार को सुदृढ़ करने के साथ ईपीआई संनिर्माण उद्योग में कीमत और गुणवत्ता में अग्रणी के रूप में उभरकर आने के लिए अपनी विभिन्न सेक्टर संबंधी सेवाओं में योगदान कर रही है।

विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण ईपीआई को कुछ कर मार्जिन प्राप्त करने में लोच प्रदान करता है क्योंकि बाजार के प्रति जागरूकता काम है और बाजार में प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रवेश करने में अधिक रुकावटें हो सकती हैं। ईपीआई परिचालन के लिए निम्नलिखित नए क्षेत्रों की संभावना तलाश रही है:

सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाएं: डैशबोर्डों की डिजाइनिंग और प्रबंधन से संबंधित कुछ विकास परियोजनाओं का पता लगा कर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित नए क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर तलाश रही है।

रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास: ईपीआई ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) मै विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य अभी हाथ में लिया है।

अपशिष्ट से ऊर्जा: ईपीआई अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के क्षेत्र में भी कार्य हाथ में लेने की इच्छा रखती है जिसके अंतर्गत विभिन्न नगरपालिकांओ के विभिन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू)/पुनरोपयोग उद्भूत (आरडीएफ) ईंधन परिचालित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र है।

जल अलवणिकरण: ईपीआई भारत और विदेश में विभिन्न सागर जल अवणिकरण परियोजनाओं, ताप अवणिकरण संयंत्र परियोजना और औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार परियोजनाओं में भाग लेने के अवसर देख रही है।

अधूरी परियोजनाओं के लिए पीएमसी सेवा: ईपीआई के पास रुके हुए/अपूर्ण जोखिमों के लिए और तृतीय पक्षकार संनिर्माण कंपनियों को नियोजित करके उनका पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने की क्षमता है।

स्मार्ट सिटी: ईपीआई के पास नगर सुधार (रिट्रोफिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (ग्रीन फील्ड विकास) मै भाग लेने और तथा प्रौद्योगिकी, सूचना और डाटा जैसे स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट बस, वैद्युत चार्जिंग प्वाइंट संगठक आदि में भाग लेने की क्षमता है ताकि अवसंरचना और सेवाओं में सुधार किया जा सके।

ताप संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली: इसमें फलूगैस डिसल्फरआईजेशन प्रणाली का निर्माण सम्मिलित है जिसके अंतर्गत उपस्कर का इरेक्शन, पर्यवेक्षण और प्री–कमिश्निंग, कमिश्निंग, उपस्कर की कार्य निष्पादन जांच जिसके अंतर्गत सभी संबंधित वैद्युत, नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल कार्य सम्मिलित हैं।

वेयरहाउस और सिलोस: ईपीआई भारत और विदेश में कंक्रीट सिलोस के निष्पादन में आपने पूर्व अनुभव के आधार पर स्टोरेज सिलोस के क्षेत्र में परियोजना अवसरों का पता लगा रही है। आज कंक्रीट और इस्पात सिलोस का स्टोरेज अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उद्योग में सामान्यता उपयोग किया जा रहा है।

अतः कंपनी ऐसी कारबार विकास रणनीति के विकास पर बल दे रही है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

- हमारे स्थापना व्यय को कम करने के लिए अधिक व्यापक फैले हुए ग्राहकों को शामिल करके और अधिक मूल्य की परियोजनाओं को हाथ में लेकर आक्रामक और केंद्रित विपणन/व्यवसाय विकास पहल।
- ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) पर बल।
- ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में ओईएम/संभावित भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी समझौता/समझौता ज्ञापन।
- संभावित ग्राहकों के साथ अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रणों के लिए पर्याप्त प्रणाली है और सुविरचित प्रक्रियाएं हैं जो सभी वित्तीय और प्रचालन कृत्यों को कवर करती हैं। इनको पर्याप्त लेखांकन नियंत्रणों, अर्थव्यवस्था की मॉनीटरी और प्रचालनों की प्रभावशीलता, अप्राधिकृत उपयोग या नुकसान से आस्तियों के संरक्षण और वित्तीय तथा प्रचालन सूचना की विश्वसनीयता के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन नियंत्रणों का नियमित रूप से उनकी दक्षता और प्रभावशीलता के लिए पुनर्विलोकन किया जाता है।

प्रचालन कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने गत वर्ष के 73,617 लाख रूपए के प्रचालन टर्नओवर के सापेक्ष 1,13,196 लाख रूपए का प्रचालन टर्नओवर हासिल किया और गत वर्ष के 6231) लाख रूपए के कर पूर्व लाभ (हानि) के सापेक्ष 259 लाख रुपए का कर पूर्व लाभ (हानि) उपगत किया। वर्ष के लिए समग्र मार्जिन गत वर्ष के (5,665) लाख रूपए के सापेक्ष 756 लाख रुपए रहा।

कंपनी का निवल मूल्य 44 लाख रूपए बढ़कर वर्ष 2021–22 में 4348 लाख रुपए से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 8392 लाख रुपए हो गया।

लाभ की अपर्याप्तता और नकद की अनुपलब्धता के कारण वित्त वर्ष 2022–23 में मंडल द्वारा कोई लाभांश घोषित न करने की सिफारिश की गई है।

नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मंच में तात्विक विकास

कंपनी का ध्यान भारत के साथ–साथ विदेशों में विशेषकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया मे परियोजनाएं प्राप्त करने पर है। लक्ष्य को हासिल करने को सुकर बनाने के लिए कंपनी चालू परियोजनाओं के साथ–साथ नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेषीकृत कौशल के साथ सर्वोत्तम प्रतिभा को हासिल करने का उद्देश्य रखती है। 2022–23 के दौरान किसी कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई।

इसके साथ कंपनी सभी स्तरों पर अनेक इन हाउस और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करके कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करती है। वित्त वर्ष 2022–23 में 60 इन हाउस प्रशिक्षण मानव दिवस आयोजित किए गए थे और 11 बाहरी प्रशिक्षण मानव दिवस आयोजित किए गए थे।

पर्यावरणीय संरक्षण और परिरक्षण, तकनीकी परिरक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत

- **पर्यावरणीय संरक्षण एवं परिरक्षण**

ईपीआई के परियोजना प्रबंधन परामर्शी एवं संनिर्माण कंपनी होने के नाते ताप विद्युत संयंत्रों में अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर व2 स्तर को कम करने के लिए एफजीडी परियोजनाओं (फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन) को करने, धूल कणों को बिछाने के लिए डीएस एवं डीई प्रणाली जिससे प्रक्रिया उद्योग में वायु की क्वालिटी में सुधार हो सके, सुरंगों और सब स्टेशनों में मानव जीवन की कार्य स्थिति में सुधार के लिए दावकृत संवातन और नगरों और अस्पताल परियोजनाओं में एसटीपी (मल प्रशोधन संयंत्र)/डब्ल्यूटीपी (जल प्रशोधन संयंत्र) पर विशेष बल देती है।

प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण के गहन अनुकूल और ऊर्जा की बचत करने वाले उपाय जैसे उड़न राख ईंटो और पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट का अनिवार्य उपयोग, वृक्षारोपण, अपशिष्ट जल का पुनरोपयोग/अपशिष्ट प्रशोधन प्रणाली, सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकाश संवेदक, कम किया जा सकने वाला प्रकाश, तापीय इंसुलेशन,

कार्यस्थल आदि पर संनिर्माण के दौरान टैंकर के माध्यम से जल का छिड़काव को कार्यान्वित किया जाता है। कंपनी ने परियोजनाओं के निष्पादन में एकीकृत पर्यावास निर्धारण के लिए हरित रेटिंग (जीआरआईएचए) को अंगीकार किया है जिसका परिणाम पर्यावरण के रक्षण के साथ–साथ ऊर्जा की बचत के रूप में हुआ है। विभिन्न परियोजना स्थलों पर पर्यावरण अनुकूल उपस्कर जैसे सौर प्रकाश आदि जिन्हें किसी अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है को भी प्रतिष्ठापित जा रहा है।

- **प्रौद्योगिकीय संरक्षण**

प्रौद्योगिकी संरक्षण के एक भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने संनिर्माण लागत और समय को कम करने के लिए तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में कटौती करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना आरंभ किया है:

- बालू के टीलों को स्थिर करने, सड़कों का निर्माण करने और बाड की नींव को स्थिर करने के लिए चूना पत्थर/धातुमल जैसी खनन की गई सामग्रियों का उपयोग।
- शून्य निस्सारण के साथ अपशिश्ट का प्रशोधन जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रण, लवणता को कम करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी प्रभावी सूक्ष्म जीवाणु प्रौद्योगिकी सहित ऑनलाइन उपचार।
- वृहत्त आवास और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं के लिए तीव्र मोनोलिथिक आपदा रोधी प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना।
- जल की क्वालिटी में सुधार करने के लिए अपशिष्ट जल प्रशोधन जिससे उसका उपयोग विशिष्ट अंतिम उपयोग जैसे पेयजल, सिंचाई या और औद्योगिक प्रयोजन में किया जा सके।
- श्रमिक शिविरों के लिए साइट की पानी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्माण स्थलों पर वर्षा जल संचयन।

- **विदेशी मुद्रा संरक्षण**

कंपनी हमेशा विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रयास करती है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्वदेश में निर्मित सामग्रियों और मशीनों की खरीद की जाती है जो कंपनी से विदेशी मुद्रा के बाहिर्गमन को रोकती है। नई प्रौद्योगिकियों, इंजीनियरी नूतनों, आदि को स्वंय के डिजाइन का विकास करने के लिए अंगीकृत किया जाता है।

प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए और आधुनिक उत्पादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की भारत में स्थापना करने के लिए मशीनरी, मशीनरी के समुचित उपांतरण/अंगीकरण के लिए, उपस्कर और विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिजाइन को स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है। भारतीय परिस्थितियों की भीषणता के अधीन प्रचालन के लिए अंगीकार करने के लिए सभी प्रक्रियाओं गंभीरता से जांच की जाती है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा का व्यय भारतीय दक्षता का विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण एवं सुविधाओं के संयोजन में नई प्रौद्योगिकियों और विदेश में विकसित जानकारी को अपनाकर उन्नत डिजाइन एवं तकनीकी विशेषताओं के माध्यम से कमी लाने का प्रयास किया गया है।

सचेत करने वाला कथन

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण कंपनी के उद्देश्यों, प्रेक्षणों का वर्णन करता है जो लागू विधियों और विनियमों के अर्थांतर्गत आगे बढ़ने के लिए कथन हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या समझे गए परिणामों से सारवान रूप से या तात्विक रूप से भिन्न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण विकास कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके अंतर्गत अवसंरचना क्षेत्र में अवमूल्यन की प्रवृत्ति, भारत में आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, कर, विधियां, मुकदमेबाजी और श्रमिक संबंध हैं।

उपाबंध–ख

निगम शासन पर रिपोर्ट

1. निगम शासन पर कंपनी का दर्शन

कंपनी के मिशन/ध्येय कथन में ''पणधारियों के मूल्य वर्धन'' का उत्कीर्ण किया गया है। कंपनी का दृढ विश्वास है कि अच्छे निगम शासन से सभी पणधारियों के लिए सतत आधार पर मूल्य का सृजन होता है। निगम शासन मुख्य तरू पारदर्शिता, तात्विक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, मंडल की स्वतंत्रता और सभी पणधारियों के साथ न्यायोचित व्यवहार से संबंधित है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का निगम प्रशासन पर दर्शन इस प्रकार है:

''पेशेवरता का प्रयोग करना और कंपनी के सभी पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी होना है।''

2. निदेशक मंडल

(क) मंडल की संरचना

कंपनी के मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

निदेशक मंडल 3 कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक/2 सरकारी नामनिर्देशित निदेशक तथा 3 स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बना है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (वित) एवं निदेशक (परियोजना) के दो पद पद खाली थे। प्रशासनिक मंत्रालय को उक्त पदों पर रोक लगा रखी है/उपरि सीमा निर्धारित कर रखी है।

(ख) निदेशक मंडल की संरचना के ब्यौरे, निदेशक की श्रेणी, मंडल की बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थिति और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान धारित अन्य निदेशक पद इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	श्रेणी	मंडल की बैठक में भाग लेने की स्थिति	27.09.2022 को आयोजित अंतिम वार्षिक साधारण बैठक मै उपस्थिति	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में धारित निदेशक पद (जिसके अंतर्गत ईपीआई नहीं है)	कार्यकाल
(क) पूर्णकालिक निदेशक/कार्यकारी निदेशक (अतिरिक्त प्रभार सहित)					
श्री डीएस राना डीआईएनः 07022825	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजना) [अतिरिक्त प्रभार]	4/4	जी हां	–	19.09.2019 से
श्री राज पाल सिंह डीआईएनः 08750557	निदेशक (वित्त) [अतिरिक्त प्रभार]	4/4	जी हां सीसीआई)*	1	18.10.2021 से
श्री एच एन ठाकुर डीआईएनः 08592663	निदेशक (परियोजनां)	लागू नही	लागू नही	–	30.06.2022 तक

(ख) शासकीय नामनिर्देशिति/अंशकालिक निदेशक					
श्री राजेश कुमार मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), एमएचआई डीआईएनः 09403746	निदेशक	2/4	जी नहीं	3 (एचईसीएल, टीएमटीएल, बी एंड आर)*	01.11.2021 से
डॉ रेणुका मिश्रा आर्थिक सलाहकार (ईए), एमएचआई डीआईएनः 08635835	निदेशक	2/4	जी हां	7 (एचएमटी, एचएमटीएमटीएल, एनईपीए, एचईसीपीएल, एचएमटी(आई)एल, आरईआईएल, सीसीआई)*	30.06.2022 से 10.04.2023 तक
श्रीमती निधि छिब्बर अपर सचिव (ए एस) एम एच आई डीआईएनः 03588215	निदेशक	लागू नही	लागू नही	4 (एनईपीए, टीएमटीएल, आरईआईएल, सीसीआई)*	15.06.2021 से 30.06.2022 तक
(ग) स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर शासकीय) निदेशक					
श्री विनोद कुमार यादव अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डीआईएनः 06375196	निदेशक	4/4	जी हां	शून्य	02.11.2021 से
श्रीमती आकांक्षा पारे अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डीआईएनः 09394630	निदेशक	4/4	जी हां	शून्य	02.11.2021 से
श्री अशोक शंकरराव मेंढे अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक डीआईएनः 10073305	निदेशक	1/1	लागू नही	शून्य	07.03.2023 से

***प्रयुक्त संक्षेपाक्षरः**

बीएंडआर	- ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	**एचईसीएल**	- हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
एचएमटीएलएमटीएल	- एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	**एनईपीए**	- नीपा लि.
सीसीआई	- सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	**आरईआईएल**	- राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
एचएमटी (आई)एल	- एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	**एचएमटी**	- एचएमटी लिमिटेड

टिप्पणः

वर्ष 2022–23 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक मंडल के निदेशक पद में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

1. श्री एच.एन. ठाकुर, भूतपूर्व निदेशक (परियोजनाएं) के दिनांक 30.06.2022 को अर्धवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, भारी उद्योग मंत्रालय ने श्री डी.एस. राना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआईएल को आरंभ में तीन

मास की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक के लिए निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था जो आगे छः मास की अवधि अर्थात् दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया था। भारी उद्योग मंत्रालय ने इस अतिरिक्त प्रभार को 31.03.2023 से आगे 6 मास की अवधि अर्थात् दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 30.09.2023 तक या जब तक नियमित पदधारी पर ग्रहण नहीं कर लेता है या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो बढ़ा दिया था।

2. भारी उद्योग मंत्रालय ने निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार श्री आर.पी. सिंह, महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) को 6 मास की अवधि अर्थात् दिनांक 15.03.2022 से दिनांक 14.09.2022 तक के लिए या जब तक नियमित पदधारी पर ग्रहण नहीं कर लेता है या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो सौंपा था। तदुपरांत इस कार्यकाल को आगे दिनांक 15.09.2022 से दिनांक 24.06.2023 (उनकी अधिवर्शिता की तारीख) तक या जब तक नियमित पदधारी पर ग्रहण नहीं कर लेता है या अगले आदेश होने तक बढ़ दिया था। श्री आर.पी. सिंह, का कार्यकाल 24.06.2023 को पूर्ण हो गया।

3. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII (ई–21792) दिनांक 30.06.2023 द्वारा डॉ. रेणु मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीइाईएल) में शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक के रूप में श्रीमती निधि छिब्बर, भूतपूर्व अपर सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया।

4. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–टप्प (सीपीएसई–21792), दिनांक 07.03.2023 द्वारा श्री अशोक भांकरराव मेंढे को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीइाईएल) के निदेशक मंडल में गैर शासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया।

5. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 8–08(1)/2020–पीई–VIII (ई–21792) दिनांक 10.04.2023 द्वारा सुश्री मुक्ता भोखर. संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीइाईएल) में शासकीय नामनिर्देशिति निदेशक के रूप में डॉ. रेणु मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया।

6. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 12–16(3)/2021–टीएसडब्ल्यू(ई–23364), दिनांक 03.07.2023 द्वारा श्री दिबेंदु दास, महाप्रबंधक, सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसपीएमसीआईएल) को निदेशक (वित्त), ईपीआईएल के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी अधिवर्शिता की तारीख तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया। श्री दिबेंदु दास निदेशक (वित्त) ने 11.07.2023 को पदभार ग्रहण किया।

(ग) मंडल की प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के अच्छे शासन और कार्यकरण का सुनिश्चय करने के लिए मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। मंडल की बैठकें साधारणतया कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। मंडल नियमित अंतरालों पर कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। मंडल अवधिक रूप से सभी लागू विधियों की अनुपालना प्रास्थिति का पुनरीक्षण करता है। बैठकों के लिए कार्यवृत्त की टिप्पणियां संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका अनुमोदन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कृत्यकारी निदेशकों द्वारा उन्हें सभी निदेशकों को भेजने से पूर्व किया जाता है। कंपनी सचिव यह सुनिश्चय करता है कि निदेशकों और ज्येष्ठ प्रबंधन को बैठकों में प्रभावी विनिश्चय करने के लिए सभी सूसंगत सूचना, ब्यौरे और दस्तावेज उपलब्ध कराए जांए। निदेशक मंडल द्वारा विनिश्चय विचार–विमर्श के पश्चात किए जाते हैं।

(घ) मंडल की बैठकों की संख्या

वित वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनके ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	बैठक की तारीख	मंडल की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	06.07.2022	6	5
2.	04.08.2022	6	4
3.	28.11.2022	6	6
4.	22.03.2023	7	6

(ङ) स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई 2017 की अपनी अधिसूचना तारीख द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 के पैरा 8 के उप पैरा (3) के खंड (क) और खंड (ख) के लागू होने से छूट दी है जो यह अपेक्षा करता है कि स्वतंत्र निदेशक अपनी पृथक बैठक में गैर स्वतंत्र निदेशकों के और कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप में मंडल के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेंगे ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 की अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक बैठक 22 मार्च 2023 को ईपीआई के निगम कार्यालय, नई दिल्ली में (कार्यकारी निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों के बिना) आयोजित की गई। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और मंडल के बीच सूचना प्रवाह की मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन किया जोकि मंडल के लिए अपने कर्तव्यों के प्रभावी और युक्ति युक्त रूप से निष्पादन के लिए आवश्यक है।

(च) रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार कंपनी के मंडल में निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

(i) श्री धीरेंद्र सिंह राना, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजनाएं)

श्री डी एस राना को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का कार्यभार 19 सितंबर 2019 से सौंपा गया है, इससे पूर्व वह निदेशक (अवसंरचना) डेडीकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के रूप में 27 अक्टूबर 2014 से कार्य कर रहे थे। श्री राना सिविल इंजीनियर है और उनके पास परियोजना प्रबंधन में स्नातकोत्तर की अर्हता है वह भारतीय इंजीनियर रेल सेवा के 1986 के बैच से संबंध रखते हैं और उन्होंने केंद्रीय रेलवे के संनिर्माण, उपापन तथा सतर्कता स्कंधों में कई पदों पर कार्य किया है।

श्री राना डीएफसीसीआईएल के साथ उसके प्रारंभिक समय से ही थे और वह ऐसे पहले अधिकारी थे जिन्होंने शानदार रेलवे सेवा को छोड़ा और स्थाई आधार पर कंपनी में सम्मिलित हुए।

डीएफसीसीआईएल में सीपीएम/मुंबई के रूप में कार्य करते हुए श्री राना ने आरआरपी और प्रतिकर मैट्रिक्स में प्रभावित पीएपी के लिए अनेक पहलें की ताकि मुंबई के अत्याधिक शहरी क्षेत्रों में भूमि अर्जन सुनिश्चित किया जा सके। उन्हें महाराष्ट्र में परियोजना के लिए अनेक कानूनी पर्यावरणीय अनापत्तियां प्राप्त करने का श्रेय भी दिया जाता है जिसके कारण जेआईसीए के साथ भागीदारी में पश्चिमी डीएफसी के दूसरे चरण का समय पर वित्तीय समापन हो सका। श्री राना द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों पर लिखी पुस्तक को विभिन्न अवसंरचना

मंत्रालयों एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में परियोजना प्रबंधकों के लिए हैंडबुक के रूप में कार्य करने के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

(ii) श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त)

श्री दिबेंदु दास ने 11 जुलाई, 2023 से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व, वे 02 नवंबर, 2017 से सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के रूप में कार्यरत थे। श्री दास बी.कॉम स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान में फेलो सदस्य तथा भारतीय लागत लेखापाल संस्थान के सहयोगी सदस्य हैं।

श्री दास के पास इस्पात, अवसंरचना, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र जैसे पीएसयू और निजी क्षेत्रों में काम करने का लगभग 29 वर्ष का का अपार अनुभव है। उन्होंने सेल, बीईएमएल, आईएलएंडएफएस और हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियों के साथ काम किया है।

श्री दास ने लागत, बजट, एमआईएस, लेखा, कराधान, वित्तीय सम्यक उद्यम और नई परियोजनाओं के मूल्यांकन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य किया है। उन्होंने निजी कंपनियों में अपने कार्यकाल के दौरान एसएपी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पास वित्त एवं लेखा विभाग को आमूलचूल परिवर्तन लाने का व्यापक अनुभव है। वह अकाउंट्स मैनुअल, एचआर मैनुअल, कॉस्ट मैनुअल आदि जैसे नीतिगत दस्तावेज बनाने में भी जुड़े थे। वह जिन संगठनों में काम करते थे, उनमें प्रणालीगत सुधार करने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते थे। उन्होंने खाद बनाने, संनिर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट, अपशिश्ट से बिजली बनाने वाले संयत्र इत्यादि जैसी प्रबंधन परियोजनाओं से संबंधित पीपीपी परियोजनाओं में काम किया है। उन्हें वर्श 2012 में ''अगले 100 सीएफओ'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो भावी सीएफओ को प्रदान किया गया था।

(iii) सुश्री मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय और अंशकालिक शासकीय निदेशक

सुश्री मुक्ता शेखर 1994 बैच की आईआरएएस अधिकारी हैं। उन्होंने राश्ट्रीय प्रतिरक्षा विद्यालय, नई दिल्ली में मद्रास विश्वविद्यालय से प्रतिरक्षा और सामरिक अध्ययन में एम.फिल. किया है और उनके पास सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से इतिहास में निष्णात उपाधि है। उनकी विशेषज्ञताप्राप्त क्षेत्र वित्तीय प्रबंधन और परियोजना वित्त है। उन्होंने भारतीय रेलवे, भारत सरकार में वित्तीय मूल्यांकन और परियोजना वित्त में विशेषज्ञता वाले वित्तीय सलाहकार के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने डीएमआरसी में संयुक्त महाप्रबंधक स्तर पर भी काम किया, जहां वह डीएमआरसी के दूसरे चरण की परियोजनाओं के लिए सहयोगी वित्त अधिकारी थीं।

उन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी क्षेत्र में पश्चिम रेलवे, रेल मंत्रालय, भारत सरकार की अग्रणी पीपीपी परियोजनाओं के लिए निधि प्रबंधन और अन्य संविदा संबंधी कार्यकलाप संचालित करने का अपार अनुभव है। सुश्री शेखर के पास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र में भी व्यापक अनुभव है और उन्होंने विदेश मंत्रालय में 5 वर्षों तक काम किया, जिसमें वह अन्य देशों के साथ भारत के विकास सहायता कार्यक्रम, निवेश और व्यापार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विवादों, निवेश के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखभाल कर रही थीं। और व्यापार समझौते, और नागरिक उड्डयन मामले। उन्होंने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रियायती वित्तपोषण पैकेज जैसी नवीन योजनाओं के लिए कार्यप्रणालियों की भी विरचना की।

सुश्री शेखर ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के खाद्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित कार्य संभाले, जिसमें अन्य पणधारकों के साथ मिलकर केंद्रीय पूल स्टॉक

के अधीन बहु–पक्षीय एजेंसियों, खाद्य तेल क्षेत्र, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी और खरीदे गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता नियंत्रण के साथ इंटरफेस शामिल था।

(iv) श्री राजेश कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक, भारी उद्योग मंत्रालय और अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्री राजेश कुमार को ईपीआई में भारत सरकार के नाम निर्देशिति के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के तारीख 1.11. 2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्री राजेश कुमार 1994 बैच के आईसीएएस अधिकारी हैं उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में निष्णात उपाधि है। वर्तमान में वह भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में मुख्य वित्त नियंत्रक के रूप में तैनात हैं।

(v) श्रीमती आकांक्षा पारे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्रीमती आकांक्षा पारे को कंपनी के मंडल में गैर शासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांका 2.11.2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्रीमती आकांक्षा पारे स्नातकोत्तर है उनके पास उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन (एमजेएमसी) में निश्णांत उपाधि है। उनके पास जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में 15 वर्ष का अनुभव है तथा इस समय में सहायक निदेशक के रूप में 'आउटलुक' पत्र से जुड़ी है। पूर्व में वह वेबदुनिया, दैनिक भास्कर, मलयालम मनोरमा (वनीता) से जुड़ी हुई थीं।

(vi) श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्री विनोद कुमार यादव को कंपनी के मंडल में गैर शासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 2.11.2021 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। श्री विनोद कुमार यादव पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से शिक्षा स्नातक हैं।

(vii) श्री अशोक शंकरराव मेंढे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक

श्री अशोक शंकरराव मेंढे को कंपनी के मंडल में गैर शासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 7.03.2023 के आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। वे नागपुर विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक हैं। उन्हें भारतीय संविधान का गहन ज्ञान है। वह कई संगठित और असंगठित क्षेत्रों के संघ/संगठन से जुड़े हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। वह श्रम समस्याओं और उसके विधान से भलीभांति परिचित हैं। उन्हें प्रशासन और कार्मिक विभाग में अपार अनुभव है।

(छ) निदेशकों की नियुक्ति

सभी निदेशकों की नियुक्ति (अंशकालिक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों सहित) प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

नियुक्त किए गए निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 जून 2017 द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) और (7) (अर्थात चक्रानुक्रम में निदेशकों की सेवानिवृत्ति) को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की शर्त के अधीन नहीं है।

3. मंडल की समितियां

मंडल की समितियां कंपनी के शासन ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका गठन विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों से निपटने के लिए किया जाता है जिनका कंपनी से संबंध होता है और जिनका नजदीक से पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है। मंडल की समितियों का गठन मंडल के औपचारिक अनुमोदन के अधीन स्पष्ट रुप से दी गई भूमिका जिनका निर्वहन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाना विचारित है, करने के लिए एक अच्छी प्रशासन पद्धति के एक भाग के रूप में किया जाता है। मंडल अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन समितियों द्वारा करता है। संबंधित समिति का अध्यक्ष मंडल को समिति की बैठकों में की गई चर्चा से सूचित करता है। सभी

समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को समीक्षा के लिए मंडल के समक्ष रखा जाता है। मंडल की समिति विशेष आमंत्रितों को बैठक में शामिल होने के लिए जैसा वह उचित समझे अनुरोध कर सकती है। मंडल ने इस समय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समितियों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात संबंधियों का पुनर्गठन किया गया है।

i. लेखापरीक्षा समिति

निदेशकों में परिवर्तन के साथ लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। लेखापरीक्षा समिति का इस समय गठन इस प्रकार है:

1. श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
4. श्री राजेश कुमार कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक - सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रिती हैं ।

टिप्पण:

- श्री विनोद कुमार यादव 17.11.2021 से अध्यक्ष है।
- श्रीमती आकांशा पारे 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- श्री राजेश कुमार 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- श्री अशोक शंकरराव मेंढे 20.07.2023 से सदस्य हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान समिति की 04.08.2022, 25.11.2022 और 20.03.2023 को तीन बैठकें हुई थीं तथा इन बैठकों में सदस्यों उपस्थिति इस प्रकार रही।

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लेने की स्थिति
श्री विनोद कुमार यादव– अध्यक्ष	3	3
श्रीमती आकांक्षा पारे– सदस्य	3	3
श्री राजेश कुमार–सदस्य	3	3

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखा परीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 117 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार 21 जुलाई, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:–

1. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों की सिफारिश।
2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पुनरीक्षण और निगरानी।

3. वित्तीय विवरण और उसमें लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच।

4. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के पश्चातवर्ती उपांतरण का अनुमोदन।

5. अंतः निगम ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।

6. कंपनी के वचनबंधों या आस्तियों का मूल्यांकन, जहां यह आवश्यक हो।

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

8. लोक प्रस्तावना और संबंधित मामलों जहां लागू हों, के माध्यम से इक्ट्ठा की गई निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी।

9. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के स्कोप, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों का पर्यवेक्षण और मंडल को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण का पुनर्विलोकन भी है के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और अन्य किसी संबंधित मुद्दों पर आंतरिक और कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श कर सकती है।

10. लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या उसे मंडल द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मदों पर जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और कंपनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक उसकी पूरी पहुंच होगी।

11. कंपनी या मंडल की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए स्कोप, कार्यकरण, अवधि और विधि की विरंचना करेगी।

12. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन को देखना ताकि यह सुनिश्चय किया जाए सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

13. सांविधिक लेखापरीक्षकों को कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए संदाय का अनुमोदन।

14. मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों का निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में पुनर्विलोकनः

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मुद्देय

ख. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उसके कारणय

ग. प्रबंधन द्वारा उनके निर्णय के उपयोग के आधार पर प्राक्कलनों को अंतर्वलित करती हुई प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियांय

घ. लेखापरीक्षा में पता लगाए जाने के कारण उदभूत वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजनय

ङ. वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालनय

च. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन/पुनर्विलोकनय

छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हतांए।

15. मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणियों का प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन।

16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य–निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य, यदि कोई हो की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारीवृंद और विभाग की अध्यक्षता करने वाले कार्यकारी की वरिश्ठता, रिपोर्ट करने का ढांचा, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी है।

18. किसी महत्वपूर्ण प्रकटन पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उसपर अनुवर्ती कार्रवाई।

19. आंतरिक लेखापरीक्षकोंध्लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में आंतरिक जांच से हुए प्रकटन का पुनर्विलोकन जहां किसी कपट या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और मंडल को उस विषय को रिपोर्ट करने का पुनर्विलोकन।

20. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और स्कोप की चर्चा के साथ–साथ लेखापरीक्षा पश्च किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) और लेनदारों को संदाय में सारवान व्यतिक्रम के कारणों की जांच।

22. सूचना देने वाले, सतर्कता तंत्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

23. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

24. संसद की लोक उद्यम समिति (सीओपीयू) द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक खुले पथ का प्रावधान।

26. कवरेज की संपूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ पुनर्विलोकन।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और पुनर्विलोकनः

क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसके अंतर्गत कम्पयूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी है, और

ख. संबंधित निष्कर्शों और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों का प्रबंधन के प्रत्युत्तरों के साथ सिफारिशें।

28. निम्नलिखित पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार और पुनर्विलोकनः

क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निश्कर्श जसके अंतर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिशें भी हैं।

ख. लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई कोई कठिनाईयों जिसके अंतर्गत कार्यकलापों के स्कोप पर या अपेक्षित सूचना तक पहुंच पर कोई निर्बंधन भी है।

29. लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में भी शक्तियां होगीः

क. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी कार्यकलाप की जांच

ख. किसी कर्मचारी पर और उससे किसी सूचना को प्राप्त करना

ग. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाह्य विधिक या अन्य व्यवसायिक परामर्श अभिप्राप्त करना

घ. सुसंगत विशेषज्ञता रखने वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे

ङ. सूचना प्रदाताओं की संरक्षा करना।

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना का पुनर्विलोकन करेगीः

क. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणामय

ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरणय

ग. प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्रय

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टेंय

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पद से हटाने को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगाय और

च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विवरणों का स्पष्टीकरण/घोषणा।

31. कोई अन्य क्रियाकलाप जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्धीन बनाए गए नियमों और डीपीई निगम शासन मार्ग निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

ii. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति

कंपनी ने तारीख 15.03.2013 को (तत्पश्चात पुनर्गठित) को एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति का गठन किया है। कंपनी ने कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में समिति का गठन किया गया है।

इस समय समिति में निम्नलिखित सदस्य हैंः

1.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त)	–	सदस्य

टिप्पणः

- श्री अशोक शंकरराव मेंढे 20.07.2023 से अध्यक्ष हैं।
- श्रीमती आकांक्षा पारे 17.11.2021 से सदस्या हैं।
- श्री विनोद कुमार यादव 17.11.2021 से सदस्य हैं।

- श्री आर पी सिंह निदेशक (वित्त) 24.06.2023 से सदस्य हैं।
- श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त) 20.07.2023 से सदस्य हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान समिति ने 04.08.2022 को बैठक की थी जिसमें सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही–

सदस्य	उनकी संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की स्थिति
श्रीमती आकांक्षा पारे –अध्यक्ष	1	1
श्री विनोद कुमार यादव– सदस्य	1	1
श्री आरपी सिंह – सदस्य	1	1

कंपनी द्वारा अपने सीएसआर एवं भरणीयता पहल के अधीन किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबंध 'ग' के रूप में संलग्न सीएसआर रिपोर्ट में दिए गए हैं।

iii. पारिश्रमिक समिति

निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों/डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं।

पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 178 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारियों को तथा ऐसे पर्यवेक्षकों को जो किसी संगम में नहीं हैं को उसके वितरण का विनिश्चय करने के लिए किया गया है। वर्तमान में, समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी है:

1.	श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक	–	सदस्य

टिप्पण:

- श्रीमती आकांक्षा पारे 17.11.2021 से अध्यक्षा हैं।
- श्री विनोद कुमार यादव 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- श्री राजेश कुमार 17.11.2021 से सदस्य हैं।
- श्री अशोक शंकरराव मेंढे 20.07.2023 से सदस्य हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान पारिश्रमिक समिति ने 20.03.2023 को बैठक आयोजित की। इस बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही–

सदस्य	उनकी संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने की स्थिति
श्रीमती आकांक्षा पारे–अध्यक्ष	1	1
श्री विनोद कुमार यादव–सदस्य	1	1
श्री राजेश कुमार–सदस्य	1	1

4. अन्य समितियां

कंपनी के वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों (अर्थात् मंडल स्तर से नीचे) से मिलकर बनने वाली निम्नलिखित समितियां विद्यमान है।

शेयर अंतरण समिति

कंपनी की सभी शेयरों के अंतरणों और पारेषणों की निगरानी के लिए एक शेयर अंतरण समिति हैं। शेयर अंतरण समिति कंपनी के अधिकारियों अर्थात वित्त प्रभाग के प्रमुख, विधिक प्रभाग के प्रमुख और संविदा प्रभाग के प्रमुख से मिलकर बनी है। वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

कंपनी की प्राधिकृत और शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 909,404,600 साम्या शेयरों में विभाजित) और 35.42 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 35,422,688 साम्या शेयरों में विभाजित) है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	35415677	99.98
2.	अन्य (जिसके अंतर्गत छह पब्लिक सेक्टर उपक्रम अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.*, त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि.*, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स संनिर्माण लि. और ईपीआई शेयर धारक न्यास) शामिल हैं।	7011	0.02

*परिसमापन के अधीन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने तारीख 22 जनवरी 2019 की अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को शेयरों के डिमैटेरियलाइजेशन से छूट प्रदान की है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने आईएसओ 31000:2018 जोखिम प्रबंधन नीति का संशोधन किया है। जोखिम प्रबंधन अच्छे प्रबंधन का अभिन्न भाग है। सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन का प्रयोग लगातार सुधार और विनिश्चय करने में अधिक निश्चितता को अनुज्ञात करता है। इसका अंतिम रूप से परिणाम यह होता है कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के बेहतर अवसर होते हैं। जोखिम प्रबंधन नीति को आपकी कंपनी के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के सभी चालू और भाभी तात्विक जोखिमों की पहचान की जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके, उनके परिमाण का पता लगाया जा सके, समुचित रूप से उन्हें कम किया जा सके और उनका प्रबंधन किया जा सकेय कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए ढांचा स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना की संपूर्ण कंपनी में उसको कार्यान्वित किया जा सकेय यह सुनिश्चित करना कि पूर्व क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाए न कि प्रतिक्रियाकारी प्रबंधन कोय समुचित विनियमों की सर्वोत्तम पद्धतियों को अंगीकार करके, अनुपालना करने में समर्थ बनाना, जहां भी वह लागू होंय संपूर्ण संगठन में सहायता प्रदान करना और

विनिश्चय करने की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वित्तीय स्थायित्व के साथ कारबार की विधि को सुनिश्चित करना है।

जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रशासन ढांचा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम स्वामी और जोखिम समन्वयक (आरओ/आरसी) आदि से मिलकर बना है। नीति निदेशक मंडल, लेखा पर, परीक्षा समिति जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम स्वामी (आरओ, जोखिम समन्वयक (आरसी) और आंतरिक लेखा परीक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व को भी परिभाषित करती है)।

5. प्रकटन

i) वर्ष 2022–23 के दौरान कार्यकारी निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को संदत्त बैठक फीस के ब्यौरा इस प्रकार है:

क. कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक:

(राशि लाख रूपए में)

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कार्य निष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन	योग
श्री डी एस राना अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	48.79	0.36	–	49.15
श्री एच.एन. ठाकुर, निदेशक (परियोजना) (30.06.2022 तक)	52.35	0.53	–	52.88

ख. स्वतंत्र निदेशक:

वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के निदेशक में तीन स्वतंत्र निदेशक थे। वर्श के दौरान संदत्त बैठक फीस के ब्यौरा इस प्रकार है:

(राशि रूपए में)

निदेशक का नाम	बैठक फीस		स्वतंत्र निदेशक की बैठक हेतु फीस	योग
	मंडल की बैठकें	समिति की बैठकें		
श्रीमती आकांक्षा पार	60,000	50,000	15,000	1,25,000
श्री विनोद कुमार यादव	60,000	50,000	15,000	1,25,000
श्री अशोक शंकरराव मेंढे	15,000	-	15,000	30,000

स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस प्रति मंडल की बैठक के लिए 15,000/– रुपए की दर से और मंडल की समिति की बैठक के लिए 10,000/– रुपए की दर से अदायगी की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को भी स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक 15,000/– की दर से फीस अदायगी की जाती है।

ii) सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नियत वेतनमानों में की जाती है। तदनुसार, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 1,80,000 रुपए – 3,20,,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है और निदेशकों की नियुक्ति 1,60,000 रुपए – 2,90,,000 रुपए के आईडीए पैटर्न के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है। उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधनों और शर्तों को भी भारत सरकार द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नियत किया जाता है।

iii) निदेशकों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों और अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशकों को पात्र बैठक फीस के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई तात्विक या धनीय संबंध नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करे।

iv) वर्ष के दौरान तात्विक रूप से पक्षकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुए थे जिसकी बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना हो। लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार का ब्यौरा लेखाओं की टिप्पणियों का भाग बनता है।

v) विभिन्न विभागों से प्राप्त सांविधिक अनुपालना रिपोर्ट को सांविधिक शोध्यों की प्रास्थिति के साथ मंडल के समक्ष रखा जाता है।

vi) सिवाय वे मामले जो अपील के अधीन हैं, किसी सांविधिक निकाय द्वारा शास्ति या कठोर अलोचना का कोई घटना घटित नहीं हुई है।

vii) कंपनी डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

viii) वर्ष के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपतीय विनिदेशों और 1 जनवरी 2017 से वेतन के पुनरीक्षण का अनुसरण किया गया और कार्यान्वित किया गया है।

ix) वर्ष के दौरान लेखा बहियों और लेखाओं में किसी खर्च जो कारबार व्यय के प्रयोजनों के लिए नहीं है और कोई व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन द्वारा उपगत नहीं किया गया है।

x) कंपनी में कपट के निवारण, उसका पता लगाने और उसके रिपोर्ट करने के लिए सितम्बर, 2010 से कपट निवारण नीति लागू है।

xi) कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय वर्ष 2021–22 में 5.84 प्रतिशत की तुलना में 2.29 प्रतिशत रहे। कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय वर्श 2021–21 में 0.59 प्रतिशत की तुलना में 0.34 प्रतिशत रहे।

xii) कंपनी के वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी और प्रधान वित्त अधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र उपाबंध–ख1 पर रखा गया है।

xiii) कंपनी की वेबसाइट (www.engineeringprojects.com) में कंपनी के अधिकारिक समाचारों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, निविदाएं और रोजगार के अवसर आदि दर्शाया जाता है।

6. साधारण निकाय बैठकें:

i) कंपनी की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार है:

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तारीख और समय	स्थान (पंजीकृत कार्यलय)
52वीं	2021–22	27 सितंबर, 2022 को 03.30 बजे अपराह्न	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
51वीं	2020–21	28 दिसंबर, 2021 को 03.30 बजे अपराह्न (31 दिसंबर 2021 को 03:00 बजे अपराह्न के लिए स्थगित)	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
50वीं	2019–20	28 दिसंबर 2020 को 03:30 बजे अपराह्न (31 दिसंबर 2020 को 03:30 बजे स्थगित)	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 53वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में वार्षिक साधारण बैठक की तिथी, समय सम्मिलित है।

ii) पिछली तीन एजीएम में पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे–

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प के ब्यौरे
52वीं	2021–22	शून्य
51वीं	2020–21	शून्य
50वीं	2019–20	डीआईपीएएम दिशानिर्देशों और/आस्ति मौद्रिकीकरण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार ईपीआई की गैर कोर आस्तिओं के मौद्रिकीकरण का अनुमोदन करना

7. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्गत 31 मार्च 2023 की अपेक्षाओं के अनुसार आपकी कंपनी ने कार्यापालक निदेशक (पी एंड एम) को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी के प्रादेशिक प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक (विधिक) प्रथम अपील प्राधिकारी है।

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सभी आवेदकों को प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सूचना का अधिकार आवेदनों के संबंध में डाटा इस प्रकार हैः–

1.	मार्च 2022 के अंत तक लंबित सूचना का अधिकार आवेदन	4 सं.
2.	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदन	104 सं.
3.	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निपटान किए गए सूचना का अधिकार आवेदन	103 सं.
4.	मार्च 2023 के अंत तक लंबित सूचना का अधिकार आवेदन	5 सं.

8. शेयरधारकों के साथ संपर्क के साधन

कंपनी की संदत्त पूंजी का 99.98 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धारित है और शेष 0.02 प्रतिशत छह सीपीएसई और इन सीपीएसई के निमित सृजित न्यास द्वारा धारित है।

कंपनी की द्विभाषी वार्षिक रिपोर्ट अन्य सुसंगत सूचना के साथ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और इसे संसद के समक्ष भी रखा जाता है। वार्षिक रिपोर्ट आदि को भौतिक प्ररूप के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रीति में भी जारी किया जा रहा है।

9. लेखापरीक्षा टिप्पणियां

सावंधिक लेखापरीक्षकों और सचिवालय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में सम्मिलित किया गया है निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक वर्धन के रूप में उपाबद्ध कर दिया गया है।

10. निदेशक मंडल का प्रशिक्षण

कंपनी, कंपनी के निदेशक मंडल में नए नियुक्त निदेशकों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण में कंपनी के विषय में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और कंपनी के कार्य निष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण डाटा, संस्था के अतर्नियम

एवं बहिर्नियम, ईपीआई का ब्रोशर, डीपीई द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवालयी मानक (एसएस–1) और साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक (एसएस–2), स्वतंत्र निदेशक पर आईसीएसआई द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, कपंनी अधिनियम, 2013 आदि शामिल है। निदेशकों को स्कोप द्वारा और निदेशक संस्थान (आईओडी) आदि द्वारा जब भी आयोजित किए जांए, आयोजित सेमिनारोंध्संगोष्ठियों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

11. सूचना प्रदाता नीति

ईपीआई में वर्ष 2010 से ही सूचना प्रदाता नीति विद्यमान है, जो उन व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त सुरक्षोपायों का प्रावधान करती है, जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक समुचित या आपवादिक मामलों में सीधे पहुंच का प्रावधान करती है।

ईपीआई में वर्ष 2010 से ही सूचना प्रदाता नीति विद्यमान है, जो उन व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त सुरक्षोपायों का प्रावधान करती है, जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक समुचित या आपवादिक मामलों में सीधे पहुंच का प्रावधान करती है।

सभी कर्मचारी अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति को अधिमानतः लिखित में संरक्षित प्रकटन करने के लिए पात्र हैं।

इस नीति की विरचना निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना के लिए की गई थी। यह कंपनी (मंडल की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है, जो वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का प्रावधान करती है ।

वर्ष के दौरान किसी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से नहीं रोका गया है।

12. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने मंडल के सदस्यों और कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन के लिए कारबार आचार– और नैतिकता की संहिता अधिकथित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.engineeringprojects.com पर होस्ट किया गया है। कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिज्ञान किया है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ **उपाबंध–ख2** के रूप में उपाबद्ध है।

13. अनुपालना प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए निगम शासन पर सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपाबंध–VII में वर्णित सभी सुझाव दी गई लागू मदों को कवर करते हैं। डीपीई द्वारा विहित निगम शासन अपेक्षाओं की अनुपालना पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों की अनुपालना के संबंध में व्यवसायरत कंपनी सचिव से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र रिपोर्ट को **उपाबंध–ख3** के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

उपाबंध–ख1

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों पर प्रमाणपत्र/घोषणा

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः

(i) इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो;

(ii) यह विवरणियां इकट्ठे कंपनी के मामलों का सही और न्यायोचित दृष्य प्रस्तुत करती हैं और यह विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुसार हैं;

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई संव्यवहार दर्ज नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अविधिमान्य या कंपनी की आचार–संहिता का उल्लंघनकारी है;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, जिसके विषय में हम भिज्ञ हैं और उनके लिए की गई कार्रवाई और उनको दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का प्रकटन कर दिया है;

(v) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित इंगित कर दिया हैः

क) वर्ष 2022–23 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तनय

ख) वर्ष 2022–23 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकटन कर दिया गया हैय और

ग) गंभीर कपट के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी का शामिल होना जिसकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह./–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएनः 10234285

ह0/–
(डी एस राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएनः 07022825

दिनांक : 20 जुलाई, 2023
स्थानः नई दिल्ली

उपाबंध–ख2

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (एध्सी) द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा।

मै, डी एस राना अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (सिवाय निलंबन के अधीन) ने कंपनी के वर्ष 2022–23 के दौरान कारबार आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिज्ञान किया है।

ह0/–
(डी एस राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07022825

दिनांक : 20 जुलाई, 2023
स्थानः नई दिल्ली

उपाबंध–ख3

निगम शासन प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने **31 मार्च, 2023** को समाप्त वर्ष के लिए **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात **कंपनी** कहा गया है) की निगम शासन जैसा कि मूलतः 22.06.2007 को जारी अधिसूचना संख्या 1, संख्या 18 (8)/2005–जीएम और लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा समय समय पर जारी तथा इसके अधीन उल्लिखित उपाबंध ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 2010 के लिए निगम शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों (जिसे इसमें इसके पश्चात मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है) में यथा उपदर्शित शर्तों की 'अनुपालना की शर्तों' की जांच की है।

निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। इसलिए यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न ही लेखापरीक्षा है और न ही उनपर किसी राय की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना तथा हमें दिए गए दस्तावेजों के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने पूर्व वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकल्पित निगम शासन की शर्तों की **सिवाय** निम्नलिखित के अनुपालना की है।

I. *क्रमानुगत दो मंडल बैठकों (278वीं और 279वीं), (280वीं और 281वीं) तथा (281वीं और 282वीं) के बीच का अंतर तीन मास की विहित समय सीमा (मार्गदर्शक सिद्धांतों के 3.3.1 के अनुसार) से अधिक हो गया है।*

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि गत 2 वर्षों में मंडल की बैठकें आयोजित करने की समयसीमा एक से अधिक अवसर बार चूक हुई, इसलिए यह सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के मंडल से अवगत कराते हुए इसकी बेहतर योजना बनाई जाए।

II. *खंड 4.4 के अनुसार – लेखापरीक्षा समिति की बैठक – एक वर्ष में कम से कम चार बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार मास से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तथापि वित्तीय वर्ष के दौरान समय सीमा के भीतर केवल तीन ही बैठकें बुलाई गईं।*

पूर्व स्वतंत्र निदेशकों को पदावधि अवधि नवंबर 2019 में समाप्त हो गई थी। यह नोट किया गया है कि मंडल मै सभी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से की जाती हैं। कंपनी ने 2 नवंबर 2021 को 2 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की। पूर्वोक्त टिप्पणियों के संदर्भ में, प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया कि भाासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक के मामले में 03 मास और लेखापरीक्षा समिति की बैठक के मामले में 04 मास की विहित समयावधि के भीतर मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि मंडल/समिति की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

हम यह कथन करते हैं कि ऐसी अनुपालना न ही कंपनी की भावी साध्यता का और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है, आश्वासन है।

कृते एजीबी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
पीआर नं. 2668/2022

ह0/–
सीएस रश्मि असवाल
(भागीदार)
सदस्य सं. ए50322

सी. पी. संख्या 24667
यूडीआईएनः ए050322ई000480543

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 15.06.2023

उपाबंध–ग

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

[कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 की अपेक्षा के अनुसार]

1. कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा:

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा प्रभावी साधन है जो बड़े पैमाने पर निगम और सामाजिक क्षेत्र के अभिकरणों के बीच भरणीय वृद्धि और समाजिक उदेश्य के विकास के लिए सामंजस्य बिठाता है। ईपीआई की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अधिकांश रूप से समुदाय के लिए कल्याणकारी उपायों का और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज में अंशदान का प्रावधान करती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवश्यकता के प्रति यह संवेदनशील है।

सीएसआर विजन

''समाज के बड़े हिस्से के लिए कार्य करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा एक निगम निकाय के रूप में ईपीआई की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार धारणा तैयार करना''।

सीएसआर उद्देश्य

ईपीआई की सीएसआर नीति का बृहत का रूप से उद्देश्य समुदाय और समाज के लिए नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का अनुपालन करना है और समुदाय के बड़े हिस्से के कल्याण और भरणीय विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लेना है।

2. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार ईपीआई के पास मंडल स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति है । इस समिति की सहायता एक नोडल अधिकारी द्वारा की जाती है।

मंडल स्तरीय समिति की भूमिका निम्नलिखित है–

(क) एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विरंचना करना और मंडल को उसकी सिफारिश करना जो अनसूची–VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यकलापों को प्रदर्शित करेगीय

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत किए जाने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करनाय और

(ग) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना।

आज की तारीख तक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्रीमती आकांक्षा पारे, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
3.	श्री विनोद कुमार यादव, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
4.	श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त)	–	सदस्य

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्रीमती आकांक्षा पारे	स्वतंत्र निदेशक, समिति की अध्यक्षा (20.07.2023 तक) एवं सदस्या (20.07.2023 से)	1	1
2.	श्री विनोद कुमार यादव	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य (17.11.2021 से)	1	1
3.	श्री आर पी सिंह	निदेशक (वित्त), सदस्य (24.06.2023 तक)	1	1
4.	श्री अशोक शंकरराव मेंढे	स्वतंत्र निदेशक, समिति के अध्यक्ष (20.07.2023 से)	–	–
5.	श्री दिबेंदु दास	निदेशक (वित्त), सदस्य (20.07.2023 से)	–	–

3. वह वेब लिंक उपलब्ध कराएं जहां मंडल द्वारा अनुमोदित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं का प्रकाशन किया जाता है।

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजना कंपनी की वेबसाइट www.engineeringprojects.com पर उपलब्ध है। वर्ष के दौरान कोई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलाप हाथ में नहीं लिए गए थे।

4. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना के संघात निर्धारण ब्यौरे उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो

लागू नहीं।

5. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में बट्टे खाते के लिए उपलब्ध धनराशि के ब्यौरे और वित्त वर्ष के लिए बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित धनराशि, यदि कोई हो:

शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ (4530.78) लाख रुपये है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 : (2728.47) लाख रुपये

वित्तीय वर्ष 2020–21 : (4683.01) लाख रुपये

वित्तीय वर्ष 2021–22 : (6180.86) लाख रुपये

7.

(क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
(ख)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से आधिक्यः	शून्य
(ग)	वित्त वर्ष के लिए बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित धनराशि, यदि कोई हो	शून्य
(घ)	वित्त वर्ष के लिए कुल निगम सामाजिक उत्तरदायित्व बाध्यता (7क+7ख+7ग)	शून्य

8. (क) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई या व्यय नहीं की गई निगम शासन उत्तरदायित्व धनराशिः

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए व्यय की गई कुल धनराशि	व्यय न की गई धनराशि (रुपए में)				
	धारा 135 (6) के अनुसार व्यय ना किए गए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व को खाते में अंतरित कुल धनराशि		धारा 135 (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची साथ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित धनराशि		
	Amount (in Rs)	Date of transfer	Name of the Fund	Amount (in Rs)	Date of transfer
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के लिए व्यय की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि के ब्यौरेः शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से भिन्न के लिए व्यय की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि के ब्यौरेः शून्य

(घ) प्रशासनिक ऊपरी शीर्षो में खर्च की गई धनराशि शून्य

(ङ) संघात निर्धारण पर खर्च की गई धनराशि, यदि लागू होः शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल धनराशि (8ख+8ग +8घ+8ङ): शून्य

(छ) बट्टे खाते के लिए आधिक्त धनराशि, यदि कोई होः शून्य

क्र. सं.	विशिष्टियां	धनराशि
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत	शून्य
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल धनराशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अधिक धनराशि [(ii)-(I)]	शून्य
(iv)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कार्यक्रमों या गतिविधियों से आधिक्य,यदि कोई हो	शून्य
(v)	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों में बट्टे खाते में डालने के लिए उपलब्ध धनराशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9.	(क)	पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए खर्च ना की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशि के ब्यौर :	शून्य
	(ख)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्शों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व धनराशि के ब्योरेः	शून्य

10. पूंजी आस्ति सृर्जन या अर्जन की दशा में वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित आस्ति से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें (आस्ति–वार ब्यौरे)

	(क)	पूंजी आस्ति के सृर्जन या अर्जन की तारीख :	शून्य
	(ख)	पूंजी आस्ति के सृर्जन या अर्जन पर खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की धनराशिः	शून्य
	(ग)	निकाय या लोक प्राधिकारी या फायदाग्राही के ब्यौरे जिसके नाम से ऐसी पूंजी आस्ति को रजिस्ट्रीकृत किया गया है, उनके पते आदिः	शून्य
	(घ)	सृजित ब्यौरे उपलब्ध कराएं (जिसके अंतर्गत पूंजी आस्ति का पूरा पता और अवस्थान है) :	शून्य

11. धारा 135(5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुभ लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करने में सफल रही है तो कारण विनिर्दिष्ट करें: लागू नहीं

ह0/–
(दिबेंदु दास)
सदस्य–सीएसआर समिति
डीआईएनः 10234285

ह0/–
(श्रीमती आकांक्षा पारे)
अध्यक्ष–सीएसआर समिति
डीआईएनः 09394630

तिथिः 20 जुलाई, 2023
स्थानः नई दिल्ली

उपाबंध–घ

प्ररुप संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यसस्थाओं जिसके अंतर्गत उसके तीसरे परंतुक के अधीन कतिपय सननिकट संव्यवहार भी हैं, के प्रकटन के लिए प्ररुप।

1. उन संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों के ब्यौरे जो सननिकट आधार पर नहीं हैं।

क्र. सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार (रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की अविध	
घ)	संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई होशून्य	
ङ)	ऐसी संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार में प्रविष्ट होने का औचित्य	शून्य
च)	मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
छ)	अग्रिम के रूप में संदत्त धनराशि, यदि कोई हो	शून्य
ज)	वह तारीख जिसको धारा 188 के पहले परंतुक के अधीन यथापेक्षित विशेष संकल्प साधारण बैठक में पारित किया गया था	शून्य

2. सन्निकट आधार पर संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के ब्यौरे

क्र. सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार(रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की अविध	शून्य
घ)	संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई होशून्य	
ङ)	मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
च)	अग्रिम के रूप में संदत्त धनराशि, यदि कोई हो	शून्य

कृते मंडल और उसकी ओर से

ह0/–
(डी एस राना)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डी आई एनः 07022825

दिनांक : 20 जुलाई, 2023
स्थानः नई दिल्ली

सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

प्ररूप संख्या एमआर 3

1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियां
(नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमनें लागू सांविधिक उपबंधों की अनुपालना में और **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात **कंपनी** कहा गया है) द्वारा अच्छी निगम पद्धतियों की अनुपालना की सचिवालयी लेखा परीक्षा कर ली है। सचिवालयी लेखापरीक्षा उस रीति में की गई जो हमें निगम आचार/सांवधिक अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर राय व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

कंपनी की लेखाबहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, कार्यवृत पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों और कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष सम्मिलित है इसमें नीचे सूचीबद्ध किए गए सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किया है और यह भी मत व्यक्त करते हैं कि कंपनी की उचित मंडल प्रक्रियाएं और अनुपालना तंत्र उस सीमा और उस रीति में तथा नीचे दी गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन रहते हुए हैः

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रखी गई लेखाबहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों की निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार जांच कर ली हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाए गए नियम; **लागू नहीं**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए उपनियम; **लागू नहीं**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तदधीन बनाए गए नियम और विनियम, जो उस सीमा तक जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा वाणिज्यक उधार हों; **लागू नहीं**

(v) निम्नलिखित विनियम और मार्गदर्शक सिद्धांत, जो भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी, अधिनियम) के अधीन विहित किए गए हैं; **लागू नहीं**

(क) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारबार प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

(घ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999 / भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ विनियम, 2014;

(ङ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण विनियम, 2008;

(च) कंपनियों के संबंध में और ग्राहकों से व्यौहार करने के लिए भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरक अभिकर्ता) विनियम, 1993;

(छ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; और

(ज) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनरू क्रय करना) विनियम, 2018।

(vi) अन्य लागू विधियां

दिनांक 12–07–2023 के प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र के द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित विधियां और उनके तदधीन बनाए गए नियमों को कंपनी द्वारा पहचाना गया है और यथासंभव कंपनी द्वारा उनका अनुपालन किया गया है।

(क) लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए दिनांक 14 मई 2010 कार्पोरेट शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांत (''डीपीई कार्पोरेट शासन मार्गदर्शक सिद्धांत'');

(ख) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (''पोश'');

(ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और तदधीन बनाए गए नियम (''दिव्यांगजन अधिनियम'');

हमने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित के लागू खंडों की अनुपालना की भी जांच कर ली है:

(क) समय–समय पर यथा संशोधित इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरिज आफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक ;

(ख) कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सूचीकरण करार नहीं किया है, क्योंकि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि का, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है निम्नलिखित पर्यवेक्षणों के अधीन रहते हुए अनुपालन किया है:

1. मंडल की तीन बैठकों अर्थात् 278वीं और 279वीं, 280वीं और 281वीं और 281वीं और 282वीं के बीच का अंतर डीपीई कॉर्पोरेट भाासन मार्गदर्शी सिद्धांतों विनिर्दिश्ट तीन मास की विहित समयसीमा से अधिक हो गया है।

   ''डीपीई कॉर्पोरेट भाासन मार्गदर्शी सिद्धांतों के खंड 3.3.1 के अनुसार, ''मंडल की बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्श ऐसी बैठकें कम से कम चार आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, किन्हीं दो बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।''

   प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि भाासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक तीन मास की विहित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि मंडल की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के

उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

2. 55वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक दिनांक 11.03.2022 और 56वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक दिनांक 04.08.2022 के बीच का समय अंतराल चार मास से अधिक है। इसके अतिरिक्त संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार बार के बजाय केवल तीन ही बार हुई, जैसा कि डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट है।

"डीपीई कॉर्पोरेट भासन मार्गदर्शी के खंड 4.4 के अनुसार, "वर्ष में कम से कम चार बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार मास से अधिक की चूक नहीं होनी चाहिए। गणपूर्ति दो सदस्यों या लेखापरीक्षा समिति के एक तिहाई सदस्यों, जो भी अधिक हो, से होगा, परंतु इसमें कम से कम दो स्वतंत्र सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि भासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार मास की विहित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि समिति की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक बोर्ड का कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों सिवाय स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तनों को अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना में किया गया है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यवृत्त पर पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यवृत्त पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पूर्व अग्रिम में भेजी गईं सिवाय लघु सूचना के, जहां अपेक्षित अनुपालना की गई है और बैठक से पूर्व और सूचना तथा कार्यवृत्त मदों पर स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करनेके लिए और बैठकों में फलदायक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

कंपनी द्वारा बोर्ड/समितियों और शेयरधारकों के लिए रखे गए कार्यवृत्त के अनुसार, हम नोट करते हैं कि किसी भी विनिश्चय को संबंधित बोर्ड/शेयर धारक समिति के असहमति के नोट के बिना अनुमोदित नहीं किया गया है ।

कंपनी ने अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं और निदेशकों ने उनकी नियुक्ति के संबंध में पात्रता की अपेक्षाओं, उनकेस्वतंत्र होने और कारबार संचालन की संहिता तथा निदेशक और प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नैतिकता की अनुपालना के प्रकटन का पालन किया है ।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमोंऔर मार्गदर्शक सिद्धांतों कि अनु पालना को मॉनिटर और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। तथापि अन्य लागू विधियों की अनुपालना जैसा कि ऊपर पैरा (vi) में सूचीबद्ध किया गया है का सत्यापन नहीं किया गया है और हमें दिए गए दस्तावेजों और प्रबंधन के बोर्ड को सभी कार्यालय के संबंध में एजेंडा पेपरों के माध्यम से रिपोर्ट किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र दिनांक 12.07.2023 के आधार पर आधारित है ।

हम यह और भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयों का पर्यवेक्षण किया गया :

1. हम यह और सूचित किया गया है कि सामरिक निवेश और मौद्रीकरण की प्रक्रिया के अधीन है जिसमें विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय, डीआईपीएम, डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी सभी दिशानिर्देशों/नियमों/विनियम/ कार्यालय ज्ञापन आदि का अनुसरण किया जा रहा है।

2. हमें यह और सूचित किया गया है कि ईपीआई अर्बन इंफ्राडेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल– सीआईएनः यू45309डीएल2016 जीओआई299995) जिसे 19 मई 2016 को कंपनी" की 51 प्रतिशत साम्या सहभागिता के साथ निगमित किया गया था तथा "कंपनी" अभी भी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। यद्यपि ईपीआईयूआईडीएल के त्वरित परिसमापन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन सितंबर,

2018 में प्रस्तुत की गई गई थी इस पर प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 को विचार किया गया। प्रादेशिक निदेशक (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) द्वारा यह सूचित किया गया कि यह मामला उस धारा के अधीन परिसमापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई के लिए उपलब्ध अन्य विकल्प का उपयोग कर सकती है। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(क) के अधीन ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए एक आवेदन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास 23.05.2022 को फाइल किया गया है।

उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022 / 07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मत्रालय की वेबसाइट पर डाल गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5ए (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को टाइम्स सिटी समाचार पत्र दिनांक 13.06.2023 में प्रकाशित किया गया। आज की तारीख में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट में कंपनी की प्रास्थिति ''सक्रिय'' दर्शाई जा रही है।

3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने 5मामले रजिस्टर किए हैं और "कंपनी" के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) फाइल की है जिसमें कंपनी को एफआईआर में पक्षकार नहीं बनाया गया है इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के धन की धोखाधड़ी / गबन का भी एक मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच चल रही है और उक्त धोखाधड़ी / गबन का इसके वित्तीय विवरण पर वित्तीय प्रभाव है।

कृते एमएनके एंड एसोसिएटस एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनःएल20183004900

ह॰/–
मोहम्मद नाजिम खान
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएसः6529सीपी–8245
यूडीआईएनःएफ006529ई000652537
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. : 671/2020

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 20.07.2023

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र जो **उपाबंध–क** के रूप में उपाबद्ध है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है के साथ पढ़ें।

उपाबंध–क

सेवा में
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमारी समसंख्यंक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ें।

1. सचिवालय अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और हमारा दायित्व इन सचिवालीय अभिलेखों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का है।

2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और पद्धतियों का अनुपालन किया है जो सचिवालयीय अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सही होने की बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए समुचित है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि सचिवालीय अभिलेखों में सही तथ्यों को उपदर्शित किया जाए। हमारा विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है वे हमारी राय में युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हमने सांविधिक लेखापरीक्षकों, कर प्राधिकारियों, लागत लेखापरीक्षकों और नियंत्रण और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को लागू वित्तीय विधियों, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियां हैं, पर भरोसा किया है। लेखांकन मानक वित्तीय अभिलेखों की निवलता और उपयुक्तता, लागत अभिलेख और कंपनी की लेखा बहियां संबंधी लेखापरीक्षकों और अन्य नामनिर्दिष्ट व्यवसायियों की समीक्षा के अधीन रही हैं ।

4. जहां भी अपेक्षित था हमने प्रबंधन से विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं के विषय में अनुपालना के लिए अभ्यावेदन अभिप्राप्त किया है।

5. कारपोरेट और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है, हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए जांच के आधार तक सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी साध्यता और न ही उस प्रभावशीलता की पर्याप्तता के विषय में कोई आश्वासन नहीं है, जिसमें कंपनी का प्रबंधन अपने कार्य संचालित कर रहा है।

कृते एमएनके एंड एसोसिएटस एलएलपी
कंपनी सचिव
एफआरएनःएल20183004900

ह०/–
मोहम्मद नाजिम खान
व्यवसायरत कंपनी सचिव
एफसीएसः6529सीपी–8245
यूडीआईएनःएफ006529ई000652537
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. : 671/2020

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20.07.2023

सचिवालयी लेखा परीक्षक द्वारा वित्तव र्ष 2022–23 के लिए सचिवालयी लेखा रिपोर्ट में किए गए पर्यवेक्षण/टिप्पणियों का प्रबंधन का प्रत्युत्तर

क्र.सं.	रपोर्ट में पर्यवेक्षण/टिप्पणियां	पर्यवेक्षणों का प्रत्युत्तर
1	1. मंडल की तीन बैठकों अर्थात् 278वीं और 279वीं, 280वीं और 281वीं और 281वीं और 282वीं के बीच का अंतर डीपीई कॉर्पोरेट शासन मार्गदर्शी सिद्धांतों विनिर्दिश्ट तीन मास की विहित समयसीमा से अधिक हो गया है। ''डीपीई कॉर्पोरेट शासन मार्गदर्शी सिद्धांतों के खंड 3.3.1 के अनुसार, ''मंडल की बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक वर्श ऐसी बैठकें कम से कम चार आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, किन्हीं दो बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।'' प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक तीन मास की विहित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि मंडल की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।	शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण मंडल की बैठक डीपीई कॉर्पोरेट भाासन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में तीन मास की उपदर्शित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।
2	55वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक दिनांक 11.03.2022 और 56वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक दिनांक 04.08.2022 के बीच का समय अंतराल चार मास से अधिक है। इसके अतिरिक्त संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार बार के बजाय केवल तीन ही बार हुई, जैसा कि डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट है। "डीपीई कॉर्पोरेट शासन मार्गदर्शी के खंड 4.4 के अनुसार, "वर्ष में कम से कम चार बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच चार मास से अधिक की चूक नहीं होनी चाहिए। गणपूर्ति दो सदस्यों या लेखापरीक्षा समिति के एक तिहाई सदस्यों, जो भी अधिक हो, से होगा, परंतु इसमें कम से कम दो स्वतंत्र सदस्य उपस्थित होने चाहिए। प्रबंधन ने यह सुस्पष्ट किया कि शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण लेखापरीक्षा समिति की बैठक चार मास की विहित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि समिति की बैठकों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।	शासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण बैठक डीपीई कॉर्पोरेट शासन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में चार मास एवं वर्ष में चार बार की उपदर्शित समयावधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

स्वास्थ्य जांच शिविर

राजभाषा निरीक्षण

राष्ट्रीय एकता दिवस

महिला एवं बाल शक्तीकरण संवाद कार्यक्रम

सर्तकता–पीआईडीपीआई

योगा दिवस उत्सव

माननीय मंत्री जी के साथ स्वतंत्र निदेशकों की भेट

माननीय मंत्री जी के साथ स्वतंत्र निदेशकों की भेट

स्वतंत्र निदेशक की वाईजैक प्रोजेक्ट को भेट

स्वतंत्र निदेशक की वाईजैक प्रोजेक्ट को भेट

स्वतंत्र निदेशक की ईएमआरएस प्रोजेक्ट को भेट

स्वतंत्र निदेशक की ईएमआरएस प्रोजेक्ट को भेट

स्वतंत्र निदेशक की ईएमआरएस प्रोजेक्ट को भेट

स्वतंत्र निदेशक की ईएमआरएस प्रोजेक्ट को भेट

सीपीएसई वार्षिक समीक्षा बैठक 2023

स्वतंत्र निदेशक की एनआईपीईआर प्रोजेक्ट को भेट

स्वतंत्र निदेशक की एनआईपीईआर प्रोजेक्ट को भेट

वाईजैक प्रोजेक्ट

वाईजैक प्रोजेक्ट

आरओबी प्रोजेक्ट–कोटा

आरओबी प्रोजेक्ट–कोटा

आरओबी प्रोजेक्ट–कोटा

एनआईईपीआर कैम्पस–गुवाहाटी

एनआईईपीआर कैम्पस–गुवाहाटी

एनआईईपीआर

आपातकालीन कोक स्टोरेज संचालन
भिलाई प्रोजेक्ट

Bhilai Project

सीएसपी क्षेत्र, जेएच–3 और सीडीयू
भिलाई प्रोजेक्ट

खनी, ब्लॉक मोहाना, ज़िला–गजपति में उन्नयनित हाई स्कूल

इरकॉन रेल परियोजना त्रिपुरा

जेयूआईडीसीओ पीएमएवाई परियोजना, सरायकेल

आरजीसीबी परियोजना

राऊरकेला स्मार्ट सिटी परियोजना ओडीसा–कमांड कट्रोल सेंटर

टीएचएसटीआई परियोजना–फरीदाबाद

आईआईटी गुवाहाटी परियोजना

परियोजना लड़को का छात्रावास, ईएमआरएस–दहानू

स्कूल भवन सी विंग, ईएमआरएस–दहानू

स्कूल भवन ईएमआरएस–धारनी

टाईप 3 अवास 11, ईएमआरएस–भामरागढ़

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हित राय

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पण जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक सूचना है, सम्मिलित है। कंपनी के 4 (चार) क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में स्थित प्रादेशिक कार्यालयों और ओमान, श्रीलंका तथा म्यांमार की 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा और कार्पोरेट कार्यालय की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सिवाय हमारी रिपोर्ट के अर्हित राय का आधार अनुभाग में वर्णित किए गए मामले के सिवाय पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की अपेक्षा अनुसार उस प्रकार अपेक्षित रीति में सूचना प्रदान करते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यों का 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि और कंपनी के नकदी प्रवाह का न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अर्हित राय का आधार

1. लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार के अनुसार केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद पड़ी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम इनके भाोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्ष तक की वसूली के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि भाोध्य राशि 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया है तो परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए संदेहास्पद कर्ज/ऋण और अग्रिम के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। अतः प्राप्य संदेहास्पद ऋणों के सापेक्ष प्रावधान उन शोध्यों के लिए नहीं किया जाता है जो विवादाधीन हैं और जिनमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और जो 10 वर्ष से कम समय से प्राप्य है।

क) जैसा कि शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 10 वर्षों से अधिक के व्यापार प्राप्य /अन्य अग्रिम/ग्राहक, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य/प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन/विवादित बकाया राशि 3600.80 लाख रुपये है, जिसमें से नीति में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में संदेहास्पद ऋण के लिए 499.58 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, वर्ष के लाभ में 3101.22 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है।

ख) डब्ल्यूआरओ शाखा में, उप–ठेकेदार को किए गए अग्रिम संदाय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यद्यपि उप–ठेकेदार 1066.23 लाख रुपये के दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन/मुकदमेबाजी के अधीन है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 1066.23 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है और अन्य चालू आस्तियों (विक्रेताओं से वसूली योग्य) को इतनी ही राशि का अधिक उल्लेख हुआ है।

2. मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" 60 प्रतिशत

का स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार इस समय एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। इन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व में और वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार नैतिक आचार अपेक्षाओं सहित जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत है, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपने नैतिक आचरण के उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है हमारी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

महत्वपूर्ण मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं:–

1. प्राप्यों की शेष की संपुष्टि

व्यापार प्राप्यों, संकर्म के लिए अग्रिम, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम तथा प्राप्यों के संबंध में शेष की बाह्य संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि के उपलब्ध न होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में हम असमर्थ हैं।

विशिष्टियां	धनराशि (रुपए लाख में)
संकर्म के लिए अग्रिम	7021.46
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन	33277.11
व्यापार प्राप्य	19769.37
अन्य वसूली योग्य	47617.21

यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, नकारात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।

2. संदेयों की संपुष्टि

निम्नलिखित व्यापार प्राप्य, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन शेष की सकारात्मक संपुष्टि

उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि उपलब्ध ना होने के कारण वित्तीय विवरणों पर उद्भूत होने वाले किसी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।

विशिष्टियां	धनराशि (रुपए लाख में)
व्यापार संदेय	80324.89
प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण धन	37595.21
प्राप्त अग्रिम	66000
ग्राहक को अन्य संदेय	783.87

यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, नकारात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।

3. परिसमाप्त नुकसान

विवाद/बातचीत के अधीन संविदाओं के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से उद्भूत परिसमाप्त नुकसान को अंतिम निपटान तक संदेय/प्राप्य नहीं माना जाता है, निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा 63.80 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 57.11 लाख रुपये) रोक दिये गये हैं और इसका प्रकटन अन्य गैर–चालू आस्तियां ''ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के रूप में किया गया है।

4. राजस्व मान्यता

कंपनी ने द्वितीय तल, कोर–3 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली का परिसर मैसर्स कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड (सीईएसएल) को किराए पर दिया है। पट्टा करार के अनुसार, पट्टेदार को किराए के विलंब से संदाय पर एसबीआई एमसीएलआर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान 2022–23 पट्टेदार ने समय पर किराया नहीं चुकाया है, तदनुसार पट्टेदार से 46.50 लाख रुपये का ब्याज वसूला जाना है, किंतु उसे दर्शाया नहीं गया है। तदनुसार आय में 46.50 लाख का कम उल्लेख हुआ है।

5. कराधान बहियों का समायोजन

कंपनी की वसूली योग्य टीडीएस, संदत्त अग्रिम कर और आयकर दायित्व से वसूलनीय टीसीएस की उनके संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ही अंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात पद्धति है। यद्यपी यह उल्लेख करना सुसंगत है कि उक्त नीति के कारण वसूली योग्य टीडीएस, अग्रिम कर और वसूली योग्य टीसीएस की धनराशियों द्वारा आस्तियों और दायित्व का अधिक उल्लेख हुआ है। क्योंकि इनका वित्तीय प्रभाव तात्विक नहीं है इसलिए हम उन पर अपनी राय अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.11 और टिप्पण संख्या 2.17 देखें।

6. बैंक गारंटी

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन

न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र माध्यम से अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निश्पादन न होने पर भाोध्य के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) देखें।

7. पुराने शेष की वसूली

वित्तीय विवरण, दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम – ''अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अग्रिम) की ''टिप्पण संख्या 2.11 देखें जिसमें संकर्म संविदा कर/वैट के लिए 1314.77 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। जैसा कि हमें बताया गया है, यह कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है और ग्राहकों और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य है। जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ऐसे दावे परियोजना के पूरा होने के समय अंतिम निपटान के साथ और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों के साथ अंतिम मूल्यांकन के समय ग्राहक से किए जाते हैं। हालाँकि, ग्राहकों/कर प्राधिकरणों के पास ऐसे दावों के दस्तावेज/संपुष्टि हमारे सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराए गये हैं, दावों के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में हम उनकी पुनर्प्राप्ति/उचितता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

8. सीबीआइ मामले

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 5 मामले रजिस्टर किए गए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें ''कंपनी'' पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के धन की धोखाधड़ी/दुरुपयोग का भी 01 मामला भी दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है। वित्तीय वर्ष में 22–23 कंपनी में श्री अक्षत अनेजा (सहायक प्रबंधक, वित्त) द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की गई है, जो म्यांमार परियोजना के साथ–साथ कॉर्पोरेट कार्यालय वित्त के बैंकिंग प्रभाग में कार्यरत थे। इसमें निहित राशि की मात्रा का पता लगाने के लिए आंतरिक समिति का गठन किया गया था, जो अंततः 48.11 लाख रुपये और ₹ 8.50 लाख श्री अक्षत अनेजा को वसूली योग्य टूर अग्रिम के रूप में सामने आई, जिसमें से केवल 0.50 लाख रुपये की वसूली की गई है और शेष अभी भी लंबित है। मामला सीबीआई के पास लंबित है और कर्मचारी निलंबित है।

यद्यपि, आज तक, पूर्वोक्त मामले की जाँच अभी भी जारी है। टिप्पण संख्या 2.41 देखें।

9. प्रावधान

हम टिप्पण संख्या 2.48 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने 8वीं और 9वीं मंजिल पर नगर निगम के कक्ष संख्या–50 चौरंगी रोड, कोलकाता–71 में 15000 वर्ग फुट क्षेत्र लिया था जिसकी अवधि 30.09.2015 को समाप्त हो गई है और मामला 2016 की संख्या 144 के माध्यम से निर्णय के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजा गया है। पट्टादाता (मैसर्स स्क्वायर फोर एसेट्स मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) ने माननीय एकल पीठ द्वारा पट्टादाता के पक्ष में दिनांक 03.11.2022 को पारित निर्णय के सापेक्ष अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि के संबंध में वर्श 2022 के जीए सं. 18 दिनांक 08.02.2022 द्वारा 5952.70 लाख रुपये (इसमें 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी सम्मिलित) का दावा किया था। कंपनी दिनांक 28.11.2022 को माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में चली गई और 9 जून 2023 को खंडपीठ ने माननीय एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने वित्त वर्ष 21–22 के दौरान 1656.81 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) के लिए युक्तयुक्त रूप से 1659.22 लाख रुपये (31.03.2022 तक 1659.22 लाख रुपये) के दिनांक 31.03.2023 तक संचयी प्रावधान के साथ पट्टा किराये के सापेक्ष प्रावधान किया है। इसे टिप्पण संख्या 2.4 में दीर्घवधिक प्रावधान मद के अंतर्गत विधिवत दर्शाया गया है।

10. राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया

एनआरओ शाखा, 62.22 लाख रुपये का वह राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है और जिसके लिए परियोजना को पूर्ण करने के बाद भी उप–ठेकेदारों से चालान प्राप्त न होने के कारण चालान नहीं दिया गया है। यद्यपि उस परियोजना के लिए पूरा व्यय लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है।

11. कर्मचारियों को संदेय

कर्मचारियों के संबंध में कुल बकाया राशि जिसमें पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं:

विशिष्टि	राशि (लाख रुपये में)
संदेय राशि–कर्मचारी	96.20
कार्यनिश्पादन संबद्ध संदेय वेतन	23.06
तृतीय पीआरसी (वेतन संशोधन) के लिए दायित्व	474.93

12. मूल्यह्रास

एनआरओ शाखा में, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधीन कुछ आस्तियों के मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ विचार की गई उपयोगी जीवन की अवधि गलत है। यदि मूल्यह्रास की सही गणना की गई होती तो ''कंप्यूटर और उपस्कर'', ''फर्नीचर और सज्जा'' और ''कार्यालय और अन्य उपकरण'' का शेष 1.49 लाख रुपये, 1.71 लाख रुपये और 0.07 लाख रुपये अधिक होता। ''मूल्यह्रास और अपाकरण व्यय'' 3.27 लाख रुपये कम होता और रिर्पोटाधीन वर्श के लिए तत्स्थापनी लाभ 3.27 लाख रुपये अधिक होता। गत वर्षों में ऐसी त्रुटियों के प्रभाव, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों में त्रुटि का प्रभाव तात्विक नहीं है, इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।

13. राजस्व मान्यता

राजस्व मान्यता के लिए अपनाई गई पूर्णता पद्धति के प्रतिशत पर टिप्पण संख्या 1(3)(क)/(ख)/(ट) में लेखांकन नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान एनआरओ शाखा ने 1,707.16 लाख रुपये के संर्कम व्यय को मान्यता दी है और उन तीन परियोजनाओं पर पूर्णता प्रतिशत के आधार पर प्रचालन से राजस्व की तत्स्थानी गणना की है जिसके लिए ठेकेदार को साइट–प्रभारी और प्रादेशिक प्रभारी – प्रभारी एवं वित्त प्रभारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस प्रमाणपत्र के साथ संगणना या अनुमान से संबंधित कोई कार्य संबद्धं है। अनुमान की सत्यता को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। साथ ही, हम यह प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्तियों की तकनीकी क्षमता का पता लगाने में भी असमर्थ रहे। यद्यपि, प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों में संभावित भिन्नता के समग्र प्रभाव, एनआरओ शाखा के वित्तीय विवरणों पर इसके तात्विक प्रभाव के संबंध में हमारे पास कोई प्रतिकूल दृष्टि बनाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।

14. एमएसएमई की पहचान

विक्रेताओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रास्थिति की पहचान के लिए टिप्पण संख्या 2.51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान एसएपी में विक्रेता के प्रारंभिक सृजन के समय की जाती है, तदुपरांत विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है।

15. विदेशी शाखा में मुकदमेबाजी

एमओडी ने सी एंड सी ओमान एल.एल.सी. (सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – भारत की अनुशंगी कंपनी) द्वारा दायर मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राथमिक न्यायालय के निर्देश के अनुसार, आरओ 11.35 मिलियन की राशि रोक दी गई थी। ईपीआई ने वाद संख्या 119/1310/2021 का ब्यौरा एकत्र किया है और मस्कट प्राथमिक न्यायालय में अपील दायर की है। दिनांक 11.06.2023 को प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने सी एंड सी (ओमान) एल.एल.सी. के पक्ष में निर्णय जारी किया है। प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को चुनौती देते हुए ईपीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील

दायर की थी और 17 अगस्त, 2023 को न्यायालय में इस अपील पर सुनवाई होनी थी। आगे सी एंड सी (ओमान), एलएलसी ने दिनांक 13.03.2023 को ने इस चल रहे वाणिज्यिक वाद 119/1310/2021 से सहबद्ध ओमान सल्तनत में ईपीआई के सभी लेखाओं, निधियों और बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को जब्त करने के लिए याचिका (294/4104/294) दायर कर दी और प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने दिनांक 14.03.2023 को ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने का न्यायिक निर्णय 124/2023 जारी किया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) को भी इस निर्णय को लागू करने को कहा। तदनुसार, 15 मार्च 2023 को सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.03.2023 को, ईपीआई ने ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्राथमिक न्यायालय में याचिका दायर की। इस की सुनवाई दिनांक 16.04.2023 को पूरी हुई और दिनांक 01.05.2023 को, माननीय प्राथमिक न्यायालय ने मैसर्स सी एंड सी ओमान एलएलसी द्वारा दायर मामले में ईपीआई बैंक खातों को फ्रीज करने के दिनांक 14.03.2023 के आदेश को रद्द करने का निर्णय जारी किया। दिनांक 14–05–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने प्राथमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। दिनांक 06–07–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने ईपीआई के पक्ष में प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अधिक्रमण वाली अपील प्रस्तुत की और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर ली। अपील न्यायालय से इस निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ईपीआई ने इस निर्णय पर विधिक सलाहकार के साथ पुनराविलोकन करने के उपरांत इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है। टिप्पण संख्या 2.53 देखें।

16. विदेशी शाखा में मध्यस्थ

ईपीआईएल के उप–ठेकेदार मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया। दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना द्वारा अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी–अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक तीसरे मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सका था, इसके अतिरिक्त, ओमान के लेखापरीक्षक द्वारा इस लेखापरीक्षा रिपोट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक पक्षकारों और मध्यस्थ के बीच दस्तावेजों का औपचारिक पत्र व्यवहार भी आरंभ नहीं हो पाया है।

17. विदेशी शाखा में बैंक में शेष की संपुष्टि

हमने अनुरोध किया परंतु बैंक मस्कट एसएओजी और भारतीय स्टेट बैंक – ओमान शाखा से शेष राशि की संपुष्टि नहीं की गई है, जिसके अभाव में, हम स्वय संतुष्ट नहीं हो पाये कि क्या सभी संव्यवहार और दायित्व ईपीआईएल ओमान शाखा ने अभिलिखित की हैं या नहीं। हमें सूचित किया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के निर्देशों के अनुसार बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदाई है। अन्य सूचना प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य सूचना से मिलकर बनी है जिसके अंतर्गत मंडल की रिपोर्ट के उपाबंध और शेयरधारकों की सूचना सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।

हमारे मतानुसार एकल वित्तीय विवरण में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना का पठन करना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरण के साथ या लेखा परीक्षा के दौरान अभिप्राप्त हमारी जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से भ्रामक प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अन्य सूचना में तात्विक मिथ्या कथन है, इस तथ्य की रिपोर्ट करने की हमसे अपेक्षा है, इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बात नहीं है।

प्रबंधन और जो एकल वित्तीय विवरणों के शासन के लिए प्रभारी हैं, के उत्तरदायित्व

नियंत्री कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और समूह के नकदी प्रवाह जिसमें इसका संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन भी सम्मिलित हैं, का भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक भी सम्मिलित हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में समूह की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षणय समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करनाय ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण होंय तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की योग्यता, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करना जब तक की निदेशक मंडल या तो कंपनी के परीसमापन की इच्छा ना रखते हैं या प्रसारण बंद करने की इच्छा न रखते है या ऐसा न करने का उनके पास कोई वास्तविक विकल्प ना हो। निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का भी पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदाई है।

लेखापरीक्षकों का एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन अभिप्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप में एकल वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटि के कारण तात्विक मिथ्या कथन से स्वतंत्र हैं या नहीं और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार संचालित की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्या कथन का पता लगाएगी जब वह विद्यमान हो। मिथ्या कथन किसी कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त संभावना हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं, हमः

- एकल वित्तीय विवरणों के तात्विक नित्य कथन के जोखिम का पता लगाते हैं और निर्धारण करते हैं चाहे यह कपट या त्रुटि, डिजाइन के कारण हो और इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और समुचित हो फुल शॉप किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप तांत्रिक विद्या कथन का पता ना लगाने का जोखिम उच्च जोखिम से अधिक है जो किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है क्योंकि किसी कपट में मिलीभक्त, कपट, जानबूझकर भूल, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण को और प्रभावी करना शामिल होता है।

- आंतरिक नियंत्रण पर एक समझ प्राप्त करना जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन करने के लिए सुसंगत हैं जो परिस्थितियों में समुचित हो। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अनुसार हम इस पर भी अपनी राय

व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनो का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के चालू समुत्थान के आधार पर संचिता का निष्कर्ष और अभी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या चीटियों से संबंधित कोई तांत्रिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की चालू संविधान के आधार पर योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण आक्षेप करती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, हमसे हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है जो एक कल वित्तीय विवरणों में प्रकटन से संबंधित है, या यदि ऐसा प्रकट अपर्याप्त है तो हमारे मत को अंतरित किया जाना है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों पर आधारित है। यदि पी भाभी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक चालू समथान के रूप में बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- एकल वित्तीय विवरणों जिसके अंतर्गत प्रकटन है के समग्र प्रस्तुतीकरण ढांचे और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन और क्या एकल वित्तीय विवरण किए गए संभावनाओं को और घटनाओं को ऐसी रीति में दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके।

एकल वित्तीय विवरणों में नित्य कथनों की मात्रा व्यष्टिक रूप से यह समग्र रूप से तात्विक है, इस बात को संभाव्या बनाती है कि वित्तीय विवरणों की युक्ति युक्त जानकारी रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। हम गुणात्मक तत्वों और गुणात्मक कारकों पर (i) हमारी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचाने गए मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं ।

हम उन लोगों के साथ संपर्क करते हैं जिनके ऊपर अन्य विषयों के साथ लेखा परीक्षा के योजना बनाए गए इसको और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी है जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है कि प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है।

हम उनको, जो प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जो हमने सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ स्वतंत्रता के संबंध में तैयार किया है और हम उनके साथ सभी नातेदारी और अन्य विषयों के साथ संपर्क करते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रभाव पड़ता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा पाए करते हैं।

हम उनके, जो शासन के लिए उत्तरदाई हैं, साथ संपर्क किए गए मामले से हम उन विषयों को स सूचित करते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा विषय हैं। हम हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक की विधिया नियमों द्वारा उन विषयों का प्रकटन अकबर जितना हो या तब जब अत्याधिक दुर्लभ परिस्थितियों में हम अवधारित करते हैं कि उस विषय को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी संसूचना के लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव होंगे।

अन्य मामले

हमने कंपनी की एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल 4 (चार) प्रादेशिक कार्यालयों और 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिन्हें कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जिनकी विवरणियां/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2023 (31 मार्च, 2022) की स्थिति के अनुसार कुल 2,10,090 लाख रुपए (1,91,761 लाख रुपए) की कुल अस्तियों, 2,05,633 लाख रुपये (1,92,291 लाख रुपये) के कुल दायित्व तथा उस तारीख की स्थिति के अनुसार 1,13,928 लाख़ रुपए (74,056 लाख रुपए) के कुल राजस्व को जैसाकि एकल वित्तीय

विवरणियों में माना गया है, प्रदर्शित करती है। इन कार्यालयों/शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/सूचना की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारे मतानुसार इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई धनराशियों और प्रकटन का संबंध है केवल ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस विशय के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(ई) के निबंधनों में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

2. हमने, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित आदेश के पैरा 3 और पैरा 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण लागू होने के परिमाण तक, **"उपाबंध क"** पर दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त किये जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारे मतानुसार जहां तक लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं (और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरण या शाखाओं से जिनका हमने दौरा नहीं किया है प्राप्त कर ली गई हैं)।

ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(घ) हमारे मतानुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आधिससूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5.06.2015 के निबंधनों में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी **उपाबंध "ख"** पर पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(क) कंपनी के कुछ लंबित मुकदमे हैं जिनका कंपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पण सं. 2.26 देखें।

ख) कंपनी ने कोई ऐसी दीर्घावधिक संविदांए नहीं की थी जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं भी सम्मिलित हैं, जिन पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान, थे।

ग) ऐसी कोई धनराशि नहीं थी जिसे निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करना अपेक्षित था।

घ) लोप कर दिया गया।

(ङ) (i) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी, अन्य व्यक्ति या किसी निकाय को जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा किन्ही निधियों को अग्रिम के रूप में यह ऋण के रूप में या निवेश के रूप में नहीं प्रदान किया है की चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें किसी भी रूप में कंपनी द्वारा यह उसके निमित्त (वास्तविक लाभार्थी) पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या निकाय को ऋण के रूप में या विधान के रूप में नहीं दिया जाएगा या वास्तविक लाभाथी की ओर से गारंटी, प्रतिभूति,या इसी तरह कुछ प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ii) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किन्ही व्यक्तियों या निकायों जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (वित्त पोषण करने वाले पक्षकार) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है कि कंपनी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्ति या निकायों को वित्त पोषण करने वाले पक्ष कार (वास्तविक लाभार्थी) द्वारा या उनके निमित्त उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या गारंटी, प्रतिभूति,या इसी तरह कुछ प्रदान नहीं किया जाएगा।

ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में युक्तियुक्त और समीचीन समझा गया है उनकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमारा यह विश्वास हो कि उपखंड (ङ) (i) और उपखंड (ङ) (ii) मै कोई तात्विक मिथ्या कथन सम्मिलित है।

(च) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा यह संदाय नहीं किया गया है।

(छ) कंपनी ने अपनी लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए ''एसएपी'' लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा अभिखित करने की सुविधा उपलब्ध है और इसे सॉफ्टवेयर और लेखापरीक्षा में अभिलिखित सभी संव्यवहार के लिए पूरे वर्ष प्रचालित किया गया है। ट्रेल सुविधाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी ने ऑडिट ट्रेल को अभिलेख प्रतिधारण के लिए सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी संरक्षित किया है।

4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के के अधीन जारी निदेशों के अनुसरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई कंपनी की 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट के संबंध में हमारी **उपाबंध "ग"** पर पृथक रिपोर्ट देखें।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

ह०/–
(संजय कुमार गुप्ता)
(पदनामित भागीदार)
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20.07.2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडजे5311

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का "उपाबंध–क"

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड "(ईपीआईएल") के समसंख्यक तारीख की एकल वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्ष के अधीन पैरा 2 में उल्लिखितः

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर सही और उचित दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा लेखावहियों और हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के साधारण प्रक्रम में जांच किए गए अन्य अभिलेखों पर विचारण को गणना में लेते हुए अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

I. (क) (अ) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत नियत आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और प्रास्थिति है समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(आ) अमूर्त असेट्स की सारी विशिष्टियों को दर्शातु हुए कंपनी ने समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) प्रबंधन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का उचित अंतराल पर नियमित कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापन करता है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और उसकी आस्तिसों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अंतराल उचित है। ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां संज्ञान में नहीं आई।

(ग) निष्पादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और कंपनी के अभिलेखों के अनुसार सभी स्थावर संपत्तियों के हक विलेख, (सिवाय उन संपत्तियों के जहां कंपनी पट्टा धृति है और पट्टा करार समीक्षा पट्टा धृति के पक्ष में निष्पादित हैं) सिवाय निम्नलिखित के, कंपनी के नाम में धृत हैं:–

संपत्ति का विवरण	समग्र वहन मूल्य	स्वत्व विलेख जिसके नाम पर है	या स्वत्व विलेख धारक कोई संप्रवर्तक, निदेशक या किसी संप्रवर्तक/निदेशक का संबंधीरु या संप्रवर्तक'/निदेशक का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण**
स्कोप कॉम्प्लैक्स नई दिल्ली में भवन	374.42	स्कोर कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली	जी, नहीं	14–03–1988	संबंधित प्राधिकरण के समक्ष विषय उठाया गया है

(घ) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर या अमूर्त आस्तियों (आस्तियों का को उपयोग करने के अधिकार सहित) या दोनों का वर्ष के दौरान उन्हें मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

II. (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान युक्तियुक्त अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया। ऐसे सत्यापन की आवृत्ति और प्रक्रियाएं तथा कवरेज जिसका प्रबंधन अनुसरण करता है उपयुक्त थी। भौतिक सत्यापन और लेखाबही के बीच सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो माल सूची के प्रत्येक वर्ग के योग से 10 प्रतिशत से अधिक थी, नहीं पाई गई ।

(ख) कंपनी को कुल मिलाकर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर पांच करोड रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी की सीमा मंजूर की गई हैय कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में फाइल की गई त्रैमासिक रिटर्न आया विवरणों के बीच हमारे मतानुसार कोई तात्विक विसंगति नहीं है, यह कंपनी की लेखाबहियों के अनुसार हैं।

III. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनियों, फर्मों या सीमित दायित्व भागीदारों या अन्य पक्षकारों को न तो कोई प्रतिभूति या सक्योरिटी प्रदान की है न ही प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को वर्ष के दौरान प्रदान किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(iii) (क), 3(iii) (ख) और 3(iii) (ग) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

IV. कंपनी ने निवेश के संबंध में धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मतानुसार कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और धारा 186 के निबंधनों में कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।

V. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से धारा 76 या अधिनियम के किन्ही अन्य सुसंगत और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के पैरा 3(v) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

VI. केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अधीन लागत अभिलेखों का अनुरक्षण विहित किया है। सभी लागत अभिलेखों को प्रादेशिक कार्यालय में रखा जाता है और उनकी संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाती है और प्रथम दृष्टया हमारा यह मत है कि विहित लागत अभिलेख बनाए गए और रखे गए हैं। हमारे पास उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

VII. (क) प्रबंधन द्वारा यथा सूचित कंपनी समुचित प्राधिकरणों को विवादास्पद और सांविधिक देय को जमा करने में नियमित रही है जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, सीमा शुल्क, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर तथा अन्य यथा लागू सांविधिक देय हैं ।

ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार समुचित प्राधिकरण के पास किसी सांविधिक विवादास्पद देय के लिए 4150.05 लाख रुपए के विवादास्पद सांविधिक देय थे।

संविद का नाम	देय की प्रकृति	धनराशि (लाख रुपय में)	वह अवधि जिससे धनराशि संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है	जमा की गई राशि (लाख रुपय में)
आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम	वैट मांग	44-49/-	निर्धारण वर्ष 2008–09 और 2009–10	माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद	
व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	डी– वैट ब्याज एवं शास्ति	14.48/-	2017–18	व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	
व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	–वैट, ब्याज एवं शास्ति	58.30/-	2015–16	व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	8.73/-	1993–94	विक्रय कर अधिकरण	
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति भी सम्मिलित है	418.64	वित्त वर्ष 2005–06 से 2007–08	सीईएसटीएटी, कोलकाता	
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति भी सम्मिलित है	37.46	वित्त वर्ष 2010–11 से 2012–13	सीईएसटीएटी, कोलकाता	
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति भी सम्मिलित है	91.95	वित्त वर्ष 2011–12 से 2015–16	सीईएसटीएटी, कोलकाता	
सेवा कर विधि	सेवा कर जिसके अंतर्गत ब्याज और शास्ति भी सम्मिलित है	35.82	वित्त वर्ष 2004–05 से 2005–06	सीईएसटीएटी, कोलकाता	
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल वैट	494.88	वित्त वर्ष 2007–08, 2015–16 एवं 2017–18	पश्चिम बंगाल वाणिज्य कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (₹ in Lacs)	Period to which Amount Relates	Forum where dispute is pending	Amount Deposited (₹ in lacs)
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल वैट	580.66	वित्तवर्ष 2012–13 एवं 2016–17	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (प्रथम अपील) पश्चिम बंगाल	
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पश्चिम बंगाल वैट	2364.66	वित्तवर्ष 2005–06, 2009–10, 2011–12, 2013–14 एवं 2014–15	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	

VIII. कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर निर्धारण में लेखाबहियों में पूर्व में आय के रूप में अभिलिखित नहीं किए गए किन्ही संव्यवहारों का अभ्यर्पण या प्रकटन नहीं किया है।

IX. (क) कंपनी ने किन्ही उधारों या अन्य ऋणों या उन पर ब्याज के संदाय में किसी लेनदार के प्रति कोई व्यतिक्रम नहीं किया है ।

(ख) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य लेनदार द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी नहीं घोषित किया गया है

(ग) आवधिक ऋणों को उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) अल्प अवधि के लिए ली गई निधियों का उपयोग दीर्घावधिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया।

(ङ) कंपनी ने अपनी अनुषंगी, एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों के लिए बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी निकाय या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने अपनी अनुषंगियों, एसोसिएट या संयुक्त उद्यमों मै धृत सिक्योरिटी को गिरवी रख कर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

X. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक/और लोक प्रस्ताव के द्वारा कोई धन एकत्रित नहीं किया है (जिसके अंतर्गत ऋण लिखत भी सम्मिलित है)। इसलिए आदेश का खंड 3(ग)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या सम परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्णतया, भारतीय, या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमानी आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है। इसलिए आदेश का खंड 3(ग)(ख) लागू नहीं होता है

XI. क) अंगीकृत लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई सूचना और स्पष्टीकरण ओं के आधार पर, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर किए गए किसी कपट को नोटिस नहीं किया गया है या उसकी रिपोर्ट नहीं की गई है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने ईपीआई के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध मामला रजिस्टर किया है और एफआईआर फाइल की है। ये तीनों मामले निविदा प्रदान करने के लिए ईपीआई के अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा कथित अवैध रिश्वत लेने के संबंध में है, एक मामला वित्त वर्ष 2022–23 में बैंक धोखाधड़ी का है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है ईपीआई को उक्त एफआईआर में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसके एकल वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। इन तीन मामलों में जांच अभी भी जारी है (टिप्पण संख्या 2.41 देखें)।

(ख) लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत यथा विहित प्ररूप एडीटी –4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के अधीन केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई सूचना प्रदाता शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

XII. कंपनी चिटफंड या निधि/पारस्परिक लाभप्रद न्यास/सोसाइटी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xii)(क) से खंड 3(xii)(ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XIII. संबंधित पक्षकारों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और धारा 188, जहां लागू होती हैं के अनुपालन में है और वर्ष के दौरान संव्यवहार के ब्योरों का एकल वित्तीय विवरणों में प्रकटन कर दिया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है। एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पण संख्या 2.33 देखें।

XIV. (क) कंपनी की उसके आकार और कारबार की प्रकृति के अनुसार एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखा परीक्षा की अवधि की तारीख तक कंपनी द्वारा जारी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार कर लिया है।

XV. कंपनी निदेशक हो या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी गैर नकदी संव्यवहार में प्रवेश नहीं हुई है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XVI. (क) कंपनी से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–झक के अधीन रजिस्टर्ड होने की अपेक्षा नहीं है। आदेश का खंड 3(XVI)(क) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने कोई गैर बैंककारी वित्तीय या आवास वित्तीय कार्यकलाप संचालित नहीं किए हैं। आदेश का खंड 3(XVI)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3(XVI)(ग)कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(घ) समूह का कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार आदेश का खंड 3(XVI)(घ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

XVII. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वित्त वर्ष में नकदी हानि नहीं हुई है किंतु वित्त वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष में 6143.34 लाख रुपए की हानि हुई है।

XVIII. वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए आदेश का खंड 3(XVIII) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

XIX. वित्तीय अनुपात, समय के साथ और वित्तीय एसेट्स की वसूली की संभावित तारीख तथा वित्तीय दायित्वों के संदाय, वित्तीय विवरणों से संलग्न अन्य सूचना के आधार पर, निदेशक बोर्ड की हमारी जानकारी और प्रबंधन योजना, उप धारणा के समर्थन में साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारा यह मत है कि इस संबंध में की क्या कंपनी तुलन पत्र की विद्यमान तारीख को अपने दायित्वों को जब वह देय होते हैं, पूरा करने में सक्षम है या नहीं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट करने की तारीख को कोई अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हम या और कथन करते हैं कि हमारी रिपोर्ट लेखा परीक्षा की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और ना ही हम इस संबंध में कोई प्रतिभूति या आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा होने के लिए आने वाले सभी दायित्वों का कंपनी द्वारा जब कभी वह देय होते हैं उन्मोचन कर दिया जाएगा।

XX. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन किसी परियोजना के अनुसरण में, खर्च न की गई कोई रकम शेष है। तदनुसार आदेश के खंड 3(XX)(क) एवं 3(XX)(ख) लागू नहीं होते।

XXI. लागू नहीं।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

ह०/–
(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 जुलाई 2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडजे5311

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध–ख

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड "(ईपीआईएल") के समसंख्यक तारीख की एकल वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्ष के अधीन पैरा 3 के उप पैरा (च) में उल्लिखितः

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (प) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (''कंपनी'') की 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भाखा की एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षित रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की निवलता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह शाख की नीतियां सहित अपने कारबार का व्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से निश्चय कर सकें।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्तियुक्त विवरण, निवलता और न्यायोचित रूप से कंपनी की आस्तियों, के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं;

2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा है; और

3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या भाखा की आस्तियों के निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मतानुसार सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि व्यापार प्राप्य, व्यापार संदेय एवं अन्य पक्षकारों से भोश की संपुष्टि एवं मिलान प्राप्त करने में सुधार की आवश्यकता है।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

ह०/–
(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 जुलाई 2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडजे5311

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का उपाबंध 'ग'

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी सम संख्यंक तारीख की रिपोर्ट के "अन्य विधिक विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट" शीर्ष के अधीन पैरा 4 में उल्लिखितः

वित्त वर्ष 2020–22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश पर रिपोर्ट

क्र.सं.	निदेश	प्रत्युतर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है ? यदि हां तो वित्तीय विविक्षताओं के साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखाओं की विविक्षतांओं का उल्लेख करें।	कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है। कंपनी ने एसएपी प्रणाली पर लेखों को अनुरक्षित किया है।
2.	क्या कंपनी की किसी विद्यामान ऋण या पुनर्संदाय करने में असमर्थता के कारण किसी उधार दाता द्वारा दिए गए ऋण/उधार/ब्याज आदि के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्रचना किया गया है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का कथन किया जाए।क्या ऐसे मामलों को उचित रूप से गणना में लिया गया है? (यदि उधार दाता सरकारी कंपनी है तो यह निवेश उधार दाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों के हमारी जांच के आधार पर किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्रचना नहीं है या किसी विद्यमान उधार या उधार दाता द्वारा दिए गए किसी उधार/ऋण/ब्याज के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।
3.	केंद्रीय/राज्य अभिकरण से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उचित रूप से निबंधन और शर्तों के अनुसार गणना में लिया गया है/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर विशिष्ट स्कीमों के लिए केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

ह॰/–
(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 जुलाई 2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडजे5311

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप निदेशों के अनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा की है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निदेशों/उप निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

ह०/–
(संजय कुमार गुप्ता)
(पदनामित भागीदार)
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 जुलाई 2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडजे5311

लेखापरीक्षकों की अर्हता का प्रत्युत्तर (एकल वित्तीय विवरण)

क्र.सं.	लेखापरीक्षक की योग्यता	कंपनी का प्रत्युत्तर
1.	लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार के अनुसार केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद पड़ी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम इनके भोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्ष तक की वसूली के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि भोध्य राशि 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया है तो परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए संदेहास्पद कर्ज/ऋण और अग्रिम के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। अतः प्राप्य संदेहास्पद ऋणों के सापेक्ष प्रावधान उन शोध्यों के लिए नहीं किया जाता है जो विवादाधीन हैं और जिनमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और जो 10 वर्ष से कम समय से प्राप्य है। क) जैसा कि शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 10 वर्षों से अधिक के व्यापार प्राप्य /अन्य अग्रिम/ग्राहक, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य/प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन/विवादित बकाया राशि 3600.80 लाख रुपये है, जिसमें से नीति में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में संदेहास्पद ऋण के लिए 499.58 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, वर्ष के लाभ में 3101.22 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है। ख) डब्ल्यूआरओ शाखा में, उप–ठेकेदार को किए गए अग्रिम संदाय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यद्यपि उप–ठेकेदार 1066.23 लाख रुपये के दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन/मुकदमेबाजी के अधीन है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 1066.23 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है और अन्य चालू आस्तियों (विक्रेताओं से वसूली योग्य) को इतनी ही राशि का अधिक उल्लेख हुआ है।	<u>मौजूदा लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार</u> केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम उनके भोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्षों तक वसूली के लिए अच्छी मानी जाती है। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ अधिकरण/न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि परियोजना के आधार पर कोई निवल प्राप्य राशि प्रबंधन द्वारा मामले के पिछले अनुभव/प्रगति/मूल्यांकन किये जाने के आधार पर 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, तो उक्त के लिए संदिग्ध ऋणों/ऋणों और अग्रिमों के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम पर बट्टे खाते में डाल दिये जाते हैं जब उनकी वसूली प्राप्य समझी जाती है। मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय में लंबित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। ऊपर दर्शाया गया निवल प्राप्य से तात्पर्य है कि ग्राहक की ओर से कुल भोध्य राशि, संबंधित परियोजना के उपठेकेदारों को संदेय राशि से घटाई गयी है। तदनुसार प्रावधान किये जा रहे हैं।
2.	मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" 60 प्रतिशत का स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार इस समय एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।	कंपनी इस मामले में परिसमापक से निरंतर संपर्क में है।

लेखापरीक्षकों की अर्हता का प्रत्युत्तर (एकल वित्तीय विवरण)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>व्यापार प्राप्यों, संकर्म के लिए अग्रिम, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम तथा प्राप्यों के निम्नलिखित शेष के संबंध में शेष की सकारात्मक बाह्य संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि के उपलब्ध न होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में हम असमर्थ हैं।

<table><tr><th>विशिष्टियां</th><th>धनराशि (लाख रुपए में)</th></tr><tr><td>संकर्म के लिए अग्रिम</td><td>7021.46</td></tr><tr><td>प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन</td><td>33277.11</td></tr><tr><td>व्यापार प्राप्य</td><td>19769.37</td></tr><tr><td>अन्य वसूली योग्य</td><td>47617.21</td></tr></table>
यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, नकारात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।</td><td>व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम तथा प्रतिधारण धन और प्रतिभूति जमा के शेष की संपुष्टि में कंपनी निरंतर पिछले कई वर्षों से पूरे उद्योग में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, प्रथा का पालन कर रही है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>निम्नलिखित व्यापार प्राप्य, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन शेष की सकारात्मक संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि उपलब्ध ना होने के कारण वित्तीय विवरणों पर उद्भूत होने वाले किसी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।

<table><tr><th>विशिष्टियां</th><th>धनराशि (लाख रुपए में)</th></tr><tr><td>व्यापार संदेय</td><td>80324.89</td></tr><tr><td>प्रतिभूति जमा, प्रतिधारण धन एवं बयाना राशि</td><td>37595.21</td></tr><tr><td>प्राप्त अग्रिम</td><td>66000</td></tr><tr><td>ग्राहक को अन्य संदेय</td><td>783.87</td></tr></table></td><td>व्यापार प्राप्य और अन्य पक्षकारों को संदेय के शेष की संपुष्टि में कंपनी निरंतर पिछले कई वर्षों से पूरे उद्योग में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, प्रथा का पालन कर रही है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, नकारात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।	
3.	विवाद/बातचीत के अधीन संविदाओं के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से उद्भूत परिसमाप्त नुकसान को अंतिम निपटान तक संदेय/प्राप्य नहीं माना जाता है, निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा 63.80 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 57.11 लाख रुपये) रोक दिये गये हैं और इसका प्रकटन अन्य गैर–चालू आस्तियां ''ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के रूप में किया गया है।	लेखांकन नीतियों के खंड (3) उप खंड (छ) के अनुसार यदि एलडी के सापेक्ष रोकी गई कोई राशि संदेय/प्राप्य नहीं मानी जाती है और अंतिम निपटारे तक उसे लेखाबद्ध नहीं किया जाता है।
4.	कंपनी ने द्वितीय तल, कोर–3 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली का परिसर मैसर्स कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड (सीईएसएल) को किराए पर दिया है। पट्टा करार के अनुसार, पट्टेदार को किराए के विलंब से संदाय पर एसबीआई एमसीएलआर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान 2022–23 पट्टेदार ने समय पर किराया नहीं चुकाया है, तदनुसार पट्टेदार से 46.50 लाख रुपये का ब्याज वसूला जाना है, किंतु उसे दर्शाया नहीं गया है। तदनुसार आय में 46.50 लाख का कम उल्लेख हुआ है।	विवेक के सिद्धांत के आधार पर दावे के कारण राजस्व को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। यह मामला मैसर्स कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड (सीईएसएल) के विचाराधीन है।
5.	कंपनी की वसूली योग्य टीडीएस, संदत्त अग्रिम कर और आयकर दायित्व से वसूलनीय टीसीएस की उनके संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ही अंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात पद्धति है। यद्यपी यह उल्लेख करना सुसंगत है कि उक्त नीति के कारण वसूली योग्य टीडीएस, अग्रिम कर और वसूली योग्य टीसीएस की धनराशियों द्वारा आस्तियों और दायित्व का अधिक उल्लेख हुआा है। क्योंकि इनका वित्तीय प्रभाव तात्विक नहीं है इसलिए हम उन पर अपनी राय अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.11 और टिप्पण संख्या 2.17 देखें।	कंपनी आयकर रिटर्न भरते समय कर निर्धारण की जगह समायोजन प्रविष्टि करेगी। हालाँकि, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आयकर लेखा में शून्य देनदारी है।
6.	ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी,	ईओएम में बताई गई बात तथ्यात्मक है और दिनांक 11.03.2022 को इसकी 278वीं बैठक में निदेशक मंडल को पहले ही संसूचित किया जा चुका है।

क्र.सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	आपके पत्र के माध्यम से (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राश्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निश्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र माध्यम से अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निश्पादन न होने पर भोध्य के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) देखें।	
7.	वित्तीय विवरण, दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम – ''अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अग्रिम) की ''टिप्पण संख्या 2. 11 देखें जिसमें संकर्म संविदा कर/वैट के लिए 1314.77 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। जैसा कि हमें बताया गया है, यह कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है और ग्राहकों और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य है। जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ऐसे दावे परियोजना के पूरा होने के समय अंतिम निपटान के साथ और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों के साथ अंतिम मूल्यांकन के समय ग्राहक से किए जाते हैं। हालाँकि, ग्राहकों/कर प्राधिकरणों के पास ऐसे दावों के दस्तावेज/संपुष्टि हमारे सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराए गये हैं, दावों के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में हम उनकी पुनर्प्राप्ति/उचितता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान मामले की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो अपेक्षित समायोजन प्रविष्टियाँ पास की जाएंगी।
8.	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 5 मामले रजिस्टर किए गए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें ''कंपनी'' पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के धन की धोखाधड़ी/दुरुपयोग का भी 01 मामला भी दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है। वित्तीय वर्ष में 22–23 कंपनी में श्री अक्षत अनेजा (सहायक प्रबंधक, वित्त) द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की गई है, जो म्यांमार परियोजना के साथ–साथ कॉर्पोरेट कार्यालय वित्त के बैंकिंग प्रभाग में कार्यरत थे। इसमें निहित राशि की मात्रा का पता लगाने के लिए आंतरिक समिति का गठन किया गया था, जो अंततः 48.11 लाख रुपये और ₹8.50 लाख श्री अक्षत अनेजा को वसूली योग्य टूर अग्रिम के रूप में सामने आई, जिसमें से केवल 0.50 लाख रुपये की वसूली की गई है और शेष अभी भी लंबित है। मामला सीबीआई के पास लंबित है और कर्मचारी निलंबित है।	यह मामला पहले ही निदेशक मंडल के संज्ञान में लाया जा चुका है। निदेशक मंडल के निर्देशानुसार मामले को तदनुसार निपटाया जा रहा है। सतर्कता प्रभाग द्वारा ऐसे मामलों की प्रगति की आगे की रिपोर्टिंग निदेशक मंडल को समय–समय पर की जा रही है।

क्र.सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	यद्यपि, आज तक, पूर्वोक्त मामले की जाँच अभी भी जारी है। टिप्पण संख्या 2.41 देखें।	
9.	हम टिप्पण संख्या 2.48 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने 8वीं और 9वीं मंजिल पर नगर निगम के कक्ष संख्या–50 चौरंगी रोड, कोलकाता–71 में 15000 वर्ग फुट क्षेत्र लिया था जिसकी अवधि 30.09.2015 को समाप्त हो गई है और मामला 2016 की संख्या 144 के माध्यम से निर्णय के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजा गया है। पट्टादाता (मैसर्स स्क्वायर फोर एसेट्स मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) ने माननीय एकल पीठ द्वारा पट्टादाता के पक्ष में दिनांक 03.11.2022 को पारित निर्णय के सापेक्ष अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि के संबंध में वर्श 2022 के जीए सं. 18 दिनांक 08.02.2022 द्वारा 5952.70 लाख रुपये (इसमें 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी सम्मिलित) का दावा किया था। कंपनी दिनांक 28.11.2022 को माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में चली गई और 9 जून 2023 को खंडपीठ ने माननीय एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने वित्त वर्ष 21–22 के दौरान 1656.81 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) के लिए युक्तयुक्त रूप से 1659.22 लाख रुपये (31.03.2022 तक 1659.22 लाख रुपये) के दिनांक 31.03.2023 तक संचयी प्रावधान के साथ पट्टा किराये के सापेक्ष प्रावधान किया है। इसे टिप्पण संख्या 2.4 में दीर्घवधिक प्रावधान मद के अंतर्गत विधिवत दर्शाया गया है।	निदेशक मंडल की दिनांक 22.11.2021 को आयोजित 277वीं बैठक में और उसके उपरांत दिनांक 06.07.2022 को आयोजित 279वीं बैठक में भी निदेशक मंडल को इस मामले से अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मंडल की आगामी बैठकों में इसके समापन तक इसकी सूचना दी जाती रहेगी।
10.	एनआरओ शाखा, 62.22 लाख रुपये का वह राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है और जिसके लिए परियोजना को पूर्ण करने के बाद भी उप–ठेकेदारों से चालान प्राप्त न होने के कारण चालान नहीं दिया गया है। यद्यपि उस परियोजना के लिए पूरा व्यय लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है।	ग्राहकों पर चालान नहीं बनाए जा सके क्योंकि उप–ठेकेदारों से संबंधित चालान प्राप्त नहीं हुए। मामले के समाधान के लिए चालू वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।
11.	कर्मचारियों के संबंध में कुल बकाया राशि जिसमें पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं:	1. 96.20 लाख रुपये की राशि सामान्य अवधि में शोध्य है और समुचित समय पर भुगतान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>धनराशि (लाख रुपए में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>संदेय राशि–कर्मचारी</td><td>96.20</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कार्यनिष्पादन संबद्ध संदेय वेतन</td><td>23.06</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>तृतीय पीआरसी (वेतन संशोधन) के लिए दायित्व</td><td>474.93</td></tr>
</table>
</td><td>2. संबंधित कर्मचारियों से आवश्यक अद्यतन विवरण प्राप्त होने के उपरांत पीआरपी राशि का भुगतान समुचित समय पर किया जाएगा।

3. तृतीय पीआरसी से संबंधित बकाया राशि का आंशिक भुगतान कर दिया गया है। 474.93 लाख रुपये की संदेय राशि का भुगतान समुचित समय पर कर दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधीन कुछ आस्तियों के मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ विचार की गई उपयोगी जीवन की अवधि गलत है। यदि मूल्यह्रास की सही गणना की गई होती तो ''कंप्यूटर और उपस्कर'', ''फर्नीचर और सज्जा'' और ''कार्यालय और अन्य उपकरण'' का शेष 1.49 लाख रुपये, 1.71 लाख रुपये और 0.07 लाख रुपये अधिक होता। ''मूल्यह्रास और अपाकरण व्यय'' 3.27 लाख रुपये कम होता और रिर्पोटाधीन वर्श के लिए तत्स्थापनी लाभ 3.27 लाख रुपये अधिक होता। गत वर्षों में ऐसी त्रुटियों के प्रभाव, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों में त्रुटि का प्रभाव तात्विक नहीं है, इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।</td><td>जैसा कि लेखा परीक्षक ने बताया है कि राशि तात्विक नहीं है। हालाँकि भविष्य में यथोचित सावधानी बरती जाएगी।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>राजस्व मान्यता के लिए अपनाई गई पूर्णता पद्धति के प्रतिशत पर टिप्पण संख्या 1(3)(क)/(ख)/(ट) में लेखांकन नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान एनआरओ शाखा ने 1,707.16 लाख रुपये के संर्कम व्यय को मान्यता दी है और उन तीन परियोजनाओं पर पूर्णता प्रतिशत के आधार पर प्रचालन से राजस्व की तत्स्थानी गणना की है जिसके लिए ठेकेदार को साइट–प्रभारी और प्रादेशिक प्रभारी – प्रभारी एवं वित्त प्रभारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस प्रमाणपत्र के साथ संगणना या अनुमान से संबंधित कोई कार्य संबद्धं है। अनुमान की सत्यता को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। साथ ही, हम यह प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्तियों की तकनीकी क्षमता का पता लगाने में भी असमर्थ रहे। यद्यपि, प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों में संभावित भिन्नता के समग्र प्रभाव, एनआरओ शाखा के वित्तीय विवरणों पर इसके तात्विक प्रभाव के संबंध में हमारे पास कोई</td><td>यह तथ्यात्मक स्थिति है जो टिप्पण 3(ख) में दिखाई दे रही है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
	प्रतिकूल दृष्टि बनाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।	
14.	विक्रेताओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रास्थिति की पहचान के लिए टिप्पण संख्या 2.51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान एसएपी में विक्रेता के प्रारंभिक सृजन के समय की जाती है, तदुपरांत विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है।	विक्रेताओं से ऐसी किसी भी सूचना की प्राप्ति पर विक्रेताओं की प्रास्थिति अद्यतन की जाती है।
15.	एमओडी ने सी एंड सी ओमान एल.एल.सी. (सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – भारत की अनुशंगी कंपनी) द्वारा दायर मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राथमिक न्यायालय के निर्देश के अनुसार, 11.35 मिलियन की राशि रोक दी गई थी। ईपीआई ने वाद संख्या 119/1310/2021 का ब्यौरा एकत्र किया है और मस्कट प्राथमिक न्यायालय में अपील दायर की है। दिनांक 11.06.2023 को प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने सी एंड सी (ओमान) एल.एल.सी. के पक्ष में निर्णय जारी किया है। प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को चुनौती देते हुए ईपीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी और 17 अगस्त, 2023 को न्यायालय में इस अपील पर सुनवाई होनी थी। आगे सी एंड सी (ओमान), एलएलसी ने दिनांक 13.03.2023 को ने इस चल रहे वाणिज्यिक वाद (294/4104/294) से सहबद्ध ओमान सल्तनत में ईपीआई के सभी लेखाओं, निधियों और बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को जब्त करने के लिए याचिका 110/1310/2021 दायर कर दी और प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने दिनांक 14.03.2023 को ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने का न्यायिक निर्णय 124/2023 जारी किया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) को भी इस निर्णय को लागू करने को कहा। तदनुसार, 15 मार्च 2023 को सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.03.2023 को, ईपीआई ने ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्राथमिक न्यायालय में याचिका दायर की। इस की सुनवाई दिनांक 16.04.2023 को पूरी हुई और दिनांक 01.05.2023 को, माननीय प्राथमिक न्यायालय ने मैसर्स सी एंड सी ओमान एलएलसी द्वारा दायर मामले में ईपीआई बैंक खातों को फ्रीज करने के दिनांक 14.03.2023 के आदेश को रद्द करने का निर्णय जारी किया। दिनांक 14–05–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने प्राथमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। दिनांक 06–07–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने ईपीआई के पक्ष में प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अधिक्रमण वाली अपील प्रस्तुत की और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर ली। अपील न्यायालय से इस निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ईपीआई ने इस निर्णय पर विधिक सलाहकार के साथ पुनराविलोकन करने के उपरांत इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है। टिप्पण संख्या 2.53 देखें।	यह तथ्यात्मक स्थिति है जो टिप्पण 2.53 में दिखाई दे रही है।

क्र.सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
16.	ईपीआईएल के उप–ठेकेदार मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया। दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना द्वारा अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी–अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक तीसरे मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सका था, इसके अतिरिक्त, ओमान के लेखापरीक्षक द्वारा इस लेखापरीक्षा रिपोट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक पक्षकारों और मध्यस्थ के बीच दस्तावेजों का औपचारिक पत्र व्यवहार भी आरंभ नहीं हो पाया है।	यह तथ्यात्मक स्थिति है।
17.	हमने अनुरोध किया परंतु बैंक मस्कट एसएओजी और भारतीय स्टेट बैंक – ओमान शाखा से शेष राशि की संपुष्टि नहीं की गई है, जिसके अभाव में, हम स्वय संतुष्ट नहीं हो पाये कि क्या सभी संव्यवहार और दायित्व ईपीआईएल ओमान शाखा ने अभिलिखित की हैं या नहीं। हमें सूचित किया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के निर्देशों के अनुसार बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।	भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट से 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार बैंक विवरणी डाउनलोड कर लेखा परीक्षकों को उपलब्ध करा दी गई है और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बैंक मस्कट में कोई संव्यवहार नहीं हुआ। हालाँकि, एसबीआई–मस्कट और बैंक मस्कट से शेष राशि की संपुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया था लेकिन उन्होंने इसे प्रदान करने से इनकार कर दिया क्योंकि माननीय प्राथमिक न्यायालय–मस्कट के निर्देशों का पालन करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान द्वारा ईपीआई के बैंक खाते जब्त कर लिये गये हैं।

एकल तुलन पत्र 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्या और दायित्व**					
1	**शेयर धारकों की निधियां**					
	क) शेयर पूंजी	2.1	**3,542.27**		3,542.27	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**4,850.10**		4,805.83	
	ग) शेयर वारटों के सापेक्ष प्राप्त धन		**-**	**8,392.37**	-	8,348.10
2	**आबंटन के लंबित रहने के दौरान शेयर आवेदन धन**			**-**		-
3	**गैर चालू दायित्व**					
	क) दीर्घावधिक उधार		**-**		-	
	ख) आस्थगित कर दायित्व (निवल)		**-**		-	
	ग) अन्य दीर्घावधिक दायित्व	2.3	**61,997.85**		68,748.54	
	घ) दीर्घावधिक प्रावधान	2.4	**4,775.25**	**66,773.10**	4,757.94	73,506.48
4	चालू दायित्व					
	क) अल्पावधिक उधार	2.5	**1,697.07**		41.53	
	ख) व्यापार संदेयः–	2.6				
	i) एमएसएमई को देय		**12,961.18**		3,463.91	
	ii) एमएसएमई से भिन्न अन्य को देय		**50,125.71**		41,043.96	
	ग) अन्य चालू दायित्व	2.7	**79,668.47**		77,770.27	
	घ) अल्पावधि प्रावधान	2.8	**834.82**	**145,287.25**	1,163.04	123,482.71
	योग			**220,452.72**		205,337.29
II.	**आस्तियां**					
1	**गैर–चालू आस्तियां**					
	क) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियां					
	i) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2.9(i)	**660.93**		665.12	
	ii) अमूर्त आस्तियां	2.9(ii)	**68.20**		20.05	
	iii) चालू पूंजीगत कार्य		**-**		-	
	iv) विकासाधीन अर्मूत आस्तियां	2.9(iii)	**-**		78.38	
	ख) गैर चालू निवेश					
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	2.10	**1,080.47**		1,295.32	
	घ) दीर्घावधिक उधार और अग्रिम	2.11	**9,438.38**		7,009.43	
	ङ) अन्य गैर चालू आस्तियां	2.12	**47,404.55**	**58,652.53**	54,812.24	63,880.54
2	**चालू आस्तियां**					
	क) चालू निवेश	2.13	**-**		-	
	ख) माल सूचियां	2.14	**210.74**		196.36	
	ग) व्यापार प्राप्य	2.15	**13,719.76**		19,267.84	
	घ) नकदी और नकदी समतुल्य					
	i) नकदी और नकदी समतुल्य	2.16 (i)	**39,698.75**		36,310.86	
	ii) अन्य बैंक शेष	2.16 (ii)	**13,053.85**		12,654.78	
	ङ) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	2.17	**29,391.50**		24,887.93	
	च) अन्य चालू आस्तिया	2.18	**65,725.59**	**161,800.19**	48,138.98	141,456.75
	योग			**220,452.72**		205,337.29
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		**-**		-
	खातों के लिए नोट्स	2.1 to 2.54				

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 013838एन /एन500003

ह०/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदाभिहित भागीदार
सदस्यता सं. 093056
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 जुलाई, 2023
यूडीआईएनः 23093056BGTZZJ5311

कृते निदेशक बोर्ड और उसकी ओर से

ह०/–
(दीबेन्दु दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10234285

ह०/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07022825

ह०/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह०/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का एकल विवरण

राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.19	**113,196.27**	73,617.34
II.	अन्य आय	2.20	**1,315.59**	1,368.28
III.	**कुल आय (I+II)**		**114,511.86**	74,985.62
IV.	**व्ययः**			
	प्रचालन व्यय	2.21	**103,709.77**	68,464.02
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	2.22	**7,428.72**	7,447.70
	वित्तीय लागत	2.23	**383.14**	478.14
	मूल्यह्रास एवं अपाकरण व्यय	2.9	**112.54**	88.16
	अन्य व्यय	2.24	**2,617.84**	4,735.30
	पूर्वावधि व्यय (निवल))	2.25	**-**	3.80
	कुल व्यय		**114,252.01**	81,217.12
V.	**अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि) और कर (III-IV)**		**259.85**	(6,231.50)
VI.	अपवादी मदें		**-**	-
VII.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**259.85**	(6,231.50)
VIII.	असाधारण सामग्री		**-**	-
IX.	**कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**259.85**	(6,231.50)
X.	कर व्यय			
	(1) चालू कर		**0.73**	-
	(2) पूर्व के वर्षों के लिए कर समायोजन (निवल)		**-**	237.87
	(3) अस्थगित कर		**214.85**	36.98
XI	**जारी रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (IX-X)**		**44.27**	(6,506.35)
XII	जारी ना रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		**-**	-
XIII	जारी ना रखे गए प्रचालनों का कर व्यय		**-**	-
XIV	**जारी ना रखे गए प्रचालनों से (करोपरांत) लाभ/हानि) (XII-XIII)**		**-**	-
XV	**वर्ष के लिए लाभ/हानि) (XI+XIV)**		**44.27**	(6,506.35)
XVI	**प्रति शेयर अर्जन**	2.39		
	(1) आधारिक		**0.12**	(18.37)
	(2) कम किया गया		**0.12**	(18.37)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 to 2.54		

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 013838एन/एन500003

ह०/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदाभिहित भागीदार
सदस्यता सं. 093056
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 जुलाई, 2023
यूडीआईएनः 23093056BGTZZJ5311

कृते निदेशक बोर्ड और उसकी ओर से

ह०/–
(दीबेन्दु दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10234285

ह०/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07022825

ह०/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह०/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह विवरण

(Amount in ₹ Lakhs)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मद	**259.85**	(6,231.50)
निम्नलिखित के लिए समयोजन:		
- मूल्यह्रास और अपाकरण	112.54	88.16
- आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	2.37	1.26
- सावधि जमा पर ब्याज	(36.01)	(23.94)
-विदेशी मुद्रा में विनिमय परिवर्तन का प्रभाव (निवल)	415.26	(185.02)
-ब्याज व्यय	383.14	478.14
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**1,137.15**	(5,872.90)
- माल सूचियों में कमी/(वृद्धि)	(14.38)	(178.51)
- व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	6,045.12	7,335.85
- व्यापार संदेयों में वृद्धि/(कमी)	20,161.93	2,015.36
- धारणाधिकार के अधीन सावधि जमा में कमी/(वृद्धि)	(4.43)	(4.42)
- कार्यशील पूंजी में वृद्धि/(कमी)	(18,864.66)	3,523.24
प्रचालनों से सृजित नकदी	**8,460.73**	6,818.62
घटाएं:		
-ब्याज आय	(383.14)	(478.14)
- आय कर	(215.58)	(274.85)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**7,862.01**	6,065.63
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- स्थायी अस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(88.71)	(57.82)
- आस्तियों के विक्रय से आगत	8.21	4.20
- डीटीए में कमी/(वृद्धि)	214.85	36.98
- दीर्घावधिक अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	(2,428.95)	3,609.25
- अन्य चालू अस्तियों से भिन्न में कमी/(वृद्धि)	6,915.08	2,559.46
- ब्याज आय	36.01	23.94
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी	**4,656.50**	6,176.02
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- संदत्त लाभांश	-	-
- संदत्त लाभांश कर	-	-
- दीर्घावधिक प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	17.31	1,547.97
- दीर्घावधिक दायित्व से पुनर्संदाय)/आगत	(8,333.60)	5,186.62
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(8,316.29)**	6,734.59
विदेशी मुद्रा का प्रभाव	**(415.26)**	185.02
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि	**3,786.96**	19,161.26
वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	48,965.64	29,804.38
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**52,752.60**	48,965.64
नकदी और नकदी समतुल्य का मिलान		
हाथ में नकदी (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	-	-
हाथ में चेक (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	-	-
संव्यवहार में विप्रेषण	-	-
चालू खातों में बैंक में शेष (टिप्पण संख्या 2.16 देखें	39,698.75	36,310.86
अन्य बैंकों में सावधि जमाओं में शेष (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	13,053.85	12,654.78
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**52,752.60**	48,965.64

टिप्पण:

1. नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकद और बैंकों में शेष सम्मिलित है जिसके अंतर्गत धारानाधिकार/मार्जिन सावधि जमा को छोडकर सावधि जमा और चलनिधि निवेश भी सम्मिलित है।
2. उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस– 3 "नकदी प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार की गई है।
3. नकदी और नकदी समतुल्य में नकद और अन्य बैंक शेष तथा बैंक में जमा सम्मिलित है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 013838एन/एन500003

ह०/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदाभिहित भागीदार
सदस्यता सं. 093056
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 20 जुलाई, 2023
यूडीआईएन: 23093056BGTZZJ5311

कृते निदेशक बोर्ड और उसकी ओर से

ह०/–
(दीबेन्दु दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10234285

ह०/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07022825

ह०/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह०/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

एकल वित्तीय विवरणियों के टिप्पणः–

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु)

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन, उपचय आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एवं कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करते हुए तैयार तैयार की गई हैं। वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए अंगीकृत लेखांकन नीतियां उन्हीं नीतियो के अनुसार है, जो पूर्व के वर्ष में अपनाई गयी थी।

(ख) सभी आस्तियां और दायित्व कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है, कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्ति या और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजनार्थ 12 मास में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तारीख को आस्तियां और दायित्व की रिपोर्ट की गई मात्रा एवं आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई हो, एवं रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम के प्रभाव का आकलन और पूर्वधारणा करे। यद्यपि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है तथापि वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और विश्वसनीय रूप से राजस्व का मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण वार्शिक रूप से संशोधित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु मापा न गया/आशंकि रूप से निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति/जारी किए गए बीजकों/दावों को जारी करने के समय विधिक बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्णता विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं के मामले में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का प्रावधान नहीं किया जाता है, मध्यस्थों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में सांविधिक बाध्यताओं से उदभूत परिसमाप्त हानि अंतिम निपटान तक लेखाबद्ध की जाती है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बिलिंग, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

(झ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए ब्याज आय को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(ट) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उसे उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ठ) परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य की दशा में जहां संपूर्ण निष्पादन,, बिलिंग संग्रहण, कर अनुपालना जिसके अंतर्गत त्रुटि के लिए दायित्व आदि है, कंपनी पर है, टर्नओवर को लागत जमा मार्जिन के आधार पर प्रतिशत पूरा करने के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में लेखाबद्ध किया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता न लगाया जा सके।

5. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है:

i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर मूल्यह्रास की संगणना की गई है।

iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप निवल विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलीयोग्य कर, व्यापार बट्टा छूट (रिवेट) घटाकर संचित मूल्यह्रास और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित उपयोग से संबंधित है, विदेशी मुद्रा वाले संविदाओं में निवल प्रभार और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्तियों के लेखे में डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास कि संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान 95 प्रतिशत लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. मूल्यह्रास

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मूल्यह्रास की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–प्प के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95: लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत मूल्यह्रास की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र. सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
1	**भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)**	1.58%
2	**अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि (एनईएसडी) भी शामिल**	31.67%
3	**सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र मशीनरी**	
3(क)(i)	कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता वाली क्रेनें	4.75%
3(क)(ii)(ख)	100 टन से कम क्षमता वाली क्रेनें	6.33%
3(क)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बैल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी) भी शामिल है	7.92%
4	**साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)**	9.50%

5	**कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)**	19%
6	**कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)**	
6(क)	सर्वर और नेटवर्क	15.83%
6(ख)	अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, साफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि भी शामिल हैं	31.67%
7	मोटरयान (एनईएसडी)	
7(क)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	9.50%
7(ख)	मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	11.88%

उन आस्तियों के सिवाय जिनके संबंध में कोई अतिरिक्त शिफ्ट मूल्यह्रास (एनईएसडी) की अनुज्ञा नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो मूल्यह्रास उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए मूल्यह्रास की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का इस अवधि के दौरान अर्जन किया जाता है, जो अलग–अलग 5,000 रुपए तक की लागत के हैं का क्रय वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है। तथापि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन को उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

(घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर संगणित विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, इनमें से जो भी लघु हो, पर किया जाता है। शाश्वत पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया गया है।

c) ड.) अमूर्त आस्तियों का कथन लागत से संचित आपकरण को घटाकर और क्षीणता पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और इसका तीन वर्ष की अवधि या इसकी लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, में सीधी रेखा पद्धति पर आपकरण किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवन का पुनरीक्षण किया जाता है और यदि उचित हो तो उसे समायोजित किया जाता है।

8. कर्मचारी हितलाभ

(i) अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरणी में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवा दी गई है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी गई है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि हितलाभ के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

9. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण

तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को प्रावधानों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणियों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

"केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार एवं उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों एवं विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो। मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय के पास लंबित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।"

पूर्वोक्त उपदर्शित निवल प्राप्य से अभिप्रेत है कि ग्राहक से प्राप्य कुल रकम को संबंधित परियोजना के उप ठेकेदार को संदेय तत्स्थानी रकम से घटा दिया जाता है।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों की क्षीणता

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूली योग्य रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूली योग्य रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनर्निर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतरू कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए प्रावधान में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन सम्मिलित है और आस्थगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

आस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के

सापेक्ष उपलब्ध होगी जिसकी वसूली की जा सकेगी। अग्रनीत हानियों और अवशोषित न होने वाले मूल्यह्रास के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), कंपनी को लागू नहीं होता है चूंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक के अधीन कराधान का विकल्प दिया है।

14. पट्टा

पट्टेदार के रूप में कंपनी: प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर मान्यता दी जाती है।

पट्टा कर्ता के रूप में कंपनी: पट्टे जिनमें कंपनी पट्टाकर्ता है को वित्त या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। जब कभी पट्टा अंतरण सारवान रूप से स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को पट्टेदार को अंतरित कर देते हैं, संविदा को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टों के लिए भाटक आय को सुसंगत पट्टे के निबंधनों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। किसी प्रचालन पट्टे को प्राप्त करने में प्रारंभ में उपगत लागत को अंडरलाइन आस्ति की वहन रकम में जोड़ दिया जाता है और उसे पट्टा आय जैसे उसी आधार पर पट्टा निबंधनों के ऊपर व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। संबंधित पट्टे पर दिए गए आस्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में सम्मिलित किया जाता है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजनार्थ शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय से संबंधित समायोजन

क) <u>पूर्वावधि मदें:</u> प्रत्येक मामले में 1.0 लाख रुपये तक पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष की आय/व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

ख) <u>पूर्वावधि व्यय:</u> प्रत्येक मामले में 1.0 लाख रुपये तक पूर्वावधि से संबंधित व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष के व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

17. निगम कार्यालय में उपरिव्यय आवंटन

वेतन और उससे संबंधित लागत से संबंधित निगम/मुख्यालय के उपरिव्यय का ईपीआई के कुल टर्नओवर के अनुपात में ओमान परियोजना को टर्नओवर के अनुपात में आवंटन कर दिया गया है।

18. निवेश

दीर्घावधिक निवेश का कथन लागत पर किया जाता है। ऐसे निवेश के मूल्य में स्थाई कमी को मान्यता दी जाती है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

चालू विधान का कथन लागत और उसके उद्धृत/उचित मूल्य से कम पर किया जाता है।

19. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह की रिपोर्ट प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार की जाती है जिससे अवधि के लाभ को गैर–नकद प्रकृति के संव्यवहार के प्रभाव, अतीत या भविष्य की प्रचालनरत नकदी प्राप्तियों या संदायों के किसी भी आस्थगन या उपचयन और निवेश या नकदी प्रवाह के वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मद में समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण कार्यकलापों से नकद प्रवाह को पृथक किया जाता है।

20. लाभांश

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को शेयरों पर अंतिम लाभांश को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा घोषणा की तारीख को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

टिप्पण सं. 2.1

(राशि लाख रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत		
10/–रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर (पूर्व वर्ष 10/–रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर)	**90,940.46**	90,940.46
निर्गमित, अभिदत्त और पूर्णतया संदत्त		
10/–रुपए के प्रत्येक संदत्त 3,54,22,688 साम्या शेयर (पूर्व वर्ष 10/–रुपए के प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**3,542.27**	3,542.27
योग	**3,542.27**	3,542.27

टिप्पण सं. 2.1 (क)

बकाया शेयरों की संख्या का मिलान	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**35,422,688**	35,422,688
वर्ष के अंत में	**35,422,688**	35,422,688

टिप्पण सं. 2.1 (ख)

5 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	**35,415,677**	**99.98%**	35,415,677	99.98%

टिप्पण सं. 2.1 (ग)

संप्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		
क्र. सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का कुल प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरों का कुल प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	**35,415,677**	**99.98%**	-	35,415,677	99.98%	-
2.	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3575	0.01%	-	3575	0.01%	-
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1892	0.01%	-	1892	0.01%	-
4.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी निगम लिमिटेड	490	0.00%	-	490	0.00%	-
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	490	0.00%	-	490	0.00%	-
6.	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	350	0.00%	-	350	0.00%	-
7.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड	210	0.00%	-	210	0.00%	-
8.	ईपीआई शेयरधारक न्यास	4	0.00%	-	4	0.00%	-

टिप्पण सं. 2.2

(राशि लाख रुपए में)

आरक्षिति एवं अधिशेष	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ एवं अंत में शेष	**2.10**	2.10
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,115.00**	2,115.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,115.00**	2,115.00
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,688.73**	9,195.08
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**44.27**	(6,506.35)
घटाएं: संदत्त लाभांश*	**-**	-
घटाएं: गत वर्ष के लाभ का अंतरण	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,733.00**	2,688.73
योग (क+ख+ग)	**4,850.10**	4,805.83

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(अ) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) 4 आकास्मिक्ताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखाकन मानक एएस 4 का पैरा 14 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यामान नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.3

(राशि लाख रुपए में)

अन्य दीर्घावधिक दायित्व	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय**		
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	-	-
- अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	**15,628.30**	14,493.34
- विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	-	-
- विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	**1,609.68**	1,161.73
अन्य दायित्व		
- प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धनः #	**24,790.44**	37,124.41
-ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**19,776.23**	15,815.35
- ग्राहकों को अन्य संदेय	**193.20**	153.71
योग	**61,997.85**	68,748.54

**अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.8क देखें।

*सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 में यथा परिभाषित, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों को देय रकम की इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की गई है। इन अभिज्ञात निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक दिन से कोई राशि संदेय नहीं थी।

#ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा प्रदान की गई बैंक प्रतिभूति के बदले 4554.00 लाख रुपए में 1906.64 लाख रुपए की राशि सम्मलित है।

टिप्पण सं. 2.4

(राशि लाख रुपए में)

दीर्घावधिक प्रावधान	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	**1,659.22**	1,659.22
कर्मचारी हितलाभः		
-छुट्टी नकदीकरण	**1,125.06**	1,243.15
-उपदान	**49.13**	5.83
-दीर्घ सेवा पुरस्कार	**17.89**	17.64
-सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	**1,918.98**	1,828.56
-सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता	**4.97**	3.54
योग	**4,775.25**	4,757.94

टिप्पण सं. 2.5

(राशि लाख रुपए में)

अल्पावधिक उधार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
प्रत्याभूत		
- बैंकों से मांग पर संदेय ऋण	-	-
अप्रत्याभूत		
- बैंकों से मांग पर संदेय ऋण*	**1,697.07**	41.53
दीर्घावधिक उधारों की चालू परिपक्वता	-	-
योग	**1,697.07**	41.53

*आईओबी दिल्ली में निधि आधारित सीमा/अल्पावधिक ऋण के सापेक्ष क्लीन कैश क्रेडिट हेतु 1697.07 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 41.53 लाख रुपए)।

टिप्पण सं. 2.6

(राशि लाख रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय**		
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	12,961.18	3,463.91
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	50,125.71	41,043.96
- विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	-	-
- विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	-	-
योग	**63,086.89**	44,507.87

**अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार पुराने हो रहे कि अनुसूची में व्यापार संदेय के लिए टिप्पण सं. 2.8क देखें।

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 मै यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की जाती है। 9.06 लाख रुपये के मामले को छोड़कर, जिस पर ब्याज संदत्त नहीं किया गया है चूंकि संविदा के अनुसार ग्राहक से राशि प्राप्त होने पर ही विक्रेता को राशि संदत्त की जाती है, वर्ष के दौरान किसी भी समय इन पहचान किए गए निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक के लिए कोई धनराशि संदेय नहीं थी।

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वर्ष के अंत में 12,961.18 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 3463.91 लाख रुपए) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को संदेय थे। (टिप्पण सं. 2.51 देखें)।

टिप्पण सं. 2.7

(राशि लाख रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	46,223.77	48,926.11
सुरक्षा जमा, प्रतिधारण एवं प्रतिभूति	12,804.77	7,052.22
बकाया दायित्व	673.41	758.91
ग्राहक को संदेय अन्य राशि	590.67	625.74
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व	4,821.82	6,398.44
कर्मचारियों को संदेय*	594.14	589.06
अतिरिक्त संदेय दावे	9,634.81	8,757.65
सांविधिक दायित्व	4,325.08	4,662.14
योग	**79,668.47**	77,770.27

*31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कार्य निष्पादन संबंधी वेतन की 23.06 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 23,53 लाख रुपए) की राशि कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

वेतन पुनरीक्षण के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में वित्त वर्ष 2022– 23 के दौरान लेखाबहियों में 1 जनवरी 2017 से शून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) का प्रावधान किया गया है। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार संचयी प्रावधान 474.93 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 475.80 लाख रुपए) है।

टिप्पण सं. 2.8

(राशि लाख रुपए में)

अल्पावधिक प्रावधान	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
संभावित हानि के लिए प्रावधान (एएस–7 के अनुसार)	313.28	601.46
आय कर (विदेशी) के लिए प्रावधान	0.73	-
कर्मचारी हितलाभः	-	
-छुट्टी नकदीकरण	265.57	322.82
-उपदान	77.09	84.71
-दीर्घ सेवा पुरस्कार	6.16	6.77
-सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	171.41	146.66
-सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता	0.58	0.62
योग	**834.82**	1,163.04

टिप्पण सं. 2.8 क

व्यापार संदेय एंजिंग अनुसूची

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार					31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार				
	संदाय की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #					संदाय की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया रु				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	**योग**	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
एमएसएमई	12,848.84	112.34	-	-	12,961.18	3,463.91	-	-	-	3,463.91
अन्य	45,833.28	2,652.07	6,078.93	11,189.73	65,754.01	35,362.33	4,806.22	2,422.29	11,587.41	54,178.25
विवादास्पद देय –एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादास्पद देय–अन्य	1.68	-	113.13	1,494.87	1,609.68	-	113.14	48.49	2,359.16	2,520.79
योग	**58,683.80**	**2,764.41**	**6,192.07**	**12,684.60**	**80,324.87**	38,826.24	4,919.36	2,470.78	13,946.57	60,162.95

#ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा।
उन देयों का प्रकटन अलग से किया जाएगा जिनका बिल नहीं बनाया गया है।

टिप्पण सं. 2.9 (i)
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर विवरण

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खण्ड					मूल्यह्रास/अपाकरण					निवल खंड	
	आरंभिक शेष	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	आरंभिक शेष	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर												
फ्री होल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पट्टा धृत भूमि	16.16	-	-	-	**16.16**	3.79	0.15	-	-	**3.94**	**12.22**	12.37
फ्री होल्ड भवन	46.87	-	-	-	**46.87**	31.08	1.09	-	-	**32.17**	**14.71**	15.79
पट्टा धृत भवन*	645.25	-	-	-	**645.25**	281.24	12.77	-	-	**294.01**	**351.24**	364.02
कम्प्यूटर और उपस्कर	496.60	52.25	1.50	117.26	**432.09**	436.13	24.61	0.33	108.18	**352.77**	**79.32**	60.47
कार्यालयीन और अन्य उपस्कर	255.16	24.00	-	9.33	**269.83**	224.99	10.44	-	8.99	**226.45**	**43.38**	30.16
संनिर्माण उपस्कर	626.06	-	-	17.53	**608.53**	518.90	15.15	-	16.67	**517.37**	**91.16**	107.16
फर्नीचर एवं सज्जा	267.06	11.37	0.10	-	**278.44**	198.13	14.73	0.00	0.47	**213.34**	**65.10**	68.93
वाहन	42.19	-	2.29	-	**39.90**	35.98	2.28	-	2.18	**36.07**	**3.83**	6.22
योग	**2,395.36**	**87.62**	**3.89**	**144.13**	**2,337.07**	**1,730.24**	**81.22**	**0.33**	**136.49**	**1,676.13**	**660.93**	665.12
पूर्व वर्ष	2,491.25	53.92	(9.34)	139.74	**2,395.36**	1,794.77	79.86	(9.96)	133.88	**1,730.24**	**665.12**	

राजस्थान राज्य औद्योगिक और विकास एवं निवेश निगम (आरआईआईसीओ) और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) के बीच 10,000 वर्ग मीटर भूमि के पट्टा समझौते (1998) के अनुसार। को सेंटर वर्कशॉप और उपकरण स्टोर स्थापित करने के लिए 99 साल की अवधि के लिए ईपीआईएल आवंटित किया गया था।

* स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 374.42 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 374.42 लाख रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए स्थायी आस्तियां लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.9 (ii)
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खण्ड					मूल्यह्रास / अपाकरण					निवल खंड	
	आरंभिक शेष	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	आरंभिक शेष	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
अमूर्त आस्तियां												
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	247.23	1.09	78.38	-	326.70	227.18	31.32		-	258.50	68.20	20.05
योग	**247.23**	**1.09**	**78.38**	**-**	**326.70**	**227.18**	**31.32**	**-**	**-**	**258.50**	**68.20**	20.05
पूर्व वर्ष	244.64	3.90	-	1.31	247.23	220.14	8.29	-	1.24	227.18	20.05	

टिप्पण सं. 2.9 (iii)
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां (विकासाधीन)

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खण्ड					मूल्यह्रास / अपाकरण					निवल खंड	
	आरंभिक शेष	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	आरंभिक शेष	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
अमूर्त आस्तियां (निर्माणाधीन)												
सॉफ्टवेयर (निर्माणाधीन)	78.38	-	(78.38)	-	-	-	-	-	-	-	-	78.38
योग	**78.38**	**-**	**(78.38)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	78.38
पूर्व वर्ष	**78.38**	**-**	**-**	**-**	**78.38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
चालू वर्ष का कुल योग	**2,720.97**	**88.71**	**3.89**	**144.13**	**2,663.77**	**1,957.42**	**112.54**	**0.33**	**136.49**	**1,934.63**	**729.13**	
पूर्व वर्ष का कुल योग	**2,814.27**	**57.82**	**(9.34)**	**141.05**	**2,720.97**	**2,014.91**	**88.15**	**(9.96)**	**135.13**	**1,957.43**	**763.55**	

* टिप्पण सं. 2.52 पर अतिरिक्त विनियामक सूचना देखें जिसमें अनुसूची III में संशोधनों से संबंधित दनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार विकास एंजिंग के अधीन अर्मूत आस्तियां सम्मिलित हैं।

टिप्पण सं. 2.10

(राशि लाख रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (निवल)*	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	(51.95)	(47.57)
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	819.04	848.13
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान (एएस–15)	234.53	343.38
अन्य अननुज्ञात	78.85	151.38
योग	**1,080.47**	1,295.32

*डीटीए की संगणना करने के लिए अनुप्रयुक्त कर दर 25.168 प्रतिशत है (आय–कर 22 प्रतिशत, अधिभार 10 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है।

टिप्पण सं. 2.11

(राशि लाख रुपए में)

दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिमः				
-बैंक गारंटी के सापेक्ष लिया गया संग्रहण अग्रिम	**2,027.50**		2,003.78	
-सामग्री के सापेक्ष प्रत्याभूत	**196.42**		289.28	
-अन्य अग्रिम	**2,249.48**		2,249.48	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहस्पद माना गया	**656.71**		653.47	
	5,130.11		5,196.01	
घटाएंः संदेहास्पद और अशोध्य अग्रिम के लिए मोक	**(653.47)**	**4,476.64**	(653.47)	4,542.54
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम		**6.18**		9.79
वसूली योग्य अग्रिम कर/टीडीएस	**2,001.11**		247.07	
घटाएं : आयकर के लिए प्रावधान	**-**	**2,001.11**	-	247.07
अग्रिम कर (विदेशी)		**-**		-
एमएटी क्रेडिट		**-**		-
अप्रत्यक्ष कर (वसूलीयोग्य, इनपुट कर क्रेडिट, अग्रिम)		**2,954.45**		2,210.03
योग		**9,438.38**		7,009.43

टिप्पण सं. 2.12

(राशि लाख रुपए में)

अन्य गैर चालू आस्तियां	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार प्राप्य*				
प्रत्याभूत अच्छा माना गया	-		-	
अप्रत्याभूत अच्छा माना गया	**5,410.62**		5,907.66	
संदेहास्पद माना गया	**638.99**		754.60	
	6,049.61		6,662.26	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहस्पद वसूलियों के लिए मोक	**(638.99)**	**5,410.62**	(754.60)	5,907.66
प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण धन	**11,936.83**		25,939.37	
संदेहस्पद माना गया	**880.22**		880.22	
	12,817.05		26,819.59	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहस्पद वसूलियों के लिए मोक	**(880.22)**	**11,936.83**	(880.22)	25,939.37
अन्य आस्तियां				
सावधि जमा #		**91.17**		86.74
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य	**29,965.93**		22,878.47	
संदेहस्पद माना गया	**1,081.59**		1,081.59	
	31,047.52		23,960.06	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूली योग्य के लिए मोक	**(1,081.59)**	**29,965.93**	(1,081.59)	22,878.47
योग		**47,404.55**		54,812.24

*अनुसूची III में संशोधनों से सबंधित दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.14क देखें।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 91.17 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 86.74 लाख रुपए) की सावधि जमा ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा जो ग्राहक द्वारा दिया गया था को सावधि जमा में रखा है जो विवाद के अधीन है यह मामला विचाराधीन है।

टिप्पण सं. 2.13

(राशि लाख रुपए में)

चालू निवेश	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
ईपीइाई अर्बन इंफ्रा डेवलेपर्स लि. (अनुशंगी कंपनी) के पूर्णतया संदत्त 10/– रुपये के प्रत्येक 51000 (पूर्व वर्ष 51000) साम्य शेयर में अनुद्धृत निवेश	**5.10**	5.10
घटाएं: निवेश के मूल्य में ह्रास का प्रावधान	**(5.10)**	(5.10)
योग	**-**	**-**

टिप्पण सं. 2.14

(राशि लाख रुपए में)

मालसूचियां	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां: (लागत से नीचे या एनआरवी)		
-स्टील	**210.74**	196.36
-सीमेंट	**-**	-
-पाइप तथा अन्य	**-**	-
योग	**210.74**	196.36

टिप्पण सं. 2.15

(राशि लाख रुपए में)

व्यापार प्राप्य	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
व्यापार प्राप्य*		
प्रत्याभूत अच्छा माना गया	**-**	-
अप्रत्याभूत अच्छा माना गया	**13,719.76**	19,267.84
संदेहस्पद माना गया	**-**	-
	13,719.76	19,267.84
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूली योग्य के लिए मोक	**-**	-
योग	**13,719.76**	19,267.84

अनुसूची III में संशोधनों से सबंधित दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.15क देखें।

टिप्पण सं. 2.15 क

व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार					
	संदाय के लिए देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया#						संदाय के लिए देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया#					
	6 मास से कम	6 मास –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग	6 मास से कम	6 मास –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	11,529.77	179.15	77.82	471.56	3,987.62	16,245.92	7,932.57	9,396.44	1,240.82	282.32	3,438.21	22,290.36
(ii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य –संदेहास्पद माना गया	-	-	-	-	118.85	118.85	-	-	-	-	118.85	118.85
(iii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य–अच्छा माना गया	-	-	-	-	2,884.46	2,884.46	-	-	-	-	2,885.14	2,885.14
(iv) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य–संदेहस्पद माना गया	-	-	-	-	520.14	520.14	-	-	-	-	635.76	635.76
योग	**11,529.77**	**179.15**	**77.82**	**471.56**	**7,511.07**	**19,769.37**	**7,932.57**	**9,396.44**	**1,240.82**	**282.32**	**7,077.95**	**25,930.10**

ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा। उन देयों का प्रकटन अलग से किया जाएगा जिनका बिल नहीं बनाया गया है।

टिप्पण सं. 2.16 (i)

(राशि लाख रुपए में)

नकदी और नकदी समतुल्य	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
नकदी और नकदी समतुल्य				
बैंक में शेष				
-चालू खाते में*	17,492.68		25,556.79	
-सावधि जमा (3 मास की परिपक्वता तक)**	22,206.07	**39,698.75**	10,754.07	36,310.86
हाथ में नकदी		-		-
योग		**39,698.75**		36,310.86

टिप्पण सं. 2.16 (ii)

(राशि लाख रुपए में)

अन्य बैंक शेष	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
सावधि जमा # ** (3 मास से अधिक किंतु 12 मास से कम की परिपक्वता के साथ)	**13,053.85**	12,654.78
योग	**13,053.85**	12,654.78

* चालू खाते में उपरोक्त 17,226.69 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 24,488.10 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं।

** सावधि जमा में शेष में से 34035.76 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 22,554.99 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं।

#31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 64.75 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 325.27 लाख रुपये) ग्रहकों/अन्य के पास/धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के रूप गिरवी रखा है।

टिप्पण सं. 2.17

(राशि लाख रुपए में)

अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिमः				
-बैंक गारंटी के सापेक्ष लिया गया संग्रहण अग्रिम	**828.39**		3,894.67	
-सामग्री के सापेक्ष प्रत्याभूत	**251.75**		643.15	
-अन्य अग्रिम	**811.21**	**1,891.35**	803.16	5,340.98
अग्रिम कर/वसूली योग्य टीडीएस		**1,413.27**		2,255.93
अप्रत्यक्ष कर (इनपुट कर क्रेडिट, अग्रिम)		**5,584.69**		4,278.58
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम		**42.13**		44.99
प्राप्य प्रतिभूति, प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**20,460.06**		12,967.45
योग		**29,391.50**		24,887.93

टिप्पण सं. 2.18

(राशि लाख रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
बैंक जमा पर उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	**217.68**	192.55
पूर्व संदत्त व्यय	**75.87**	126.52
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य	**16,569.68**	23,863.34
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है	**48,862.36**	23,956.57
योग	**65,725.59**	48,138.98

Note No. 2.19

(राशि लाख रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	**111,729.97**	72,965.47
अन्य प्रचालन आय	**1,466.30**	651.87
योग	**113,196.27**	73,617.34

टिप्पण सं. 2.20

(राशि लाख रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आयः				
बैंक में जमा	**36.01**		23.94	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**-**		1.04	
अन्य (उप–ठेकेदारों/ग्राहक/आयकर प्रतिदाय)	**274.08**	**310.09**	550.10	575.08
अन्य गैर–प्रचालन आयः		**-**		-
खर्च न किया गया दायित्व/बट्टे खाते में डाला गया शेष	**297.79**		-	
प्राप्त दावे	**27.40**		-	
विविध आय	**642.38**		602.23	
विदेशी मुद्रा विनिमय में फेरफार से लाभ	**37.93**		190.97	
एएस 7 के अनुसार संभावित हानि के लिए प्रावधान को वापस करना	**-**	**1,005.50**	-	793.20
योग		**1,315.59**		1,368.28

टिप्पण सं. 2.21

(राशि लाख रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य	**100,873.67**	65,933.12
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	**1,673.33**	1,021.24
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**167.02**	1,009.89
लेखांकन मानक 7 के अनुसार भावी हानि के लिए प्रावधान	**(288.17)**	(29.62)
संदत्त दावे	**1,282.16**	529.27
स्वामिस्व	**1.76**	0.12
योग	**103,709.77**	68,464.02

टिप्पण सं. 2.22

(राशि लाख रुपए में)

कर्मचारी हितलाभ व्यय	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्तेः	**5,988.15**	5,977.06
भविष्य निधि एवं उपदान निधियों में अंशदान $	**631.51**	540.28
कर्मचारी कल्याण व्यय*	**809.06**	930.36
योग	**7,428.72**	7,447.70

$ इसमें भविष्य निधि न्यास से सबंधित ब्याज की कमी की राशि 82.22 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 17.50 लाख रुपए) सम्मिलित है।

* इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदीकरण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित है।

टिप्पण सं. 2.23

(राशि लाख रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याज		
- बैंक	284.69	248.60
- अन्य	98.45	229.54
योग	**383.14**	478.14

Note No. 2.24

(राशि लाख रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**54.64**	43.29
दर और कर	**81.59**	109.76
डाक व्यय और दूरसंचार	**101.13**	99.35
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	**312.69**	287.87
भवन	**10.74**	48.49
अन्य स्थायी आस्तिया	**0.11**	0.30
कम्प्यूटर व्यय	**63.78**	73.50
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	**119.02**	93.90
निविदा व्यय	**9.71**	22.83
विज्ञापन एवं प्रचार	**15.17**	13.76
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	**244.04**	209.96
संविदा पर परामर्श	**2.09**	7.89
बीमा	**64.87**	30.04
मनोरंजन	**13.23**	13.75
बैंक प्रभार	**157.18**	66.53
वाहन चालन एवं अनुरक्षण	**27.80**	25.37
जनशक्ति विकास	**0.22**	3.71
स्थायी आस्तियों की बिक्री पर हानि	**2.37**	1.26
प्रायोजक्ता फीस	**2.00**	-
यात्रा एवं अन्य संबद्ध व्यय (घरेलू)	**532.47**	412.03
यात्रा एवं अन्य संबद्ध व्यय (विदेश) $	**14.67**	13.46
सीएसआर एवं संधारणीयता	**-**	-
लेखापरीक्षक का पारिश्रमि @	**19.44**	19.23
कारोबार संवर्धन	**54.76**	13.58
कार्यालय का किराया	**209.83**	1,835.59
सदस्यता एवं अभिदान फीस	**1.45**	2.65
फाइलिंग एवं पंजीकरण फीस	**4.71**	1.84
संदेहास्पद कर्ज, ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य के लिए प्रावधान	**-**	55.81
संदेहास्पद वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि	**1.08**	1,166.14
विदेशी मुद्रा विनियम में फेरफार (लाभ)/हानि	**453.19**	5.95
विविध व्यय	**43.86**	57.46
योग	**2,617.84**	4,735.30

$यात्रा और अन्य संबद्ध व्यय में 3.97 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 12.35 लाख रुपए) का निदेशकों की विदेशी यात्रा व्यय शामिल है।

@ लेखा परीक्षकों को संदाय के ब्यौरा:

(राशि लाख रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस #	**15.80**	15.76
कर लेखापरीक्षा #	**3.25**	3.26
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	**0.39**	0.21
अन्य व्यय	**-**	-
योग	**19.44**	19.23

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक बिना जीएसटी के अभिलिखित है।

टिप्पण सं. 2.25

(राशि लाख रुपए में)

पूर्वावधि समायोजन (निवल)	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
आय		
प्रचालन आय	-	-
अन्य आय	-	-
पूर्वावधि आय का उप–योग (क)	**-**	**-**
घटाएं: व्यय		
प्रचालन व्यय	-	-
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
मूल्यह्रास	-	-
अन्य	-	3.80
पूर्वावधि व्यय का उप–योग (ख)	**-**	3.80
पूर्वावधि व्यय का योग (निवल) (ख–क)	**-**	3.80

टिप्पण सं. 2.26

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	आकस्मिक दायित्व एवं प्रतिबद्धताएं कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में अभिस्वीकृति नहीं दी गई है।	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
1	विधिक और मध्यस्थ के संबंध में:		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए धनराशि तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।*	54,597.14	55,440.14
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है। *	14,517.49	5,937.17
	उप योग (1)	**69,114.63**	61,377.31
2	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए कर निर्धारणों के संबंध में आय–कर/बिक्री कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में।	4,150.05	5,133.87
3	ग्राहक के निमित्त जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में	-	-
	कुल योग **(1+2+3)**	**73,264.68**	66,511.18

* पूर्वोक्त के सापेक्ष कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं।

टिप्पण सं. 2.27

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित धनराशि शून्य रुपए (गत वर्ष 1.57 लाख रुपए) है, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है और वर्ष 2022–23 में इस संबंध में 1.57 लाख रुपए की धनराशि का पूंजीकृत की गई है।

टिप्पण सं. 2.28

विदेशी मुद्रा में व्ययः

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.23 को समाप्त वर्ष	31.03.22 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**4,244.24**	833.85
2	व्यावसायिक एवं परामर्शी सेवा प्रभार	**28.91**	4.42
3	विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से हानि	**453.19**	5.95
4	स्थायी आस्तियों का क्रय	**3.09**	2.29
5	**प्रशासनिक एवं अन्य व्ययः**	**-**	-
क	यात्रा	**65.50**	68.26
ख	निविदा व्यय	**-**	-
ग	अन्य	**686.47**	636.06
	योग	**5,481.40**	1,550.84

विदेशी मुद्रा में अर्जनः

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.23 को समाप्त वर्ष	31.03.22 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	**4,533.13**	1,275.44
2	ब्याज से आय	**5.67**	3.19
3	विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से लाभ	**37.93**	190.97
4	अन्य	**65.89**	19.20
	योग	**4,642.62**	1,488.80

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ओमान से प्राप्त विदेशी मुद्रा शून्य रुपए जो शून्य अमरीकी डालर के बराबर है (गत वर्ष 0.56 लाख रूपए जो 763.84 अमरीकी डालर के बराबर है)।

टिप्पण सं. 2.29

क) कंपनी ने बिना किसी प्रतिभूति के विभिन्न बैंकों से स्वीकृत सीमा 75,302.00 लाख रुपये (गत वर्ष 75,826.50 लाख रुपये) के सापेक्ष 52,838.63 लाख रुपये (गत वर्ष 48,717.12 लाख रुपये) की गैर–निधि आधारित क्रेडिट सीमा का उपयोग किया है।

ख) ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निशपादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र माध्यम से अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निष्पादन न होने पर देय के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली।

ग) मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार के संयुक्त उद्यम ''ईपीआई – सी एंड सी जेवी (अनिगमित)'' में हम 60 प्रतिशत के स्टेक भागीदार है और हमारे ओमान प्रोजेक्ट में हमारा मुख्य ठेकेदार वर्तमान में एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहा है और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर परिणाम और इसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक–17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना इस प्रकार है:

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष–2022–23				गत वर्ष–2021–22			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म	संनिर्माण				संनिर्माण			
प्रचालनों से राजस्व	1,08,663.14	4,533.13	-	1,13,196.27	72,341.90	1,275.44	-	73,617.34
अन्य आय	606.26	125.35	584.00	1,315.59	225.17	213.36	929.75	1,368.28
कुल आय	**1,09,269.40**	**4,658.48**	**584.00**	**1,14,511.86**	72,567.08	1,488.80	929.75	74,985.62
परिणाम								
कर पूर्व आय, मूल्यह्रास और ब्याज	3,895.59	(606.75)	(2,533.31)	755.53	(3,266.35)	(46.29)	(2,352.56)	(5,665.20)
ब्याज	98.45	-	284.69	383.14	229.54	-	248.60	478.14
मूल्यह्रास	44.82	3.93	63.79	112.54	40.54	4.35	43.27	88.16
कर पूर्व लाभ	3,752.31	(610.68)	(2,881.78)	259.85	(3,536.43)	(50.64)	(2,644.43)	(6,231.50)
करोपरांत लाभ	3,752.31	(611.41)	(3,096.63)	44.27	(3,536.43)	(51.09)	(2,918.83)	(6,506.35)
पूंजी व्यय (मूर्त और अमूर्त आस्तियों में परिवर्धन)	57.39	3.09	28.23	88.71	52.28	2.29	3.25	57.82
अन्य सूचना	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार				31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			
कुल आस्तियां	1,76,711.89	33,374.10	10,366.73	2,20,452.72	1,44,864.13	46,892.48	13,580.68	2,05,337.29
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर एवं अमूर्त आस्तियां (रखाव धनराशि)	158.24	22.16	548.73	729.13	149.68	23.61	590.25	763.55
कुल दायित्व	1,77,903.20	27,730.04	6,427.11	2,12,060.35	1,51,501.08	40,789.85	4,698.26	1,96,989.19

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 7, ''संनिर्माण संविदाएं'' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन:

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	1,13,196.27	73,617.34
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	12,12,658.65	11,29,417.19
3	प्राप्त अग्रिम	66,000.00	64,741.46
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य समग्र धनराशि–जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है (वह राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है)	48,862.36	23,956.57
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र धनराशि–जिसे देनदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है (संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व)	4,821.83	6,398.44
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	19,034.44	25,036.57

टिप्पण सं. 2.32:

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी हितलाभ का ब्यौराः

i) परिभाषित हितलाभ बाध्यता में परिवर्तन

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घावधिक अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	22-23 21-22	7.40% 6.90%	7.40% 6.90%	7.40% 6.90%	7.40% 6.90%	7.40% 6.90%
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति/यात्रा लागत		3.00%	3.00%	-	3.00%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	22-23 21-22	7.40% 6.90%	- -	- -	- -	- -
सेवानिवृत्ति आयु*		60 years	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी		आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	सेवानिवृत्ति पूर्व: आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट सेवानिवृत्ति पश्च: एलआईसी (1996-98) यूएलटी	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट
आयु*		कर्मचारी कारोबार (%)				
35 वर्ष तक		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
36 से 45 वर्ष		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
46 से ऊपर		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

* गत वर्ष के समान

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घावधिक अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित हितलाभ बाध्यता	22-23	1,653.14	1,565.98	24.41	1,975.22	4.16
	21-22	1,671.42	1,597.51	22.91	1,895.80	4.32
चालू सेवा लागत	22-23	81.47	58.17	1.14	27.65	0.26
	21-22	85.38	99.49	1.08	26.85	0.28
ब्याज लागत	22-23	101.78	108.05	1.45	131.23	0.27
	21-22	101.19	103.84	1.49	123.23	0.28
बीमांकिक (लाभ)/हानि	22-23	32.53	117.19	6.00	92.67	1.61
	21-22	(8.55)	157.25	4.40	143.64	(0.44)
अर्जन समायोजन	22-23	-	-	-	-	-
	21-22	-	-	-	-	-
संदत्त हितलाभ	22-23	(336.27)	(458.76)	(8.94)	(136.38)	(0.75)
	21-22	(196.31)	(392.11)	(5.48)	(214.30)	(0.28)
पूर्व सेवा लागत	22-23	-				
	21-22	-				
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित हितलाभ बाध्यता	22-23	1,532.65	1,390.64	24.05	2,090.38	5.55
	21-22	1,653.14	1,565.98	24.41	1,975.22	4.16

(ii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2022-23 (वित्तपोषित)	2021-22 (वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,562.59	1,412.92
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	98.46	87.25
वास्तविक अभिदाय	90.54	258.49
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(8.89)	0.23
संदत्त हितलाभ	(336.27)	(196.31)
अर्जन समायोजन		
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,406.43	1,562.59

(iii) तुलनपत्र में मानी गई धनराशि

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घावधिक अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	22-23	1,532.65	1,390.64	24.05	2,090.38	5.55
	21-22	1,653.14	1,565.98	24.41	1,975.22	4.16
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	22-23	1,406.43	-	-	-	-
	21-22	1,562.59	-	-	-	-
वित्तपोषित प्रास्थिति आस्ति / (दायित्व)	22-23	(126.22)	(1,390.64)	(24.05)	(2,090.38)	(5.55)
	21-22	(90.54)	(1,565.98)	(24.41)	(1,975.22)	(4.16)
तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व) / आस्तियां	22-23	(126.22)	(1,390.64)	(24.05)	(2,090.38)	(5.55)
	21-22	(90.54)	(1,565.98)	(24.41)	(1,975.22)	(4.16)

(iv) लाभ एवं हानि लेखे में माना गया व्यय

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घावधिक अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	22-23	81.47	58.17	1.14	27.65	0.26
	21-22	85.38	99.49	1.08	26.85	0.28
ब्याज लागत	22-23	101.78	108.05	1.45	131.23	0.27
	21-22	101.19	103.84	1.49	123.23	0.28
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	22-23	(98.46)	-	-	-	-
	21-22	(87.25)	-	-	-	-
अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	22-23	41.42	117.19	6.00	92.67	1.61
	21-22	(8.77)	157.25	4.40	143.64	(0.44)
लाभ और हानि लेखे में माना गया कुल व्यय	22-23	126.22	283.41	8.59	251.55	2.14
	21-22	90.54	360.58	6.97	293.72	0.13

(v) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा– उपदान

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**1,532.65**	1,653.14	(1,671.42)	1,669.24	1,728.93
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति	**1,406.43**	1,562.59	(1,412.92)	1,524.92	1,699.77
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	**(126.22)**	(90.54)	(258.50)	(144.32)	(29.16)
घ)	योजनागत दायित्वों पर अनुभवजन्य समायोजन (हानि)/लाभ	**(126.22)**	(90.54)	(258.50)	(144.32)	(29.16)

(vi) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा – छुट्टी नकदीकरण

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**1,390.64**	1,565.98	1,597.51	1,462.65	1,506.23
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	**(1,390.64)**	(1,565.98)	(1,597.51)	(1,462.65)	(1,506.23)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(1,390.64)**	(1,565.98)	(1,597.51)	(1,462.65)	(1,506.23)

(vii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–दीर्घावधि सेवा पुरस्कार

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**24.05**	24.41	22.91	24.09	18.64
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(24.05)**	(24.41)	(22.91)	(24.09)	(18.64)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(24.05)**	(24.41)	(22.91)	(24.09)	(18.64)

(viii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा– सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा हितलाभ

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**2,090.38**	1,975.22	1,895.80	1,705.57	1,850.47
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(2,090.38)**	(1,975.22)	(1,895.80)	(1,705.57)	(1,850.47)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(2,090.38)**	(1,975.22)	(1,895.80)	(1,705.57)	(1,850.47)

(ix) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी नकदीकरण

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**5.55**	4.16	4.32	5.52	3.56
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(5.55)**	(4.16)	(4.32)	(5.52)	(3.56)
ख)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(5.55)**	(4.16)	(4.32)	(5.52)	(3.56)

कंपनी लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के अनुसार उपदान, दीर्घावधिक प्रति पूरित अनुपस्थिति, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ, दीर्घ सेवा पुरस्कार और बीमांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता का प्रावधान करती है।

टिप्पण सं. 2.33

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा अभिज्ञात और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र धनराशि और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार है–

(i) भारी उद्योग मंत्रालय ने श्री आर पी सिंह महाप्रबंधक (वित एवं लेखा), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार 6 माह की अवधि के लिए नियमित पदधारी की पद पर नियुक्ति होने तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो सौंपा गया है। श्री आर पी सिंह, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) ने 18 अक्टूबर 2021 को प्रभार ग्रहण किया। भारी उद्योग मंत्रालय ने निदेशक (वित्त), आईपीआईएल के अतिरिक्त प्रभार को दो बार अर्थात् 15.03.2022 से 14.09.2022 तक 6 मास की और अवधि के लिए या नियमित पदधारी के

पद ग्रहण करने के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तथा फिर 15.09.2022 से 24.06.2023 तक (उनकी अधिवर्शिता की तिथि) तक या नियमित पदधारी के पद ग्रहण के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हा बढ़ा दिया।

श्री आर.पी. सिंह का कार्यकाल 24.06.2023 को पूर्ण हो गया।

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था:

- श्री डी एस राना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (19.09.2019 से)
- श्री एच एन ठाकुर निदेशक (परियोजना) (30.06.2022 तक)
- श्री आर पी सिंह निदेशक (वित्त एवं लेखा) (18.10.2021 सें 24.06.2023 तक)
- श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (11.07.2023 से)
- श्रीमती निधि छिब्बर, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (30.06.2022 से)
- डॉ. रेणुका मिश्रा, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (30.06.2022 से 14.04.2023 तक)
- सुश्री मुक्ता भोखर, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (10.04.2023 से)
- श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (01.11.2021 से)
- श्रीमती आकांक्षा पारे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (02.11.2021 से)
- श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (02.11.2021 से)
- श्री अशोक भांकरराव मेंढे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (07.03.2023 से)
- श्री अशोक कुमार पात्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.04.2022 से 10.07.2023 तक)
- श्री नितेश कुमार गोयल, कंपनी सचिव (17.07.2020 से)

iii) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी कंपनी के रूप में 19 जून 2016 को निगमित किया गया और अपनी स्थापना से ही कंपनी कामकाज नही कर रही थी। ईपीआईयूआइडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन त्वरित परिसमापन की याचिका अनुमोदन के लिए लंबित थी एवं निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने के उपरांत इस विशय को अप्रैल, 2022 में प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। याचिका पर विचार करते समय, यह सूचित किया गया है कि दायर याचिका परिसमापन से संबंधित त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन उपलब्ध अन्य कार्रवाई कर सकता है।

तदनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(क) के अनुसरण में दिनांक 23.05.2022 को महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022 / 07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने

दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मत्रालय की वेबसाइट पर डाल गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5ए (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को दिनांक 13.06.2023 के टाइम्स सिटी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया।

वर्ष 2022–23 के दौरान ईपीआई यूआईडीएल, ईपीआई की अनुषंगी कंपनी मै निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ब्यौरेः

- श्री नंदकिशोर मोतीलाल साहा, अंशकालीन निदेशक बी यू आई डी पी एल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

- श्री कपिल तारा, पूर्व कार्यकारी निदेशक (डबल्यूआरओ), ईपीआई (20.03.2017 से ईपीआई से निलंबन के अधीन हैं एवं अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (केएमपी), एपीआईयूआईडीएल 30.09.2020 अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं)

अनुषंगी कंपनी के साथ संव्यवहारों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
आरंभिक शेष (प्राप्य धनराशि) {क}	2.13	2.13	Debit
अनुषंगी कंपनी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	-	-	Debit
अनुषंगी कंपनी से प्राप्त धनराशि {ग}	-	-	Credit
अंतशेष (वसूली योग्य धनराशि) {घ} [घ = क + ख – ग]	2.13	2.13	Debit

iv) 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई–सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार म्यांमार के चिन राज्य में ईपीसी मोड में दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60 प्रतिशत हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40 प्रतिशत हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। ईपीआई– सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" को संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन माना गया है।

विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया। मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार के संयुक्त उद्यम ''ईपीआई – सी एंड सी जेवी (अनिगमित)'' में हम 60 प्रतिशत के स्टेक भागीदार है और हमारे ओमान प्रोजेक्ट में हमारा मुख्य ठेकेदार वर्तमान में एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहा है और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर परिणाम और इसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

v) कारबार के सामान्य प्रक्रम में संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2022-23	2021-22
वेतन*	**101.14**	84.88
मकान किराया/पट्टा किराया	**-**	-
चिकित्सा व्यय	**0.49**	3.85
बैठक फीस#	**2.80**	1.70

*श्री आर पी सिंह निदेशक–वित्त (अतिरिक्त प्रभार) कंपनी में नियोजित नहीं है इसलिए वर्ष 20222–23 के दौरान उन्हें किसी वेतन/भत्ते की अदायगी नहीं की गई।

केवल स्वतंत्र निदेशकों को ही बैठक फीस की अदायगी की गई है

टिप्पण सं. 2.34

संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे इस प्रकार है:

विशिष्टियां	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (लाख रुपए में)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (लाख रुपए में)
सीमेंट	-	-	-	-
स्टील	357.01	210.74	384.51	196.36
स्टील पाइप	-	-	-	-

टिप्पण सं. 2.35

सीपीएसई विद्यमान समान विलय करते हुए रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (''सीसीईए'') के सीसीईए ने 13 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 17 फरवरी 2016 के निर्णय को संशोधित किया जिसके अनुसार सभी पात्र सीपीएसई एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी परिसंपत्ति मुद्रीकरण (दीपम विनिवेश योजना के अधीन) की कार्यकलाप के मानदंडों/प्रक्रियाओं का पालन कर रही है और इस संबंध में समय–समय पर जारी सभी नीतियों/दिशानिर्देशों/ढांचे आदि का पालन करती है।

टिप्पण सं. 2.36

''प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तिया'' पर लेखांकन मानक–29 के अधीन प्रकटनः

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	वर्ष के दौरान संदत्त/ समायोजन	बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	अंतशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(ii+iii-iv-v)
परियोजना आकस्मिकताएं*	3,369.88	-	-	115.61	**3,254.26**
कर्मचारी हितलाभ	3,660.31	671.91	695.37	-	**3,636.84**
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	475.80	-	0.87	-	**474.93**
योग	**7,505.98**	**671.91**	**695.84**	**115.61**	**7,366.03**
गत वर्ष	7,775.06	807.75	1,076.42	-	**7,505.98**

* परियोजना आधार पर प्राप्य धनराशि के लिए किया गया प्रावधान (संदेय धनराशि को छोडकर)

टिप्पण सं. 2.37

प्रबंधन ने मूल्यांकन कर पाया कि स्थायी आस्तियों के मूल्य में कोई क्षीणता नहीं आई है। इसलिए 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण सं. 2.38

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो अनुप्रयोज्यता की अवसीमा को पूरा करती है, को निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान सीएसआर और स्थिरता के लिए कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये) है।

अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 24.03.2021 के अधिसूचना के संदर्भ में, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के सापेक्ष अतिरिक्त विनियामक सूचना इस प्रकार हैः

विशिष्टियां	टिप्पणियां
(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित धनराशि	शून्य
(ख) खर्च की गई धनराशि	शून्य
(ग) वर्ष के अंत में कमी	शून्य
(घ) पूववर्ती वर्षों की कमी का योग	शून्य
(ङ) कमी के कारण	लागू नहीं
(च) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों की प्रकृति	लागू नहीं
;(छ) संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण अर्थात सुसंगत लेखांकन मानक के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास में अंशदान	लागू नहीं

टिप्पण सं. 2.39

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना करोपरांत निवल लाभ 44.27 लाख रुपए (करोपरांत निवल हानि 6506.35 लाख रुपए) को 3,54,22,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की जाती है। इसका विवरण इस प्रकार है:

प्रति शेयर अर्जन	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
आधारिक	0.12	(18.37)
कम किया गया	0.12	(18.37)

टिप्पण सं. 2.40

19 मई, 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (डीसीपीएल) द्वारा 10 प्रतिशत के साथ भूखंडों आदि के विकास के लिए बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20.1.2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल ने मंजूरी नहीं दी। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/बाहर निकलने के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, ईपीआईयूआईडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन, त्वरित समापन की याचिका प्रादेशिक निदेशक के पास मंजूरी के लिए लंबित थी। तदनुरांत इस मामले को प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा) सूचित किया गया है कि फाइल की गई याचिका परिसमापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई करने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। तदनुसार अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(क) के अनुसरण में दिनांक 23.05.2022 को महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मत्रालय की वेबसाइट पर डाल गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5ए (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को दिनांक 13.06.2023 के टाइम्स सिटी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त को देखते हुए, वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5.10 लाख रुपए के निवेश के सापेक्ष पहले ही 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है।

टिप्पण सं. 2.41

सीबीआई ने 05 मामले दर्ज किए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है जिसमें उस एफआईआर में ''कंपनी'' को पक्षकार नहीं बनया गया है और इसप्रकरा इसके वित्तीय विवरण पर कोई वित्तीय प्रभाव की

परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के निधि की धोखाधड़ी/दुरुपयोग का एक और मामला भी दर्ज किया है, जिसकी अभी जांच चल रही है और कथित धोखाधड़ी/दुरुपयोग का इसके वित्तीय विवरण पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि आज की तारीख को उपरोक्त मामले में जांच अभी भी चल रही है।

टिप्पण संख्या 2.42

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई बबुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, यद्यपि ईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (96 प्रतिशत) मिल गया। 18.78 करोड रुपए की समतुल्य धनराशि का दावा विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम में 31.10.2016 को विरुद्ध किया गया है। माध्यस्थ ने 29.01.2018 को 17.25 लाख रुपए (लगभग) का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में मध्यस्थ को डिक्री में परिवर्तित करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांगसू कुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है।

टिप्पण संख्या 2.43

व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहकों का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्राप्य/संदेय प्रतिभूति जमा और व्यापार संदेय पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। प्रबंधन के मतानुसार, इनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

टिप्पण संख्या 2.44

प्रबंधन के मतानुसार, कारबार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में किये गये कथनानुसार से कम नहीं।

टिप्पण संख्या 2.45

क) मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्य वसूलियां 2,354.96 लाख रुपए हैं। पूर्वोक्त धनराशि 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसकी वसूली का निरंतर प्रयास किया जाता है। अंतिम निपटान के लंबित होने तक अनुभव/प्रगति प्रबंधन द्वारा मामले का निर्धारण के आधार पर 31.03.2023 तक 443.77/–रुपए का परियोजना के पूरा होने तक प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान यूसीआईएल से वसूली के लिए अनेक बार संपर्क किया गया। इसका परिणाम चालू वित्त वर्ष अर्थात 2023–24 में आ सकता है ।

ख) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर परियोजना को ग्राहक द्वारा अप्रैल, 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उप–अभिकरण से वसूली की जाने वाली धनराशि 4,306.22/– लाख रुपए है, इसे टिप्पण संख्या 2.12 में 'अन्य गैर चालू आस्तियां' के अंतर्गत "ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य" में दर्शाया गया है। यह मामला ग्राहक एवं उप–अभिकरण दोनों के साथ मध्यस्थ के अधीन है।

ग) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 5 एनएलपीडी दुग्ध संयंत्र, 30 संपूर्ण एमटीपीडी विद्युत संयंत्र एवं सेवा एवं प्रयोगशाला स्थापन के देहरी और सोन में डिजाइन, अपूर्ति, उत्कीर्ण एवं चालू करने से संबंधित 8,329.77/–रुपए मूल्य की संविदा को ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया। 430.50/– रुपए की कुल धनराशि जो ग्राहक द्वारा सचल अग्रिम के सापेक्ष अधिक वसूल की गई है, को टिप्पण संख्या 2.12 में 'ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य–गैर चालू आस्तियां' के के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह मामला मध्यस्थ के अधीन है।

टिप्पण संख्या 2.46

कंपनी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की क्षमता में दिए गए कार्य के संबंध में कार्य के परिमाण में अन्य बातों के साथ संनिर्माण कार्यकलापों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति, ठेकेदारों की मानिटरी और पर्यवेक्षण, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से ठेकेदारों को भुगतान सम्मिलित है, कंपनी ठेकेदारों के कार्य की संपूर्ण लागत को जिसके अंतर्गत पीएमसी फीस सम्मिलित है, "किया गया कार्य" शीर्ष के अधीन राजस्व के अधीन अपने टर्नओवर के रूप में मान्यता प्रदान करती है और तदनुसार ठेकेदार के कार्य की लागत को कार्य लागत के अधीनमान्यता दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं से संबद्ध आस्तियों और दायित्व नियोक्ता के निमित्त न्यास में धारित को कंपनी की आस्ति और दायित्व के रूप में उसके तुलन पत्र में संबंधित मदों के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। इसका कंपनी द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है जो अपने ठेकों को लेखांकन मानक–7 के अधीन लागत जमा ठेका मानती है।

टिप्पण संख्या 2.47

वेतन और अन्य संबंधित लागत के लिए मुख्यालय व्यय 59.94 लाख रुपए (गत वर्श 26.90 लाख रुपये) का वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ओमान को आवंटन किया गया है जिसमें ओमान में के शाखा लेखाओं में इसी व्यय की कटौती का ओमान आयकर नियमों और विनियमों के अनुसार दावा किया गया है।ण

टिप्पण संख्या 2.48

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने कतिपय कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 259.31 लाख रुपये (गत वर्श 1904.28/– लाख रुपए जिसके अंतर्गत पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय–कोलकाता के भवन का 1656.81 लाख रुपए का भाटक भी सम्मिलित है जो माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है) की धनराशि को इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के सापेक्ष दर्शाया गया है।

कंपनी ने कतिपय आस्ति जैसे कार को रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों पर लिया है। वर्ष के दौरान 15.75/– लाख रुपए (गत वर्ष 17.46/– लाख रुपए) की धनराशि का इन रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों के सापेक्ष अदायगी की। इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय इस प्रकार है:

(i) 1 वर्ष के पूर्व संदेय 13.59/– लाख रुपए (गत वर्ष 15.61/–लाख रुपए)

(ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 23.40/– लाख रुपए (गत वर्ष 36.70/– लाख रुपए

(iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय भून्य (गत वर्ष भून्य)

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी:

कंपनी ने कतिपय कार्यालय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किये जा सकते हैं। वर्ष के दौरान 452.32 लाख रुपए (गत वर्ष 430.78 लाख रुपए) की राशि को इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के सापेक्ष रखा गया है।

इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय इस प्रकार है:

(i) 1 वर्ष के पूर्व प्राप्य 311.43–लाख रुपए (गत वर्ष 452.32 लाख रुपए)

(ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व प्राप्य भून्य (गत वर्ष 311.43 लाख रुपए)

(iii) 5 वर्ष के पश्चात प्राप्य शून्य (गत वर्ष शून्य)

टिप्पण संख्या 2.49

संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रकटन

क्र. सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम (अनिगमित)	भागीदार और मूल देश	31 मार्च की स्थिति के अनुसार भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2023	2022
1.	ईपीआई–सी एंड सी संयुक्त उद्यम*	सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडिया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड इंडिया	60% 40%	60% 40%

*वर्ष के दौरान कंपनी ने मैसर्ज सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पहले ही दिनांक 17.08.2021 को संयुक्त उद्यम करार को समाप्त करने के संबंध में नोटिस भेज दिया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 9.02.2022 के पत्र द्वारा म्यांमार के चिन राज्य में (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) पर 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया।

चूंकि सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यामार संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" में हमारा 60 प्रतिशत स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीई एलटी में इस समय दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके वित्तीय प्रभाव का अभी पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पण संख्या 2.50

शेयरधारकों को संदेय लाभांश को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस वर्ष अर्थात् 2022–2023 के दौरान कंपनी ने अपने भोयरधारकों को किसी लाभांश (गत वर्ष 2021–22 में शून्य) की अदायगी नहीं की है।

टिप्पण संख्या 2.51

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान कंपनी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाती है।

(राशि लाख रुपए में)

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संदेय*	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
विशिष्टियां		
i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता का मूलधन एवं उस पर शेष अप्रदत्त ब्याजय	12,961.18	3,463.91
ii) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ता को की अदा की गई धनराशि के साथ धारा 16 के निबंधनों में क्रेता द्वारा संदत ब्याज की धनराशिय	शून्य	शून्य
iii) संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए शोध्य और संदेय ब्याज की धनराशि (किंतु जिसका वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे संदाय किया गया है) किंतु इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट धनराशि को जोड़ें बिनाय	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संदेय*	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
iv) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर उद्भूत ब्याज एवं शेष अप्रदत्त धनराशि; और	शून्य	9.50
v) यहां तक की पश्चातवर्ती वर्षों में और अधिक शेष शोध्य और संदेय ब्याज की धनराशि, उस तारीख तक जब उपरोक्त शोध्य या ब्याज का वास्तव में लघु उद्यम को इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य खर्च के रूप में मोक के प्रयोजन के लिए संदाय किया जाता है	शून्य	शून्य

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 मै यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की जाती है। 9.06 लाख रुपये के मामले को छोड़कर, जिस पर ब्याज संदत्त नहीं किया गया है चूंकि संविदा के अनुसार ग्राहक से राशि प्राप्त होने पर ही विक्रेता को राशि संदत्त की जाती है, वर्ष के दौरान किसी भी समय इन पहचान किए गए निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक के लिए कोई धनराशि संदेय नहीं थी।

टिप्पण संख्या 2.52

अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के संदर्भ में अतिरिक्त विनियामक सूचना इस प्रकार है

(i) अचल संपत्ति के जो कंपनी के नाम धारित नहीं है के स्वत्व विलेखः

अचल संपत्ति के जो कंपनी के नाम धारित नहीं है के स्वत्व विलेख के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(राशि लाख रुपए में)

तुलन पत्र में सुसंगत रेखा मद	संपत्ति का विवरण	समग्र वहन मूल्य	स्वत्व विलेख जिसके नाम पर है	क्या स्वत्व विलेख धारक कोई संप्रवर्तक, निदेशक या किसी संप्रवर्तक/निदेशक का संबंधी# या संप्रवर्तक'/ निदेशक का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण
पीपीई	स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन	374.42	स्कोर परिसर, नई दिल्ली	जी, नहीं	14-03-1988	संबंधित प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया गया है
संपत्ति में निवेश	–	–	–	–	–	–
पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो गया है और उसे निपटान के लिए रखा गया है	–	–	–	–	–	–
अन्य	–	–	–	–	–	–

#यहां नातेदार से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित नातेदार अभिप्रेत है।
* संप्रवर्तक से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित संप्रवर्तक अभिप्रेत है।

(ii) इस संबंध में प्रकटन की क्या पुनर्मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर आधारित है:

वर्ष के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

(iii) संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को अनुदत्त ऋण अथव अग्रिमों का प्रकटन:

वर्ष के दौरान संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गया:

(iv) चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यू आईपी):

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई सीडब्ल्यूआईपी विद्यमान नहीं है।

(v) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां:

(क) विकासाधीन समयावधि (एजिंग) अनुसूची के अधीन अमूर्त आस्तियों के ब्यौरे:

(राशि लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की धनराशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजना:	-	-	-	-	-
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(ख) विकास पूर्ण होने वाली अनुसूची के अधीन अमूर्त आस्तियों के ब्यौरे:

(राशि लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की धनराशि			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर परियोजना:	-	-	-	
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**

(vii) धारित बेनामी संपत्ति के ब्यौरे:

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कोई बेनामी संपत्ति कंपनी द्वारा धारित नहीं है।

(viii) चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधार:

कंपनी ने समय समय के आधार पर बैंकरों को वही अनंतिम वित्तीय डाटा प्रस्तुत किया है जो शासी मंत्रालय को भी सूचित किया गया है।

(ix) इरातदन चूककर्ता:

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य उधार दाता द्वारा इरातदन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(x) हटा दी गई कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत हटा दी गई कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं किया है।

(xi) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ प्रभारों या ऋणमुक्ति का रजिस्ट्रीकरण:

सांविधिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास किन्ही प्रभारों या ऋणमुक्ति रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना है।

(xii) कंपनियों की अनेक लेयरों का अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (87) नियंत्रित कंपनी के वर्ग या वर्गों को विहित सीमा से परे अनुषंगी कंपनियां रखने पर निर्बंधन अधिरोपित करता है। उपरोक्त प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) विभिन्न अनुपात:

विभिन्न अनुपातों के ब्योरे इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	अनुपात का प्रकार	सूत्र (अंश गणक / विभाजक)	प्रतिशत / समय में	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22	भिन्नता प्रतिशत में
क)	चालू अनुपात	चालू आस्तियां / चालू दायित्व	कितनी बार	1.11	1.15	-3%
ख)	ऋण– साम्य अनुपात	बाहरी व्यक्तियों के दावे / आंतरिक व्यक्तियों के दावे	कितनी बार	7.96	8.81	-10%
ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज कर मूल्यह्रास से पूर्व अर्जन एवं अपाकरण / ब्याज+मूलधन	कितनी बार	0.36	(10.90)	103%
घ)	साम्या अनुपात पर रिटर्न	करोपरांत लाभ / शेयरधारकों की इक्विटी	%	1%	(184%)	101%
ङ)	माल सूची टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत / औसत माल सूची	कितनी बार	509.51	639.22	-20%

च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल नकद बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	4.95	2.49	99%
छ)	व्यापार संदेय टर्नओवर अनुपात	निवल नकद क्रय / औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	1.48	1.16	28%
ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर / नियोजित पूंजी	कितनी बार	13.49	8.82	53%
झ)	निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ / कुल आय	%	0.04%	(9%)	100%
ञ)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	करोपरांत लाभ / कुल नियोजित पूंजी	%	1%	(78%)	101%
ट)	निवेश पर रिटर्न	आस्तियों के किसी वर्ग से लाभ / ऐसी आस्तियों के वर्ग का बाजार मूल्य	%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक अनुपात में परिवर्तनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

क) **ऋण सेवा कवरेज अनुपात में,** ईवीआईटीडीए गत वर्ष में –56.65 करोड रुपए की तुलना में चालू वर्श में लाभ के कारण चालू वर्ष में 7.56 करोड रुपए है। यह अनुपात गत वर्श की तुलना धनात्मक है।

ख) **इक्विटी अनुपात में रिटर्न पर,** गत वर्ष में 65.06 करोड रुपए हानि की तुलना में चालू वर्ष में लाभ 0.44 करोड रुपए है। यह इक्विटी में धनात्मक रिर्टन है।

ग) **व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में टर्नओवर और औसत व्यापार प्राप्य 1131.96 करोड रुपए और 228.50 करोड रुपए हैं जबकि गत वर्ष में यह क्रमशः 736.17 करोड रुपए और 295.70 करोड रुपए थे। इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी हुई है।

घ) **व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में टर्नओवर और औसत व्यापार प्राप्य 1037.10 करोड रुपए और 702.44 करोड रुपए हैं जबकि गत वर्ष में यह क्रमशः 684.64 करोड रुपए और 591.55 करोड रुपए थे। इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी हुई है।

ङ) **निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात में,** गत वर्ष की तुलना में टर्नओवर में वृद्धि एवं चालू वर्श में 0.44 करोड रुपए के करोपरांत लाभ के कारण जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई (सूत्र में अंश भाजक का मूल्य)। इससे गत वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि हुई है।

च) **निवल लाभ अनुपात में,** गत वर्ष में –65.06 करोड रुपए की हानि की तुलना में चालू वर्ष में 0.44 करोड रुपए का करोपरांत का लाभ। यह धनात्मक निवल लाभ अनुपात है।

छ) **नियोजित पूंजी के रिटर्न के अनुपात में,** चालू वर्ष में 0.44 करोड रुपए के करोपरांत लाभ के कारण जिससे चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई (सूत्र में अंश भाजक मूल्य)। इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में यह धनात्मक अनुपात है।

(xiv) प्रबंध की अनुमोदित स्कीमों का अनुपालनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 237 इसके अधीन कंपनी के लिए कोई स्कीम अनुमोदित नहीं की गई है।

(xv) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोगः

कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या निकाय जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं, से कोई अग्रिम नहीं लिया है या उधार नहीं लिया है या निधियों (या तो उधार ली गई निधियां या शेयर प्रीमियम या अन्य स्रोत या निधियों की किस्म) का निवेश नहीं किया है।

(xvi) अप्रकटित आयः

वर्ष के लिए कोई अप्रकटित आय या कोई संव्यवहार नहीं है जिसे लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया है।

(xvii)क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा के ब्यौरेः

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

टिप्पण संख्या 2.53

एमओडी ने सी एंड सी ओमान एल.एल.सी. (सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – भारत की अनुशंगी कंपनी) द्वारा दायर मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राथमिक न्यायालय के निर्देश के अनुसार, आरओ 11.35 मिलियन की राशि रोक दी गई थी। ईपीआई ने वाद संख्या 119/1310/2021 का ब्यौरा एकत्र किया है और मस्कट प्राथमिक न्यायालय में अपील दायर की है। दिनांक 11.06.2023 को प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने सी एंड सी (ओमान) एल.एल.सी. के पक्ष में निर्णय जारी किया है। प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को चुनौती देते हुए ईपीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी और 17 अगस्त, 2023 को न्यायालय में इस अपील पर सुनवाई होनी थी। आगे सी एंड सी (ओमान), एलएलसी ने दिनांक 13.03.2023 को ने इस चल रहे वाणिज्यिक वाद 119/1310/2021 से सहबद्ध ओमान सल्तनत में ईपीआई के सभी लेखाओं, निधियों और बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को जब्त करने के लिए याचिका (294/4104/294) दायर कर दी और प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने दिनांक 14.03.2023 को ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने का न्यायिक निर्णय 124/2023 जारी किया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) को भी इस निर्णय को लागू करने को कहा। तदनुसार, 15 मार्च 2023 को सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.03.2023 को, ईपीआई ने ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्राथमिक न्यायालय में याचिका दायर की। इस की सुनवाई दिनांक 16.04.2023 को पूरी हुई और दिनांक 01.05.2023 को, माननीय प्राथमिक न्यायालय ने मैसर्स सी एंड सी ओमान एलएलसी द्वारा दायर मामले में ईपीआई बैंक खातों को फ्रीज करने के दिनांक 14.03.2023 के आदेश को रद्द करने का निर्णय जारी किया। दिनांक 14–05–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने प्राथमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। दिनांक 06–07–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने ईपीआई के पक्ष में प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अधिक्रमण वाली अपील प्रस्तुत की और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर ली। अपील न्यायालय से इस निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ईपीआई ने इस निर्णय पर विधिक सलाहकार के साथ पुनराविलोकन करने के उपरांत इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है।

टिप्पण संख्या 2.54

गत वर्ष के अंको का मिलान, पुनः समूहीकरण कर लिया गया है और उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. **013838एन/एन500003**

ह०/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदाभिहित भागीदार
सदस्यता सं. **093056**
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः **20** जुलाई, **2023**
यूडीआईएनः **23093056BGTZZJ5311**

कृते निदेशक बोर्ड और उसकी ओर से

ह०/–
(दीबेन्दु दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः **10234285**

ह०/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएनः **07022825**

ह०/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह०/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हित राय

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात नियंत्रण कंपनी कहा गया है) और उसकी अनुषंगी (नियंत्री कंपनी और उसकी अनुषंगी दोनों मिलकर "समूह") एवं इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पण जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक सूचना है, सम्मिलित है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सिवाय हमारी रिपोर्ट के अर्हित राय का आधार अनुभाग में वर्णित किए गए मामले के सिवाय पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की अपेक्षा अनुसार उस प्रकार अपेक्षित रीति में सूचना प्रदान करते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यों का 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि और कंपनी के नकदी प्रवाह का न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अर्हित राय का आधार

1. लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार के अनुसार केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद पड़ी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम इनके भाोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्ष तक की वसूली के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि भाोध्य राशि 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया है तो परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए संदेहास्पद कर्ज/ऋण और अग्रिम के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। अतः प्राप्य संदेहास्पद ऋणों के सापेक्ष प्रावधान उन भाोध्यों के लिए नहीं किया जाता है जो विवादाधीन हैं और जिनमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और जो 10 वर्ष से कम समय से प्राप्य है।

क) जैसा कि शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 10 वर्षों से अधिक के व्यापार प्राप्य /अन्य अग्रिम/ग्राहक, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य/प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन/विवादित बकाया राशि 3600.80 लाख रुपये है, जिसमें से नीति में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में संदेहास्पद ऋण के लिए 499.58 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, वर्ष के लाभ में 3101.22 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है।

ख) डब्ल्यूआरओ शाखा में, उप–ठेकेदार को किए गए अग्रिम संदाय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यद्यपि उप–ठेकेदार 1066.23 लाख रुपये के दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन/मुकदमेबाजी के अधीन है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 1066.23 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है और अन्य चालू आस्तियों (विक्रेताओं से वसूली योग्य) को इतनी ही राशि का अधिक उल्लेख हुआ है।

2) मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" 60 प्रतिशत का स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार इस समय एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर

उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। इन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व में और वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार नैतिक आचार अपेक्षाओं सहित जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत है, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपने नैतिक आचरण के उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है हमारी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

महत्वपूर्ण मामल

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं:–

1. प्राप्यों की शेष की संपुष्टि

व्यापार प्राप्यों, संकर्म के लिए अग्रिम, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम तथा प्राप्यों के संबंध में शेष की बाह्य संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि के उपलब्ध न होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में हम असमर्थ हैं।

विषिश्टियां	धनराशि (रुपए में)
संर्कम के लिए अग्रिम	7021.46
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन	33277.11
व्यापार प्राप्य	19769.37
अन्य वसूली योग्य	47615.06

यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, नकारात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।

2. संदेयों की संपुष्टि

निम्नलिखित व्यापार प्राप्य, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन शेष की सकारात्मक संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि उपलब्ध ना होने के कारण वित्तीय विवरणों पर उद्भूत होने वाले किसी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।

विषिश्टियां	धनराशि (रुपए में)
व्यापार संदेय	80324.89
प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण धन	37595.21
प्राप्त अग्रिम	66000.00
ग्राहक को अन्य संदेय	783.87

यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, नकारात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।

3. परिसमाप्त नुकसान

विवाद/बातचीत के अधीन संविदाओं के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से उद्भूत परिसमाप्त नुकसान को अंतिम निपटान तक संदेय/प्राप्य नहीं माना जाता है, निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा 63.80 लाख रुपये (पूर्व वर्श 57.11 लाख रुपये) रोक दिये गये हैं और इसका प्रकटन अन्य गैर–चालू आस्तियां ''ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के रूप में किया गया है।

4. राजस्व मान्यता

कंपनी ने द्वितीय तल, कोर–3 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली का परिसर मैसर्स कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड (सीईएसएल) को किराए पर दिया है। पट्टा करार के अनुसार, पट्टेदार को किराए के विलंब से संदाय पर एसबीआई एमसीएलआर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान 2022–23 पट्टेदार ने समय पर किराया नहीं चुकाया है, तदनुसार पट्टेदार से 46.50 लाख रुपये का ब्याज वसूला जाना है, किंतु उसे दर्शाया नहीं गया है। तदनुसार आय में 46.50 लाख का कम उल्लेख हुआ है।

5. कराधान बहियों का समायोजन

कंपनी की वसूली योग्य टीडीएस, संदत्त अग्रिम कर और आयकर दायित्व से वसूलनीय टीसीएस की उनके संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ही अंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात पद्धति है। यद्यपी यह उल्लेख करना सुसंगत है कि उक्त नीति के कारण वसूली योग्य टीडीएस, अग्रिम कर और वसूली योग्य टीसीएस की धनराशियों द्वारा आस्तियों और दायित्व का अधिक उल्लेख हुआा है। क्योंकि इनका वित्तीय प्रभाव तात्विक नहीं है इसलिए हम उन पर अपनी राय अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.11 और टिप्पण संख्या 2.16 देखें।

6. बैंक गारंटी

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राश्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निश्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली।

इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र माध्यम से अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निश्पादन न होने पर भाोध्य के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) देखें।

7. पुराने शेष की वसूली

समेकित वित्तीय विवरण, दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम – ''अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अग्रिम) की ''टिप्पण संख्या 2.11 देखें जिसमें संकर्म संविदा कर/वैट के लिए 1314.77 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। जैसा कि हमें बताया गया है, यह कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है और ग्राहकों और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य है। जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ऐसे दावे परियोजना के पूरा होने के समय अंतिम निपटान के साथ और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों के साथ अंतिम मूल्यांकन के समय ग्राहक से किए जाते हैं। हालाँकि, ग्राहकों/कर प्राधिकरणों के पास ऐसे दावों के दस्तावेज/संपुष्टि हमारे सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराए गये हैं, दावों के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में हम उनकी पुनर्प्राप्ति/उचितता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

8. सीबीआइ मामले

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 5 मामले रजिस्टर किए गए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें ''कंपनी'' पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के धन की धोखाधड़ी/दुरुपयोग का भी 01 मामला भी दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है। वित्तीय वर्ष में 22–23 कंपनी में श्री अक्षत अनेजा (सहायक प्रबंधक, वित्त) द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की गई है, जो म्यांमार परियोजना के साथ–साथ कॉर्पोरेट कार्यालय वित्त के बैंकिंग प्रभाग में कार्यरत थे। इसमें निहित राशि की मात्रा का पता लगाने के लिए आंतरिक समिति का गठन किया गया था, जो अंततः 48.11 लाख रुपये और ₹8.50 लाख श्री अक्षत अनेजा को वसूली योग्य टूर अग्रिम के रूप में सामने आई, जिसमें से केवल 0.50 लाख रुपये की वसूली की गई है और शेष अभी भी लंबित है। मामला सीबीआई के पास लंबित है और कर्मचारी निलंबित है।

यद्यपि, आज तक, पूर्वोक्त मामले की जाँच अभी भी जारी है। टिप्पण संख्या 2.41 देखें।

9. प्रावधान

हम टिप्पण संख्या 2.48 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने 8वीं और 9वीं मंजिल पर नगर निगम के कक्ष संख्या–50 चौरंगी रोड, कोलकाता–71 में 15000 वर्ग फुट क्षेत्र लिया था जिसकी अवधि 30.09.2015 को समाप्त हो गई है और मामला 2016 की संख्या 144 के माध्यम से निर्णय के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजा गया है। पट्टादाता (मैसर्स स्क्वायर फोर एसेट्स मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) ने माननीय एकल पीठ द्वारा पट्टादाता के पक्ष में दिनांक 03.11.2022 को पारित निर्णय के सापेक्ष अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि के संबंध में वर्श 2022 के जीए सं. 18 दिनांक 08.02.2022 द्वारा 5952.70 लाख रुपये (इसमें 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी सम्मिलित) का दावा किया था। कंपनी दिनांक 28.11.2022 को माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में चली गई और 9 जून 2023 को

खंडपीठ ने माननीय एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने वित्त वर्ष 21–22 के दौरान 1656.81 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) के लिए युक्तियुक्त रूप से 1659.22 लाख रुपये (31.03.2022 तक 1659.22 लाख रुपये) के दिनांक 31.03.2023 तक संचयी प्रावधान के साथ पट्टा किराये के सापेक्ष प्रावधान किया है। इसे टिप्पण संख्या 2.4 में दीर्घवधिक प्रावधान मद के अंतर्गत विधिवत दर्शाया गया है।

विशिश्टि	राशि (लाख रुपये में)
संदेय राशि–कर्मचारी	96.20
कार्यनिश्पादन संबद्ध संदेय वेतन	23.06
तृतीय पीआरसी (वेतन संशोधन) के लिए दायित्व	474.93

12. मूल्यह्रास

एनआरओ शाखा में, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधीन कुछ आस्तियों के मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ विचार की गई उपयोगी जीवन की अवधि गलत है। यदि मूल्यह्रास की सही गणना की गई होती तो ''कंप्यूटर और उपस्कर'', ''फर्नीचर और सज्जा'' और ''कार्यालय और अन्य उपकरण'' का शेष 1.49 लाख रुपये, 1.71 लाख रुपये और 0.07 लाख रुपये अधिक होता। ''मूल्यह्रास और अपाकरण व्यय'' 3.27 लाख रुपये कम होता और रिर्पोटाधीन वर्श के लिए तत्स्थापनी लाभ 3.27 लाख रुपये अधिक होता। गत वर्षों में ऐसी त्रुटियों के प्रभाव, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों में त्रुटि का प्रभाव तात्विक नहीं है, इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।

13. राजस्व मान्यता

राजस्व मान्यता के लिए अपनाई गई पूर्णता पद्धति के प्रतिशत पर टिप्पण संख्या 1(3)(क)/(ख)/(ट) में लेखांकन नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान एनआरओ शाखा ने 1,707.16 लाख रुपये के संर्कम व्यय को मान्यता दी है और उन तीन परियोजनाओं पर पूर्णता प्रतिशत के आधार पर प्रचालन से राजस्व की तत्स्थानी गणना की है जिसके लिए ठेकेदार को साइट–प्रभारी और प्रादेशिक प्रभारी – प्रभारी एवं वित्त प्रभारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस प्रमाणपत्र के साथ संगणना या अनुमान से संबंधित कोई कार्य संबद्ध है। अनुमान की सत्यता को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। साथ ही, हम यह प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्तियों की तकनीकी क्षमता का पता लगाने में भी असमर्थ रहे। यद्यपि, प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों में संभावित भिन्नता के समग्र प्रभाव, एनआरओ शाखा के वित्तीय विवरणों पर इसके तात्विक प्रभाव के संबंध में हमारे पास कोई प्रतिकूल दृष्टि बनाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।

14. एमएसएमई की पहचान

विक्रेताओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रास्थिति की पहचान के लिए टिप्पण संख्या 2.51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान एसएपी में विक्रेता के प्रारंभिक सृजन के समय की जाती है, तदुपरांत विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है।

15. विदेशी शाखा में मुकदमेबाजी

एमओडी ने सी एंड सी ओमान एल.एल.सी. (सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – भारत की अनुशंगी कंपनी) द्वारा

दायर मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राथमिक न्यायालय के निर्देश के अनुसार, आरओ 11.35 मिलियन की राशि रोक दी गई थी। ईपीआई ने वाद संख्या 119/1310/2021 का ब्यौरा एकत्र किया है और मस्कट प्राथमिक न्यायालय में अपील दायर की है। दिनांक 11.06.2023 को प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने सी एंड सी (ओमान) एल.एल.सी. के पक्ष में निर्णय जारी किया है। प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को चुनौती देते हुए ईपीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी और 17 अगस्त, 2023 को न्यायालय में इस अपील पर सुनवाई होनी थी। आगे सी एंड सी (ओमान), एलएलसी ने दिनांक 13.03.2023 को ने इस चल रहे वाणिज्यिक वाद 119/1310/2021 से सहबद्ध ओमान सल्तनत में ईपीआई के सभी लेखाओं, निधियों और बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को जब्त करने के लिए याचिका (294/4104/294) दायर कर दी और प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने दिनांक 14.03.2023 को ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने का न्यायिक निर्णय 124/2023 जारी किया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) को भी इस निर्णय को लागू करने को कहा। तदनुसार, 15 मार्च 2023 को सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.03.2023 को, ईपीआई ने ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्राथमिक न्यायालय में याचिका दायर की। इस की सुनवाई दिनांक 16.04.2023 को पूरी हुई और दिनांक 01.05.2023 को, माननीय प्राथमिक न्यायालय ने मैसर्स सी एंड सी ओमान एलएलसी द्वारा दायर मामले में ईपीआई बैंक खातों को फ्रीज करने के दिनांक 14.03.2023 के आदेश को रद्द करने का निर्णय जारी किया। दिनांक 14–05–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने प्राथमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। दिनांक 06–07–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने ईपीआई के पक्ष में प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अधिक्रमण वाली अपील प्रस्तुत की और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर ली। अपील न्यायालय से इस निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ईपीआई ने इस निर्णय पर विधिक सलाहकार के साथ पुनराविलोकन करने के उपरांत इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है। टिप्पण संख्या 2.53 देखें।

16. विदेशी शाखा में मध्यस्थ

ईपीआईएल के उप–ठेकेदार मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया। दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना द्वारा अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी–अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक तीसरे मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सका था, इसके अतिरिक्त, ओमान के लेखापरीक्षक द्वारा इस लेखापरीक्षा रिपोट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक पक्षकारों और मध्यस्थ के बीच दस्तावेजों का औपचारिक पत्र व्यवहार भी आरंभ नहीं हो पाया है।

17. विदेशी शाखा में बैंक में भोश की संपुष्टि

हमने अनुरोध किया परंतु बैंक मस्कट एसएओजी और भारतीय स्टेट बैंक – ओमान शाखा से शेष राशि की संपुष्टि नहीं की गई है, जिसके अभाव में, हम स्वय संतुष्ट नहीं हो पाये कि क्या सभी संव्यवहार और दायित्व ईपीआईएल ओमान शाखा ने अभिलिखित की हैं या नहीं। हमें सूचित किया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के निर्देशों के अनुसार बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदाई है। अन्य सूचना प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य सूचना से मिलकर बनी है जिसके अंतर्गत मंडल की रिपोर्ट के उपाबंध और शेयरधारकों की सूचना सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।

हमारे मतानुसार समेकित वित्तीय विवरण में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना का पठन करना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरण के साथ या लेखा परीक्षा के दौरान अभिप्राप्त हमारी जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से भ्रामक प्रतीत

होती है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अन्य सूचना में तात्विक मिथ्या कथन है, इस तथ्य की रिपोर्ट करने की हमसे अपेक्षा है, इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बात नहीं है।

प्रबंधन और जो समेकित वित्तीय विवरणों के शासन के लिए प्रभारी हैं, के उत्तरदायित्व

नियंत्री कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और समूह के नकदी प्रवाह जिसमें इसका संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन भी सम्मिलित हैं, का भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक भी सम्मिलित हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व में समूह की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षणय समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करनाय ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण होंय तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की योग्यता, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करना जब तक की निदेशक मंडल या तो कंपनी के परीसमापन की इच्छा ना रखते हैं या प्रसारण बंद करने की इच्छा न रखते है या ऐसा न करने का उनके पास कोई वास्तविक विकल्प ना हो। निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का भी पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदाई है।

लेखापरीक्षकों का समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन अभिप्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप में समेकित वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटि के कारण तात्विक मिथ्या कथन से स्वतंत्र हैं या नहीं और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार संचालित की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्या कथन का पता लगाएगी जब वह विद्यमान हो। मिथ्या कथन किसी कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त संभावना हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर अविश्वास बनाए रखते हैं, हमः

- समेकित वित्तीय विवरणों के तात्विक नित्य कथन के जोखिम का पता लगाते हैं और निर्धारण करते हैं चाहे यह कपट या त्रुटि, डिजाइन के कारण हो और इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और समुचित हो फुल शॉप किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप तांत्रिक विद्या कथन का पता ना लगाने का जोखिम उच्च जोखिम से अधिक है जो किसी त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है क्योंकि किसी कपट में मिलीभक्त, कपट, जानबूझकर भूल, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण को और प्रभावी करना शामिल होता है।

आंतरिक नियंत्रण पर एक समझ प्राप्त करना जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन करने के लिए सुसंगत

हैं जो परिस्थितियों में समुचित हो। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अनुसार हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदाई हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनो का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन के चालू समुत्थान के आधार पर संचिता का निष्कर्ष और अभी प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या चीटियों से संबंधित कोई तांत्रिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की चालू संविधान के आधार पर योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण आक्षेप करती है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, हमसे हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है जो एक कल वित्तीय विवरणों में प्रकटन से संबंधित है, या यदि ऐसा प्रकट अपर्याप्त है तो हमारे मत को अंतरित किया जाना है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्यों पर आधारित है। यदि पी भाभी घटनाएं या स्थितियां कंपनी को एक चालू समथान के रूप में बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों जिसके अंतर्गत प्रकटन है के समग्र प्रस्तुतीकरण ढांचे और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन और क्या समेकित वित्तीय विवरण किए गए संभावनाओं को और घटनाओं को ऐसी रीति में दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके।

समेकित वित्तीय विवरणों में नित्य कथनों की मात्रा व्यष्टिक रूप से यह समग्र रूप से तात्विक है, इस बात को संभाव्या बनाती है कि वित्तीय विवरणों की युक्ति युक्त जानकारी रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है। हम गुणात्मक तत्वों और गुणात्मक कारकों पर (प) हमारी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (पप) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं ।

हम उन लोगों के साथ संपर्क करते हैं जिनके ऊपर अन्य विषयों के साथ लेखा परीक्षा के योजना बनाए गए इसको और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी है जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है कि प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है।

हम उनको, जो प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जो हमने सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ स्वतंत्रता के संबंध में तैयार किया है और हम उनके साथ सभी नातेदारी और अन्य विषयों के साथ संपर्क करते हैं जिसका हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रभाव पड़ता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा पाए करते हैं।

हम उनके, जो शासन के लिए उत्तरदाई हैं, साथ संपर्क किए गए मामले से हम उन विषयों को स सूचित करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा विषय हैं। हम हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक की विधिया नियमों द्वारा उन विषयों का प्रकटन अकबर जितना हो या तब जब अत्याधिक दुर्लभ परिस्थितियों में हम अवधारित करते हैं कि उस विषय को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी संसूचना के लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव होंगे।

अन्य मामले

हमने निम्नलिखित आनुषंगी और संयुक्त रूप से नियमित प्रचालनों की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई आस्तियों के ब्यौरे, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाह उस परिमाण तक, जिसमें उन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होते है, दर्शाती है।

अस्तित्व का नाम	निवल आस्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुषंगी			
ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	4,02,470	शून्य	शून्य
संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन			
ईपीआई–सीएंडसी संयुक्त उद्यम*(अनिगमित)	शून्य	शून्य	शून्य
योग	4,02,470	शून्य	शून्य

*2 अगस्त, 2017 को किया गया संयुक्त रूप से नियंत्रण प्रचालन करार। कर्मचारी हितलाभ व्यय के लिए शून्य रुपए और अन्य व्यय के लिए शून्य रुपए, दोनों संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा प्रभाजित किए जाने वाले सामान्य व्यय है। इसलिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड ने अपने भाग के 40 प्रतिशत को शून्य माना है। संयुक्त उद्यम की शेष आस्तियां और दायित्व अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार अर्थात् सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड से संबंधित है।

यह वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना लेखा परीक्षित नहीं है और इसे हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां उसका संबंध इन आनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों के संबंध में सम्मिलित लेखाओं और प्रकटन से है तथा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के निबंधनों में जहां तक उसका संबंध पूर्वोक्त आनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन से है, केवल ऐसी लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना से है, जो समूह के लिए तात्विक नहीं है।

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में समूह का शून्य रुपए निवल हानि (पूर्व वर्ष हानि शून्य) का भाग 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सम्मिलित है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में ईपीआई के आनुषंगी ईपीआई अर्बन इंफ्रा डवलेपर्स लिमिटेड के संबंध में विचार किया गया है। आनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही तारीख 19 मई, 2016 से प्रचालन नहीं कर रही है और इस प्रकार निवल हानि को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में "जारी न रखे गए प्रचालन से हानि के रूप में दर्शाया गया है"। तथापि, नियंत्री कंपनी (ईपीआईएल) ने अनुषंगी में अपने वित्तीय विवरण में निवेश के मूल्य का पूर्णतया अमूल्यन कर दिया है ।

(समेकित वित्तीय विवरणों का टिप्पण 2.13 देखें)

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूर्वोक्त मामलों के संबंध में हमारे प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय सूचना के अवलंब में उपांतरित नहीं है ।

हमने कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल 4 (चार) प्रादेशिक कार्यालयों और 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिन्हें कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जिनकी विवरणियां/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2023 (31 मार्च, 2022) की स्थिति के अनुसार कुल 2,10,090 लाख रुपए (1,91,761 लाख रुपए) की कुल अस्तियों, 2,05,633 लाख रुपये (1,92,291 लाख रुपये) के कुल दायित्व तथा उस तारीख की स्थिति के अनुसार 1,13,928 लाख़ रुपए (74,056 लाख रुपए) के कुल राजस्व को जैसाकि समेकित वित्तीय विवरणियों में माना गया है, प्रदर्शित करती है। इन कार्यालयों/शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/सूचना की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारे मतानुसार इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई धनराशियों और प्रकटन का संबंध है केवल ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस विशय के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(ई) के निबंधनों में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची **V** के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त किये जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारे मतानुसार जहां तक लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं (और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरण या शाखाओं से जिनका हमने दौरा नहीं किया है प्राप्त कर ली गई हैं)।

   ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

   (घ) हमारे मतानुसार पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आधिससूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5.06. 2015 के निबंधनों में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपाबंध "क" पर पृथक रिपोर्ट देखें।

   छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      क) कंपनी के कुछ लंबित मुकदमे हैं जिनका कंपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पण सं. 2.26 देखें।

      ख) कंपनी ने कोई ऐसी दीर्घावधिक संविदांए नहीं की थी जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं भी सम्मिलित हैं, जिन पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान, थे।

      ग) ऐसी कोई धनराशि नहीं थी जिसे निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करना अपेक्षित था।

      घ) लोप कर दिया गया।

      ङ) (I) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी, अन्य व्यक्ति या किसी निकाय को जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं इस

समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा किन्ही निधियों को अग्रिम के रूप में यह ऋण के रूप में या निवेश के रूप में नहीं प्रदान किया है की चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें किसी भी रूप में कंपनी द्वारा यह उसके निमित्त (वास्तविक लाभार्थी) पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या निकाय को ऋण के रूप में या विधान के रूप में नहीं दिया जाएगा या वास्तविक लाभाथी की ओर से गारंटी, प्रतिभूति,या इसी तरह कुछ प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ii) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी ने किन्ही व्यक्तियों या निकायों जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (वित्त पोषण करने वाले पक्षकार) सम्मिलित हैं इस समझौते के साथ चाहे लिखित हो या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है कि कंपनी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्ति या निकायों को वित्त पोषण करने वाले पक्ष कार (वास्तविक लाभार्थी) द्वारा या उनके निमित्त उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या गारंटी, प्रतिभूति,या इसी तरह कुछ प्रदान नहीं किया जाएगा।

ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में युक्तियुक्त और समीचीन समझा गया है उनकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमारा यह विश्वास हो कि उपखंड (ङ) (प) और उपखंड (ङ) (पप) मै कोई तात्विक मिथ्या कथन सम्मिलित है।

(च) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा यह संदाय नहीं किया गया है।

(छ) कंपनी ने अपनी लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए ''एसएपी'' लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा अभिखित करने की सुविधा उपलब्ध है और इसे सॉफ्टवेयर और लेखापरीक्षा में अभिलिखित सभी संव्यवहार के लिए पूरे वर्ष प्रचालित किया गया है। ट्रेल सुविधाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी ने ऑडिट ट्रेल को अभिलेख प्रतिधारण के लिए सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी संरक्षित किया है।

4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के के अधीन जारी निदेशों के अनुसरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई कंपनी की 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट के संबंध में हमारी **"उपाबंध ख"** पर पृथक रिपोर्ट देखें।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 20.07.2023

यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडके9462

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध–क

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड "(ईपीआईएल") के समसंख्यक तारीख की समेकित वित्तीय विवरणों पर 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट' शीर्ष के अधीन पैरा 3 के उप पैरा (च) में उल्लिखितः

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (प) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (''कंपनी'') की 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भाखा की समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षित रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की निवलता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह भाख की नीतियां सहित अपने कारबार का व्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से निश्चय कर सकें।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्तियुक्त विवरण, निवलता और न्यायोचित रूप से कंपनी की आस्तियों, के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैंय

2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा हैय और

3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या भाखा की आस्तियों के निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मतानुसार सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि व्यापार प्राप्य, व्यापार संदेय एवं अन्य पक्षकारों से भोश की संपुश्टि एवं मिलान प्राप्त करने में सुधार की आवश्यकता है।

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20.07.2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडके9462

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का उपाबंध 'ख'

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी सम संख्यंक तारीख की रिपोर्ट के "अन्य विधिक विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट" शीर्ष के अधीन पैरा 4 में उल्लिखितः

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेश पर रिपोर्ट

क्र. सं.	निदेश	प्रत्युतर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है ? यदि हां तो वित्तीय विविक्षताओं के साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखाओं की विविक्षतांओं का उल्लेख करें।	कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है। कंपनी ने एसएपी प्रणाली पर लेखों को अनुरक्षित किया है।
2.	क्या कंपनी की किसी विद्यामान ऋण या पुनर्संदाय करने में असमर्थता के कारण किसी उधार दाता द्वारा दिए गए ऋण/उधार/ब्याज आदि के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्रचना किया गया है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का कथन किया जाए।क्या ऐसे मामलों को उचित रूप से गणना में लिया गया है? (यदि उधार दाता सरकारी कंपनी है तो यह निवेश उधार दाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों के हमारी जांच के आधार पर किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्रचना नहीं है या किसी विद्यमान उधार या उधार दाता द्वारा दिए गए किसी उधार/ऋण/ब्याज के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।
2.	केंद्रीय/राज्य अभिकरण से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को उचित रूप से निबंधन और शर्तों के अनुसार गणना में लिया गया है/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर विशिष्ट स्कीमों के लिए केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या 013838एन/एन500003

(संजय कुमार गुप्ता)
पदनामित भागीदार
(सदस्यता संख्या 093056)
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20.07.2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडके9462

लेखापरीक्षकों की अर्हता का प्रत्युत्तर (समेकित वित्तीय विवरण)

क्र. सं.	लेखापरीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
1.	लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार के अनुसार केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद पड़ी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम इनके भोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्ष तक की वसूली के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि भोध्य राशि 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया है तो परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए संदेहास्पद कर्ज/ऋण और अग्रिम के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। अतः प्राप्य संदेहास्पद ऋणों के सापेक्ष प्रावधान उन भोध्यों के लिए नहीं किया जाता है जो विवादाधीन हैं और जिनमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और जो 10 वर्ष से कम समय से प्राप्य है। क) जैसा कि शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 10 वर्षों से अधिक के व्यापार प्राप्य /अन्य अग्रिम/ग्राहक, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य/प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन/विवादित बकाया राशि 3600.80 लाख रुपये है, जिसमें से नीति में वर्णित प्रावधान के अनुसरण में संदेहास्पद ऋण के लिए 499.58 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, वर्ष के लाभ में 3101.22 लाख रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है। ख) डब्ल्यूआरओ शाखा में, उप–ठेकेदार को किए गए अग्रिम संदाय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यद्यपि उप–ठेकेदार 1066.23 लाख रुपये के दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन/मुकदमेबाजी के अधीन है। तदनुसार, वर्ष के लिए हानि में 1066.23 लाख रुपये का कम उल्लेख हुआ है और अन्य चालू आस्तियों (विक्रेताओं से वसूली योग्य) को इतनी ही राशि का अधिक उल्लेख हुआ है।	**मौजूदा लेखांकन नीति संख्या 1.10 के अनुसार** केंद्र/राज्य सरकारों और उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों और विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम उनके भोध्य बन जाने के वर्ष से 10 वर्षों तक वसूली के लिए अच्छी मानी जाती है। इन ऋणों की वसूली के लिए लगातार दबाव डाला जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम समझौता नहीं हो जाता या विवाद की स्थिति में मध्यस्थ अधिकरण/न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं सुनाया जाता। यदि परियोजना के आधार पर कोई निवल प्राप्य राशि प्रबंधन द्वारा मामले के पिछले अनुभव/प्रगति/मूल्यांकन किये जाने के आधार पर 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, तो उक्त के लिए संदिग्ध ऋणों/ऋणों और अग्रिमों के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान किया जाता है। व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम पर बट्टे खाते में डाल दिये जाते हैं जब उनकी वसूली प्राप्य समझी जाती है। मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय में लंबित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। ऊपर दर्शाया गया निवल प्राप्य से तात्पर्य है कि ग्राहक की ओर से कुल भोध्य राशि, संबंधित परियोजना के उपठेकेदारों को संदेय राशि से घटाई गयी है। तदनुसार प्रावधान किये जा रहे हैं।
2.	मैसर्स सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" 60 प्रतिशत का स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार इस समय एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।	कंपनी इस मामले में परिसमापक से निरंतर संपर्क में है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों पर प्रत्युत्तर (समेकित वित्तीय विवरण)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>व्यापार प्राप्यों, संकर्म के लिए अग्रिम, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन, ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से उधार और अग्रिम तथा प्राप्यों के निम्नलिखित भोश के संबंध में शेष की सकारात्मक बाह्य संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि के उपलब्ध न होने के कारण इन वित्तीय विवरणों से उद्भूत प्रभाव, यदि कोई है की मात्रा बताने में हम असमर्थ हैं।
<table>
<tr><th>विशिष्टियां</th><th>धनराशि (लाख रुप्ए में)</th></tr>
<tr><td>संर्कम के लिए अग्रिम</td><td>7021.46</td></tr>
<tr><td>प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन</td><td>33277.11</td></tr>
<tr><td>व्यापार प्राप्य</td><td>19769.37</td></tr>
<tr><td>अन्य वसूली योग्य</td><td>47615.06</td></tr>
</table>
यद्यपि कंपनी ने सभी संबंधित ग्राहकों को नकारात्मक शेष की पुष्टि का अनुरोध किया किंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एसए 505– बाह्य संपुष्टि के अनुसार, नकारात्मक संपुष्टि अनुरोध के लिए कोई प्रत्युत्तर ना प्राप्त करना शोध्य धनराशि के सही होने या संपुष्टि करने वाले पक्षकार द्वारा धनराशि की संपुष्टि करने की इच्छा ना होने को दर्शाता है। इसलिए उक्त धनराशियों के सही होने, विद्यमान होने और पूर्ण होने का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तथापि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार नकारात्मक संपुष्टि लेखा परीक्षा का साक्ष्य है इसलिए पूर्वोक्त के आधार पर हम अपनी राय को अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.43 देखें।</td><td>व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम तथा प्रतिधारण धन और प्रतिभूति जमा के शेष की संपुष्टि में कंपनी निरंतर पिछले कई वर्षों से पूरे उद्योग में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, प्रथा का पालन कर रही है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>निम्नलिखित व्यापार प्राप्य, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धन शेष की सकारात्मक संपुष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष की संपुष्टि उपलब्ध ना होने के कारण वित्तीय विवरणों पर उद्भूत होने वाले किसी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।
<table>
<tr><th>विशिष्टियां</th><th>धनराशि (लाख रुपयें में)</th></tr>
<tr><td>व्यापार संदेय</td><td>80324.89</td></tr>
<tr><td>प्रतिभूति जमा, प्रतिधारण धन एवं बयाना राशि</td><td>37595.21</td></tr>
<tr><td>प्राप्त अग्रिम</td><td>66000</td></tr>
<tr><td>ग्राहक को अन्य संदेय</td><td>783.87</td></tr>
</table></td><td>व्यापार प्राप्य और अन्य पक्षकारों को संदेय के शेष की संपुष्टि में कंपनी निरंतर पिछले कई वर्षों से पूरे उद्योग में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, प्रथा का पालन कर रही है।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	कंपनी का प्रत्युत्तर
3.	विवाद/बातचीत के अधीन संविदाओं के संबंध में संविदात्मक दायित्वों से उद्भूत परिसमाप्त नुकसान को अंतिम निपटान तक संदेय/प्राप्य नहीं माना जाता है, निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा 63.80 लाख रुपये (पूर्व वर्श 57.11 लाख रुपये) रोक दिये गये हैं और इसका प्रकटन अन्य गैर–चालू आस्तियां ''ग्राहकों, विक्रेताओं और अन्य से वसूली योग्य'' के रूप में किया गया है।	लेखांकन नीतियों के खंड (3) उप खंड (छ) के अनुसार यदि एलडी के सापेक्ष रोकी गई कोई राशि संदेय/प्राप्य नहीं मानी जाती है और अंतिम निपटारे तक उसे लेखाबद्ध नहीं किया जाता है।
4.	कंपनी ने द्वितीय तल, कोर–3 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली का परिसर मैसर्स कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड (सीईएसएल) को किराए पर दिया है। पट्टा करार के अनुसार, पट्टेदार को किराए के विलंब से संदाय पर एसबीआई एमसीएलआर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान 2022–23 पट्टेदार ने समय पर किराया नहीं चुकाया है, तदनुसार पट्टेदार से 46.50 लाख रुपये का ब्याज वसूला जाना है, किंतु उसे दर्शाया नहीं गया है। तदनुसार आय में 46.50 लाख का कम उल्लेख हुआ है।	विवेक के सिद्धांत के आधार पर दावे के कारण राजस्व को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। यह मामला मैसर्स कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड (सीईएसएल) के विचाराधीन है।
5.	ब्कंपनी की वसूली योग्य टीडीएस, संदत्त अग्रिम कर और आयकर दायित्व से वसूलनीय टीसीएस की उनके संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ही अंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात पद्धति है। यद्यपी यह उल्लेख करना सुसंगत है कि उक्त नीति के कारण वसूली योग्य टीडीएस, अग्रिम कर और वसूली योग्य टीसीएस की धनराशियों द्वारा आस्तियों और दायित्व का अधिक उल्लेख हुआा है। क्योंकि इनका वित्तीय प्रभाव तात्विक नहीं है इसलिए हम उन पर अपनी राय अर्हित नहीं कर रहे हैं। टिप्पण संख्या 2.11 और टिप्पण संख्या 2.17 देखें।	कंपनी आयकर रिटर्न भरते समय कर निर्धारण की जगह समायोजन प्रविष्टि करेगी। हालाँकि, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आयकर लेखा में शून्य देनदारी है।
6.	ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राश्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निश्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र माध्यम से अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निश्पादन न होने पर भाोध्य के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) देखें।	ईओएम में बताई गई बात तथ्यात्मक है और दिनांक 11.03.2022 को इसकी 278वीं बैठक में निदेशक मंडल को पहले ही संसूचित किया जा चुका है।

Sl. No.	Auditor's Key Audit Matters	Company's Reply
7.	समेकित वित्तीय विवरण, दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम – ''अप्रत्यक्ष कर (वसूली योग्य, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अग्रिम) की ''टिप्पण संख्या 2.11 देखें जिसमें संकर्म संविदा कर/वैट के लिए 1314.77 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। जैसा कि हमें बताया गया है, यह कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है और ग्राहकों और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य है। जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ऐसे दावे परियोजना के पूरा होने के समय अंतिम निपटान के साथ और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों के साथ अंतिम मूल्यांकन के समय ग्राहक से किए जाते हैं। हालाँकि, ग्राहकों/कर प्राधिकरणों के पास ऐसे दावों के दस्तावेज/संपुष्टि हमारे सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराए गये हैं, दावों के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में हम उनकी पुनर्प्राप्ति/उचितता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान मामले की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो अपेक्षित समायोजन प्रविष्टियाँ पास की जाएंगी।
8.	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 5 मामले रजिस्टर किए गए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें ''कंपनी'' पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उसके वित्तीय कारणों पर कोई वित्तीय प्रभाव परिकल्पित नहीं है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के धन की धोखाधड़ी/दुरुपयोग का भी 01 मामला भी दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है। वित्तीय वर्ष में 22–23 कंपनी में श्री अक्षत अनेजा (सहायक प्रबंधक, वित्त) द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की गई है, जो म्यांमार परियोजना के साथ–साथ कॉर्पोरेट कार्यालय वित्त के बैंकिंग प्रभाग में कार्यरत थे। इसमें निहित राशि की मात्रा का पता लगाने के लिए आंतरिक समिति का गठन किया गया था, जो अंततः 48.11 लाख रुपये और ₹8.50 लाख श्री अक्षत अनेजा को वसूली योग्य टूर अग्रिम के रूप में सामने आई, जिसमें से केवल 0.50 लाख रुपये की वसूली की गई है और शेष अभी भी लंबित है। मामला सीबीआई के पास लंबित है और कर्मचारी निलंबित है। हालाँकि, आज तक, उपरोक्त मामले की जाँच अभी भी जारी है। नोट संख्या देखें– 2–41–	यह मामला पहले ही निदेशक मंडल के संज्ञान में लाया जा चुका है। निदेशक मंडल के निर्देशानुसार मामले को तदनुसार निपटाया जा रहा है। सतर्कता प्रभाग द्वारा ऐसे मामलों की प्रगति की आगे की रिपोर्टिंग निदेशक मंडल को समय–समय पर की जा रही है।
9.	हम टिप्पण संख्या 2.48 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने 8वीं और 9वीं मंजिल पर नगर निगम के कक्ष संख्या–50 चौरंगी रोड, कोलकाता–71 में 15000 वर्ग फुट क्षेत्र लिया था जिसकी अवधि 30.09.2015 को समाप्त हो गई है और मामला 2016 की संख्या 144 के माध्यम से निर्णय के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजा गया है। पट्टादाता (मैसर्स स्क्वायर फोर एसेट्स मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) ने माननीय एकल पीठ द्वारा पट्टादाता के पक्ष में दिनांक 03.11.2022 को पारित निर्णय के सापेक्ष अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2022 तक की अवधि के संबंध में वर्ष 2022 के जीए सं. 18 दिनांक 08.02.2022 द्वारा 5952.70 लाख रुपये (इसमें 2581.27 लाख रुपये ब्याज और 514.28 लाख रुपये जीएसटी सम्मिलित) का दावा किया था। कंपनी दिनांक 28.11.2022 को माननीय एकल पीठ के उक्त आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में चली गई और 9 जून 2023 को खंडपीठ ने माननीय एकल पीठ का आदेश रद्द	निदेशक मंडल की दिनांक 22.11.2021 को आयोजित 277वीं बैठक में और उसके उपरांत दिनांक 06.07.2022 को आयोजित 279वीं बैठक में भी निदेशक मंडल को इस मामले से अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मंडल की आगामी बैठकों में इसके समापन तक इसकी सूचना दी जाती रहेगी।

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Auditor's Key Audit Matters</th><th>Company's Reply</th></tr>
<tr><td></td><td>कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने वित्त वर्ष 21–22 के दौरान 1656.81 लाख रुपये (जीएसटी को छोड़कर) के लिए युक्तयुक्त रूप से 1659.22 लाख रुपये (31.03.2022 तक 1659.22 लाख रुपये) के दिनांक 31.03.2023 तक संचयी प्रावधान के साथ पट्टा किराये के सापेक्ष प्रावधान किया है। इसे टिप्पण संख्या 2.4 में दीर्घवधिक प्रावधान मद के अंतर्गत विधिवत दर्शाया गया है।</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>एनआरओ शाखा, 62.22 लाख रुपये का वह राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है और जिसके लिए परियोजना को पूर्ण करने के बाद भी उप–ठेकेदारों से चालान प्राप्त न होने के कारण चालान नहीं दिया गया है। यद्यपि उस परियोजना के लिए पूरा व्यय लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है।</td><td>ग्राहकों पर चालान नहीं बनाए जा सके क्योंकि उप–ठेकेदारों से संबंधित चालान प्राप्त नहीं हुए।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>कर्मचारियों के संबंध में कुल बकाया राशि जिसमें पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विशिष्टियां</th><th>धनराशि (लाख रुपए में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>संदेय राशि–कर्मचारी</td><td>96.20</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कार्यनिष्पादन संबद्ध संदेय वेतन</td><td>23.06</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>तृतीय पीआरसी (वेतन संशोधन) के लिए दायित्व</td><td>474.93</td></tr>
</table></td><td>मामले के समाधान के लिए चालू वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।
1. 96.20 लाख रुपये की राशि सामान्य अवधि में भोध्य है और समुचित समय पर भुगतान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।
2. संबंधित कर्मचारियों से आवश्यक अद्यतन विवरण प्राप्त होने के उपरांत पीआरपी राशि का भुगतान समुचित समय पर किया जाएगा।
3. तृतीय पीआरसी से संबंधित बकाया राशि का आंशिक भुगतान कर दिया गया है। 474.93 लाख रुपये की संदेय राशि का भुगतान समुचित समय पर कर दिया जाएगा।</td></tr>
</table>

Sl. No.	Auditor's Key Audit Matters	Company's Reply
12.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधीन कुछ आस्तियों के मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ विचार की गई उपयोगी जीवन की अवधि गलत है। यदि मूल्यह्रास की सही गणना की गई होती तो ''कंप्यूटर और उपस्कर'', ''फर्नीचर और सज्जा'' और ''कार्यालय और अन्य उपकरण'' का शेष 1.49 लाख रुपये, 1.71 लाख रुपये और 0.07 लाख रुपये अधिक होता। ''मूल्यह्रास और अपाकरण व्यय'' 3.27 लाख रुपये कम होता और रिर्पोटाधीन वर्श के लिए तत्स्थापनी लाभ 3.27 लाख रुपये अधिक होता। गत वर्षों में ऐसी त्रुटियों के प्रभाव, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों में त्रुटि का प्रभाव तात्विक नहीं है, इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।	जैसा कि लेखा परीक्षक ने बताया है कि राशि तात्विक नहीं है। हालाँकि भविष्य में यथोचित सावधानी बरती जाएगी।
13.	राजस्व मान्यता के लिए अपनाई गई पूर्णता पद्धति के प्रतिशत पर टिप्पण संख्या 1(3)(क)/(ख)/(ट) में लेखांकन नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान एनआरओ शाखा ने 1,707.16 लाख रुपये के संर्कम व्यय को मान्यता दी है और उन तीन परियोजनाओं पर पूर्णता प्रतिशत के आधार पर प्रचालन से राजस्व की तत्स्थानी गणना की है जिसके लिए ठेकेदार को साइट–प्रभारी और प्रादेशिक प्रभारी – प्रभारी एवं वित्त प्रभारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस प्रमाणपत्र के साथ संगणना या अनुमान से संबंधित कोई कार्य संबद्धं है। अनुमान की सत्यता को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। साथ ही, हम यह प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्तियों की तकनीकी क्षमता का पता लगाने में भी असमर्थ रहे। यद्यपि, प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों में संभावित भिन्नता के समग्र प्रभाव, एनआरओ शाखा के वित्तीय विवरणों पर इसके तात्विक प्रभाव के संबंध में हमारे पास कोई प्रतिकूल दृष्टि बनाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए हमने इस संबंध में अर्हित राय नहीं दी है।	यह तथ्यात्मक स्थिति है जो टिप्पण 3(ख) में दिखाई दे रही है।
14.	विक्रेताओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रास्थिति की पहचान के लिए टिप्पण संख्या 2.51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान एसएपी में विक्रेता के प्रारंभिक सृजन के समय की जाती है, तदुपरांत विक्रेताओं की एमएसएमई प्रास्थिति की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है।	विक्रेताओं से ऐसी किसी भी सूचना की प्राप्ति पर विक्रेताओं की प्रास्थिति अद्यतन की जाती है।
15.	एमओडी ने सी एंड सी ओमान एल.एल.सी. (सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – भारत की अनुशंगी कंपनी) द्वारा दायर मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राथमिक न्यायालय के निर्देश के अनुसार, ओमानी रियाल 11.35 मिलियन की राशि रोक दी गई थी। ईपीआई ने वाद संख्या 119/1310/2021 का ब्यौरा एकत्र किया है और मस्कट प्राथमिक न्यायालय में अपील दायर की है। दिनांक 11.06.2023 को प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने सी एंड सी (ओमान) एल.एल.सी. के	यह तथ्यात्मक स्थिति है जो टिप्पण 2.53 में दिखाई दे रही है।

Sl. No.	Auditor's Key Audit Matters	Company's Reply
	पक्ष में निर्णय जारी किया है। प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को चुनौती देते हुए ईपीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी और 17 अगस्त, 2023 को न्यायालय में इस अपील पर सुनवाई होनी थी। आगे सी एंड सी (ओमान), एलएलसी ने दिनांक 13.03.2023 को ने इस चल रहे वाणिज्यिक वाद 119/1310/2021 से सहबद्ध ओमान सल्तनत में ईपीआई के सभी लेखाओं, निधियों और बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को जब्त करने के लिए याचिका (294/4104/294) दायर कर दी और प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने दिनांक 14.03.2023 को ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने का न्यायिक निर्णय 124/2023 जारी किया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) को भी इस निर्णय को लागू करने को कहा। तदनुसार, 15 मार्च 2023 को सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.03.2023 को, ईपीआई ने ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्राथमिक न्यायालय में याचिका दायर की। इस की सुनवाई दिनांक 16.04.2023 को पूरी हुई और दिनांक 01.05.2023 को, माननीय प्राथमिक न्यायालय ने मैसर्स सी एंड सी ओमान एलएलसी द्वारा दायर मामले में ईपीआई बैंक खातों को फ्रीज करने के दिनांक 14.03.2023 के आदेश को रद्द करने का निर्णय जारी किया। दिनांक 14–05–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने प्राथमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। दिनांक 06–07–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने ईपीआई के पक्ष में प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अधिक्रमण वाली अपील प्रस्तुत की और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर ली। अपील न्यायालय से इस निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ईपीआई ने इस निर्णय पर विधिक सलाहकार के साथ पुनराविलोकन करने के उपरांत इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है। टिप्पण संख्या 2.53 देखें।	
16.	ईपीआईएल के उप–ठेकेदार मैसर्स एमएसए ग्लोबल एलएलसी ने 12.04.2023 को आईसीसी में मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया। दिनांक 18.04.2023 को अधिसूचना द्वारा अधिसूचना जारी की गई। मैसर्स एमएसए ग्लोबल और ईपीआई ने क्रमशः अपनी–अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिए हैं और तीसरा मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक तीसरे मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सका था, इसके अतिरिक्त, ओमान के लेखापरीक्षक द्वारा इस लेखापरीक्षा रिपोट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक पक्षकारों और मध्यस्थ के बीच दस्तावेजों का औपचारिक पत्र व्यवहार भी आरंभ नहीं हो पाया है।	यह तथ्यात्मक स्थिति है।
17.	हमने अनुरोध किया परंतु बैंक मस्कट एसएओजी और भारतीय स्टेट बैंक – ओमान शाखा से शेष राशि की संपुष्टि नहीं की गई है, जिसके अभाव में, हम स्वय संतुष्ट नहीं हो पाये कि क्या सभी संव्यवहार और दायित्व ईपीआईएल ओमान शाखा ने अभिलिखित की हैं या नहीं। हमें	भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट से 31–03–2023 की स्थिति के अनुसार बैंक विवरणी डाउनलोड कर लेखा परीक्षकों को उपलब्ध

Sl. No.	Auditor's Key Audit Matters	Company's Reply
	सूचित किया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के निर्देशों के अनुसार बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।	करा दी गई है और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बैंक मस्कट में कोई संव्यवहार नहीं हुआ। हालाँकि, एसबीआई–मस्कट और बैंक मस्कट से शेष राशि की संपुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया था लेकिन उन्होंने इसे प्रदान करने से इनकार कर दिया क्योंकि माननीय प्राथमिक न्यायालय–मस्कट के निर्देशों का पालन करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान द्वारा ईपीआई के बैंक खाते जब्त कर लिये गये हैं।

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

(राशि लाख रुपए में)

सं.	विशिष्टिया	टिप्पण	31 मार्च, 2023 की स्थीति के अनुसार		31 मार्च, 2022 की स्थीति के अनुसार	
I	**साम्या और दायित्व**					
1.	**शेयर धारकों की निधियां**					
	क) शेयर पूंजी	2.1	**3,542.27**		3,542.27	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**4,852.15**		4,807.88	
	ग) गैर नियंत्रणकारी ब्याज		**1.97**		1.97	
	घ) शेयर वारटों के सापेक्ष प्राप्त धन		**-**	**8,396.39**	-	8,352.12
2.	**आबंटन के लंबित रहने के दौरान शेयर आवेदन धन**			**-**		-
3.	**गैर चालू दायित्व**					
	क) दीर्घावधिक उधार		**-**		-	
	ख) आस्थगित कर दायित्व (निवल)				-	
	ग) अन्य दीर्घावधिक दायित्व	2.3	**61,997.85**		68,748.54	
	घ) दीर्घावधिक प्रावधान	2.4	**4,775.25**	**66,773.10**	4,757.94	73,506.48
4.	**चालू दायित्व**					
	क) अल्पावधिक उधार	2.5	**1,697.07**		41.53	
	ख) व्यापार संदेय:–	2.6				
	I) एमएसएमई को देय		**12,961.18**		3,463.91	
	ii) एमएसएमई से भिन्न अन्य को देय		**50,125.71**		41,043.96	
	ग) अन्य चालू दायित्व	2.7	**79,668.47**		77,770.27	
	घ) अल्पावधिक प्रावधान	2.8	**834.82**	**145,287.25**	1,163.04	123,482.71
	योग			**220,456.74**		205,341.31
II	**आस्तियां**					
1.	**गैर–चालू आस्तियां**					
	क) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियां					
	I) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2.9(i)	**660.93**		665.12	
	II) अमूर्त आस्तियां	2.9(ii)	**68.20**		20.05	
	III) चालू पूंजीगत कार्य		**-**		-	
	IV) विकासाधीन अर्मूत आस्तियां	2.9(iii)	**-**		78.38	
	ख) गैर चालू निवेश					
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	2.10	**1,080.47**		1,295.32	
	घ) दीर्घावधिक उधार और अग्रिम	2.11	**9,438.38**		7,009.43	
	ङ) अन्य गैर चालू आस्तियां	2.12	**47,402.41**	**58,650.39**	54,810.11	63,878.41
2.	**चालू आस्तियां**					
	क) चालू निवेश		**-**		-	
	ख) माल सूचियां	2.13	**210.74**		196.36	
	ग) व्यापार प्राप्य	2.14	**13,719.76**		19,267.84	
	घ) नकदी और नकदी समतुल्य					
	I) नकदी और नकदी समतुल्य	2.15 (i)	**39,704.91**		36,317.01	
	II) अन्य बैंक शेष	2.15 (ii)	**13,053.85**		12,654.78	
	ङ) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	2.16	**29,391.50**		24,887.93	
	च) अन्य चालू आस्तियां	2.17	**65,725.59**	**161,806.35**	48,138.98	141,462.90
	योग	1		**220,456.74**		205,341.31
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2.1 से 2.54		**-**		-

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 013838एन /एन500003

ह०/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदाभिहित भागीदार
सदस्यता सं. 093056
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 जुलाई, 2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडके9462

कृते निदेशक बोर्ड और उसकी ओर से

ह०/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10234285

ह०/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07022825

ह०/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह०/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(राशि लाख रुपए में)

सं.	विशिष्टियां	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.18	**113,196.27**	73,617.34
II.	अन्य आय	2.19	**1,315.59**	1,368.28
III.	**कुल आय (I+II)**		**114,511.86**	74,985.62
IV.	**व्ययः**			
	प्रचालन व्यय	2.20	**103,709.77**	68,464.02
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	2.21	**7,428.72**	7,447.70
	वित्तीय लागत	2.22	**383.14**	478.14
	मूल्यह्रास एवं अपाकरण व्यय	2.9	**112.54**	88.16
	अन्य व्यय	2.23	**2,617.84**	4,735.30
	पूर्वावधि व्यय (निवल)	2.24	**-**	3.80
	कुल व्यय		**114,252.01**	81,217.12
V.	**अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि) और कर (III-IV)**		**259.85**	(6,231.50)
VI.	अपवादी मदें		**-**	-
VII.	**असाधारण मदों और कर से** पूर्व लाभ/(हानि) **(V-VI)**		**259.85**	(6,231.50)
VIII.	असाधारण मदें		**-**	-
IX.	**कर से पूर्व लाभ/(हानि), (VII-VIII)**		**259.85**	(6,231.50)
X.	कर व्यय			
	(1) चालू कर		**0.73**	-
	(2) पूर्व के वर्षों के लिए कर समायोजन (निवल)		**-**	237.87
	(3) अस्थगित कर		**214.85**	36.98
XI	**जारी रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (IX-X)**		**44.27**	(6,506.35)
XII	जारी ना रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		**-**	-
XIII	जारी ना रखे गए प्रचालनों का कर व्यय		**-**	-
XIV	**जारी ना रखे गए प्रचालनों से (करोपरांत) लाभ/हानि) (XII-XIII)**		**-**	-
XV	**लाभ/हानि) (XI+XIV)**		**44.27**	(6,506.35)
XVI	**प्रति शेयर अर्जन**	2.39		
	(1) आधारिक		**0.12**	(18.37)
	(2) कम किया गया		**0.12**	(18.37)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 to 2.54		

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 013838एन/एन500003

ह०/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदाभिहित भागीदार
सदस्यता सं. 093056
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 जुलाई, 2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडके9462

कृते निदेशक बोर्ड और उसकी ओर से

ह०/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10234285

ह०/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07022825

ह०/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह०/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मद	**259.85**	(6,231.50)
निम्नलिखित के लिए समयोजन		
. मूल्यह्रास और अपाकरण	112.54	88.16
. आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	2.37	1.26
. सावधि जमा पर ब्याज	(36.01)	(23.94)
. विदेशी मुद्रा में विनिमय परिवर्तन का प्रभाव (निवल)	415.26	(185.02)
.ब्याज व्यय	383.14	478.14
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**1,137.15**	(5,872.90)
. माल सूचियों में कमी/(वृद्धि	(14.38)	(178.51)
. व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	6,045.12	7,335.85
. व्यापार संदेयों में वृद्धि/(कमी)	20,161.93	2,015.36
. धारणाधिकार के अधीन सावधि जमा में कमी/(वृद्धि)	(4.43)	(4.42)
. कार्यशील पूंजी में वृद्धि/(कमी)	(18,864.66)	3,523.24
प्रचालनों से सृजित नकदी	**8,460.73**	6,818.62
घटाएं:		
. ब्याज आय	(383.14)	(478.14)
. आय कर	(215.58)	(274.85)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**7,862.01**	6,065.63
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
. स्थायी अस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(88.71)	(57.82)
. आस्तियों के विक्रय से आगत	8.21	4.20
. डीटीए में कमी/(वृद्धि)	214.85	36.98
. दीर्घावधिक अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	(2,428.95)	3,609.25
. अन्य चालू अस्तियों से भिन्न में कमी/(वृद्धि)	6,915.09	2,559.46
. ब्याज आय	36.01	23.94
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी	**4,656.51**	6,176.02
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
. संदत्त लाभांश	-	-
. संदत्त लाभांश कर	-	-
. दीर्घावधिक प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	17.31	1,547.97
. दीर्घावधिक दायित्व से पुनर्संदाय)/आगत	(8,333.60)	5,186.62
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(8,316.29)**	6,734.59
विदेशी मुद्रा का प्रभाव	**(415.26)**	185.02
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि	**3,786.97**	19,161.26
वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	48,971.79	29,810.53
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**52,758.75**	48,971.79
नकदी और नकदी समतुल्य का मिलान		
हाथ में नकदी (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	-	-
हाथ में चेक (टिप्पण संख्या 2.16 देखें)	-	-
संव्यवहार में विप्रेषण	-	-
चालू खातों में बैंक में शेष (टिप्पण संख्या 2.16 देखें	39,704.91	36,317.01
अन्य बैंकों में सावधि जमाओं में भोश (टिप्पण संख्या 2. 16 देखें)	13,053.85	12,654.78
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**52,758.76**	48,971.79

टिप्पण:

1) नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकद और बैंकों में शेष सम्मिलित है जिसके अंतर्गत धारानाधिकार/मार्जिन सावधि जमा को छोडकर सावधि जमा और चलनिधि निवेश भी सम्मिलित है।

2) उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस– 3 "नकदी प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार की गई है।

3) नकदी और नकदी समतुल्य में नकद और अन्य बैंक शेष तथा बैंक में जमा सम्मिलित है।

4) जहां भी आवश्यक हुआ पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत, पुनःइकट्ठा किया गया है और उन्हें पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. **013838एन/एन500003**

ह०/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदाभिहित भागीदार
सदस्यता सं. **093056**
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः **20 जुलाई, 2023**
यूडीआईएनः **23093056बीजीटीजेडजेडके9462**

कृते निदेशक बोर्ड और उसकी ओर से

ह०/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः **10234285**

ह०/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएनः **07022825**

ह०/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह०/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

समेकित वित्तीय विवरणियों के टिप्पण :–

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु)

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन, उपचय आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एवं कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करते हुए तैयार तैयार की गई हैं। वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए अंगीकृत लेखांकन नीतियां उन्हीं नीतियो के अनुसार है, जो पूर्व के वर्ष में अपनाई गयी थी।

(ख) सभी आस्तियां और दायित्व कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है, कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्ति या और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजनार्थ 12 मास में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तारीख को आस्तियां और दायित्व की रिपोर्ट की गई मात्रा एवं आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई हो, एवं रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम के प्रभाव का आकलन और पूर्वधारणा करे। यद्यपि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है तथापि वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और विश्वसनीय रूप से राजस्व का मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण वार्शिक रूप से संशोधित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु मापा न गया/आशंकि रूप से निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति ध्जारी किए गए बीजकों/दावों को जारी करने के समय विधिक बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्णता विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं के मामले में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का प्रावधान नहीं किया जाता है, मध्यस्थों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में सांविधिक बाध्यताओं से उत्पन्न परिसमाप्त हानि अंतिम निपटान तक लेखाबद्ध की जाती है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बिलिंग, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

(झ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए ब्याज आय को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(ट) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उसे उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ठ) परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य की दशा में जहां संपूर्ण निष्पादन,, बिलिंग संग्रहण, कर अनुपालना जिसके अंतर्गत त्रुटि के लिए दायित्व आदि है, कंपनी पर है, टर्नओवर को लागत जमा मार्जिन के आधार पर प्रतिशत पूरा करने के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

4. मालसूची

(I) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में लेखाबद्ध किया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित

औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) **चालू कार्य**

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता न लगाया जा सके।

5. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है:

(i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(iii) मूल्यह्रास को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर मूल्यह्रास की संगणना की गई है।

(iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप निवल विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलीयोग्य कर, व्यापार बट्टा छूट (रिवेट) घटाकर संचित मूल्यह्रास और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित उपयोग से संबंधित है, विदेशी मुद्रा वाले संविदाओं में निवल प्रभार और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्तियों के लेखे में डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास कि संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी

जीवन के दौरान 95 प्रतिशत लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. मूल्यह्रास

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मूल्यह्रास की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95: लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत मूल्यह्रास की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास की दर
1	**भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)**	**1.58%**
2	**अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि (एनईएसडी) भी शामिल हैं**	**31.67%**
3	**सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र मशीनरी**	
3(a)(I)	**कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन**	**7.92%**
3(a)(ii)(a)	100 टन से अधिक क्षमता वाली क्रेनें	**4.75%**
3(a)(i)(b)	100 टन से कम क्षमता वाली क्रेनें	**6.33%**
3(a)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	**10.56%**
3(a)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बैल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी) भी शामिल है	**7.92%**
4	साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)	**9.50%**
5	कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)	**19%**
6 6(कं)	कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी) सर्वर और नेटवर्क	 **15.83%**
6(ख)	अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, साफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि भी शामिल हैं	**31.67%**
7	मोटरयान (एनईएसडी)	
7(क)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	**9.50%**
7(ख)	मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	**11.88%**

उन आस्तियों के सिवाय जिनके संबंध में कोई अतिरिक्त शिफ्ट मूल्यह्रास (एनईएसडी) की अनुज्ञा नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो मूल्यह्रास उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए मूल्यह्रास की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का इस अवधि के दौरान अर्जन किया जाता है, जो अलग–अलग 5,000 रुपए तक की लागत के हैं का क्रय वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है। तथापि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन को उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

(घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर संगणित विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, इनमें से जो भी लघु हो, पर किया जाता है। शाश्वत पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया गया है।

ड.) अमूर्त आस्तियों का कथन लागत से संचित आपकरण को घटाकर और क्षीणता पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और इसका तीन वर्ष की अवधि या इसकी लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, में सीधी रेखा पद्धति पर आपकरण किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवन का पुनरीक्षण किया जाता है और यदि उचित हो तो उसे समायोजित किया जाता है।

8. कर्मचारी हितलाभ

(I) अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरणी में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवा दी गई है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी गई है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि हितलाभ के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

9. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को प्रावधानों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणियों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहस्पद ऋणों / उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

''केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार एवं उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों एवं विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य / ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों / ऋणों / अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या मध्यस्थ / अधिकरण / न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों / उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए प्रबंधन के अनुभव / निर्धारण / पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य / ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो। मध्यस्थ / अधिकरण / न्यायालय के पास लंबित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।''

ऊपर दर्शाई गई शुद्ध प्राप्य राशि का मतलब है कि ग्राहक की ओर से देय कुल राशि, संबंधित परियोजना के उपठेकेदारों को देय राशि से कम हो गई है।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों की क्षीणता

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूली योग्य रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूली योग्य रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनर्निर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतरू कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए प्रावधान में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन सम्मिलित है और आस्थगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

आस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के सापेक्ष उपलब्ध होगी जिसकी वसूली की जा सकेगी। अग्रनीत हानियों और अवशोषित न होने वाले मूल्यह्रास के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), कंपनी को लागू नहीं होता है चूंकि कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक के अधीन कराधान का विकल्प दिया है।

14. पट्टा

<u>पट्टेदार के रूप में कंपनी</u>: प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर मान्यता दी जाती है।

<u>पट्टा कर्ता के रूप में कंपनी</u>: पट्टे जिनमें कंपनी पट्टाकर्ता है को वित्त या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। जब कभी पट्टा अंतरण सारवान रूप से स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को पट्टेदार को अंतरित कर देते हैं, संविदा को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टों के लिए भाटक आय को सुसंगत पट्टे के निबंधनों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। किसी प्रचालन पट्टे को प्राप्त करने में प्रारंभ में उपगत लागत को अंडरलाइन आस्ति की वहन रकम में जोड़ दिया जाता है और उसे पट्टा आय जैसे उसी आधार पर पट्टा निबंधनों के ऊपर व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। संबंधित पट्टे पर दिए गए आस्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में सम्मिलित किया जाता है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजनार्थ शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय से संबंधित समायोजन

क) पूर्वावधि मदें: प्रत्येक मामले में 1.0 लाख रुपये तक पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष की आय/व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

ख) पूर्वावधि व्यय: प्रत्येक मामले में 1.0 लाख रुपये तक पूर्वावधि से संबंधित व्यय को तात्विक नहीं समझा जाता है और उसे चालू वर्ष के व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

17. निगम कार्यालय में उपरिव्यय आवंटन

वेतन और उससे संबंधित लागत से संबंधित निगम/मुख्यालय के उपरिव्यय का ईपीआई के कुल टर्नओवर के अनुपात में ओमान परियोजना को टर्नओवर के अनुपात में आवंटन कर दिया गया है।

18. निवेश

दीर्घावधिक निवेश का कथन लागत पर किया जाता है। ऐसे निवेश के मूल्य में स्थाई कमी को मान्यता दी जाती है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है। चालू विधान का कथन लागत और उसके उद्धृत/उचित मूल्य से कम पर किया जाता है।

19. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह की रिपोर्ट प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार की जाती है जिससे अवधि के लाभ को गैर–नकद प्रकृति के संव्यवहार के प्रभाव, अतीत या भविष्य की प्रचालनरत नकदी प्राप्तियों या संदायों के किसी भी आस्थगन या उपचयन और निवेश या नकदी प्रवाह के वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मद में समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण कार्यकलापों से नकद प्रवाह को पृथक किया जाता है।

20. लाभांश

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को शेयरों पर अंतिम लाभांश को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा घोषणा की तारीख को दायित्व के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

21. समेकन के सिद्धांत

क) समूह के समेकित वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन और भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू विधियों की सुसंगत प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।

ख) कंपनी और अनुषंगी के वित्तीय विवरणी को समेकित वित्तीय विवरणी पर लेखांकन मानक–21 के अनुसार अंतर समूह– शेष/संव्यवहार को हटाकर आस्तियों की समान मदों, दायित्वों आय और

व्यय को जोड़कर लाइन दर लाइन आधार पर संयोजित किया जाता है।

ग) अनुषंगी कंपनी की समेकित निवल आस्तियों के अल्प शेयर के भाग की पहचान की जाती है और उसे समेकित तुलन पत्र में कंपनी के शेयरधारकों के दायित्व और साम्या से पृथक प्रस्तुत किया जाता है। समेकित अनुषंगी कंपनी के अल्प हित के शेयर के निवल लाभ/(हानि) की पहचान की जाती है और उसे कंपनी के शेयरधारकों की निवल आय का पता लगाने के लिए समूह की आय के सापेक्ष उसे समायोजित किया जाता है।

घ) समेकित अनुषंगी कंपनियों की निवल आस्ति अल्प हित में अल्प शेयरधारकों की साम्या की रकम से मिलकर बनती है।

ङ) हिस्सेदारी के अर्जन की तारीख को निवेश करने वाली कंपनी समानुपाती शेयरों पर अनुषंगी कंपनी में उसके निवेश को कंपनी की लागत से आधिक्य को समेकित वित्तीय विवरणियों में साख के रूप में मान्यता दी जाती है। निवेश की तारीख को किसी अनुषंगी कंपनी में निवेश की लागत निवेश करने वाली कंपनी की साम्य में शेयर के समानुपात से कम है तो अंतर को समेकित वित्तीय विवरण में पूंजी आरक्षिति के रूप में मान्यता दी जाती है।

टिप्पण सं. 2.1

(राशि लाख रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत 10/–रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर (पूर्व वर्ष 10/–रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर)	**90,940.46**	90,940.46
निर्गमित, अभिदत्त और पूर्णतया संदत्त 10/–रुपए के प्रत्येक संदत्त 3,54,22,688 साम्या शेयर (पूर्व वर्ष 10/–रुपए के प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**3,542.27**	3,542.27
योग	**3,542.27**	3,542.27

टिप्पण सं. 2.1 (क)

बकाया शेयरों की संख्या का मिलान	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**35,422,688**	**35,422,688**
वर्ष के अंत में	**35,422,688**	35,422,688

टिप्पण सं. 2.1 (ख)

5 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या	As at 31st March 2023		As at 31st March 2022	
	No. of Shares	% age	No. of Shares	% age
भारत के राष्ट्रपति	35.415.677	99.98%	35.15.677	99.98%

टिप्पण सं. 2.1 (ग)

संप्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार		
क्र. सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का कुल प्रतिशत	वर्ष के दौरान	परिवर्तन का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	**35,415,677**	**99.98%**	-	35,415,677	99.98%	-
2.	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3575	0.01%	-	3575	0.01%	-
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1892	0.01%	-	1892	0.01%	-
4.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी निगम लिमिटेड	490	0.00%	-	490	0.00%	-
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	490	0.00%	-	490	0.00%	-
6.	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	350	0.00%	-	350	0.00%	-
7.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड	210	0.00%	-	210	0.00%	-
8.	ईपीआई शेयरधारक न्यास	4	0.00%	-	4	0.00%	-

टिप्पण सं. 2.2

(राशि लाख रुपए में)

(राशि लाख रुपए में)	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ एवं अंत में शेष	**2.10**	2.10
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,115.00**	2,115.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,115.00**	2,115.00
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,690.78**	9,197.13
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	**44.27**	(6,506.35)
घटाएं: संदत्त लाभांश '	**-**	-
	-	-
घटाएं: गत वर्ष के लाभ का अंतरण	**2,735.05**	2,690.78
वर्ष के अंत में शेष	**4,852.15**	4,807.88

'कारपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(अ) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) 4 आकास्मिक्ताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखाकन मानक एएस 4 का पैरा 14 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यामान नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.3

(राशि लाख रुपए में)

अन्य दीर्घावधिक दायित्व	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय**	-	-
. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम *	**15,628.30**	14,493.34
. अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-
. विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	**1,609.68**	1,161.73
. विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न अन्य दायित्व		
. प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण धनराशि#	**24,790.44**	37,124.41
. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**19,776.23**	15,815.35
. ग्राहकों को अन्य संदेय	**193.20**	153.71
कुल	**61,997.85**	68,748.54

**अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.8क देखें।

*सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 में यथा परिभाषित, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों को देय रकम की इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की गई है। इन अभिज्ञात निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक दिन से कोई राशि संदेय नहीं थी।

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा प्रदान की गई बैंक प्रतिभूति के बदले 4554.00 लाख रुपए में 1906.64 लाख रुपए की राशि सम्मलित है।

टिप्पण सं. 2.4

(राशि लाख रुपए में)

दीर्घावधिक प्रावधान	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	**1,659.22**	1,659.22
कर्मचारी हितलाभः		
.छुट्टी नकदीकरण	**1,125.06**	1,243.15
.उपदान	**49.13**	5.83
.दीर्घ सेवा पुरस्कार	**17.89**	17.64
.सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	**1,918.98**	1,828.56
सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता	**4.97**	3.54
योग	**4,775.25**	4,757.94

टिप्पण सं. 2.5

(राशि लाख रुपए में)

अल्पावधिक उधार	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
प्रत्याभूत		
–बैंकों से मांग पर संदेय ऋण	-	-
अप्रत्याभूत		
–बैंकों से मांग पर संदेय ऋण*	**1,697.07**	41.53
दीर्घावधिक उधारों की चालू परिपक्वता	-	-
योग	**1,697.07**	41.53

'आईओबी दिल्ली में निधि आधारित सीमा/अल्पावधिक ऋण के सापेक्ष क्लीन कैश क्रेडिट हेतु 1697.07 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 41.53 लाख रुपए)।

टिप्पण सं. 2.6

(राशि लाख रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय**		
. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम**	12,961.18	3,463.91
. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	50,125.71	41,043.96
. विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम**	-	-
. विवादास्पद शोध्य – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से भिन्न	-	-
योग	**63,086.89**	44,507.87

** अनुसूची प्प् में संशोधनों के संबंध में दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार पुराने हो रहे कि अनुसूची में व्यापार संदेय के लिए टिप्पण सं. 2.8क देखें।

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 मै यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की जाती है। 9.06 लाख रुपये के मामले को छोड़कर, जिस पर ब्याज संदत्त नहीं किया गया है चूंकि संविदा के अनुसार ग्राहक से राशि प्राप्त होने पर ही विक्रेता को राशि संदत्त की जाती है, वर्ष के दौरान किसी भी समय इन पहचान किए गए निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक के लिए कोई धनराशि संदेय नहीं थी।

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वर्ष के अंत में 12,961.18 लाख रुपए (पूर्व वर्ष ₹ 3463.91 लाख रुपए) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को संदेय थे। (टिप्पण सं. 2.51 देखें)।

टिप्पण सं. 2.7

(राशि लाख रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	46,223.77	48,926.11
सुरक्षा जमा, प्रतिधारण एवं प्रतिभूति	12,804.77	7,052.22
बकाया दायित्व	673.41	758.91
ग्राहक को संदेय अन्य राशि	590.67	625.74
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व	4,821.82	6,398.44
कर्मचारियों को संदेय*	594.14	589.06
अतिरिक्त संदेय दावे	9,634.81	8,757.65
सांविधिक दायित्व	4,325.08	4,662.14
योग	**79,668.47**	77,770.27

*31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कार्य निष्पादन संबंधी वेतन की ₹ 23.06 लाख रुपए (पूर्व वर्ष ₹ 23,53 लाख रुपए) की राशि कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

वेतन पुनरीक्षण के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में वित्त वर्ष 2022– 23 के दौरान लेखाबहियों में 1 जनवरी 2017 से भून्य रुपए (पूर्व वर्ष शून्य रुपए) का प्रावधान किया गया है। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार संचयी प्रावधान ₹ 474.93 लाख रुपए (पूर्व वर्ष ₹ 475.80 लाख रुपए) है।

टिप्पण सं. 2.8

(राशि लाख रुपए में)

अल्पावधिक प्रावधान	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
संभावित हानि के लिए प्रावधान (एएस–7 के अनुसार)		601.46
आय कर (विदेशी) के लिए प्रावधान		-
कर्मचारी हितलाभः		
–छुट्टी नकदीकरण		322.82
–उपदान		84.71
–दीर्घ सेवा पुरस्कार		6.77
–सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ		146.66
–सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता		0.62
योग		1,163.04

टिप्पण सं. 2.8 A

व्यापार संदेय एंजिंग अनुसूची

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार					31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार				
	संदाय की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया रु					संदाय की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया रु				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
एमएसएमई	12,848.84	112.34	-	-	12,961.18	3,463.91	-	-	-	3,463.91
अन्य	45,833.28	2,652.07	6,078.93	11,189.73	65,754.01	35,362.33	4,806.22	2,422.29	11,587.41	54,178.25
विवादास्पद देय–एमएसएमइ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादास्पद देय–अन्य	1.68	-	113.13	1,494.87	1,609.68	-	113.14	48.49	2,359.16	2,520.79
योग	**58,683.80**	**2,764.41**	**6,192.07**	**12,684.60**	**80,324.87**	**38,826.24**	**4,919.36**	**2,470.78**	**13,946.57**	**60,162.95**

ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा। उन देयों का प्रकटन अलग से किया जाएगा जिनका बिल नहीं बनाया गया है।

टिप्पण सं. 2.9 (i)
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयत्र और उपस्कर विवरण

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					मूल्यह्रास/अपाकरण					निवल खंड	
	आरंभिक भोश	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	आरंभिक भोश	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर												
फ्री होल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पट्टा धृत भूमि	16.16	-	-	-	**16.16**	3.79	0.15	-	-	**3.94**	12.22	12.37
फ्री होल्ड भवन	46.87	-	-	-	**46.87**	31.08	1.09	-	-	**32.17**	14.71	15.79
पट्टा धृत भवन*	645.25	-	-	-	**645.25**	281.24	12.77	-	-	**294.01**	351.24	364.02
कम्प्यूटर और उपस्कर	496.60	52.25	1.50	117.26	**432.09**	436.13	24.61	0.33	108.18	**352.77**	79.32	60.47
कार्यालयीन और अन्य उपस्कर	255.16	24.00	-	9.33	**269.83**	224.99	10.44	-	8.99	**226.45**	43.38	30.16
संनिर्माण उपस्कर	626.06	-	-	17.53	**608.53**	518.90	15.15	-	16.67	**517.37**	91.16	107.16
फर्नीचर एवं सज्जा	267.06	11.37	0.10	-	**278.44**	198.13	14.73	0.00	0.47	**213.34**	65.10	68.93
वाहन	42.19	-	2.29	-	**39.90**	35.98	2.28	-	2.18	**36.07**	3.83	6.22
योग	**2,395.36**	**87.62**	**3.89**	**144.13**	**2,337.07**	**1,730.24**	**81.22**	**0.33**	**136.49**	**1,676.13**	**660.93**	**665.12**
पूर्व वर्ष	2,491.25	53.92	(9.34)	139.74	**2,395.36**	1,794.77	79.86	(9.96)	133.88	**1,730.24**	665.12	

राजस्थान राज्य औद्योगिक और विकास एवं निवेश निगम (आरआईआईसीओ) और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) के बीच 10,000 वर्ग मीटर भूमि के पट्टा समझौते (1998) के अनुसार। को सेंटर वर्कशॉप और उपकरण स्टोर स्थापित करने के लिए 99 साल की अवधि के लिए ईपीआईएल आवंटित किया गया था।

* स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 374.42 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 374.42 लाख रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए स्थायी आस्तियां लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.9 (ii)
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					मूल्यह्रास/अपाकरण					निवल खंड	
	आरंभिक भोश	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	आरंभिक भोश	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
अमूर्त आस्तियां												
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	247.23	1.09	78.38	-	326.70	227.18	31.32		-	**258.50**	**68.20**	20.05
योग	**247.23**	**1.09**	**78.38**	**-**	**326.70**	**227.18**	**31.32**	**-**	**-**	**258.50**	**68.20**	20.05
पूर्व वर्ष	244.64	3.90	-	1.31	247.23	220.14	8.29	-	1.24	**227.18**	**20.05**	

टिप्पण सं. 2.9 (iii)
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां (विकासाधीन)

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	समग्र खंड					मूल्यह्रास/अपाकरण					निवल खंड	
	आरंभिक भोश	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	आरंभिक भोश	परिवर्धन	समायोजन	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
अमूर्त आस्तियां (निर्माणाधीन)												
सॉफ्टवेयर (निर्माणाधीन)	78.38	-	(78.38)	-	-	-	-	-	-	-	-	78.38
योग	**78.38**	**-**	**(78.38)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	78.38
पूर्व वर्ष	**78.38**	**-**	**-**	**-**	**78.38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
चालू वर्ष का कुल योग	**2,720.97**	**88.71**	**3.89**	**144.13**	**2,663.77**	**1,957.42**	**112.54**	**0.33**	**136.49**	**1,934.63**	**729.13**	
पूर्व वर्ष का कुल योग	**2,814.27**	**57.82**	**(9.34)**	**141.05**	**2,720.97**	**2,014.91**	**88.15**	**(9.96)**	**135.13**	**1,957.43**	**763.55**	

* टिप्पण सं. 2.52 पर अतिरिक्त विनियामक सूचना देखें जिसमें अनुसूची III में संशोधनों से संबंधित दनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार विकास एंजिंग के अधीन अर्मूत आस्तियां सम्मिलित हैं।

टिप्पण सं. 2.10

(राशि लाख रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (निवल)*	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	(51.95)	(47.57)
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	819.04	848.13
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान (एएस–15)	234.53	343.38
अन्य अननुज्ञात	78.85	151.38
योग	**1,080.47**	1,295.32

* डीटीए की संगणना करने के लिए अनुप्रयुक्त कर दर 25.168 प्रतिशत है (आय–कर 22 प्रतिशत, अधिभार 10 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है।

टिप्पण सं. 2.11

(राशि लाख रुपए में)

दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिम				
–बैंक गारंटी के सापेक्ष लिया गया संग्रहण अग्रिम	**2,027.50**		2,003.78	
–सामग्री के सापेक्ष प्रत्याभूत	**196.42**		289.28	
–अन्य अग्रिम	**2,249.48**		2,249.48	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहस्पद माना गया	**656.71**		653.47	
	5,130.11		5,196.01	
घटाएं: संदेहास्पद और अयोध्य अग्रिम के लिए मोक	**(653.47)**	**4,476.64**	(653.47)	4,542.54
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम		**6.18**		9.79
वसूली योग्य अग्रिम कर/टीडीएस	**2,001.11**		247.07	
घटाएं:आयकर के लिए प्रावधान	**-**	**2,001.11**	-	247.07
अग्रिम कर (विदेशी)		**-**		-
एमएटी क्रेडिट		**-**		-
अप्रत्यक्ष कर (वसूलीयोग्य, इनपुट कर क्रेडिट, अग्रिम)		**2,954.45**		2,210.03
योग		**9,438.38**		7,009.43

टिप्पण सं. 2.12

(राशि लाख रुपए में)

अन्य गैर चालू आस्तियां	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार प्राप्य'*				
प्रत्याभूत अच्छा माना गया	-		-	vizR;kHkwr
अच्छा माना गया	**5,410.62**		5,907.66	
संदेहास्पद माना गया	**638.99**		754.60	
	6,049.61		6,662.26	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहस्पद वसूलियों के लिए मोक	**(638.99)**	**5,410.62**	(754.60)	5,907.66
प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण धन	**11,936.83**		25,939.37	
संदेहस्पद माना गया	**880.22**		880.22	
	12,817.05		26,819.59	
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहस्पद वसूलियों के लिए मोक	**(880.22)**	**11,936.83**	(880.22)	25,939.37
अन्य आस्तियां				
साविध जमा रु		**91.17**		86.74
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य	**29,963.79**		22,876.34	
संदेहस्पद माना गया	**1,081.59**		1,081.59	
	31,045.38		23,957.93	
अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूली योग्य के लिए मोक	**(1,081.59)**	**29,963.79**	(1,081.59)	22,876.34
योग		**47,402.41**		54,810.11

* अनुसूची III में संशोधनों से सबंधित दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.14क देखें।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 91.17 लाख रुपए (पूर्व वर्ष ₹86.74 लाख रुपए) की सावधि जमा ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा जो ग्राहक द्वारा दिया गया था को सावधि जमा में रखा है जो विवाद के अधीन है यह मामला विचाराधीन है।

टिप्पण सं. 2.13

(राशि लाख रुपए में)

वर्तमान निवेश	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां: (लागत से नीचे या एनआरवी)		
-स्अील	**210.74**	196.36
-सीमेंट	**-**	-
-पाइप तथा अन्य	**-**	-
योग	**210.74**	196.36

टिप्पण सं. 2.14

(राशि लाख रुपए में)

व्यापार प्राप्य	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
व्यापार प्राप्य*		
प्रत्याभूत अच्छा माना गया	**-**	-
अप्रत्याभूत अच्छा माना गया	**13,719.76**	19,267.84
संदेहस्पद माना गया	**-**	-
	13,719.76	19,267.84
घटाएं: अशोध्य एवं संदेहास्पद वसूली योग्य के लिए मोक	**-**	-
योग	**13,719.76**	19,267.84

*अनुसूची III में संशोधनों से सबंधित दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची के लिए टिप्पण सं. 2.14क देखें।

टिप्पण सं. 2.14 क

व्यापार प्राप्य एंजिंग अनुसूची

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार					
	संदाय के लिए देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया#						संदाय के लिए देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया#					
	6 मास से कम	6 मास– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग	6 मास से कम	6 मास– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(I) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया	11,529.77	179.15	77.82	471.56	3,987.62	16,245.92	7,932.57	9,396.44	1,240.82	282.32	3,438.21	22,290.36
(ii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य –संदेहास्पद माना गया	-	-	-	-	118.85	118.85	-	-	-	-	118.85	118.85
(iii) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना गया	-	-	-	-	2,884.46	2,884.46	-	-	-	-	2,885.14	2,885.14
(iv) अविवादास्पद व्यापार प्राप्य–संदेहस्पद माना गया	-	-	-	-	520.14	520.14	-	-	-	-	635.76	635.76
योग	**11,529.77**	**179.15**	**77.82**	**471.56**	**7,511.07**	**19,769.37**	**7,932.57**	**9,396.44**	**1,240.82**	**282.32**	**7,077.95**	**25,930.10**

ऐसी सूचना वहां दी जाएगी जहां संदाय के लिए कोई नियत तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की गई है उस दशा में प्रकटन संव्यवहार की तारीख से होगा। उन देयों का प्रकटन अलग से किया जाएगा जिनका बिल नहीं बनाया गया है।

टिप्पण सं. 2.15 (i)

(राशि लाख रुपए में)

नकदी और नकदी समतुल्य	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
नकदी और नकदी समतुल्य				
बैंक में शेष				
-चालू खाते में*	**17,498.84**		25,562.94	
-सावधि जमा (3 मास की परिपक्वता तक)**	**22,206.07**	**39,704.91**	10,754.07	36,317.01
हाथ में नकदी		-		-
योग		**39,704.91**		36,317.01

टिप्पण सं. 2.15 (ii)

(राशि लाख रुपए में)

अन्य बैंक शेष	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
सावधि जमा # ** (3 मास से अधिक किंतु 12 मास से कम की परिपक्वता के साथ)	**13,053.85**	12,654.78
योग	**13,053.85**	12,654.78

*चालू खाते में उपरोक्त 17,226.69 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 24,488.10 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं।

** सावधि जमा में शेष में से 34035.76 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 22,554.99 लाख रुपए) ग्रहक की ओर से जमा के रूप में रखे गए हैं।

#31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 64.75 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 325.27 लाख रुपये) ग्रहकों/अन्य के पास/धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के रूप गिरवी रखा है।

टिप्पण सं. 2.16

(राशि लाख रुपए में)

अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा माना गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिम:				
-बैंक गारंटी के सापेक्ष लिया गया संग्रहण अग्रिम	**828.39**		3,894.67	
-सामग्री के सापेक्ष प्रत्याभूत	**251.75**		643.15	
-अन्य अग्रिम	**811.21**	**1,891.35**	803.16	5,340.98
अग्रिम कर/वसूली योग्य टीडीएस		**1,413.27**		2,255.93
अप्रत्यक्ष कर (इनपुट कर क्रेडिट, अग्रिम)		**5,584.69**		4,278.58
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम		**42.13**		44.99
प्राप्य प्रतिभूति, प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**20,460.06**		12,967.45
योग		**29,391.50**		24,887.93

टिप्पण सं. 2.17

(राशि लाख रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
बैंक जमा पर उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	**217.68**	192.55
पूर्व संदत्त व्यय	**75.87**	126.52
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य	**16,569.68**	23,863.34
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है	**48,862.36**	23,956.57
योग	**65,725.59**	48,138.98

टिप्पण सं. 2.18

(राशि लाख रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	**111,729.97**	72,965.47
अन्य प्रचालन आय	**1,466.30**	651.87
योग	**113,196.27**	73,617.34

टिप्पण सं. 2.19

(राशि लाख रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आय:				
बैंक में जमा	**36.01**		23.94	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**-**		1.04	
अन्य (उप–ठेकेदारों / ग्राहक / आयकर प्रतिदाय)	**274.08**	**310.09**	550.10	575.08
अन्य गैर–प्रचालन आय:		**-**		-
खर्च न किया गया दायित्व / बट्टे खाते में डाला गया शेष	**297.79**		-	
प्राप्त दावे	**27.40**		-	
विविध आय	**642.38**		602.23	
विदेशी मुद्रा विनिमय में फेरफार से लाभ	**37.93**		190.97	
एएस 7 के अनुसार संभावित हानि के लिए प्रावधान को वापस करना	**-**	**1,005.50**	-	793.20
योग		**1,315.59**		1,368.28

टिप्पण सं. 2.20

(राशि लाख रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य	**100,873.67**	65,933.12
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	**1,673.33**	1,021.24
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**167.02**	1,009.89
लेखांकन मानक 7 के अनुसार भावी हानि के लिए प्रावधान	**(288.17)**	(29.62)
संदत्त दावे	**1,282.16**	529.27
स्वामिस्व	**1.76**	0.12
योग	**103,709.77**	68,464.02

टिप्पण सं. 2.21

(राशि लाख रुपए में)

कर्मचारी हितलाभ व्यय	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्ते	**5,988.15**	5,977.06
भविष्य निधि एवं उपदान निधियों में अंशदान $	**631.51**	540.28
कर्मचारी कल्याण व्यय*	**809.06**	930.36
योग	**7,428.72**	7,447.70

$ इसमें भविष्य निधि न्यास से सबंधित ब्याज की कमी की राशि 82.22 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 17.50 लाख रुपए) सम्मिलित है।

* इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदीकरण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित है।

टिप्पण सं. 2.22

(राशि लाख रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याज		
- बैंक	**284.69**	248.60
- अन्य	**98.45**	229.54
योग	**383.14**	**478.14**

टिप्पण सं. 2.23

(राशि लाख रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**54.64**	43.29
दर और कर	**81.59**	109.76
डाक व्यय और दूरसंचार	**101.13**	99.35
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	**312.69**	287.87
भवन	**10.74**	48.49
अन्य स्थायी आस्तिया	**0.11**	0.30
कम्प्यूटर व्यय	**63.78**	73.50
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	**119.02**	93.90
निविदा व्यय	**9.71**	22.83
विज्ञापन एवं प्रचार	**15.17**	13.76
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	**244.04**	209.96
संविदा पर परामर्श	**2.09**	7.89
बीमा	**64.87**	30.04
मनोरंजन	**13.23**	13.75
बैंक प्रभार	**157.18**	66.53
वाहन चालन एवं अनुरक्षण	**27.80**	25.37
जनशक्ति विकास	**0.22**	3.71
स्थायी आस्तियों की बिक्री पर हानि	**2.37**	1.26
प्रायोजक्ता फीस	**2.00**	-
यात्रा एवं अन्य संबद्ध व्यय (घरेलू)	**532.47**	412.03
यात्रा एवं अन्य संबद्ध व्यय (विदेश $	**14.67**	13.46
सीएसआर एवं संधारणीयता	**-**	-
लेखापरीक्षक का पारिश्रमि @	**19.44**	19.23
कारबार संवर्धन	**54.76**	13.58
कार्यालय का किराया	**209.83**	1,835.59
सदस्यता एवं अभिदान फीस	**1.45**	2.65
फाइलिंग एवं पंजीकरण फीस	**4.71**	1.84
संदेहास्पद कर्ज, ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य के लिए प्रावधान	**-**	55.81
संदेहास्पद वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई राशि	**1.08**	1,166.14
विदेशी मुद्रा विनियम में फेरफार (लाभ)/हानि	**453.19**	5.95
विविध व्यय	**43.86**	57.46
योग	**2,617.84**	4,735.30

$यात्रा और अन्य संबद्ध व्यय में 3.97 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 12.35 लाख रुपए) का निदेशकों की विदेशी यात्रा व्यय भाामिल है।

@ लेखा परीक्षकों को संदाय के ब्यौरा:

(राशि लाख रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस #	**15.80**	15.76
कर लेखापरीक्षा #	**3.25**	3.26
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	**0.39**	0.21
अन्य व्यय	**-**	-
योग	**19.44**	19.23

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक बिना जीएसटी के अभिलिखित है।

टिप्पण सं. 2.24

(राशि लाख रुपए में)

पूर्वावधि समायोजन (निवल)	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
आय		
प्रचालन आय	-	-
अन्य आय	-	-
पूर्वावधि आय का उप–योग (क)	**-**	**-**
घटाएं: व्यय		
प्रचालन व्यय	-	-
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
मूल्यह्रास	-	-
अन्य	-	3.80
पूर्वावधि व्यय का उप–योग (ख)	**-**	3.80
पूर्वावधि व्यय का योग (निवल) (ख–क)	**-**	3.80

टिप्पण सं. 2.25

समूह कंपनियां

समेकित वित्तीय विवरण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) और संपूर्ण भारत में निगमित उसकी अनुषंगी कपंनियों (समूह) से संबंधिता हैं।

समेकित वित्तीय विवरण में मानी गई अनुशंगी कंपनियों इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम *	संबंध	स्वामित्व हित की प्रतिशतता		लाभ और हानि लेखे के समेकित विवरण में सम्मिलित सहयोगी कंपनियों के लाभ/(हानि) का अंश	
			31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	**31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार**	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
1	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	अनुषंगी	51%	51%	-	-

*ऐसे वित्तीय विवरण जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है उसे समूह के समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है।

टिप्पण सं. 2.26

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	आकस्मिक दायित्व एवं प्रतिबद्धताएं कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में अभिस्वीकृति नहीं दी गई है।	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
1	विधिक और मध्यस्थ के संबंध में:		
a	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए धनराशि तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।*	54,597.14	55,440.14
b	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।*	14,517.49	5,937.17
	उप योग (1)	**69,114.63**	61,377.31
2	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए कर निर्धारणों के संबंध में आय–कर/बिक्री कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में।	4,150.05	5,133.87
3	ग्राहक के निमित्त जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में	-	-
	कुल योग (1+2+3)	**73,264.68**	66,511.18

*पूर्वोक्त के सापेक्ष कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं।

टिप्पण सं. 2.27

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित धनराशि भून्य रुपए (गत वर्ष 1.57 लाख रुपए) है, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है और वर्ष 2022–23 में इस संबंध में 1. 57 लाख रुपए की धनराशि का पूंजीकृत की गई है।

टिप्पण सं. 2.28

विदेशी मुद्रा में व्ययः

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.23 को समाप्त वर्ष	31.03.22 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**4,244.24**	833.85
2	व्यावसायिक एवं परामर्शी सेवा प्रभार	**28.91**	4.42
3	विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से हानि	**453.19**	5.95
4	स्थायी आस्तियों का क्रय	**3.09**	2.29
5	**प्रशासनिक एवं अन्य व्ययः**	**-**	-
क	यात्रा	**65.50**	68.26
ख	निविदा व्यय	**-**	-
ग	अन्य	**686.47**	636.06
	योग	**5,481.40**	1,550.84

Earning in Foreign Currency:

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.23 को समाप्त वर्ष	31.03.22 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	**4,533.13**	1,275.44
2	ब्याज से आय	**5.67**	3.19
3	विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से लाभ	**37.93**	190.97
4	अन्य	**65.89**	19.20
	योग	**4,642.62**	1,488.80

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ओमान से प्राप्त विदेशी मुद्रा भून्य रुपए जो भून्य अमरीकी डालर के बराबर है (गत वर्ष 0.56 लाख रूपए जो 763.84 अमरीकी डालर के बराबर है)।

टिप्पण 2.29

क) कंपनी ने बिना किसी प्रतिभूति के विभिन्न बैंकों से स्वीकृत सीमा 75,302.00 लाख रुपये (गत वर्ष 75,826.50 लाख रुपये) के सापेक्ष 52,838.63 लाख रुपये (गत वर्ष 48,717.12 लाख रुपये) की गैर–निधि आधारित क्रेडिट सीमा का उपयोग किया है।

ख) ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा 4,554.00 करोड रुपए के लिए प्रदान की गई बैंक गारंटी के बदले में ईपीआईएल ने 1,906.64 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के सापेक्ष प्राप्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया और तदुपरांत 75.90 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (ईपीआई का हिस्सा – 30.36 करोड़ रुपये और सी एंड सी का हिस्सा – 45.54 करोड़ रुपये) जब्त कर ली। इसके परिणामस्वरूप, ईपीआई ने दिनांक 11 फरवरी, 2022 के अपने पत्र माध्यम से अपने उप–ठेकेदार मैसर्स आरके–आरपीपी जेवी (प्रदान किया गया मूल्य 414 करोड रुपये) की संविदा समाप्त कर दी और 20.70 करोड़ रुपये (414 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत) कार्य निष्पादन न होने पर देय के सापेक्ष उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली।

ग) मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार के संयुक्त उद्यम ''ईपीआई – सी एंड सी जेवी (अनिगमित)'' में हम 60 प्रतिशत के स्टेक भागीदार है और हमारे ओमान प्रोजेक्ट में हमारा मुख्य ठेकेदार वर्तमान में एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहा है और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर परिणाम और इसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक–17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना इस प्रकार है:

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष				गत वर्ष			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म	संनिर्माण				संनिर्माण			
प्रचालनों से राजस्व	1,08,663.14	4,533.13	-	1,13,196.27	72,341.90	1,275.44	-	73,617.34
अन्य आय	606.26	125.35	584.00	1,315.59	225.17	213.36	929.75	1,368.28
कुल आय	**1,09,269.40**	**4,658.48**	**584.00**	**1,14,511.86**	72,567.08	1,488.80	929.75	74,985.62
परिणाम								
कर पूर्व आय, मूल्यह्रास और ब्याज	3,895.59	(606.75)	(2,533.31)	755.53	(3,266.35)	(46.29)	(2,352.56)	(5,665.20)
ब्याज	98.45	-	284.69	383.14	229.54	-	248.60	478.14
मूल्यह्रास	44.82	3.93	63.79	112.54	40.54	4.35	43.27	88.16
कर पूर्व लाभ	3,752.31	(610.68)	(2,881.78)	259.85	(3,536.43)	(50.64)	(2,644.43)	(6,231.50)
करोपरांत लाभ	3,752.31	(611.41)	(3,096.63)	44.27	(3,536.43)	(51.09)	(2,918.83)	(6,506.35)
पूंजी व्यय (मूर्त और अमूर्त आस्तियों में परिवर्धन)	57.39	3.09	28.23	88.71	52.28	2.29	3.25	57.82
अन्य सूचना	**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार**				31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार			
कुल आस्तियां	1,76,711.89	33,374.10	10,370.75	2,20,456.74	1,44,864.13	46,892.48	13,584.70	2,05,341.31
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर एवं अमूर्त आस्तियां (रखाव धनराशि)	158.24	22.16	548.73	729.13	149.68	23.61	590.25	763.55
कुल दायित्व	1,77,903.20	27,730.04	6,427.11	2,12,060.35	1,51,501.08	40,789.85	4,698.26	1,96,989.19

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 7, ''संनिर्माण संविदाएं'' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन:

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	**1,13,196.27**	73,617.34
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	**12,12,658.65**	11,29,417.19
3	प्राप्त अग्रिम	**66,000.00**	64,741.46
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य समग्र धनराशि–जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है (वह राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है)	**48,862.36**	23,956.57
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र धनराशि–जिसे देनदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है (संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व)	**4,821.83**	6,398.44
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	**19,034.44**	25,036.57

टिप्पण सं. 2.32

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी हितलाभ का ब्यौराः

I) परिभाषित हितलाभ बाध्यता में परिवर्तन

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घावधिक अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	22-23 21-22	7.40% 6.90%	7.40% 6.90%	7.40% 6.90%	7.40% 6.90%	7.40% 6.90%
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति/यात्रा लागत		3.00%	3.00%	-	3.00%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	22-23 21-22	7.40% 6.90%	- -	- -	- -	- -
सेवानिवृत्ति आयु*		60 years	60 years	60 years	60 years	60 years
मृत्यु सारणी		आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	सेवानिवृत्ति पूर्व: आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996-98) यूएलटी	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट
आयु*	Employee Turnover (%)					
35 वर्ष तक		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
36 से 45 वर्ष		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
46 से ऊपर		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

* गत वर्ष के समान

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घावधिक अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित हितलाभ बाध्यता	22-23	1,653.14	1,565.98	24.41	1,975.22	4.16
	21-22	1,671.42	1,597.51	22.91	1,895.80	4.32
चालू सेवा लागत	22-23	81.47	58.17	1.14	27.65	0.26
	21-22	85.38	99.49	1.08	26.85	0.28
ब्याज लागत	22-23	101.78	108.05	1.45	131.23	0.27
	21-22	101.19	103.84	1.49	123.23	0.28
बीमांकिक (लाभ)/हानि	22-23	32.53	117.19	6.00	92.67	1.61
	21-22	(8.55)	157.25	4.40	143.64	(0.44)
अर्जन समायोजन	22-23	-	-	-	-	-
	21-22	-	-	-	-	-
संदत्त हितलाभ	22-23	(336.27)	(458.76)	(8.94)	(136.38)	(0.75)
	21-22	(196.31)	(392.11)	(5.48)	(214.30)	(0.28)
पूर्व सेवा लागत	22-23	-				
	21-22	-				
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित हितलाभ बाध्यता	22-23	1,532.65	1,390.64	24.05	2,090.38	5.55
	21-22	1,653.14	1,565.98	24.41	1,975.22	4.16

(ii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2022-23 (वित्तपोषित)	2021-22 (वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,562.59	1,412.92
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	98.46	87.25
वास्तविक अभिदाय	90.54	258.49
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(8.89)	0.23
संदत्त हितलाभ	(336.27)	(196.31)
अर्जन समायोजन		
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,406.43	1,562.59

(iii) तुलनपत्र में मानी गई धनराशि

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घावधिक अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	22-23 21-22	1,532.65 1,653.14	1,390.64 1,565.98	24.05 24.41	2,090.38 1,975.22	5.55 4.16
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	22-23 21-22	1,406.43 1,562.59	- -	- -	- -	- -
वित्तपोषित प्रास्थिति आस्ति / (दायित्व)	22-23 21-22	(126.22) (90.54)	(1,390.64) (1,565.98)	(24.05) (24.41)	(2,090.38) (1,975.22)	(5.55) (4.16)
तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व) / आस्तियां	22-23 21-22	(126.22) (90.54)	(1,390.64) (1,565.98)	(24.05) (24.41)	(2,090.38) (1,975.22)	(5.55) (4.16)

(iv) लाभ एवं हानि लेखे में माना गया व्यय

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	वर्ष	उपदान	दीर्घावधिक अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
		(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	22-23 21-22	81.47 85.38	58.17 99.49	1.14 1.08	27.65 26.85	0.26 0.28
ब्याज लागत	22-23 21-22	101.78 101.19	108.05 103.84	1.45 1.49	131.23 123.23	0.27 0.28
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	22-23 21-22	(98.46) (87.25)	- -	- -	- -	- -
अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	22-23 21-22	41.42 (8.77)	117.19 157.25	6.00 4.40	92.67 143.64	1.61 (0.44)
लाभ और हानि लेखे में माना गया कुल व्यय	22-23 21-22	126.22 90.54	283.41 360.58	8.59 6.97	251.55 293.72	2.14 0.13

(v) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा– उपदान

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**1,532.65**	1,653.14	(1,671.42)	1,669.24	1,728.93
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति	**1,406.43**	1,562.59	(1,412.92)	1,524.92	1,699.77
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	**(126.22)**	(90.54)	(258.50)	(144.32)	(29.16)
घ)	योजनागत दायित्वों पर अनुभवजन्य समायोजन (हानि)/लाभ	**(126.22)**	(90.54)	(258.50)	(144.32)	(29.16)

(vi) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा – छुट्टी नकदीकरण

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**1,390.64**	1,565.98	1,597.51	1,462.65	1,506.23
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	**(1,390.64)**	(1,565.98)	(1,597.51)	(1,462.65)	(1,506.23)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(1,390.64)**	(1,565.98)	(1,597.51)	(1,462.65)	(1,506.23)

(vii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा– दीर्घावधि सेवा पुरस्कार

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**24.05**	24.41	22.91	24.09	18.64
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(24.05)**	(24.41)	(22.91)	(24.09)	(18.64)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(24.05)**	(24.41)	(22.91)	(24.09)	(18.64)

(viii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा– सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा हितलाभ

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	**2,090.38**	1,975.22	1,895.80	1,705.57	1,850.47
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	**-**	-	-	-	-
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	**(2,090.38)**	(1,975.22)	(1,895.80)	(1,705.57)	(1,850.47)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	**(2,090.38)**	(1,975.22)	(1,895.80)	(1,705.57)	(1,850.47)

(ix) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा– छुट्टी नकदीकरण

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019
क)	अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ बाध्यता	5.55	4.16	4.32	5.52	3.56
ख)	अवधि के अंत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	(5.55)	(4.16)	(4.32)	(5.52)	(3.56)
घ)	तुलन पत्र में माना गया निवल (दायित्व)/आस्ति	(5.55)	(4.16)	(4.32)	(5.52)	(3.56)

कंपनी लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के अनुसार उपदान, दीर्घावधिक प्रति पूरित अनुपस्थिति, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ, दीर्घ सेवा पुरस्कार और बीमांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता का प्रावधान करती है।

टिप्पण सं. 2.33

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा अभिज्ञात और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र धनराशि और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार है–

(I) भारी उद्योग मंत्रालय ने श्री आर पी सिंह महाप्रबंधक (वित एवं लेखा), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार 6 माह की अवधि के लिए नियमित पदधारी की पद पर नियुक्ति होने तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो सौंपा गया है। श्री आर पी सिंह, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) ने 18 अक्टूबर 2021 को प्रभार ग्रहण किया। भारी उद्योग मंत्रालय ने निदेशक (वित्त), आईपीआईएल के अतिरिक्त प्रभार को दो बार अर्थात् 15.03.2022 से 14.09.2022 तक 6 मास की और अवधि के लिए या नियमित पदधारी के

पद ग्रहण करने के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तथा फिर 15.09.2022 से 24.06.2023 तक (उनकी अधिवर्शिता की तिथि) तक या नियमित पदधारी के पद ग्रहण के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हा बढ़ा दिया।

श्री आर.पी. सिंह का कार्यकाल 24.06.2023 को पूर्ण हो गया।

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था:

- श्री डी एस राना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (19.09.2019 से)
- श्री एच एन ठाकुर निदेशक (परियोजना) (30.06.2022 तक)
- श्री आर पी सिंह निदेशक (वित्त एवं लेखा) (18.10.2021 सें 24.06.2023 तक)
- श्री दिबेंदु दास, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ (11.07.2023 से)
- श्रीमती निधि छिब्बर, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (30.06.2022 से)
- डॉ. रेणुका मिश्रा, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (30.06.2022 से 14.04.2023 तक)
- सुश्री मुक्ता भोखर, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (10.04.2023 से)
- श्री राजेश कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक (शासकीय नाम निर्देशित) (01.11.2021 से)
- श्रीमती आकांक्षा पारे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (02.11.2021 से)
- श्री विनोद कुमार यादव, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (02.11.2021 से)
- श्री अशोक भांकरराव मेंढे, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) (07.03.2023 से)
- श्री अशोक कुमार पात्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.04.2022 से 10.07.2023 तक)
- श्री नितेश कुमार गोयल, कंपनी सचिव (17.07.2020 से)

iii) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी कंपनी के रूप में 19 जून 2016 को निगमित किया गया और अपनी स्थापना से ही कंपनी कामकाज नही कर रही थी। ईपीआईयूआइडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन त्वरित परिसमापन की याचिका अनुमोदन के लिए लंबित थी एवं निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने के उपरांत इस विशय को अप्रैल, 2022 में प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। याचिका पर विचार करते समय, यह सूचित किया गया है कि दायर याचिका परिसमापन से संबंधित त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन उपलब्ध अन्य कार्रवाई कर सकता है।

तदनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(क) के अनुसरण में दिनांक 23.05.2022 को महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने

दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मत्रालय की वेबसाइट पर डाल गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5ए (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को दिनांक 13.06.2023 के टाइम्स सिटी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया।

वर्ष 2022–23 के दौरान ईपीआई यूआईडीएल, ईपीआई की अनुषंगी कंपनी मै निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ब्यौरेः

- श्री नंदकिशोर मोतीलाल साहा, अंशकालीन निदेशक बी यू आई डी पी एल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- श्री कपिल तारा, पूर्व कार्यकारी निदेशक (डबल्यूआरओ), ईपीआई (20.03.2017 से ईपीआई से निलंबन के अधीन हैं एवं अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (केएमपी), एपीआईयूआईडीएल 30.09.2020 अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं)

अनुषंगी कंपनी के साथ संव्यवहारों का ब्यौरा

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
आरंभिक शेष (प्राप्य धनराशि) {क}	2.13	2.13	डेबिट
अनुषंगी कंपनी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	-	-	डेबिट
अनुषंगी कंपनी से प्राप्त धनराशि {ग}	-	-	डेबिट
अंतशेष (वसूली योग्य धनराशि) {घ} [घ = क . ख – ग]	2.13	2.13	डेबिट

iv) 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई–सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार म्यांमार के चिन राज्य में ईपीसी मोड में दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60 प्रतिशत हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40 प्रतिशत हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। ईपीआई– सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" को संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन माना गया है।

विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक पलेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राश्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निश्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया। मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार के संयुक्त उद्यम ''ईपीआई – सी एंड सी जेवी (अनिगमित)'' में हम 60 प्रतिशत के स्टेक भागीदार है और हमारे ओमान प्रोजेक्ट में हमारा मुख्य ठेकेदार वर्तमान में एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रहा है और यह मामला अग्रिम चरण में है। ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर परिणाम और इसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

v) कारबार के सामान्य प्रक्रम में संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2022-23	2021-22
वेतन*	101.14	84.88
मकान किराया/पट्टा किराया	-	-
चिकित्सा व्यय	0.49	3.85
बैठक फीस#	2.80	1.70

* श्री आर पी सिंह निदेशक–वित्त (अतिरिक्त प्रभार) कंपनी में नियोजित नहीं है इसलिए वर्ष 20222–23 के दौरान उन्हें किसी वेतन/भत्ते की अदायगी नहीं की गई।

केवल स्वतंत्र निदेशकों को ही बैठक फीस की अदायगी की गई है।

टिप्पण सं. 2.34

संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे इस प्रकार है:

विशिष्टियां	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (लाख रुपए में)	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (लाख रुपए में)
सीमेंट	-	-	-	-
स्टील	357.01	210.74	384.51	196.36
स्टील पाइप	-	-	-	-

टिप्पण सं. 2.35

सीपीएसई विद्यमान समान विलय करते हुए रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (''सीसीईए'') के सीसीईए ने 13 फरवरी 2019 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 17 फरवरी 2016 के निर्णय को संशोधित किया जिसके अनुसार सभी पात्र सीपीएसई एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी परिसंपत्ति मुद्रीकरण (दीपम विनिवेश योजना के अधीन) की कार्यकलाप के मानदंडों/प्रक्रियाओं का पालन कर रही है और इस संबंध में समय–समय पर जारी सभी नीतियों/दिशानिर्देशों/ढांचे आदि का पालन करती है।

टिप्पण सं. 2.36

''प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तिया'' पर लेखांकन मानक–29 के अधीन प्रकटनः

(राशि लाख रुपए में)

विशिष्टियां	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	वर्ष के दौरान संदत्त/ समायोजन	बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	अंतशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(ii+iii-iv-v)
परियोजना आकस्मिकताए*	3,369.88	-	-	115.61	**3,254.26**
कर्मचारी हितलाभ	3,660.31	671.91	695.37	-	**3,636.84**
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	475.80	-	0.87	-	**474.93**
योग	**7,505.98**	**671.91**	**696.25**	**115.61**	**7,366.03**
गत वर्ष	7,775.06	807.75	1,076.42	-	**7,505.98**

*परियोजना आधार पर प्राप्य धनराशि के लिए किया गया प्रावधान (संदेय धनराशि को छोडकर)

टिप्पण सं. 2.37

प्रबंधन ने मूल्यांकन कर पाया कि स्थायी आस्तियों के मूल्य में कोई क्षीणता नहीं आई है। इसलिए 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण सं. 2.38

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो अनुप्रयोज्यता की अवसीमा को पूरा करती है, को निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान सीएसआर और स्थिरता के लिए कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये) है।

अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 24.03.2021 के अधिसूचना के संदर्भ में, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के सापेक्ष अतिरिक्त विनियामक सूचना इस प्रकार हैः

विशिष्टियां	टिप्पणियां
(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित धनराशि	शून्य
(ख) खर्च की गई धनराशि	शून्य
(ग) वर्ष के अंत में कमी	शून्य
(घ) पूववर्ती वर्षों की कमी का योग	शून्य
(ङ) कमी के कारण	लागू नहीं
(च) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों की प्रकृति	लागू नहीं
(छ) संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण अर्थात सुसंगत लेखांकन मानक के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास में अंशदान	लागू नहीं
(ज) किसी संविदात्मक बाध्यता में प्रविष्टि द्वारा किसी दायित्व के संबंध में क्या कोई प्रावधान किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में की गई गतिविधियां अलग से दर्शायें	लागू नहीं

टिप्पण सं. 2.39

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना करोपरांत निवल लाभ 44.27 लाख रुपए (करोपरांत निवल हानि 6506.35 लाख रुपए) को 3,54,22,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की जाती है। इसका विवरण इस प्रकार है:

प्रति शेयर अर्जन	वित्त वर्ष **2022-23**	वित्त वर्ष 2021-22
आधारिक	0.12	(18.37)
कम किया गया	0.12	(18.37)

टिप्पण सं. 2.40

19 मई, 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (डीसीपीएल) द्वारा 10 प्रतिशत के साथ भूखंडों आदि के विकास के लिए बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20.1.2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल ने मंजूरी नहीं दी। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/बाहर निकलने के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, ईपीआईयूआईडीएल के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन, त्वरित समापन की याचिका प्रादेशिक निदेशक के पास मंजूरी के लिए लंबित थी। तदनुरांत इस मामले को प्रादेशिक निदेशक (उत्तर), कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। प्रादेशिक निदेशक (कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा) सूचित किया गया है कि फाइल की गई याचिका परिसमापन के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई करने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध है। तदनुसार अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(क) के अनुसरण में दिनांक 23.05.2022 को महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष ईपीआईयूआईडीएल का नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उस आवेदन के प्रत्युत्तर में, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने ईपीआईयूआईडीएल को दिनांक 30.11.2022/07.12.2022 को कंपनी रजिस्टर (एसटीके–1) से कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके उपरांत ईपीआईयूआईडीएल की हड़ताल के मामले में आरओसी ने दिनांक 21.03.2023 को सुनवाई तय की। सुनवाई के उपरांत, आरओसी ने 21.04.2023 को एसकेटी–5 (कंपनी का नाम हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस) जारी किया और इसे कारपोरेट कार्य मत्रालय की वेबसाइट पर डाल गया। आरओसी ने आगे एसटीके–5ए (सार्वजनिक सूचना) दिनांक 02.05.2023 को दिनांक 13.06.2023 के टाइम्स सिटी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त को देखते हुए, वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5.10 लाख रुपए के निवेश के सापेक्ष पहले ही 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया है।

टिप्पण सं. 2.41

सीबीआई ने 05 मामले दर्ज किए हैं और ''कंपनी'' के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है जिसमें उस एफआईआर में ''कंपनी'' को पक्षकार नहीं बनया गया है और इसप्रकरा इसके वित्तीय विवरण पर कोई वित्तीय प्रभाव की

परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, सीबीआई ने कंपनी के निधि की धोखाधड़ी/दुरुपयोग का एक और मामला भी दर्ज किया है, जिसकी अभी जांच चल रही है और कथित धोखाधड़ी/दुरुपयोग का इसके वित्तीय विवरण पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि आज की तारीख को उपरोक्त मामले में जांच अभी भी चल रही है।

टिप्पण संख्या 2.42

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई बबुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, यद्यपि ईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (96 प्रतिशत) मिल गया। 18.78 करोड रुपए की समतुल्य धनराशि का दावा विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम में 31.10.2016 को विरुद्ध किया गया है। माध्यस्थ ने 29.01.2018 को 17.25 लाख रुपए (लगभग) का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में मध्यस्थ को डिक्री में परिवर्तित करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांगसू कुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है।

टिप्पण संख्या 2.43

व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहकों का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्राप्य/संदेय प्रतिभूति जमा और व्यापार संदेय पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। प्रबंधन के मतानुसार, इनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

टिप्पण संख्या 2.44

प्रबंधन के मतानुसार, कारबार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में किये गये कथनानुसार से कम नहीं।

टिप्पण संख्या 2.45

क) मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्य वसूलियां 2,354.96 लाख रुपए हैं। पूर्वोक्त धनराशि 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसकी वसूली का निरंतर प्रयास किया जाता है। अंतिम निपटान के लंबित होने तक अनुभव/प्रगति प्रबंधन द्वारा मामले का निर्धारण के आधार पर 31.03.2023 तक 443.77/–रुपए का परियोजना के पूरा होने तक प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान यूसीआईएल से वसूली के लिए अनेक बार संपर्क किया गया। इसका परिणाम चालू वित्त वर्ष अर्थात 2023–24 में आ सकता है ।

ख) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर परियोजना को ग्राहक द्वारा अप्रैल, 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उप–अभिकरण से वसूली की जाने वाली धनराशि 4,306.22/– लाख रुपए है, इसे टिप्पण संख्या 2.12 में 'अन्य गैर चालू आस्तियां' के अंतर्गत "ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य" में दर्शाया गया है। यह मामला ग्राहक एवं उप–अभिकरण दोनों के साथ मध्यस्थ के अधीन है।

ग) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 5 एनएलपीडी दुग्ध संयंत्र, 30 संपूर्ण एमटीपीडी विद्युत संयंत्र एवं सेवा एवं प्रयोगशाला स्थापन के देहरी और सोन में डिजाइन, अपूर्ति, उत्कीर्ण एवं चालू करने से संबंधित 8,329.77/–रुपए मूल्य की संविदा को ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया। 430.50/– रुपए की कुल धनराशि जो ग्राहक द्वारा सचल अग्रिम के सापेक्ष अधिक वसूल की गई है, को टिप्पण संख्या 2.12 में 'ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूली योग्य–गैर चालू आस्तियां' के के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह मामला मध्यस्थ के अधीन है।

टिप्पण संख्या 2.46

कंपनी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की क्षमता में दिए गए कार्य के संबंध में कार्य के परिमाण में अन्य बातों के साथ संनिर्माण कार्यकलापों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति, ठेकेदारों की मानिटरी और पर्यवेक्षण, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से ठेकेदारों को भुगतान सम्मिलित है, कंपनी ठेकेदारों के कार्य की संपूर्ण लागत को जिसके अंतर्गत पीएमसी फीस सम्मिलित है, "किया गया कार्य" शीर्ष के अधीन राजस्व के अधीन अपने टर्नओवर के रूप में मान्यता प्रदान करती है और तदनुसार ठेकेदार के कार्य की लागत को कार्य लागत के अधीनमान्यता दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं से संबद्ध आस्तियों और दायित्व नियोक्ता के निमित्त न्यास में धारित को कंपनी की आस्ति और दायित्व के रूप में उसके तुलन पत्र में संबंधित मदों के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। इसका कंपनी द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है जो अपने ठेकों को लेखांकन मानक–7 के अधीन लागत जमा ठेका मानती है।

टिप्पण संख्या 2.47

वेतन और अन्य संबंधित लागत के लिए मुख्यालय व्यय 59.94 लाख रुपए (गत वर्ष 26.90 लाख रुपये) का वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ओमान को आवंटन किया गया है जिसमें ओमान में के शाखा लेखाओं में इसी व्यय की कटौती का ओमान आयकर नियमों और विनियमों के अनुसार दावा किया गया है।

टिप्पण संख्या 2.48

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने कतिपय कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 259.31 लाख रुपये (गत वर्श 1904.28/– लाख रुपए जिसके अंतर्गत पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय–कोलकाता के भवन का 1656.81 लाख रुपए का भाटक भी सम्मिलित है जो माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है) की धनराशि को इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के सापेक्ष दर्शाया गया है।

कंपनी ने कतिपय आस्ति जैसे कार को रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों पर लिया है। वर्ष के दौरान 15.75/– लाख रुपए (गत वर्ष 17.46/– लाख रुपए) की धनराशि का इन रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों के सापेक्ष अदायगी की। इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय इस प्रकार है:

(i) 1वर्ष के पूर्व संदेय 13.59/– लाख रुपए (गत वर्ष 15.61/–लाख रुपए)

(ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 23.40/– लाख रुपए (गत वर्ष 36.70/– लाख रुपए

(iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय भून्य (गत वर्ष शून्य)

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी:

कंपनी ने कतिपय कार्यालय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किये जा सकते हैं। वर्ष के दौरान 452.32 लाख रुपए (गत वर्ष 430.78 लाख रुपए) की राशि को इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के सापेक्ष रखा गया है।

इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय इस प्रकार है:

(i) 1 वर्ष के पूर्व प्राप्य 311.43–लाख रुपए (गत वर्ष 452.32 लाख रुपए)

(ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व प्राप्य भून्य (गत वर्ष 311.43 लाख रुपए)

(iii) 5 वर्ष के पश्चात प्राप्य शून्य (गत वर्ष शून्य)

टिप्पण संख्या 2.49

संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रकटन

क्र. सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम (अनिगमित)	भागीदार और मूल देश	31 मार्च की स्थिति के अनुसार भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2023	2022
1.	ईपीआई– सी एंड सी संयुक्त उद्यम*	सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडिया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड इंडिया	60% 40%	60% 40%

*वर्ष के दौरान कंपनी ने मैसर्ज सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पहले ही दिनांक 17.08.2021 को संयुक्त उद्यम करार को समाप्त करने के संबंध में नोटिस भेज दिया है। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 9.02.2022 के पत्र द्वारा म्यांमार के चिन राज्य में (प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) पर 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों के अनुसार दो लेन की सड़क की संनिर्माण की परियोजना) संपूर्ण संविदा को कार्य निश्पादन न होना बताते हुए समाप्त कर दिया।

चूंकि सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यामार संयुक्त उद्यम "ईपीआई– सीएंडसी जेवी (अनिगमित)" में हमारा 60 प्रतिशत स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीई एलटी में इस समय दिवाला कार्यवाहियों का सामना कर रहा है और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर इसके वित्तीय प्रभाव का अभी पता नहीं लगाया जा सकता है।

टिप्पण संख्या 2.50

शेयरधारकों को संदेय लाभांश को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस वर्ष अर्थात् 2022–2023 के दौरान कंपनी ने अपने भोयरधारकों को किसी लाभांश (गत वर्ष 2021–22 में शून्य) की अदायगी नहीं की है।

टिप्पण संख्या 2.51

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान कंपनी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाती है।

(राशि लाख रुपए में)

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संदेय*	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
विशिष्टियां		
i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता का मूलधन एवं उस पर शेष अप्रदत्त ब्याज;	12,961.18	3,463.91
ii) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे आपूर्तिकर्ता को की अदा की गई धनराशि के साथ धारा 16 के निबंधनों में क्रेता द्वारा संदत ब्याज की धनराशि;	शून्य	शून्य
iii) संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए शोध्य और संदेय ब्याज की धनराशि (किंतु जिसका वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे संदाय किया गया है) किंतु इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट धनराशि को जोड़ें बिना;	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संदेय*	31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार
iv) प्रत्येक लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर उद्भूत ब्याज एवं शेष अप्रदत्त धनराशिय और	शून्य	9.50
iv) यहां तक की पश्चातवर्ती वर्षों में और अधिक शेष शोध्य और संदेय ब्याज की धनराशि, उस तारीख तक जब उपरोक्त शोध्य या ब्याज का वास्तव में लघु उद्यम को इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य खर्च के रूप में मोक के प्रयोजन के लिए संदाय किया जाता है	शून्य	शून्य

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 मै यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निकायों से शोध्य धनराशि की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर तथा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के परिमाण तक पहचान की जाती है। 9.06 लाख रुपये के मामले को छोड़कर, जिस पर ब्याज संदत्त नहीं किया गया है चूंकि संविदा के अनुसार ग्राहक से राशि प्राप्त होने पर ही विक्रेता को राशि संदत्त की जाती है, वर्ष के दौरान किसी भी समय इन पहचान किए गए निकायों के प्रति 45 दिन से अधिक के लिए कोई धनराशि संदेय नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.52

अनुसूची III में संशोधनों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 24.03.2021 की अधिसूचना के संदर्भ में अतिरिक्त विनियामक सूचना इस प्रकार है:

(i) अचल संपत्ति के जो कंपनी के नाम धारित नहीं है के स्वत्व विलेख:

अचल संपत्ति के जो कंपनी के नाम धारित नहीं है के स्वत्व विलेख के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(राशि लाख रुपए में)

तुलन पत्र में सुसंगत रेखा मद	संपत्ति का विवरण	समग्र वहन मूल्य	स्वत्व विलेख जिसके नाम पर हैं	क्या स्वत्व विलेख धारक कोई संप्रवर्तक, निदेशक या किसी संप्रवर्तक/निदेशक का संबंधी# या संप्रवर्तक*/निदेशक का कर्मचारी है	जिस तारीख से संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम धारण ना करने के कारण
पीपीई	स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन	374.42	स्कोर परिसर, नई दिल्ली	जी, नहीं	14.03.1988	संबंधित प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया गया है
संपत्ति में निवेश	-	-	-	-	-	-
पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो गया है और उसे निपटान के लिए रखा गया है	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-

#यहां नातेदार से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित नातेदार अभिप्रेत है।
*संप्रवर्तक से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित संप्रवर्तक अभिप्रेत है।

(ii) इस संबंध में प्रकटन की क्या पुनर्मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर आधारित है:

वर्ष के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

(iii) संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को अनुदत्त ऋण अथव अग्रिमों का प्रकटन:

वर्ष के दौरान संप्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति और संबंधित पक्षकारों को कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गया:

(iv) चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यू आईपी):

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई सीडब्ल्यूआईपी विद्यमान नहीं है।

(v) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां:

(क) विकासाधीन समयावधि (एजिंग) अनुसूची के अधीन अमूर्त आस्तियों के ब्यौरे:

(राशि लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की धनराशि				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजना:	-	-	-	-	-
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(ख) विकास पूर्ण होने वाली अनुसूची के अधीन अमूर्त आस्तियों के ब्यौरे:

(Amount in ₹ Lakhs)

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	Amount in CWIP for a period of			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर परियोजना:	-	-	-	-
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजना	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**

(vi) धारित बेनामी संपत्ति के ब्यौरे:

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कोई बेनामी संपत्ति कंपनी द्वारा धारित नहीं है।

(vii) चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधार:

कंपनी ने समय समय के आधार पर बैंकरों को वही अनंतिम वित्तीय डाटा प्रस्तुत किया है जो शासी मंत्रालय को भी सूचित किया गया है।

(viii) इरातदन चूककर्ता:

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य उधार दाता द्वारा इरातदन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ix) हटा दी गई कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत हटा दी गई कंपनियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं किया है।

(x) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ प्रभारों या ऋणमुक्ति का रजिस्ट्रीकरण:

सांविधिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास किन्ही प्रभारों या ऋणमुक्ति रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना है।

(xi) कंपनियों की अनेक लेयरों का अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (87) नियंत्रित कंपनी के वर्ग या वर्गों को विहित सीमा से परे अनुषंगी कंपनियां रखने पर निर्बंधन अधिरोपित करता है। उपरोक्त प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xii) विभिन्न अनुपात:

विभिन्न अनुपातों के ब्योरे इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	अनुपात का प्रकार	सूत्र (अंश गणक / विभाजक)	प्रतिशत / समय में	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	भिन्नता प्रतिशत में
क)	चालू अनुपात	चालू आस्तियां / चालू दायित्व	कितनी बार	1.11	1.15	-3%
ख)	ऋण–साम्य अनुपात	बाहरी व्यक्तियों के दावे / आंतरिक व्यक्तियों के दावे	कितनी बार	7.95	8.81	-10%
ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज कर मूल्यह्रास से पूर्व अर्जन एवं अपाकरण / ब्याज + मूलधन	कितनी बार	0.36	(10.90)	103%
घ)	साम्या अनुपात पर रिटर्न	करोपरांत लाभ / शेयरधारकों की इक्विटी	%	1%	(184%)	101%
ङ)	माल सूची टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत / औसत माल सूची	कितनी बार	509.51	639.22	-20%

च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल नकद बिक्री/औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	4.95	2.49	99%
छ)	व्यापार संदेय टर्नओवर अनुपात	निवल नकद क्रय/औसत व्यापार प्राप्य	कितनी बार	1.48	1.16	28%
ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/नियोजित पूंजी	कितनी बार	13.48	8.82	53%
झ)	निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ/कुल आय	%	0.04%	(9%)	100%
ञ)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	करोपरांत लाभ/कुल नियोजित पूंजी	%	1%	(78%)	101%
ट)	निवेश पर रिटर्न	आस्तियों के किसी वर्ग से लाभ/ऐसी आस्तियों के वर्ग का बाजार मूल्य	%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक अनुपात में परिवर्तनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

क) **ऋण सेवा कवरेज अनुपात में,** ईवीआईटीडीए गत वर्ष में –56.65 करोड रुपए की तुलना में चालू वर्श में लाभ के कारण चालू वर्ष में 7.56 करोड रुपए है। यह अनुपात गत वर्ष की तुलना धनात्मक है।

ख) **इक्विटी अनुपात में रिटर्न पर,** गत वर्ष में 65.06 करोड रुपए हानि की तुलना में चालू वर्ष में लाभ 0.44 करोड रुपए है। यह इक्विटी में धनात्मक रिर्टन है।

ग) **व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में टर्नओवर और औसत व्यापार प्राप्य 1131.96 करोड रुपए और 228.50 करोड रुपए हैं जबकि गत वर्ष में यह क्रमशः 736.17 करोड रुपए और 295.70 करोड रुपए थे। इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी हुई है।

घ) **व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात में,** चालू वर्ष में टर्नओवर और औसत व्यापार प्राप्य 1037.10 करोड रुपए और 702.44 करोड रुपए हैं जबकि गत वर्ष में यह क्रमशः 684.64 करोड रुपए और 591.55 करोड रुपए थे। इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में अनुपात में बढ़ोतरी हुई है।

ङ) **निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात में,** गत वर्ष की तुलना में टर्नओवर में वृद्धि एवं चालू वर्श में 0.44 करोड रुपए के करोपरांत लाभ के कारण जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई (सूत्र में अंश भाजक का मूल्य)। इससे गत वर्ष की तुलना में अनुपात में वृद्धि हुई है।

च) **निवल लाभ अनुपात में,** गत वर्ष में –65.06 करोड रुपए की हानि की तुलना में चालू वर्ष में 0.44 करोड रुपए का करोपरांत का लाभ। यह धनात्मक निवल लाभ अनुपात है।

छ) **नियोजित पूंजी के रिटर्न के अनुपात में,** चालू वर्ष में 0.44 करोड रुपए के करोपरांत लाभ के कारण जिससे चालू वर्ष में नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई (सूत्र में अंश भाजक मूल्य)। इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में यह धनात्मक अनुपात है।

(xiii) प्रबंध की अनुमोदित स्कीमों का अनुपालनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 237 इसके अधीन कंपनी के लिए कोई स्कीम अनुमोदित नहीं की गई है।

(xiv) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोगः

कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या निकाय जिसके अंतर्गत विदेशी निकाय (मध्यवर्ती) सम्मिलित हैं, से कोई अग्रिम नहीं लिया है या उधार नहीं लिया है या निधियों (या तो उधार ली गई निधियां या शेयर प्रीमियम या अन्य स्रोत या निधियों की किस्म) का निवेश नहीं किया है।

(xv) अप्रकटित आयः

वर्ष के लिए कोई अप्रकटित आय या कोई संव्यवहार नहीं है जिसे लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया है।

(xvi) क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा के ब्यौरेः

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

टिप्पण संख्या 2.53

एमओडी ने सी एंड सी ओमान एल.एल.सी. (सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड – भारत की अनुशंगी कंपनी) द्वारा दायर मामले के संबंध में ओमान सल्तनत के प्राथमिक न्यायालय के निर्देश के अनुसार, आरओ 11.35 मिलियन की राशि रोक दी गई थी। ईपीआई ने वाद संख्या 119/1310/2021 का ब्यौरा एकत्र किया है और मस्कट प्राथमिक न्यायालय में अपील दायर की है। दिनांक 11.06.2023 को प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने सी एंड सी (ओमान) एल.एल.सी. के पक्ष में निर्णय जारी किया है। प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को चुनौती देते हुए ईपीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी और 17 अगस्त, 2023 को न्यायालय में इस अपील पर सुनवाई होनी थी। आगे सी एंड सी (ओमान), एलएलसी ने दिनांक 13.03.2023 को ने इस चल रहे वाणिज्यिक वाद 119/1310/2021 से सहबद्ध ओमान सल्तनत में ईपीआई के सभी लेखाओं, निधियों और बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को जब्त करने के लिए याचिका (294/4104/294) दायर कर दी और प्राथमिक न्यायालय, मस्कट ने दिनांक 14.03.2023 को ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने का न्यायिक निर्णय 124/2023 जारी किया तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान (सीबीओ) को भी इस निर्णय को लागू करने को कहा। तदनुसार, 15 मार्च 2023 को सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और निष्क्रिय कर दिए गए। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.03.2023 को, ईपीआई ने ओमान में ईपीआई के बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए प्राथमिक न्यायालय में याचिका दायर की। इस की सुनवाई दिनांक 16.04.2023 को पूरी हुई और दिनांक 01.05.2023 को, माननीय प्राथमिक न्यायालय ने मैसर्स सी एंड सी ओमान एलएलसी द्वारा दायर मामले में ईपीआई बैंक खातों को फ्रीज करने के दिनांक 14.03.2023 के आदेश को रद्द करने का निर्णय जारी किया। दिनांक 14–05–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने प्राथमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की। दिनांक 06–07–2023 को, मैसर्स सी एंड सी (ओमान) एलएलसी ने ईपीआई के पक्ष में प्राथमिक न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अधिक्रमण वाली अपील प्रस्तुत की और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर ली। अपील न्यायालय से इस निर्णय की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ईपीआई ने इस निर्णय पर विधिक सलाहकार के साथ पुनराविलोकन करने के उपरांत इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है।

टिप्पण संख्या 2.54

गत वर्ष के अंको का मिलान, पुनः समूहीकरण कर लिया गया है और उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. **013838एन/एन500003**

ह०/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदाभिहित भागीदार
सदस्यता सं. **093056**
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः **20** जुलाई, **2023**
यूडीआईएनः **23093056बीजीटीजेडजेडके9462**

कृते निदेशक बोर्ड और उसकी ओर से

ह०/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः **10234285**

ह०/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएनः **07022825**

ह०/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह०/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

एओसी प्रपत्र–1

(कंपनी (लेखा) नियमों के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के पहले उपबंध के अनुसरण में)

अनुशंगी या सहयोगीं कंपनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं से युक्त ववरण

भाग कः अनुशंगी कंपनियां

(प्रत्येक अनुशंगी कंपनी से संबंधित सूचना रुपये में धनराशि के साथ प्रस्तुत की जाए)

1	अनुशंगी कंपनी का नाम	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
2	अनुशंगी कंपनी के अर्जन/ निगमन की तिथि	19 मई 2016
3	संबंधित अनुशंगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो।#	वही जो नियंत्रक कंपनी की है (01.04.2022-31.03.2023)
4	विदेशी अनुशंगी कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी*	1,000,000
6	आरक्षिति और अधिशेष	(597,530)
7	कुल आस्तियां	615,601
8	कुल दायित्व	615,601
9	निवेश	-
10	टर्नओवर	-
11	कराधान से पूर्व लाभ	-
12	कराधान के लिए प्रावधान	-
13	कराधान के उपरांत लाभ	-
14	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	51%
15	प्रस्तावित लाभांश	शून्य

टिप्पणः

उन अनुशंगी कंपनियों के नाम जिनका प्रचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है	शून्य
उन अनुशंगी कंपनियों के नाम जिनका इस दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया	शून्य

*शेयर पूंजी में निर्गमित और चुकता पूंजी शामिल होती है।

भाग खः सहयोगी और संयुक्त उद्यम

	सहयोगीया संयुक्त उद्यमों का नाम	ईपीआई–सीएंडसी जेवी*
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि #	शून्य
2.	वह तारीख जिस दिन सहयोगी या संयुक्त उद्यम को संबद्ध किया गया था या अर्जन किया गया था	02.08.2017
3.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी या संयुक्त उद्यमों के शेयर धारित शेयरों की संख्या	शून्य
	सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	शून्य
	धारिता की सीमा (प्रतिशत में)	40%
4.	विवरण कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है	लागू नहीं
5.	कारण सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित क्यों नहीं है	लागू नहीं
6.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से नेटवर्थ (ईपीआई–सी एंड सी जेवी)	शून्य
7.	वर्ष के लिए लाभ या हानिः–	
	i. समेकन में माना गया	शून्य
	ii. समेकन में नहीं माना गया	शून्य

*वर्ष के दौरान, कंपनी ने संयुक्त उद्यम करार को समाप्त करने के संबंध में दिनांक 17.08.2021 को मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, भारत को पहले ही नोटिस भेज दिया है। तदुपरांत, विदेश मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी, 2022 के अपने पत्र द्वारा पूरी संविदा (म्यांमार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.20 तक प्लेटवा से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशनों पर दो लेन सड़क के निर्माण की परियोजना) को कार्य निष्पादन न होना कहते हुए समाप्त कर दिया।

व्यय शून्य होने के कारण कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए समेकन के लिए किसी भी चीज पर विचार नहीं किया जाता है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं. 013838एन/एन500003

ह०/–
(सीए संजय कुमार गुप्ता)
पदाभिहित भागीदार
सदस्यता सं. 093056
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20 जुलाई, 2023
यूडीआईएनः 23093056बीजीटीजेडजेडके9462

कृते निदेशक बोर्ड और उसकी ओर से

ह०/–
(दिबेंदु दास)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10234285

ह०/–
(धीरेन्द्र सिंह राना)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07022825

ह०/–
(अशोक कुमार पात्रा)
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

ह०/–
(नितेश कुमार गोयल)
कंपनी सचिव

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित की धारा (143) के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कथन किया गया है कि उनके द्वारा 20 जुलाई, 2023 की पुनरीक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6) (क) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील पेपरों तक बिना किसी पहुंच के की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी के कार्मिक और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(6) (क) कुछ महत्वपूर्ण विशय पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आये हैं एवं जो मेरे विचार में संबंधित वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं:

क. सेमिकित लाभप्रदता पर टिप्पणी

क.1 अन्य गैर–चालू आस्तियां (टिप्पण सं. 2.12): 474.05 करोड़ रुपये

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के (ईपीआईएल, कंपनी) के महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 10 के संदर्भ की ओर ध्यान आकृश्ट किया जाता है जो उपदर्शित करती है कि ''केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार एवं उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों एवं विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो। मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय के पास लंबित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।''

कंपनी यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 23.55 करोड़ रुपये वसूली योग्य है जो दस वर्श से अधिक समयावधि से लंबित है एवं जिसके सापेक्ष केवल 4.44 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है। इसके अतितरक्त इन प्राप्यों के सापेक्ष विभिन्न विक्रेताओं/उप–ठेकेदारों से 7.18 करोड़ रुपये भी संदेय है।

इस संबंध में यह देखा गया कि ईपीआईएल ने झारखंड में वर्श 2004 से 2007 के दौरान यूरेनियम अयस्क की प्रसंस्करण से संबंधित कार्य किया हैं। ईपीआईएल ईपीआईएल धन के अभाव के कारण संपूर्ण कार्यक्षेत्र पूरा नहीं कर सका और उसे यूसीआईएल से शेष कार्यों को स्वयं पूरा करने का अनुरोध करना पड़ा, जिसे यूसीआईएल ने अन्य ठेकेदारों को नियोजित करके पूरा कराया। इस विशय पर यूसीआईएल के साथ विवाद है और आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। तदनुसार, लेखापरीक्षा का दृश्टिकोण है कि ईपीआईएल को उनकी पूर्वाक्त उल्लिखित लेखा नीति के अनुरूप 11.93 करोड़ रुपये (23.55 करोड़ में से 7.18 करोड़ रुपये घटाकर और 4.44 करोड़ रुपये घटाकर) की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान करना चाहिए था।

इस प्रकार, अल्प–प्रावधानीकरण किये जाने के कारण वर्ष के लिए अन्य गैर–चालू आस्तियों और लाभ में 11.93 करोड़ रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है।

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2018–19 से वर्श 2022–23 के लिए अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाये जाने के बावजूद, कंपनी ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

कृते भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उसकी ओर से
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

ह0/–
(एस. अहल्लादिनी पांडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 19 सितंबर, 2023

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित की धारा (143) के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कथन किया गया है कि उनके द्वारा 20 जुलाई, 2023 की पुनरीक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्श के लिए ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवपलर्स लिमिटेड (अनुशंगी) की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त ईपीआई–सीएंडस1 (संयुक्त उद्यम) के विदेश में उनके सांविधिक लेखापरीक्षक एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए संबंधित विधियों के अधीन अनिगमित निजी अस्तित्व होने के कारण अधिनियम की धारा 139(5) एवं धारा 143(6) (क) ईपीआई–सीएंडसी (संयुक्त उद्यम) पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस कंपनी के न तो सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किये हैं और न ही अनुपूरक लेखपरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील पेपरों तक बिना किसी पहुंच के की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी के कार्मिक और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) कुछ महत्वपूर्ण विशय पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आये हैं एवं जो मेरे विचार में संबंधित वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं:

क. सेमिकित लाभप्रदता पर टिप्पणी

क.1 अन्य गैर–चालू आस्तियां (टिप्पण सं. 2.12): 474.02 करोड़ रुपये

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के (ईपीआईएल, कंपनी) के महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 10 के संदर्भ की ओर ध्यान आकृश्ट किया जाता है जो उपदर्शित करती है कि ''केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार एवं उनके विभागों, पीएसयू ग्राहकों एवं विदेशी ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और

[1]अनुशंगी कंपनी के वार्षिक लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये।

अग्रिमों से परियोजना के आधार पर निवल प्राप्य राशि के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो। मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय के पास लंबित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।''

कंपनी यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 23.55 करोड़ रुपये वसूली योग्य है जो दस वर्श से अधिक समयावधि से लंबित है एवं जिसके सापेक्ष केवल 4.44 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है। इसके अतितरक्त इन प्राप्यों के सापेक्ष विभिन्न विक्रेताओं/उप–ठेकेदारों से 7.18 करोड़ रुपये भी संदेय है।

इस संबंध में यह देखा गया कि ईपीआईएल ने झारखंड में वर्श 2004 से 2007 के दौरान यूरेनियम अयस्क की प्रसंस्करण से संबंधित कार्य किया हैं। ईपीआईएल ईपीआईएल धन के अभाव के कारण संपूर्ण कार्यक्षेत्र पूरा नहीं कर सका और उसे यूसीआईएल से शेष कार्यों को स्वयं पूरा करने का अनुरोध करना पड़ा, जिसे यूसीआईएल ने अन्य ठेकेदारों को नियोजित करके पूरा कराया। इस विशय पर यूसीआईएल के साथ विवाद है और आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। तदनुसार, लेखापरीक्षा का दृश्टिकोण है कि ईपीआईएल को उनकी पूर्वाक्त उल्लिखित लेखा नीति के अनुरूप 11.93 करोड़ रुपये (23.55 करोड़ में से 7.18 करोड़ रुपये घटाकर और 4.44 करोड़ रुपये घटाकर) की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान करना चाहिए था।

इस प्रकार, अल्प–प्रावधानीकरण किये जाने के कारण वर्ष के लिए अन्य गैर–चालू आस्तियों और लाभ में 11.93 करोड़ रुपये का अधिक उल्लेख हुआ है।

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2018–19 से वर्श 2022–23 के लिए अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाये जाने के बावजूद, कंपनी ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

कृते भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उसकी ओर से
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

ह0/–
(एस. अहल्लादिनी पांडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 19 सितंबर, 2023

आधारभूत संरचना के विकास एवं टर्नकी परियोजना के निष्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम

इस वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद राजभाषा प्रभार डॉ मनीष गवाई, प्रबंधक, डॉ अहीर प्रभुनाथ व श्रीमती तब्बस्सूमखान द्वारा किया गया

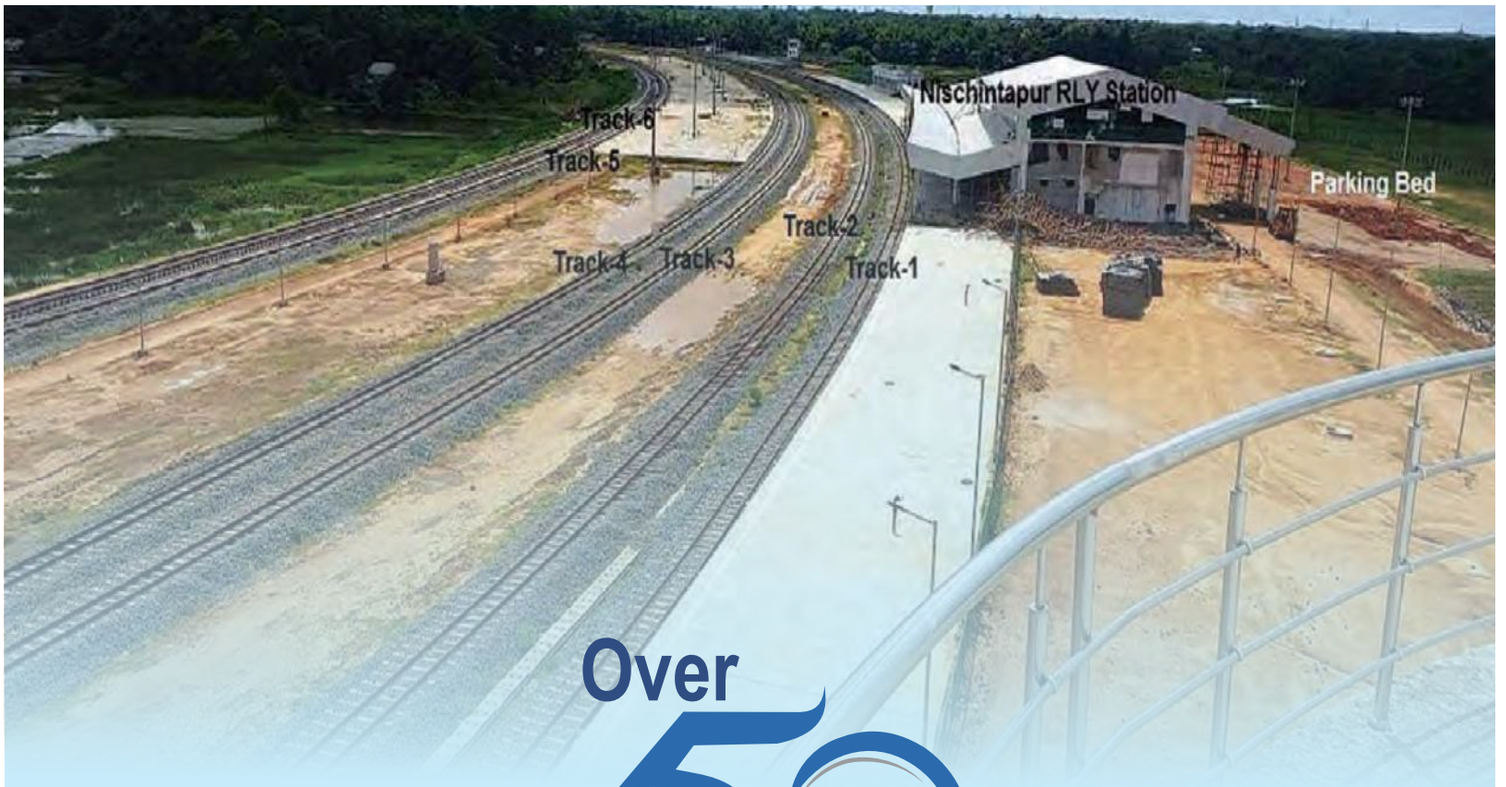

Over 50 Years of

पर्यावरण एवं आधारभूत संरचना विकास में निहित इंजीनियरी उत्कृष्टता के 50 से अधिक वर्ष

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003

फोन नं. : +91-11-24361666, फैक्स : +91-11-24363426

ई–मेल : epico@epi.gov.in वेबसाइट : www.epi.gov.in

Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218